चतुर्दश माला, खंड 36, अंक 17

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008
1 पौष, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 17-76
Dated 22 July 2010

(खण्ड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

राकेश कुमार
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग-दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 17, सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008/01 पौष, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 322, 327, 328, 330, 332 से 334	3-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 321, 323 से 326, 329, 331 और 335 से 340	32-99
अतारांकित प्रश्न संख्या 3251-3295 और 3297-3378	99-264
सभा पटल पर रखे गए पत्र	264-273
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	273 274
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	274-275
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
33वाँ और 34वाँ प्रतिवेदन	275
लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति	
(एक) प्रतिवेदन	275
(दो) साक्ष्य	275
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	274-275
(एक) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमश: 2006-07 और 2007-08) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 114वें और 117वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री के.एच. मुनियप्पा	276
(दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ऑस्कर फर्नांडीस	277
(तीन) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	277-280

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(चार) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री संतोष बागड़ोदिया	281
(पांच) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमशः (2007-08 और 2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 183वें और 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पृथ्वीराज चव्हाण	281-282
(छह) (क) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित, "वस्त्र मिलों की रुग्णता/बंद होना" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	282-283
(ख) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	283-284
(सात) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 86वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री अश्विनी कुमार	284
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2008	285-295
(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008	295-296
(तीन) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2008	296
(चार) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008	
नियम 377 के अधीन मामले	297
(एक) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. एम. करुणानिधि को 'भारत रत्न' सम्मान से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता	
श्री एस.के. खारवेनथन	297-298
(दो) मानव बस्तियों से जंगली हाथियों को दूर रखने के लिए कर्नाटक के वन क्षेत्र की समुचित बाड़बंदी किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती तेजस्विनी गौडा	298
(तीन) धुबरी-हल्दिया वाया बांग्लादेश जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने तथा धुबरी पत्तन के निर्माण हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनवर हुसैन	298-299
(चार) दक्षिण रेलवे के मानवरहित रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चित्तन	299

विषय	कॉलम
(पांच) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	299-300
(छह) बिहार के औरंगाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
श्री निखिल कुमार	300-301
(सात) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	301
(आठ) सरकारी छुट्टियों की संख्या में कमी किए जाने की आवश्यकता	
श्री अविनाश राय खन्ना	301
(नौ) देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
डा० वल्लभभाई कथीरिया	301-302
(दस) हिमाचल प्रदेश में एक कमांडो और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	302
(ग्यारह) उड़ीसा के कालाहांडी और नवपाड़ा जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य हेतु धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री विक्रम केशरी देव	302-303
(बारह) अखिल भारतीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	303
(तेरह) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने तथा समस्त कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कमी करके उसे 4 प्रतिशत तक किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सी.एस. सुजाता	303-304
(चौदह) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी रेल फाटक पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	304
(पन्द्रह) दिल्ली और बुंदेलखंड के मध्य चलने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 2447-2448) की आवृत्ति को बढ़ाए जाने तथा महोबा और खजुराहो के बीच रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	304-305
(सोलह) बिहार की नून नदी परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री आलोक कुमार मेहता	305
(सत्रह) श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई.जी. सुगावनम	305-306

विषय	कॉलम
(अट्ठारह) पुडुचेरी को गृह मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय वित्त आयोग अथवा वित्त आयोग के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता	
प्रो० एम० रामदास	306
(उन्नीस) झारखंड के साहेबगंज तथा बिहार के मनिहारी को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनाए जाने संबंधी निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमलाल मुर्मू	307
(बीस) संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामदास आठवले	307-308
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)-2008-09	310
रेल अभिसमय समिति, 2004 के नौवें प्रतिवेदन की सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प	311
विनियोग (रेल) (संख्यांक 5) विधेयक, 2008	311-313
विचार करने के लिए प्रस्ताव	312
खंड 2, 3 और 1	312
पारित करने के लिए प्रस्ताव	312-313
ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008	313-339
विचार करने के लिए प्रस्ताव	314
खंड 2 से 40 और 1	314
पारित करने के लिए प्रस्ताव	314
सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006	317
विचार करने के लिए प्रस्ताव	317
खंड 2 से 50 और 1	317-339
पारित करने के लिए प्रस्ताव	339
उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) (संशोधन) विधेयक, 2008	340
विचार करने के लिए प्रस्ताव	340
खंड 2 और 1	340
पारित करने के लिए प्रस्ताव	340
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	341
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	342-346
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	347-348
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	347-348

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग
डा. सत्यनारायण जटिया
श्रीमती सुमित्रा महाजन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
श्री मोहन सिंह
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2008/01 पौष, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर एक मिनट पर समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री जगदीश अवस्थी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री जगदीश अवस्थी वर्ष 1957 से 1962 तक दूसरी लोक सभा तथा वर्ष 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के बिल्हौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, श्री अवस्थी वर्ष 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे।

श्री अवस्थी दूसरी लोक सभा के दौरान याचिका समिति के सदस्य रहे और आठवीं लोक सभा के दौरान सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से शिक्षाविद् श्री अवस्थी ने प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार के लिए अथक परिश्रम किया। वह वर्ष 1958 से 1960 तक माध्यमिक शिक्षक संघ, कानपुर; वर्ष 1967 से 1969 तक सलाहकार समिति, आई.टी.आई., कानपुर और वर्ष 1980 से 1981 तक मकनपुर हॉयर सेकेण्ड्री स्कूल, कानपुर देहात की प्रबंधन समिति के चेयरमैन रहे। श्री अवस्थी ने वर्ष 1950 से 1957 तक हिन्द किसान पंचायत, कानपुर के सचिव के रूप में भी काम किया।

श्री अवस्थी ने सहकारिता आन्दोलन में विशेष रुचि ली और जिला सहकारी बैंक, कानपुर के चेयरमैन के रूप में कार्य किया। वह वर्ष 1973 से 1975 तक को-ऑपरेटिव मिल्क बोर्ड, कानपुर तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश के सदस्य रहे।

श्री अवस्थी वर्ष 1959 से 1962 तक एक अंग्रेजी पत्रिका "मैनकाइंड" के सम्पादक रहे।

श्री जगदीश अवस्थी का निधन 85 वर्ष की आयु में 21 सितम्बर, 2008 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से, शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, अलग-अलग केन्द्रीय मंत्री...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी कृपया एक-एक करके बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता आप किस संबंध में बातें कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी कुछ सुनूंगा, क्वैश्चन आवर के बाद सुनुंगा।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, सरकार चाहती है कि इस पर कोई बहस नहीं हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नकाल के बाद मैं आपको सुनूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय, अखबारों में बयान आया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, यह तो नहीं बोला है।

[अनुवाद]

मैं प्रश्न काल के बाद आपकी बात सुनूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: सरकार चाहती है कि इस पर कोई बहस नहीं हो।...*(व्यवधान)* इस बारे में केन्द्रीय मंत्री बयान दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: केन्द्रीय मंत्री एक घंटे बाद भी तो रहेंगे। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। आप बैठ जाइए।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, अखबार में श्री दिग्विजय सिंह का बयान आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संतोष गंगवार जी, अब आप डिप्टी लीडर बन गए हैं, आप चेयरमैन, पीएसी बन गए हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न-काल के बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 321, श्री रवि प्रकाश वर्मा— उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

खुले बाजार में गेहूं की बिक्री

***322. डा. चिन्ता मोहन: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं का भंडार देश की आवश्यकता से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने हाल ही में खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को कितने मूल्य के एवं कितनी मात्रा में गेहूं की खरीद हेतु निविदाएं प्राप्त हुई थीं;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की जितनी मात्रा बेचने की पेशकश की गई थी उससे कम मात्रा हेतु निविदाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जी, हां। 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास केन्द्रीय पूल में गेहूं का कुल 195.98 लाख टन स्टाक रखा हुआ है।

केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की अच्छी स्थिति को देखते हुए सरकार ने खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रूझान को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में गेहूं रिलीज करने का निर्णय लिया था।

पारिवारिक उपभोक्ताओं और गेहूं के लघु संसाधकों में वितरण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए 10 लाख टन गेहूं का आबंटन किया गया है। बल्क उपभोक्ताओं को गेहूं की बिक्री भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली निविदाओं के जरिए की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बल्क उपभोक्ताओं को 8.68 लाख टन गेहूं की बिक्री करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। इन निविदाओं के प्रति 11.12.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को 264.96 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य पर 2.42 लाख टन गेहूं के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं।

भारतीय खाद्य निगम राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए उचित हिस्सों में शेष स्टाक के लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहा है। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य गेहूं के खुले बाजार मूल्यों में मुद्रास्फीति के रूझान को रोकना है। यह उद्देश्य हासिल हो गया है क्योंकि 2008-09 में गेहूं के खुला बाजार मूल्य स्थिर रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, भारतीय खाद्य निगम के पास काफी गेहूं उपलब्ध है। क्या दक्षिण के राज्यों में गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी के लोगों के लिए अतिरिक्त कोटा देने की कोई संभावना है?

श्री शरद पवार: हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और यदि किसी राज्य से मांग की जाती है तो हम उस पर तदर्थ आधार पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

डा. चिन्ता मोहन: महोदय, पूरे विश्व में गेहूं की कमी है। हमारे पास भा.खा.नि. में काफी मात्रा में अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध है। क्या गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी रेखा के ऊपर की श्रेणी की मांग की आपूर्ति करने के बाद अन्य देशों को गेहूं निर्यात करने की कोई संभावना है?

श्री शरद पवार: जब हमने इस वर्ष के लिए गेहूं के बजट को अंतिम रूप दे दिया है तो हमने निर्यात के लिए कुछ भंडार सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन यह निर्यात नियमित व्यापार चैनल के आधार पर नहीं होगा और यह राजनयिक चैनल के माध्यम से होगा। कुछ देशों से भारत सरकार को राजनयिक चैनल के माध्यम से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं और उस पर हमारे विदेश मंत्री विचार करेंगे और तब हम उनकी मांगों को पूरा करेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री जी ने बताया है कि 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसीज के पास सेंट्रल पूल में 195.98 लाख टन स्टाक है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें से आयातित गेहूं का स्टाक कितना है और हमारे देश में इकट्ठा किए गए गेहूं, जो पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में पैदा होता है, वहां के किसानों से खरीदे गए गेहूं का स्टाक कितना है? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब गेहूं का इतना स्टाक है, तो फिर विदेश से ज्यादा कीमत पर आयात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री शरद पवार: महोदय, गेहूं आयात करने का निर्णय दो साल पहले किया गया था, तब इतने स्टाक की स्थिति नहीं थी। पिछले साल देश में गेहूं की ज्यादा पैदावार करने के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाया गया और किसानों को भी अच्छी कीमत देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि की गई। कुछ राज्यों ने इस पर ज्यादा ध्यान दिया और गेहूं का उत्पादन काफी हुआ। आजादी के बाद देश में पहले कभी इतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हुआ था और न ही इतनी प्रोक्योरमेंट हुई थी, जितनी पिछली साल इस सरकार के समय हुई है। इसलिए अब स्थिति कम्फर्टेबल है। जो 195.98 लाख टन का स्टाक है, उसमें से 1 लाख 30 हजार टन पुराना है। जब हमने गेहूं का आयात किया, जब देश में इतना स्टाक नहीं था। आज अपने देश में स्टाक की स्थिति अच्छी है। पूरे देश की जितनी जरूरत है, उतना स्टाक है। हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं रखा है। उसके साथ-साथ ओपन मार्केट में बेचने के लिए और यदि डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट आई, तो बाहर भी भेजने के लिए पर्याप्त स्टाक है। इसके अलावा देश में कोई समस्या जैसे बाढ़ या अकाल आ जाता है तो हमारे पास इस साल रिजर्व में पर्याप्त स्टाक है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा: महोदय, मैं भा.खा.नि. द्वारा गेहूं की खरीद के बारे में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, भा.खा.नि. ने अभी तक खरीद शुरू नहीं की है। मैं समझता हूँ कि अधिकांश राज्यों में यही स्थिति है। किसानों से सीधे तौर पर गेहूं और धान की खरीद के संबंध में भा.खा.नि. की योजना और कार्यक्रम क्या हैं? अधिकांश क्षेत्रों में वह सीधे किसानों से खाद्यान्न न खरीदकर मध्यस्थों के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद कर रहे हैं। इसलिए इस संबंध में क्या-क्या योजनायें तथा कार्यक्रम हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाण्डा, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री शरद पवार: यह प्रश्न गेहूं तक सीमित है और हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह से गेहूं की खरीद शुरू करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसलिए आपको अप्रैल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव–उपस्थित नहीं। श्री अविनाश राय खन्ना।

...(व्यवधान)

श्री प्रबोध पाण्डा: क्या किसानों को इसके लिए अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या करें, होगा तो आयेगा। पेड़ तो नहीं लगाएगा।

श्री अविनाश राय खन्ना: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप जो व्हीट को ओपन मार्किट में बेचना चाहते हैं, ओपन मार्किट में बेचने से एफसीआई या सरकार को कितना फायदा होगा और उसके बदले में किसान को क्या मिलेगा?

श्री शरद पवार: आज प्रॉफिट होने की स्थिति नहीं दिखती, नुकसान की बात दिख रही है। आज हम ओपन मार्किट में क्यों जाना चाहते हैं? हम डोमैस्टिक प्राइस मार्किट पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, इसलिए अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ओपन मार्किट में जाने का हमने डिसीजन लिया है। जो मार्किट में बेचने के लिए हमने टेंडर्स निकाले थे उसे रिस्पोंस नहीं मिला क्योंकि आज भी मार्किट में अवेलेबिलिटी है। इसलिए इतना रैस्पोन्स मिला नहीं है। जो कीमत हमने तय की है कि टोटल प्रक्योरमेंट चार्जेज प्लस लुधियाना से जहां हम यह टेंडर निकालेंगे वहां की ट्रांसपोर्ट कोस्ट,

दोनों मिलाकर एक प्राइस हमने फिक्स की है और जो प्राइस हमने फिक्स की है इसमें प्राफिट होने की कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 323; श्री दुष्यंत सिंह–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 324, श्री टेकलाल महतो–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 325, श्री जसुभाई धानाभाई बारड़–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 326, श्री एकनाथ महादेव गायकवाड–उपस्थित नहीं।

मैं समझता हूँ कि अब कोई सत्र बुलाने से फायदा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मधु गौड यास्खी–उपस्थित नहीं। संभवत: नामांकन से पहले ही उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 327, श्री एम. शिवन्ना। क्या आप इस समय उम्मीदवार नहीं हैं।

...(व्यवधान)

कपास की कीमतें

***327. श्री एम. शिवन्ना:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वभर में कपास के उत्पादन में वृद्धि और आर्थिक मंदी के कारण भारत में कपास की कीमतें कम हो गई हैं जिसके कारण कपास का उत्पादन करने वाले भारतीय किसानों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 3 नवम्बर, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति के अपने प्रकाशन के अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान कपास का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2007-08 के 26.24 मिलियन टन की तुलना में 24.74 मिलियन टन अनुमानित है। तथापि, विश्व में कपास की खपत वर्ष 2007-08 में 26.38 मिलियन टन से गिरकर वर्ष 2008-09 में 25.46 मिलियन टन तथा आर्थिक मंदी के कारण निर्यात 8.34 मिलियन टन से गिरकर 7.83 मिलियन टन रहने की संभावना है। मांग में कमी के कारण कपास की वैश्विक कीमतें सितम्बर, 2008 में 77.09 सैंटस प्रति पाउण्ड की औसत कीमत से गिरकर नवम्बर, 2008 में 54.96 सैंटस प्रति पाउण्ड हो गयी। भारत में नई फसल के साथ ही, यद्यपि गत कुछ महीनों में, कीमतों में घटती हुई प्रवृत्ति देखी गयी, परन्तु ये गत वर्ष की अपेक्षा अधिक हैं।

(ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्यों एवं अन्य पण्यधारियों के परामर्श के आधार पर वर्ष 2008-09 मौसम के लिए सरकार द्वारा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य कपास की उचित औसत गुणवत्ता हेतु 2500 रुपए प्रति क्विंटल एवं 24.5 से 25.5 मि.मी. व 29.5 से 30.5 मि.मी. स्टैपल लंबाई के कपास हेतु 3000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए। ये वर्ष 2007-08 में निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्रमश: 38.9% तथा 47.8% अधिक हैं। भारतीय कपास निगम और नेफैड ने सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास का प्रापण यह सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ कर दिया है कि किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। इस संबंध में, चालू विपणन मौसम के दौरान, भारतीय कपास निगम तथा नैफैड ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दिसम्बर 2008 तक क्रमश: 32.44 लाख गांठों तथा 1.21 लाख गांठों का क्रय कर लिया है।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, हाल की वैश्विक मंदी से कपास की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कपास उत्पादकों के समक्ष गंभीर कठिनाइयां हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी जिससे कपास उत्पादकों को बहुत लाभ मिलेगा। कृपया ब्यौरा दें।

श्री शरद पवार: निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाने वाला अधिकतम मूल्य है। वास्तव में प्रचलित बाजार मूल्य उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है जिसे भारत सरकार ने निर्धारित किया है। इसलिए, किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सी.सी.आई. को बाजार में उतरना होगा। हमने जो कीमत दी है वह अधिकतम है। इस वर्ष का मौसम समाप्त होने वाला है। अंतत: भारत सरकार सी.ए.सी.पी. की सिफारिश के अनुसार अगले वर्ष कोई निर्णय लेगी।

***श्री एम. शिवन्ना:** महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या उनका मंत्रालय कपास उत्पादकों द्वारा लिए गए

---

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बैंक ऋणों पर ब्याज दर कम करेगा क्योंकि किसान उच्च ब्याज दर देने में असमर्थ हैं। यदि हां, तो ब्यौरा दें।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, यह तय करने का अधिकार हमारी मिनिस्टरी को नहीं है। बैंक का इंटरेस्ट रेट आगे क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कितना कम करने की आवश्यकता है, इस बारे में अल्टीमेटली बैंकिंग मिनिस्टरी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्णय लेना होगा। आज इंटरेस्ट रेट कम करने का निर्णय लेने का अधिकार मुझे नहीं है और मैं इस विषय में भाषण नहीं कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: *श्रीमती जयावहन बी. ठक्कर–उपस्थित नहीं।*

श्री के.एस. राव: मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री ने मूल्य को गत वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर कपास किसानों को राहत देकर बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसी ही स्थिति पॉम ऑयल के बारे में है जिसे हम उनके ध्यान में लाए हैं। पॉम ऑयल के मूल्य में कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न कपास के बारे में है।

श्री के.एस. राव: मैं सहमत हूं, परंतु विषय वही है।

अध्यक्ष महोदय: कपास और पॉम ऑयल।

श्री के.एस. राव: मेरा तात्पर्य है कि वे एक नहीं हैं परंतु वे एक समान मिलती-जुलती वस्तुएं हैं। वास्तव में, देश में तिलहनों की कमी है और खाद्य तेल अन्य देशों से आयात कर रहे हैं। हमारे द्वारा पॉम ऑयल उत्पादकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि हमें तेल आयात करने की आवश्यकता न हो। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करके और उसे खरीदकर पॉम ऑयल उत्पादकों के लिए इसी तरह रवैया अपनाएंगे तथा उदार रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: बहुत से सदस्य अनुपस्थित हैं, इसलिए, मैं इस प्रश्न को अस्वीकृत नहीं कर रहा हूं परंतु यह माननीय मंत्री पर निर्भर करता है कि वह उत्तर देते हैं या नहीं। मैं उनसे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता।

श्री शरद पवार: यह सच है कि हमारे देश में तिलहनों के मूल्यों में गत वर्ष की तुलना में काफी गिरावट आई है, परंतु अब भी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आये हैं; ये न्यूनतम मूल्य से अधिक हैं। यह सच है कि हम खाद्य तेल आयात कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में मांग और पूर्ति के बीच अंतर है। गत दो वर्षों में हमने देखा है कि खाद्य तेल के मूल्य काफी ऊपर जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने आयातों पर सभी प्रकार के करों को हटाने का विवेक सम्मत निर्णय लिया। इसीलिए, हम इसे अपने देश में उपलब्ध करा सके। वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात, मेरे विचार से इस पर पुन: विचार करने और आयातों पर कुछ उत्पाद शुल्क और कुछ कर लगाने का समय आ गया है ताकि हम घरेलू उत्पादकों की रक्षा कर पाएं। निश्चित रूप से, हम इस दिशा में विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री राव, आप कॉटन ऑयल बनाने में सफल हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

*328. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री के. सुब्बारायण:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ समय से कृषि क्षेत्र में रोजगार की दर एवं रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषि क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने श्रम उन्मुख कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन का दायित्व किसी अनुसंधान संस्थान को सौंपा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जनगणना 1991 के अनुसार कृषि में संलग्न देश में कुल किसानों तथा खेतिहर मजदूरों कामगारों की संख्या 210.68 मिलियन थी। यह 2001 जनगणना (नवीनतम) में बढ़कर 234.10 मिलियन हो गई, 10 वर्षों में 11.11% की वृद्धि दर्ज की गई है। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की हाल ही में हुई दो अति महत्वपूर्ण पंचवर्षीय दौरों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार 1999-2000

(55वें दौर) में 239.73 मिलियन व्यक्तियों पर अनुमानित थे जो 2004-05 (61वें दौर) में 258.59 मिलियन व्यक्ति तक बढ़ गई, 5 वर्षों में 7.86% की वृद्धि दर्शा रही है। इस प्रकार कृषि पर निर्भरता में वृद्धि हुई है।

(ग) कृषि क्षेत्र में योजनाओं का उद्देश्य उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि तथा इस प्रक्रिया में कृषि में अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार सृजन करना है। कई विकास कार्यक्रम यथा चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों हेतु एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (आई. सी.डी.पी) को शामिल करते हुए कृषि का वृहत् प्रबन्धन, ग्रामीण भण्डारण योजना, कृषि विपणन संरचना का विकास, सूक्ष्म सिंचाई, ग्रामीण ऋण, तिलहन, दाल, पाम ऑयल तथा मक्का की एकीकृत स्कीम (आइसोपाम) तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यान्वित की जा रही है।

हाल ही में, सरकार ने दो योजनाएं प्रारंभ की हैं यथा (i) चावल, गेहूं तथा दालों के उत्पादन बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा (ii) कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश करने के लिए जिलावार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु इन योजनाओं पर विचार किया गया है। कृषि तथा गैर कृषि रोजगार सृजन के अलावा इन कार्यक्रमों से किसानों की आय बढ़ाने में भी सुधार होने की संभावना है।

(घ) और (ड़) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संगठन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास 48 संस्थान, 5 राष्ट्रीय ब्यूरो, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा अन्य संस्थान हैं जोकि इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है।

श्री एस.के. खारवेनथन: गत वर्षों में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्र में धीरे-धीरे कमी हुई है और मौजूदा भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। इसके कारण कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी आई है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन कम हुआ है और रोजगार के अवसर घटे हैं। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और क्या इस स्थिति की निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कोई निर्देश जारी किए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: डिटेल्स तो अभी उपलब्ध नहीं होंगी।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: भारत में कृषि भूमि के गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयोग के बारे में मुझे अलग सूचना की आवश्यकता है परंतु मैं प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस सम्माननीय सभा में चर्चा की गई थी कि हमें एसईजेड और औद्योगिक प्रयोजनों अर्थात् गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु कृषि भूमि के अन्यत्र उपयोग के लिए किसी नीति को अंतिम रूप देना चाहिए। मेरी अध्यक्षता में उप-समिति गठित की गई थी और इस समिति ने एक सिफारिश की है जिसे कैबिनेट द्वारा स्वीकृति देकर सभी संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है। जिस मुख्य सुझाव को राज्य सरकारों को संप्रेषित किया गया है वह यह है कि जिस भूमि पर कोई एक या दो फसल उगा सकता है उसका गैर-कृषि प्रयोजनों या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी भूमि जो अनिवार्यत: कृषि योग्य नहीं हैं या जो भूमि किसी फसल हेतु अनिवार्यत: उपयोगी नहीं या जो बंजर है उनका गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है चाहे वह प्रयोजन शहरीकरण हो या औद्योगिकीकरण या एस.ई.जेड का हो।

इस प्रकार का पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

श्री.एस.के. खारवेनथन: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का कृषि कार्यों में वृद्धि करने तथा इस क्षेत्र में रोजगार के और अवसर बढ़ाने के लिए द्वितीय हरित क्रांति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री शरद पवार: द्वितीय हरित क्रांति पर भी मुझे अलग नोटिस की आवश्यकता है। परंतु, अनेक निर्णय लिए गए थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परंतु आप भी ज्ञानी हैं। आप हर सदस्य को उत्तर दे रहे हैं।

श्री शरद पवार: लगभग दो वर्ष पूर्व कई योजनाएं लागू की गई हैं। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि दो वर्ष पूर्व इसी सभा में कुछ कृषि मदों के आयात के कारण कई सदस्यों द्वारा शिकायत की गई थी और अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी। आज, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अधिशेष उत्पादन में हम कैसे विघ्न उत्पन्न करने जा रहे हैं क्योंकि अनेक निर्णय लेने के कारण स्थिति बदल गई है। यह हरित क्रांति की शुरूआत है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के मौसम में भी हमारा कुल उत्पादन हमारी आवश्यकता से अधिक होगा और हमारे पास अधिशेष उत्पादन होगा। अत: हम द्वितीय हरित क्रांति के पथ पर हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री के. सुब्बारायण–उपस्थित नहीं।

श्री रूपचंद पाल: यद्यपि, वक्तव्य में दर्शाया गया है कि किसानों और खेतिहर मजदूरों की संख्या में 10 वर्षों में 11.11 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तथापि हमारा सामान्य अनुभव है कि इसमें गिरावट हुई है, प्रत्यक्ष कृषि कार्यकलापों में रुचि में कमी आई है और कृषि लागत के ऊँचे होने के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादों और गैर-कृषि क्षेत्र के मूल्यों में तेजी से कमी आ रही है। ऐसी स्थिति और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मद्देनजर बताया जा रहा है कि भारत जैसे देश में यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार की इस गैर-कृषि क्षेत्र के व्यक्तियों के कौशल का प्रयोग करने की कोई व्यापक योजना है जिन्हें कृषि क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है?

श्री शरद पवार: सबसे पहली बात तो यह है कि स्वामीनाथन आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं उनमें से अधिकांश स्वीकार कर ली गई हैं। हमने उनका क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। अब, प्रश्न कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन की अधिकता से संबंधित है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश में कुल मिलाकर भूमि पर दबाव ज्यादा है। मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहूंगा। 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए थे तब हमारी कुल 36 करोड़ की आबादी का 80 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर था। आज हमारी आबादी 106 करोड़ है और 106 करोड़ में से 60 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है जिसका मतलब है कि व्यावहारिक रूप में कृषि पर निर्भरता बढ़ी है। विकास 300 प्रतिशत से अधिक है। हमने देखा है कि भूमि का क्षेत्रफल कम हुआ है, देश के 82 प्रतिशत किसानों के पास 2 एकड़ से कम भूमि है और 60 प्रतिशत कृषि वर्षा जल पर आधारित है क्योंकि कोई पक्का सिंचाई साधन नहीं है। यही कारण है कि यह दिनों-दिन खर्चीली होती जा रही है। जब तक हम कृषि पर आबादी का दबाव कम नहीं करते हैं और अन्य स्रोतों में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध नहीं कराते हैं तब तक, मैं समझता हूँ, इस समस्या का समाधान कर पाना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि कृषि महत्वपूर्ण है, खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है और साथ-साथ औद्योगिकीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है जिसमें हम अतिरिक्त मानव संसाधन का इस्तेमाल कर सकें।

श्री अजय चक्रवर्ती: यह सही है कि विभिन्न राज्यों में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण कृषि भूमि, धान की भूमि को ईंट उद्योग तथा मत्स्य पालन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण धान और अन्य कृषि की किस्मों का उत्पादन कम होता जा रहा है और कृषि श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: वे ईंट निर्माण के क्षेत्र में जा रहे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: वे ईंट के क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। वे ईंट निर्माण में निपुण नहीं हैं। वे कृषि श्रमिक हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है और वह इस भूमि परिवर्तन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश तथा दिशा-निर्देश देने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि भूमि को मत्स्य पालन तथा ईंट निर्माण के लिए उपयोग में न लाया जाए।

श्री शरद पवार: यह विशेष समस्या केवल एक राज्य, आंध्र प्रदेश के संबंध में सरकार के ध्यान में लाई गई है। यह सही है कि कई एकड़ भूमि को जल-कृषि के लिए परिवर्तित किया गया है लेकिन हमने राज्य सरकार को यह भी बताया है कि कोई भी भूमि जिस पर किसी भी फसल की खेती संभव है, को इस उद्देश्य के लिए उपयोग न किया जाए। यह सही नहीं है कि चावल या धान की पैदावार कम हुई है। पिछले वर्ष, हमने धान का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कल तक इस वर्ष की हमारी खरीद भी विगत वर्ष से काफी अधिक थी। इसलिए तस्वीर संतोषजनक है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

आप इसे अगले सत्र या अगली बैठक में उठा सकते हैं।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, हमारी स्टेट में किश्तवाड़, डोडा और खासकर उधमपुर और कठुआ में लाखों एकड़ जमीन बैरन पड़ी है, टोटल कंडी और पहाड़ी एरिया में बैरन पड़ी है, लाखों एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी है जहां कोई प्रोडक्शन नहीं होती है जिससे लोगों को नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलता। आप जो ड्रिप सेट और स्प्रिंकल देते हैं, आपकी प्लानिंग के हिसाब से, वे सब सब-स्टैंडर्ड होते हैं। इसमें सामान बहुत घटिया आता है, जो जमीन को इरीगेट नहीं कर सकता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे इलाके में बैरन लैंड के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है जिससे टोटल जमीन को इरीगेट किया जा सके और लोगों को फायदा हो? इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसके लिए जो इंस्ट्रुमेंट आप देते हैं, वे भी ठीकठाक दिए जाएं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: संविधान के अनुसार 'कृषि' राज्य का विषय है। इसलिए जो भी योजना क्रियान्वित की जाती है वह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह सही है कि इनमें से कुछ योजनाओं के लिए भारत सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। अब, माननीय सदस्य यह शिकायत कर रहे हैं कि ड्रिप तथा छिड़काव

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(स्प्रिंकलर) सिंचाई तथा अन्य कार्यों के लिए जो सामग्री दी गई है, वह उचित मानक की नहीं है। भारत सरकार किसी सामग्री की खरीद या आपूर्ति नहीं करती है। भारत सरकार राज्य सरकारों को केवल राजसहायता देती है जिसे राज्य सरकारों द्वारा किसानों को दिया जाना चाहिए। अंततः, किस प्रकार की तथा कितनी मात्रा में सामग्री खरीदी जानी चाहिए और यह ड्रिप या छिड़काव (स्प्रिंकलर) सिंचाई के लिए हो, यह तो किसानों का ही विशेषाधिकार है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, मैंने पिछले प्रश्न के दौरान आपका नाम पुकारा था।

श्री राम कृपाल यादव: खेद है महोदय, मैं देर से आया हूँ।

अध्यक्ष महोदय: आप किसी भी प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, हम सब लोगों को अहसास है कि हमारी अर्थव्यवस्था खेत और खलिहान पर निर्भर करती है, किसानों पर निर्भर करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सीधे तौर पर कहना चाहता हूं और यह बात सही है कि जितना उत्साहवर्द्धन किसानों के लिए होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हम उनकी क्षमता के हिसाब से किसानों को उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हम उत्पादन क्षमता भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यह देखा गया है कि उत्पादन क्षमता से उत्पादन कम हो रहा है। बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश में, जहां बाढ़ और सूखा दोनों की वजह से उत्पादन क्षमता कम है, क्या आप ऐसे राज्यों के उत्साहवर्द्धन के लिए कुछ कर रहे हैं जिससे वे अच्छी खेती करें? क्या आपके पास ऐसी कोई विशेष योजना है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: 19 मई 2008 को प्रधानमंत्री ने इस विशेष समस्या पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों की एक विशेष बैठक बुलाई थी। एक निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार मुख्य रूप से उन राज्यों को जिनकी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम है, 25,000 करोड़ रुपये का पैकेज अर्थात आर.के.वी.वाई, उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकारों को यह विकल्प दिया गया है। उन्हें प्रस्ताव भेजना चाहिए, उन्हें अपनी आवश्यकतानुसार प्रस्ताव भेजना चाहिए। यह आवश्यकता आधारित है, और भारत सरकार धन मुहैया कराएगी। इसलिए, हमने विगत वर्ष से इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।

यदि अलग से सूचना हो तो मुझे निश्चित रूप से सारी सूचना माननीय सदस्य को भेजते हुए अति प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

"क्या सरकार में श्रमोन्मुखी कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन की जिम्मेदारी किसी अनुसंधान संस्थान को सौंपी है।"

[हिन्दी]

दो साल पहले भारत सरकार ने जो नेशनल रेनफैड डैवलपमैन्ट अथॉरिटी बनाई थी उसके माध्यम से टैक्नोलोजी ट्रांसफर में कितना काम हुआ और जो हमारे ड्राईलैन्ड के फार्म घाटे में थे, उन्हें नफे में लाने के लिए इस टैक्नोलोजी से कितनी कामयाबी मिली? इसके कारण उत्पादन बढ़ाने में, जो हमारा कृषि क्षेत्र में जीडीपी 54 परसैन्ट से 16 परसैन्ट तक आ गया है, क्या उसे बढ़ाने में भी हमें सफलता मिलेगी?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: रैनफेड अथॉरिटी को भारत सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व स्थापित किया गया है जो सामान्यतया विभिन्न राज्यों को इस बारे में दिशा-निर्देश देती है कि वर्षा सिंचित क्षेत्र में कार्यक्रम को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए। वास्तव में योजना के निष्पादन का कार्य पुनः राज्य सरकारों को दे दिया गया है, रेनफैड अथॉरिटी कार्यान्वयन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। निश्चित धनराशि प्रदान की गई है। वास्तव में, मैं सारा ब्यौरा दे सकता हूँ जिसमें काफी समय लगेगा। अनेक योजनाएं हैं; कुछ योजनाएं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत हैं और कुछ डीपीएपी आदि जैसी कुछ योजनाएं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्तर्गत हैं। अनेक अन्य योजनाएं भी हैं। इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वास्तव में यदि वह सूचना चाहते हैं तो इसमें काफी समय लगेगा। परंतु मैं यह सूचना दे सकता हूं; यह इस प्रश्न का भाग नहीं है, परंतु यह किसी अन्य प्रश्न का भाग है। मेरे पास सूचना है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे माननीय सदस्य के पास भेज सकते हैं।

प्रश्न संख्या 329. श्री सुभाष देशमुख–उपस्थित नहीं
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल–उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 330. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव–उपस्थित नहीं
श्री बृज किशोर त्रिपाठी

मजदूरी में कटौती

*330. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने देश में श्रमिकों/कामगारों की मजदूरी में भारी कटौती की चेतावनी दी है तथा श्रमिकों/कामगारों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार से तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) श्रमिकों/कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट 2008/09 में यह टिप्पणी की है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिदर्श में शामिल किये गये देशों के लिए 2001-07 की अवधि के दौरान वस्तुत: औसत मजदूरी में बढ़ोतरी (1.9% प्रतिवर्ष) प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद विकास (4.0% प्रतिवर्ष) से कम रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि मजदूरी में वृद्धि उत्पादकता के पूर्णत: अनुरूप नहीं है। 1995-2007 की अवधि के दौरान, यह दृष्टिगोचर होता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक अतिरिक्त एक प्रतिशत वार्षिक विकास से वास्तविक दृष्टि से मजदूरी की वार्षिक वृद्धि में औसतन केवल 0.75% की वृद्धि हुई है। वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन टिप्पणियों के दृष्टिगत न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण तथा सामूहिक सौदेकारिता में नए सिरे से रुचि की आवश्यकता है, जिसे सार्वजनिक हस्तक्षेप द्वारा अनुपूरित किया जाना चाहिए। इससे खासकर निर्धन परिवार और निम्न मजदूरी अर्जक लाभान्वित होंगे।

जबकि वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट में की गयी टिप्पणियां भारत में प्रासंगिक हैं, यहां न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक रूप से नियत और संशोधित करने तथा सामूहिक सौदेकारिता के माध्यम से मजदूरी निर्धारण की प्रणाली विद्यमान है।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, शिकायत की दो स्तरों पर सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों, जिन्हें सामान्य रूप से केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है, के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है, राज्य क्षेत्र में राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी की अदायगी न किये जाने अथवा कम अदायगी किये जाने का पता लगने पर वे नियोजकों को कम मजदूरी की भरपाई करने की सलाह देते हैं। अनुपालन न किये जाने के मामले में, इस अधिनियम में निर्धारित दांडिक उपबंधों का आश्रय लिया जाता है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जोर-शोर से की गई घोषणाओं के बावजूद आई.एल.ओ ने अपनी वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (ग्लोबल वेज रिपोर्ट) 2008-09 में टिप्पणी की है कि भारत वास्तव में औसत मजदूरी में बढ़ोतरी के मामले में 1.9 प्रतिशत वार्षिक के वैश्विक स्तर पर पिछड़ गया है। यह रिपोर्ट भी दर्शाती है कि उत्पादकता में वृद्धि से मजदूरी में पूर्णतया वृद्धि नहीं है और जीडीपी की वार्षिक वृद्धि वास्तव में मजदूरी में प्रतिबिंबित नहीं हुई है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान भी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार नहीं किया जाता है। जब सरकार न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करने को नहीं मान रही है तो भुगतान नहीं करने और कम भुगतान करने से दैनिक मजदूरों की स्थिति खराब हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इन समस्याओं का निवारण करने के लिए वास्तव में क्या कर रही है?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हमारे विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कार्रवाई की है कि न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जा रहा है, यद्यपि संभव है कि यह लोगों की आशा के अनुरूप नहीं हो। परंतु मैं आपका ध्यान दिनांक 7 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र एस.ओ.सं. 1994 में हाल की अंतिम अधिसूचना की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यकलापों को छोड़कर अनुसूचित रोजगार, झाड़ू लगाने और सफाई के रोजगार में कार्यरत कर्मकारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित की गई है।

केंद्रीय परिधि में मजदूरी को क्रमश: 'ग', 'ख' और 'क' क्षेत्रों हेतु 120, 150, 180 रुपये प्रतिदिन के आधार पर संशोधित किया गया है। हमने इसे ध्यान में रखा है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को हम कितना भुगतान कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी की 180 रुपये की न्यूनतम मजदूरी उसके बराबर है जिसकी कोई सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम ग्रेड में आशा कर सकता है। हमने इस भावना को मन में रखा है और मजदूरी को संशोधित किया है। हमने सुरक्षा तथा प्रतिपालन (वाच एंड वार्ड) स्टाफ के लिए यही किया है जो आठ घंटे तक कार्य करते हैं और खड़े रहते हैं। हमने 'क', 'ख' और 'ग' श्रेणी के लिए 120 रुपये, 150 रुपये और 180 रुपये का इसी प्रकार का संशोधान किया है। इसी प्रकार हमने इसे 'ग', 'ख' और 'क' क्षेत्रों के सशस्त्र कर्मचारियों के लिये बढ़ाकर 140, 170 और 200 रुपये प्रतिदिन अर्थात् 20 रुपये अतिरिक्त कर दिया है। हाल में, हमने राज्य सरकारों से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मजदूरी के 80 रुपये के न्यूनतम स्तर में वृद्धि करने की सिफारिश की है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्रीय क्षेत्र में मजदूरी में वृद्धि करना हमारी जिम्मेदारी है और राज्यक्षेत्र में हम सिफारिश करते हैं कि अंतत: दरों की घोषणा राज्य करते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (ग्लोबल वेज रिपोर्ट) पर आई.एल.ओ की टिप्पणी का उल्लेख कर रहा था। मैं बता रहा था कि सरकार क्या कर रही है। यह भारत सरकार के अभ्यारोपण की तरह है। मैं वर्ष 2008-09 की वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट (ग्लोबल वेज रिपोर्ट) का उल्लेख कर रहा था। तथापि वर्ष 2007-08 में अनुपालन के लिए कितने मामलों का पता लगाया गया है और अधिनियम में निर्धारित दंड उपबंधों के अनुसार कितने व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: राज्य क्षेत्र में अधिकांशत: नियोजक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्हें वर्ष में एक महीने तक जेल में डाला जा सकता है। मैं पूरा ब्यौरा प्राप्त करके माननीय सदस्य को प्रस्तुत कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलेगी तभी अपना देश मजबूत हो सकता है। भारत सरकार द्वारा बहुत बार आदेश देने के बाद भी, मिनिमम वेजेस के संबंध में जो एजेंसी होती है, वह उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं करती है। इसलिए मेरी मांग है कि खेत में काम करने वाले खेत मजदूरों को मिनिमम वेजेज 150 रुपये मजदूरी मिलनी चाहिए और किसान अगर 150 रुपया मजदूरी नहीं दे सकता है, तो 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए - क्या इस बारे में सरकार कोई निर्णय लेने वाली है?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: मिनिमम वेजेस हम कितना देना चाहते हैं, इस बारे में हमने राज्य सरकार को रिकमेंड कर दिया है। उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी डेली वेजर्स को और अनऑरगेनाइज्ड सैक्टर वर्कर्स को देने संबंधी बड़ा कदम हमने लिया है, परसों ही बिल सदन में पास हो चुका है। इसकी वजह से वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 331–श्री किसनभाई वी पटेल–उपस्थित नहीं।

इस पर पुन: कृषि मंत्रालय का एकाधिकार हो जाएगा?

अनाज बैंक योजना का कार्यान्वयन

***332. श्री सुग्रीव सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ग्राम अनाज बैंक योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए दिशनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दसवीं योजना के दौरान ग्राम अनाज बैंकों की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस स्कीम के अधीन खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित किए जा सकते हैं। इस स्कीम के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश जनवरी, 2008 में जारी किए गए हैं जिनमें ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, वित्त पोषण पैटर्न आदि दिए गए हैं। 10वीं योजना के दौरान 15,084 ग्रामीण अनाज बैंकों के लक्ष्य के प्रति 17 राज्यों में 14,495 ग्रामीण अनाज

बैंक मंजूर किए गए थे। राज्य सरकारों ने योजना अवधि के दौरान 5617 ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने की सूचना दी है। ब्यौरे अनुबंध में हैं।

11वीं योजना अवधि के दौरान 12,823 ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना के लक्ष्य को राज्यवार वितरित नहीं किया जाता है। इनकी मंजूरी राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर की जाती है।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे जनवरी, 2008 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 11वीं योजनावधि के दौरान मंजूरी हेतु ग्रामीण अनाज बैंकों के प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अब तक 11वीं योजना के दौरान 11 राज्यों में 3506 ग्रामीण अनाज बैंकों को मंजूरी दी गई है।

अनुबंध

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित तथा राज्य सरकारों द्वारा यथा-सूचित स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंकों की संख्या को दर्शाने वाले विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		जोड़	
		स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	स्थापित ग्रामीण अनाज बैंक	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	स्थापित ग्रामीण अनाज बैंक	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	स्थापित ग्रामीण अनाज बैंक	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	स्थापित ग्रामीण अनाज बैंक	स्वीकृत ग्रामीण अनाज बैंक	स्थापित ग्रामीण अनाज बैंक
1.	महाराष्ट्र	-	-	75	-	-	-	1377	-	1452	
2.	आंध्र प्रदेश	820	-	-	-	1214	1214	3743	-	5777	1214
3.	पश्चिम बंगाल	34	34	101	-	-	-	170	170	305	204
4.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	226	226	226	226
5.	मध्य प्रदेश	1975	-	-	-	926	926	-	-	2901	926
6.	उड़ीसा	-	-	-	-	240	240	-	-	240	240
7.	त्रिपुरा		-	17	-	13	13	-	-	30	13
8.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	262	262	1642	1642	1904	1904
9.	झारखंड	-	-	-	-	583	-	-	-	583	-
10.	मेघालय	-	-	-	-	44	-	-	-	44	-
11.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	500	500	500	500
12.	असम	-	-	-	-	-	-	100	67	100	67
13.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	55	-	55	-
15.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150
16.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	55	-	55	-
17.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	93	93	93	93
	जोड़	2829	34	193	-	3282	2655	8191	2928	14495	5617

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की उपलब्धता के लिए, जितने भी ग्रामीण बैंक बनाये गये हैं, उन्हें कितना अलॉटमेंट हुआ है, उसके प्रबन्धन के बारे में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ग्रामीण अनाज बैंक खोलने की बात की गई है, उसके लिए सरकार की तरफ से कितनी एलोकेशन की गई है और ग्रामीण क्षेत्र में कितने ऐसे बैंक काम कर रहे हैं?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): यह योजना भारत सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 1996 में आरंभ की गई थी। इस मंत्रालय ने इस योजना को वर्ष 2003 तक कार्यान्वित किया। वर्ष 2004 से यह योजना खाद्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। यह योजना मुख्यत: भुखमरी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है। राज्य सरकारों के परामर्श से दुर्गम गांवों की पहचान की गई है। दसवीं योजना में 17 राज्यों के कुल 14,495 गांवों के लिए मंजूरी दी गई है, जबकि लक्ष्य 15,000 गांवों का था। ग्यारहवीं योजना में 12,823 ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है और हमने पहले ही इसका कार्यान्वयन आरंभ कर दिया है वस्तुत: ग्यारहवीं योजना में अब तक 3506 अनाज बैंक मंजूर किए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। अब, हमें जब भी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होता है, भारत सरकार उनकी मांग के अनुसार खाद्यान्न प्रदान करती है।

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो मेरा उद्देश्य था, मान्यवर मंत्री जी से मैं जो जानकारी चाहता था, वह मुझे नहीं मिली है। मेरे कहने का यह मतलब था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध चासी का जो लाभ मिलना था, उनके लिए इन्होंने लक्ष्य की बात नहीं बताई, लेकिन उन कामों के लिए टेन्थ प्लान प्रोग्राम में और इलेवन्थ प्लान प्रोग्राम में सरकार की तरफ से कितनी राशि का आबंटन किया गया है, और उसके खर्च की स्थिति क्या है, इस बात की थोड़ी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। दूसरा मेरा स्पलीमेंट्री प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर हमें दिया गया है, उससे मुझे यह लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस स्कीम को लेकर कम्पलीटली एग्रीबल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुग्रीव सिंह: चासी की उन्नति के लिए केंद्र सरकार क्या इम्पोर्टेंस दे रही है? इसी तरह से इस स्कीम का विलेज ग्रेन बैंक भी कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे उड़ीसा में वर्ष 2005-06 में, जो रिपोर्ट में दिया है 240 का सेंशन था और सैट अप भी 240 हुआ, लेकिन दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही है। बाकी साल में क्या-क्या काम हुआ?

अध्यक्ष महोदय: आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए?

श्री सुग्रीव सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार की क्या अचीवमेंट रही है–मंत्री महोदय यह बताएं।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, मुझे राज्यवार यह सूचना देनी होगी।

कि वर्ष 1996-97 से 2003-04 तक कहां-कहां कुल राशि मंजूर की गई है और माननीय सदस्य विशेष रूप से उड़ीसा के बारे में विशिष्ट जानकारी चाहते हैं। उस अवधि में मंजूर की गई कुल राशि 427 लाख रुपए थी और सभी राज्यों को मिलाकर यह 2050 लाख रुपए बनती है, जो इस योजना के लिए मंजूर की गई थी।

श्री अधीर चौधरी: यह देखा गया है कि नक्सलवादी हिंसा, विशेषत: देश के जनजातीय क्षेत्रों में अपने पैर फैला रही है। ये ग्रामीण अनाज बैंक विशेषत: जनजातीय लोगों के कल्याण से सम्बद्ध हैं। मैं यह देखकर विचलित हूं कि नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जनजातीय लोगों के असंतोष के कारण इतने ज्यादा चर्चा में आया झारखंड राज्य एक भी अनाज बैंक स्थापित नहीं कर पाया है। पश्चिम बंगाल के मामले में भी मंजूर किए गए 305 ग्रामीण अनाज बैंकों में से केवल 204 ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित किए गए हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंजूर किए गए सभी ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित किए जा सकें, किस प्रकार का तंत्र विकसित किया जा सकता है?

दूसरी बात इन ग्रामीण अनाज बैंकों की स्थापना से पूर्व, राज्य सरकार और सरकार के बीच कितने-कितने वित्त पोषण पर सहमति हुई है?

श्री शरद पवार: महोदय, दुर्गम जनजातीय गांवों में ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

दूसरी बात, वित्त-पोषण प्रतिमान (पैटर्न) कुछ इस प्रकार है। केन्द्र सरकार एक क्विंटल खाद्यान्न उपलब्ध कराती है जो सुरक्षित भंडार के रूप में रखा जाता है। सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद है। उसके अनुसार, भारत सरकार द्वारा आबंटन के लिए राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार राज्यों को आपूर्ति की जाती है। लेकिन यह उसके अलावा है। यदि कोई संकट आ जाए, भुखमरी की स्थिति आ जाए तो हम कुछ भंडार रखते हैं और इस स्टाक की मात्रा प्रति सदस्य एक क्विंटल होती है, जो एक दुकान में अधिकतम 40 क्विंटल हो सकती है।

रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र

*333. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास और रक्षा मदों के विनिर्माण में निजी क्षेत्र के उद्यमों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उद्यमों को जारी किए गए आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा शुरू की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अस्सी प्रतिशत वित्तपोषण उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार रक्षा मदों के संयुक्त विकास और विनिर्माण में निजी क्षेत्र के उद्यमों को क्रमश: "बनाओ" और "खरीदो (भारतीय)" के रूप में वर्गीकृत उनकी अर्जन योजनाओं के माध्यम से शामिल करती है। प्रस्ताव हेतु अनुरोध अर्जन की पूरी आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद निजी उद्यमों को अपना प्रस्ताव भेजने के लिए जारी किया जाता है। इसके अलावा, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन अपनी अधिकांश परियोजनाओं में रक्षा प्रौद्योगिकी के संयुक्त विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करता रहा है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के 400 से अधिक उद्योग भागीदार हैं जो उन्हें जारी किए गए विनिर्देशों से अनेक उप-प्रणालियां विकसित करते हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2008 की "बनाओ" प्रक्रिया में विकास एजेन्सियों के साथ विकास लागत की हिस्सेदारी का प्रावधान है। हिस्सेदारी की लागत रक्षा मंत्रालय (80%) और उद्योग (20%) के अनुपात में होगी। धनराशि की व्यवस्था परियोजनाओं के विकास के लिए अनुमोदित "बनाओ" प्रक्रिया के अंतर्गत की जानी होती है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी गई है। पहले यह पूर्णत: सरकारी नियंत्रण में था। हमारे यहां अनेक आयुद्ध निर्माणियां हैं। इस देश में अनेक रक्षा उत्पादन इकाईयां हैं, जो शतप्रतिशत सरकारी नियंत्रण में हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार की पूर्व नीति परिवर्तित क्यों हो गई कि रणनीतिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण क्षेत्र सदैव सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में रहेंगे। अब इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने पर भी रोक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे हमारी रक्षा उत्पादन निर्भरता तो समाप्त नहीं हो जाएगी, जो हमारे देश की रक्षा के लिए आवश्यक है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): महादय, मैं इस संदर्भ में ही बात कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने ऐसा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू छेड़ा है जिसका संबंध हमारे सुरक्षा तलों की तैयारी से है। डी.आर.डी.ओ हमारे सशस्त्र बलों की सामरिक और रणनीतिक आवश्यकताएं पूरी कर रहा है और वह हमारे सशस्त्र बलों को उनकी क्षमता के अनुरूप और उनके द्वारा वांछित समय सीमा के भीतर उनकी आवश्यकताएं पूरी करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से डी.आर.डी.ओ निजी कंपनियों को शामिल कर कार्य कर रहा है, जिनके पास ये दक्षताएं हैं और उन्होंने 400 से अधिक कंपनियों में भागीदारी की है और पुन: उन कंपनियों में जिनमें यह दक्षता है। उन्होंने उन्हें सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक प्रणालियों के संयुक्त विकास और उत्पादन में भाग लेने की अनुमति दी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र पहली बार प्रवेश कर रहा है। ऐसा हमेशा होता रहा है। अब, मैं समझता हूं कि आज सोच यह है कि यदि हम देश के अंदर इस क्षमता का निर्माण कर सकते हैं, चाहे यह सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में, तो इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की समयबद्ध तैयारी ही है। मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं।

जहां तक विदेशी क्षेत्र की भागीदारी का संबंध है, विदेशी इक्विटी की भागीदारी मात्र 26 प्रतिशत तक सीमित है। आज डी.आर.डी.ओ. अपने कार्य का 70 प्रतिशत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों के एककों से करा रहा है। मैं पुन: यह बताना चाहूंगा कि समग्र विरोध समय पर सशस्त्र बलों की तैयारी की जरूरतों को पूरा करने को लेकर है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है और मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले ऐसी स्थिति तो नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आर्थिक सुधारों के तहत 1991 में विनिवेश नीति की घोषणा की गई थी, तब हमें बताया गया था कि प्रमुख क्षेत्र तथा राजनीतिक क्षेत्र को विनिवेश के लिए नहीं खोला गया था तथा उन क्षेत्रों में कोई विनिवेश नहीं होता था।

महोदय, जब वे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछूंगा। उन्होंने मेरे पहले पूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने उस पर टिप्पणी कर दी है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, प्रश्न का भाग 'ग' इस प्रकार है:

क्या सरकार ने रक्षा उत्पादन में लगी निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का 80 प्रतिशत वित्त पोषण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। उन्होंने प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय: जी हां, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न के भाग 'ग' से 'ङ' के उत्तरों से इस प्रश्न का समाधान नहीं हुआ है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निजी कम्पनियों तथा विदेशी कम्पनियों की पहुंच हमारे अनुसंधान और विकास कार्य तक होगी।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदय, मैं इन सारी बातों को सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। हम तीन तरह से अधिप्राप्ति प्रक्रिया पूरी करते हैं। ये तीन हैं "निर्माण श्रेणी", "भारतीय सामान खरीदो" श्रेणी और "विश्व स्तरीय सामान खरीदो" श्रेणी। जहां तक "निर्माण" श्रेणी और "भारतीय सामान खरीदो" श्रेणी का संबंध है देश में निजी तथा सार्वजनिक दोनों में काफी क्षमताओं का निर्माण किया जा रहा है। हम इन्हीं क्षेत्रों की सहायता करना चाहते हैं।

जहां तक सामरिक क्षेत्र को खोलने की बात है, कृपया यह समझ लीजिए की हम अपने सशस्त्र बलों को समय पर सर्वोत्तम उपस्कर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी क्षमताओं की मांग कर रहे है जो निश्चित समय सीमा में संगत हों। यदि हम उनकी जरूरतों को समय सीमा के भीतर पूरा नहीं करते हैं, तो फिर पूरा प्रयोजन ही विफल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हम इसके स्तर को गिराएंगें।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: सर्वोत्तम उपस्कर खरीदने और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति देना दोनों अलग-अलग बातें हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वार्ता का समय नहीं है। यह प्रश्नोत्तर का समय है। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न में भाग 'ग' से 'ङ' के उत्तरों से इस प्रश्न का समाधान नहीं होता और इसलिए, वे अपनी जगह सही हैं। प्रश्न यह है: क्या सरकार ने रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही अनुसंधान और विकास संबंधी परियोजनाओं को अस्सी प्रतिशत वित पोषण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है? इसका उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए, यदि आप इसका उत्तर अभी दे सकते हैं तो दीजिए अन्यथा, आप बाद में उनको इस संबंध में जानकारी दे दें।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: महोदय, मैं उसी बात पर आने वाला था लेकिन बीच में व्यवधान डाला गया।

मोहम्मद सलीम: मुख्य प्रश्न यही है।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: मैं यह जानता हूँ। मैं उसी बात पर आ रहा था और मैं उन तीन श्रेणियों को स्पष्ट कर रहा था जिनके माध्यम से खरीद की जाती है।

महोदय, एक क्षेत्र है जिसमें हम 80% से 20% के अनुपात में वित्त पोषण करना चाहते हैं और वही यह क्षेत्र है जिसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां हैं जो प्रौद्योगिकी हम हासिल करना चाहते हैं और वह महत्वपूर्ण है लेकिन वह देश में उपलब्ध नहीं हैं। हमने एक संयुक्त विकास की पेशकश की है और यह ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण का प्रस्ताव है जिसमें यह विकास संयुक्त रूप से किया जा सकता है। पूरा उद्देश्य यही है। पूर्ण उद्देश्य क्षमता निर्माण का है। 80 प्रतिशत वित्त पोषण रक्षा मंत्रालय द्वारा तथा 20 प्रतिशत उन एककों द्वारा किया जाएगा, चाहे वे निजी क्षेत्र की हो या सार्वजनिक क्षेत्र की हो, जिन्हें संयुक्त विकास के लिए चिन्हित किया गया है। यही वे क्षेत्र हैं जिनमें हम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी चाहते हैं जो देश में उपलब्ध नहीं है। पूरे आदर सहित मैं पुन: आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ण उद्देश्य उपलब्ध क्षमता के लिए समय पर सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करना है।

मोहम्मद सलीम: मेरा पूरक प्रश्न माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए मुख्य प्रश्न के उत्तर से संबंधित है।

हाल ही में संसदीय समिति ने पाया था कि डी.आर.डी.ओ. कई आयुध कारखाने तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने ऐसे उपस्कर तथा प्रणालियां विकसित की हैं जो महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी युक्त हैं, और वे इस देश में क्रयादेश की प्रतीक्षा में है जैसे कि पुणे के कारखाने में है। लेकिन सरकार उन्हें इनके उत्पादन के आदेश देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वही उपस्कर बाहर से आयात किए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न होने के कारण मैं विशिष्टताओं में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय संसद को उन उपस्करों की सूची देने को तैयार हैं, जो देश में सशस्त्र बलों के आवश्यक प्रणाली के महत्वपूर्ण स्वरूप की श्रेणी में आते हों और जिसको डी.आर.डी.ओ. ने पहले ही विकसित कर लिया है। लेकिन सरकार अपने देश में इन एककों को क्रयादेश देने के बजाए इन्हीं उपस्करों का आयात कर रही है।

श्री एम.एम. पल्लम राजू: हमें डी.आर.डी.ओ द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हमने आवश्यकताओं को स्वदेश में पूरा किया है। परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अब भी कमी है और जिनके लिए संयुक्त विकास करने की आवश्यकता है। वे सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र से हाथ मिलाकर देश के भीतर क्षमता का निर्माण करना चाहते हैं। पूरा उद्देश्य है कि इसका निर्माण स्वदेशी रूप में हो।

मुझे यकीन है कि यदि सशस्त्र बल ये क्षमताएं प्राप्त कर लेते हैं तो वे आदेश दे पाएंगे। यह कार्य धीरे-धीरे हो रहा है। सशस्त्र बल जब कभी फील्ड ट्रायलों से संतुष्ट होंगे तो वे पर्याप्त आदेश देंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी

***334. श्री नन्द कुमार साय:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की निगरानी के लिए क्षेत्र अधिकारियों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अधिकारियों द्वारा किस प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने क्षेत्र अधिकारी योजना का कोई मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) उक्त योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने में कितनी सफल रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा कुछ केन्द्रीय मंत्रालय की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के बीच बेहतर समन्वय रखने के लिए 2000 में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फील्ड के दौरे करने की व्यवस्था लागू की गई थी। इन अधिकारियों को क्षेत्राधिकारी का नाम दिया गया था और फील्ड दौरों के लिए उन्हें विशिष्ट राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सौंपे गए थे।

क्षेत्राधिकारियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण और स्कीमों की प्रगति का आकलन करने के लिए उन्हें सौंपे गए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फील्ड दौरे करने होते थे। क्षेत्राधिकारियों की इस व्यवस्था की विशेष रूप से इसकी प्रभावकारिता के लिए समीक्षा की गई थी। अधिकारियों के फील्ड दौरों से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य स्कीमों के संबंध में सूचना प्राप्त होती थी जिसे संबंधित राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों को सुधार करने हेतु बताया जाता था। तथापि, कार्यालय में कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण ऐसे फील्ड दौरों की संख्या कम रही है।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि किसी भी योजना की सफलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर होती है। हमारे पी.डी.एस. में वितरण व्यवस्था बहुत लचर है, इसलिए मैंने अपने प्रश्न में भी पूछा है कि क्या प्रदेश के सहयोग से सुदूर क्षेत्रों में, जहां इस योजना के तहत राशन और दूसरे खाद्यान्न पहुंचाए जाते हैं, उनकी निगरानी के लिए सरकार ने क्या पक्की व्यवस्था की है, नहीं तो सारा माल बीच में ही रह जाता है? इसका ठीक प्रकार से वितरण हो, इसका क्या प्रबन्ध किया है और इसके कार्यान्वयन की क्या योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने क्षेत्र अधिकारियों के बारे में पूछा है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदय, यह जिम्मेदारी

संयुक्त रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार की है। भारत सरकार की जिम्मेदारी यह है कि प्रक्योरमेंट करे, स्टोरेज करे, राज्य को अलॉट करे और ट्रांसपोर्ट कर के राज्य के हैडक्वार्टर तक पहुंचाने का बन्दोबस्त करे। राज्य में अनाज जाने के बाद, इसके वितरण आदि की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सैट-अप बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सुझाव दिया गया कि हर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या शॉप एक एडवाइजरी कमेटी अपाइंट करे, जिसमें गांव का प्रधान हो या गांव के इम्पौर्टेंट लोग इसमें शामिल हों तथा उनमें एक महिला को भी रिप्रजेंटेशन दिया जाए। वे देखें कि टोटल एलोकेशन कितना हुआ है, कितना माल आया, कितना माल लोगों को मिलता है, कहीं बीच में चोरी तो नहीं होती है और यदि चोरी होती है, तो वहां के रैवेन्यू ऑफीसर या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफीसर की जो मशीनरी है, उन्हें वह एडवाइजरी कमेटी इन्फॉर्म करे, इसे दुरुस्त करें और इस तरफ ध्यान दे। यह पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पर भी ध्यान देने के लिए एक एरिया ऑफीसर का कंसैप्ट कुछ साल पहले इंट्रोडयूस किया गया, मगर इसका बहुत फायदा हुआ है, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इनके काम के बारे में रिव्यू लिया और उसने एक तरह की नाराजगी हमें कम्युनिकेट की। उस नाराजगी में उसने जो मुद्दे दिए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए, इसमें कुछ और करैक्शन करने का काम हम इस मिनिस्ट्री के माध्यम से करेंगे।

श्री नन्द कुमार साय: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन उपायों की चर्चा की है और जो मुझे बताया है, उसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है, उनकी संख्या कितनी है, किन-किन राज्यों में उन्हें लगाया गया है तथा उन्हें लगाने के बाद भी इसमें संतोषजनक परिणाम नहीं निकले, इसके क्या कारण हैं?

महोदय, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि निगरानी की दृष्टि से उन अधिकारियों को लगाने का कोई बहुत लाभ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को लगाया गया है उनकी क्या रिपोर्ट है, उन्हें किन-किन राज्यों में लगाया गया है तथा यदि उन्हें लगाने का लाभ नहीं हुआ, तो इसकी कोई वैकल्पिक योजना बनाने पर क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, विजिट का जो इंतजाम किया गया है, उसका प्रैक्टीकली सभी 35 राज्यों में इंतजाम किया गया है। मगर यह बात सच है कि जिस प्रकार से विजिट क्वार्टरली होनी चाहिए, वैसी नहीं हुई। जब काम की जिम्मेदारी देनी होती है, तो उसे ध्यान रखकर काम किया जाता है। जो विजिट की गईं या विजिट की जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उस पर ठीक प्रकार से अमल नहीं हुआ। जहां विजिट हुई; वहां की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्हें देखने के बाद कोई संतोषजनक स्थिति प्रतीत नहीं होती है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए, इसमें हम करैक्टिव मैजर्स ले रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार पैकेज

***321. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में हथकरघा इकाइयों को बन्द होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए पैकेज प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में हथकरघा इकाईयों को बंद होने के किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है जबकि असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि यंत्रीकृत क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, ऋण की अनुपलब्धता, बाजार की जरुरतों के अनुरुप अपने आप को ढाल न पाने आदि के कारण कुछेक हथकरघा इकाईयों को बंद होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने देश की हथकरघा सहकारी समितियों को अतिदेय ऋणों को माफ करने और 7% प्रति वर्ष की रियायती दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2600 करोड़ रुपये का एक वित्तीय पैकेज तैयार किया है। यह पैकेज वित्त मंत्रालय को भिजवाया गया है। इसके अलावा हथकरघा बुनकरों के विकास एवं कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) एकीकृत हथरकघा विकास योजना

(ii) मिल गेट कीमत योजना

(iii) व्यापक हथकरघा बुनकर कल्याण योजना

(iv) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

(vi) 10 प्रतिशत छूट योजना एवं हथकरघा बुनकरों का कल्याण।

शुष्क भूमि कृषि

*323. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितनी भूमि को शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत लाया गया;

(ग) शुष्क भूमि कृषि के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि कृषि के संवर्धन के लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समेकित पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अन्य सभी प्रमुख कार्यक्रमों में वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों पर भी विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

(क) पनधारा कार्यक्रम

I. कृषि मंत्रालय

1. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियाजना
2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण
3. झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना
4. क्षारीय तथा अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास

II. ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम
3. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना

(ख) अन्य प्रमुख कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2. वृहत् कृषि प्रबंधन
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
4. राष्ट्रीय बागवानी मिशन
5. लघु सिंचाई
6. समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का स्कीम

उपर्युक्त कार्यक्रमों के तहत विगत 3 वर्षों में तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों के लिए जारी की गई निर्मुक्तियों के ब्यौरे विवरण -I और विवरण-II में दिए गए हैं।

शुष्क भूमि कृषि से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडीए) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा शुष्क भूमि से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। एआईसीआरपीडीए के तहत राज्यवार आवंटन विवरण-III पर देखा जा सकता है।

(ख) विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के तहत जो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों को भी कवर करते हैं, के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा 2.64 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया है और विगत तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08 तक) के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 11338 पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्यवार क्षेत्र कवरेज विवरण-IV पर देखा जा सकता है।

(ग) पनधारा कार्यक्रमों में किसानों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबद्ध कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर अन्य कृषि विकास कार्यक्रमों में विभिन्न कृषि आदानों/प्रचालनों के लिए सब्सिडी के रूप में किसानों के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उक्त कार्यक्रमों के तहत शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित खेती से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर किसानों को प्रशिक्षण समर्थन भी प्रदान किया जाता है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध फसल अनुसंधान (आईसीआरआईएसएटी) द्वारा उक्त पनधारा कार्यक्रमों के संबंध में किए गए व्यापक मूल्यांकन से प्रदर्शित हुआ कि इन कार्यक्रमों ने संपूरक/जीवन रक्षक सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भण्डारण क्षमता सृजित करने, फसल सघनता/उत्पादकता, किसानों की आय बढ़ाने और मृदा क्षरण और अपवाह (रन आफ) में कमी करने में सहायता की है।

संयुक्त रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार की है। भारत सरकार की जिम्मेदारी यह है कि प्रक्योरमेंट करे, स्टोरेज करे, राज्य को अलॉट करे और ट्रांसपोर्ट कर के राज्य के हैडक्वार्टर तक पहुंचाने का बन्दोबस्त करे। राज्य में अनाज जाने के बाद, इसके वितरण आदि की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल सैट-अप बनाने की आवश्यकता है। इसलिए सुझाव दिया गया कि हर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या शॉप एक एडवाइजरी कमेटी अपाइंट करे, जिसमें गांव का प्रधान हो या गांव के इम्पौर्टेंट लोग इसमें शामिल हों तथा उनमें एक महिला को भी रिप्रजेंटेशन दिया जाए। वे देखें कि टोटल एलोकेशन कितना हुआ है, कितना माल आया, कितना माल लोगों को मिलता है, कहीं बीच में चोरी तो नहीं होती है और यदि चोरी होती है, तो वहां के रैवेन्यू ऑफीसर या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफीसर की जो मशीनरी है, उन्हें वह एडवाइजरी कमेटी इन्फॉर्म करे, इसे दुरुस्त करें और इस तरफ ध्यान दे। यह पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इस पर भी ध्यान देने के लिए एक एरिया ऑफीसर का कंसैप्ट कुछ साल पहले इंट्रोडयूस किया गया, मगर इसका बहुत फायदा हुआ है, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इनके काम के बारे में रिव्यू लिया और उसने एक तरह की नाराजगी हमें कम्युनिकेट की। उस नाराजगी में उसने जो मुद्दे दिए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए, इसमें कुछ और करैक्शन करने का काम हम इस मिनिस्ट्री के माध्यम से करेंगे।

श्री नन्द कुमार साय: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिन उपायों की चर्चा की है और जो मुझे बताया है, उसे देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है, उनकी संख्या कितनी है, किन-किन राज्यों में उन्हें लगाया गया है तथा उन्हें लगाने के बाद भी इसमें संतोषजनक परिणाम नहीं निकले, इसके क्या कारण हैं?

महोदय, मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि निगरानी की दृष्टि से उन अधिकारियों को लगाने का कोई बहुत लाभ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को लगाया गया है उनकी क्या रिपोर्ट है, उन्हें किन-किन राज्यों में लगाया गया है तथा यदि उन्हें लगाने का लाभ नहीं हुआ, तो इसकी कोई वैकल्पिक योजना बनाने पर क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, विजिट का जो इंतजाम किया गया है, उसका प्रैक्टीकली सभी 35 राज्यों में इंतजाम किया गया है। मगर यह बात सच है कि जिस प्रकार से विजिट क्वार्टरली होनी चाहिए, वैसी नहीं हुई। जब काम की जिम्मेदारी देनी होती है, तो उसे ध्यान रखकर काम किया जाता है। जो विजिट की गई या विजिट की जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, उस पर ठीक प्रकार से अमल नहीं हुआ। जहां विजिट हुई, वहां की जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्हें देखने के बाद कोई संतोषजनक स्थिति प्रतीत नहीं होती है। इसलिए जैसा मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ सुझाव दिए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए, इसमें हम करैक्टिव मैजर्स ले रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार पैकेज

***321. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में हथकरघा इकाइयों को बन्द होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार करने के लिए पैकेज प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में हथकरघा इकाईयों को बंद होने के किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है जबकि असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि यंत्रीकृत क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा, ऋण की अनुपलब्धता, बाजार की जरुरतों के अनुरुप अपने आप को ढाल न पाने आदि के कारण कुछेक हथकरघा इकाईयों को बंद होने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने देश की हथकरघा सहकारी समितियों को अतिदेय ऋणों को माफ करने और 7% प्रति वर्ष की रियायती दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2600 करोड़ रुपये का एक वित्तीय पैकेज तैयार किया है। यह पैकेज वित्त मंत्रालय को भिजवाया गया है। इसके अलावा हथकरघा बुनकरों के विकास एवं कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

(i) एकीकृत हथरकघा विकास योजना

(ii) मिल गेट कीमत योजना

(iii) व्यापक हथकरघा बुनकर कल्याण योजना

(iv) विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

(v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

(vi) 10 प्रतिशत छूट योजना एवं हथकरघा बुनकरों का कल्याण।

शुष्क भूमि कृषि

*323. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान शुष्क भूमि कृषि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में राज्य-वार कुल कितनी भूमि को शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत लाया गया;

(ग) शुष्क भूमि कृषि के लिए किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में कितनी सफलता मिली है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि कृषि के संवर्धन के लिए कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समेकित पनधारा प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय के अन्य सभी प्रमुख कार्यक्रमों में वर्षा सिंचित/शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों पर भी विशेष जोर दिया गया है। कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

(क) पनधारा कार्यक्रम

I. कृषि मंत्रालय

1. राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र पनधारा विकास परियाजना

2. नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण

3. झूम खेती क्षेत्रों के लिए पनधारा विकास परियोजना

4. क्षारीय तथा अम्लीय मृदाओं का सुधार और विकास

II. ग्रामीण विकास मंत्रालय

1. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम

2. मरूस्थल विकास कार्यक्रम

3. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना

(ख) अन्य प्रमुख कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

2. वृहत् कृषि प्रबंधन

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

4. राष्ट्रीय बागवानी मिशन

5. लघु सिंचाई

6. समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम तथा मक्का स्कीम

उपर्युक्त कार्यक्रमों के तहत विगत 3 वर्षों में तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों के लिए जारी की गई निर्मुक्तियों के ब्यौरे विवरण -I और विवरण-II में दिए गए हैं।

शुष्क भूमि कृषि से संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपीडीए) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा शुष्क भूमि से संबंधित अनुसंधान परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं। एआईसीआरपीडीए के तहत राज्यवार आवंटन विवरण-III पर देखा जा सकता है।

(ख) विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के तहत जो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों को भी कवर करते हैं, के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा 2.64 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र विकसित किया गया है और विगत तीन वर्षों (2005-06 से 2007-08 तक) के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 11338 पनधारा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राज्यवार क्षेत्र कवरेज विवरण-IV पर देखा जा सकता है।

(ग) पनधारा कार्यक्रमों में किसानों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबद्ध कार्यकलापों के लिए सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिकतर अन्य कृषि विकास कार्यक्रमों में विभिन्न कृषि आदानों/प्रचालनों के लिए सब्सिडी के रूप में किसानों के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उक्त कार्यक्रमों के तहत शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित खेती से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर किसानों को प्रशिक्षण समर्थन भी प्रदान किया जाता है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंध फसल अनुसंधान (आईसीआरआईएसएटी) द्वारा उक्त पनधारा कार्यक्रमों के संबंध में किए गए व्यापक मूल्यांकन से प्रदर्शित हुआ कि इन कार्यक्रमों ने संपूरक/जीवन रक्षक सिंचाई के लिए अतिरिक्त जल भण्डारण क्षमता, सृजित करने, फसल सघनता/उत्पादकता, किसानों की आय बढ़ाने और मृदा क्षरण और अपवाह (रन आफ) में कमी करने में सहायता की है।

विवरण-I

विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के तहत आबंटन/निर्मुक्तियां

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्यों के नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान की गई निर्मुक्तियां (2005-06 से 2007-08)							2008-09 के लिए आबंटन						
		एनडब्ल्यू-डीपीआरए	आरवीपी एण्ड एफपीआर	डब्ल्यूडीपीएससीए	आरएडीएस	डीपीएपी	डीडीपी	आईडब्ल्यू डीपी	एनडब्ल्यू डीपीआरए	आरवीपी एण्ड एफपीआर	डब्ल्यूडीपीएससीए	आरएएस	डीपीएपी*	डीडीपी*	आईडब्ल्यूडीपी*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	15.01	18.87	—	1.47	151.37	117.48	113.23	11.40	6.50	—	1.60	40.53	32.67	37.72
2	अरूणाचल प्रदेश	12.84	3.63	8.24	—	—	—	52.08	5.19	0.00	3.50	0.27	—	—	16.83
3.	असम	9.64	1.95	15.00	—	—	—	91.81	6.25	2.87	6.00	3.50	—	—	14.83
4.	बिहार	13.71	0.27	—	0.00	7.02	—	21.40	5.00	0.40	—	0.00	0.00	—	5.71
5.	छत्तीसगढ़	45.24	13.84	—	—	38.93	—	68.86	10.00	4.00	—	—	19.52	—	27.00
6.	गोवा	6.35	—	—	—	—	—	0.24	0.38	—	—	—	—	—	0.00
7.	गुजरात	26.35	66.98	—	14.25	81.42	357.06	74.88	10.00	10.00	—	4.34	23.92	58.17	17.73
8.	हरियाणा	7.65	7.53	—	8.40	—	157.76	15.67	3.44	2.00	—	2.00		6.00	2.50
9.	हिमाचल प्रदेश	7.95	30.49		—	18.64	56.02	72.02	3.00	9.08	—		5.65	6.45	15.54
10.	जम्मू और कश्मीर	5.15	65.07	—	—	5.20	95.82	23.78	5.42	20.72	—		6.40	1.34	2.61
11.	झारखण्ड	21.40	3.22	—	—	20.35		8.26	1.44	1.80	—		1.63		5.15
12.	कर्नाटक	66.76	38.36	—	2.11	103.58	159.35	79.94	19.00	18.00	—	1.88	18.57	22.59	33.51
13.	केरल	20.05	7.02	—	—	—	—	12.39	6.41	1.60	—	—	—	—	7.14
14.	मध्य प्रदेश	60.03	42.07	—	0.00	160.18	—	136.67	26.93	20.54	—	0.00	42.44		52.78
15.	महाराष्ट्र	61.97	89.22	—	1.34	153.23	—	56.67	15.54	34.53	—	0.00	36.91		13.84
16.	मणिपुर	22.02	6.16	15.50	—	—	—	26.38	4.08	4.53	6.50	—	—	—	7.04
17.	मेघालय	17.34	0.10	16.00	—	—	—	25.53	4.97	1.27	5.50	—	—	—	3.13
18.	मिजोरम	23.53	10.30	18.00	—	—	—	51.08	8.64	4.53	6.00	—	—	—	17.31
19	नागालैंड	23.44	5.70	27.00	—	—	—	79.48	9.00	3.00	9.00	—	—	—	23.06
20.	उड़ीसा	52.81	7.73	—	—	59.65	—	61.63	37.00	6.93	—	—	17.86	—	14.73
21.	पंजाब	18.18	2.41	—	2.09	—	—	9.03	6.00	0.80	—	2.00	—	—	3.43
22.	राजस्थान	98.35	76.65	—	1.91	56.90	891.22	115.23	45.27	34.27	—	0.90	15.23	141.30	35.05
23.	सिक्किम	6.09	4.05	—	—	—	—	8.26	3.80	2.20	—	—	—	—	2.60
24.	तमिलनाडु	9.20	29.70	—	0.59	79.24	—	79.99	10.00	10.64	—	0.00	28.07	—	29.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.	त्रिपुरा	11.03	1.13	10.00	—	—	—	8.48	4.09	0.49	3.50	—	—	—	15.58
26.	उत्तराखण्ड	35.96	15.54	—	—	36.98	—	44.78	11.82	6.24	—	—	3.40	—	18.93
27.	उत्तर प्रदेश	47.86	39.76	—	0.00	110.51		135.41	36.00	22.00	—	0.00	29.53		60.19
28.	पश्चिम बंगाल	13.28	1.88	—	—	9.26		13.54	10.33	1.80	—	2.00	1.00		2.96
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.41	—	—	—	—			0.00	—	—				
	कुल	629.44	589.78	109.74	32.16	1095.46	1834.71	1487.13	310.23	237.09	40.00	18.51	290.66	268.52	472.24

*15.12.2008 तक दी गई निर्मुक्ति

विवरण-II

विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के तहत आबंटन/निर्मुक्तियां कृषि मंत्रालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	विगत तीन वर्षों के दौरान की गई निर्मुक्तियां (2005-06 से 2007-08)						2008-09 के लिए आबंटन					
		आरकेवीवाई	*एमएमए	एनएफएसएम	एनएचएम/टीएमएनई	एमआई	आईएसओपीओएम	आरकेवीवाई	*एमएमए	एनएफएसएम	एनएचएम/टीएमएनई	एमआई	आईएसओपीओएम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	61.08	148.93	44.62	197.56	313.95	146.83	316.57	65.35	68.63	196.94	149.31	50.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.90	62.70	—	57.42	—	—	6.88	20.50	—	24.00	—	—
3.	असम	0.00	34.54	11.40	53.80		0.03	142.62	16.25	32.63	33.00	—	—
4.	बिहार	57.77	54.56	3.30	68.69	24.82	17.30	148.54	39.00	90.80	142.35	0	8.00
5.	छत्तीसगढ़	52.96	63.60	14.55	141.19	38.15	15.75	116.48	21.70	87.52	107.48	22.01	4.00
6.	गोवा	1.70	11.50	—	5.18	0.12	0.16	6.91	1.00	—	2.74	0.15	—
7.	गुजरात	49.81	129.52	7.37	77.70	128.86	29.25	243.39	36.45	21.55	85.00	150.77	8.00
8.	हरियाणा	21.52	64.10	21.15	110.06	10.47	16.45	74.00	16.90	27.21	179.29	17.19	6.00
9.	हिमाचल प्रदेश	16.17	66.85	—	75.00	—	2.5	15.11	20.00	—	21.00	—	1.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	81.55	—	64.83	—	2.17	16.17	36.60	—	21.00	—	0.75
11.	झारखण्ड	55.68	25.86	—	78.11	2.29	—	58.62	10.65	13.07	98.72	0	—
12.	कर्नाटक	154.30	172.63	7.87	214.74	129.04	70.00	316.57	50.25	35.81	209.44	97.17	20.00
13.	केरल	55.40	90.25	—	176.39	38.39	0.22	60.11	12.75	1.89	148.07	0	—
14.	मध्य प्रदेश	101.61	113.02	46.12	126.67	16.81	86.5	146.05	62.85	132.69	104.00	48.12	40.00
15.	महाराष्ट्र	128.20	341.13	14.14	359.76	274.99	56.64	269.63	92.75	65.50	241.77	189.69	18.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	मणिपुर	0.00	72.94	—	54.28	—	—	4.14	20.50	—	23.00	—	—
17.	मेघालय	6.37	26.25	—	64.00	—	—	13.53	14.25	—	27.50	—	—
18.	मिजोरम	0	72.50	—	80.95	—	4.93	4.29	23.25	—	25.00	—	3.00
19.	नागालैंड	3.19	64.05	—	65.56	—	—	13.89	23.25	—	25.00	—	—
20.	उड़ीसा	39.30	95.86	11.34	118.73	5.62	19.25	115.44	32.80	69.76	81.11	3.58	5.00
21.	पंजाब	36.05	10.76	32.88	64.27	15.55	0.88	87.52	17.50	45.19	78.02	6.96	—
22.	राजस्थान	55.76	223.02	24.59	117.69	62.22	93.74	233.75	57.50	42.06	121.80	76.28	25.00
23.	सिक्किम	2.77	57.57	—	72.41	—	—	11.37	18.50	—	24.50	—	—
24.	तमिलनाडु	153.60	166.70	12.81	188.77	76.90	37.90	140.38	34.60	47.82	153.76	0	10.00
25.	त्रिपुरा	4.16	53.06	—	53.00	—	0.07	34.02	18.50	—	20.00	—	—
26.	उत्तराखण्ड	28.25	72.86	—	79.40	—	—	20.60	23.00	—	21.00	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	103.90	202.44	83.79	162.65	12.41	37.80	316.57	113.75	204.60	144.20	25.67	14.00
28.	पश्चिम बंगाल	54.93	90.54	13.00	93.16	1.95	19.24	147.38	44.25	70.39	47.65	—	6.00
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.80	—	0.85	—	—	6.43	0.08	—	—	—	—
30.	चण्डीगढ़	0.00	0.00	—	—	—	—	2.2	0.00	—	—	—	—
31.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.20	—	—	—	—	0.61	0.06	—	—	—	—
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	—	—	—	—	1.42	0.00	—	—	—	—
33.	दिल्ली	0.10	0.00	—	3.00	0.15	—	1.83	0.00	—	2.12	0	—
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.50	—	0.92	—	—	12.08	0.06	—	—	—	—
35.	पांडिचेरी	0.40	0.35	—	—	—	—	6.67	0.35	—	—	—	—
	कुल	1246.89	2671.24	381.93	3026.47	1152.69	666.63	3111.77	945.20	1057.12	2409.46	787.50	218.75

*इसमें कृषि मंत्रालय के पनधारा कार्यक्रमों के तहत आबंटन/निर्मुक्तियां शामिल हैं।

विवरण-III

एआईसीआरपीडीए के तहत शुष्क भूमि कृषि पर अनुसंधान के लिए राज्य-वार और वर्षवार बजट आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	50.93	55.58	46.44	62.56	215.51
2.	असम	35.53	38.83	40.05	44.46	158.87

1	2	3	4	5	6	7
3.	छत्तीसगढ़	35.53	38.83	24.90	42.63	141.89
4.	गुजरात	73.88	81.24	85.91	93.26	334.29
5.	हरियाणा	74.30	81.11	66.09	74.56	296.06
6.	जम्मू और कश्मीर	21.85	23.87	20.98	33.25	99.93
7.	झारखण्ड	43.66	47.59	53.82	70.56	215.63
8.	कर्नाटक	98.96	107.98	99.28	110.52	416.74
9.	मध्य प्रदेश	93.71	103.47	88.47	107.19	392.84
10.	महाराष्ट्र	129.59	141.01	121.22	152.54	544.36
11.	उड़ीसा	29.76	32.48	27.40	35.65	125.29
12.	पंजाब	48.15	52.61	57.98	67.56	226.30
13.	राजस्थान	49.75	54.24	62.87	65.56	232.42
14.	तमिलनाडु	31.27	34.14	45.85	50.63	161.89
15.	उत्तर प्रदेश	111.36	121.66	115.70	136.00	484.71

विवरण-IV

विभिन्न पनधारा कार्यक्रमों के तहत क्षेत्रफल कवरेज

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में, परियोजना सं.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2007-08 के अंत तक क्षेत्रफल कवरेज						
		विकसित क्षेत्र				स्वीकृत परियोजनाओं की सं. (500 है. प्रत्येक)		
		एनडब्ल्यू डीपीआरए	आर.बी.पी. एफ.पी.आर	एण्ड डब्ल्यू डीपीएससीए	आरएएस	डीपीएपी	डीडीपी	आईडब्ल्यूडीपी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	38439	21980		2000	702	282	44
2.	अरूणाचल प्रदेश	21383	3890	8200				114
3.	असम	18921	4920	14500				60
4.	बिहार	30113	380		-	180		45
5.	छत्तीसगढ़	801128	25180			275		42
6.	गोवा	13520						2
7.	गुजरात	72912	71150		35400	585	790	37
8.	हरियाणा	15499	7750		33000		299	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	हिमाचल प्रदेश	12163	21480			94	94	29
10.	जम्मू और कश्मीर	7370	69080			154	112	25
11.	झारखण्ड	80230	560			376		11
12.	कर्नाटक	135057	83280		3200	530	418	44
13.	केरल	44608	6090					23
14.	मध्य प्रदेश	148343	65410		0	643		55
15.	महाराष्ट्र	120979	82170		3200	796		45
16.	मणिपुर	38542	5130	15500				17
17.	मेघालय	28955		22900				91
18.	मिजोरम	34503	7860	14200				25
19.	नागालैण्ड	30209	5340	27000				8
20.	उड़ीसा	117369	14930			343		43
21.	पंजाब	28897	4460		9000			9
22.	राजस्थान	199517	99990		6000	335	2275	43
23.	सिक्किम	9818	3680					9
24.	तमिलनाडु	196693	27150		3600	398		37
25.	त्रिपुरा	18541	930	10000				11
26.	उत्तराखंड	62377	13170			214		27
27.	उत्तर प्रदेश	163040	52600		—	391		63
28.	पश्चिम बंगाल	28862	1970			160		22
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	692	—					
30.	चण्डीगढ़		—					
31.	दादरा और नगर हवेली		—					
32.	दमन और दीव		—					
33.	दिल्ली		—					
34.	लक्षद्वीप							
35.	पांडिचेरी		—					
	कुल	1797580	715550	112300	96000	6076	4270	992

*परियोजना आकार एकरूप और पनधारा क्षेत्र आधारित नहीं है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चीनी उठाना

***324. श्री टेक लाल महतो:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आबंटित की गई एवं उठाई गई चीनी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ राज्य उन्हें आबंटित चीनी का कोटा उठाने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार का संबंध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को लेवी चीनी का आवंटन करने से है। पिछले तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) और वर्तमान चीनी मौसम (जनवरी, 2009 तक) के दौरान लेवी चीनी के किए गए राज्य-वार आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप (भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों) के संबंध में लेवी चीनी का आवंटन भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में आवंटन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (सीधा आवंटी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) को किया जाता है। लेवी चीनी के उठान के संबंध में सूचना भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में उपलब्ध है जो विवरण-II के रूप में संलग्न है। सीधे आवंटी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में लेवी चीनी के उठान के बारे में केवल दिल्ली द्वारा सूचना दी गई है जो विवरण-III के रूप में संलग्न है।

लेवी चीनी के उठान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये उसके वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा लेवी चीनी के उठान के संबंध में पूरी सूचना न होने की वजह से, उनकी उठान एजेंसियों (सामान्यतया राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों) द्वारा आवंटित लेवी चीनी का पूरा अथवा उसके किसी भाग का उठान न करने के सही कारण बताना कठिन है। तथापि, लेवी चीनी का उठान मुख्य रूप से खुले बाजार में गैर-लेवी चीनी के मूल्यों पर निर्भर करता है। चीनी के अधिक उत्पादन वाले वर्षों में, गैर-लेवी चीनी के बाजार मूल्य कम रहते हैं और गैर-लेवी चीनी तथा लेवी चीनी के मूल्यों में अंतर कम हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप लेवी चीनी का उठान कम/नहीं होता है और चीनी के कम उत्पादन वाले वर्षों में स्थिति इसके विपरीत हो जाती है।

विवरण-I

2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान राज्य-सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को आवंटित लेवी चीनी का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अक्तूबर, 08 से जनवरी, 09)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	117.48	124.3	124.46	42.72
2.	अरुणाचल प्रदेश*	10.27	10.61	10.32	3.47
3.	असम*	224.14	224.2	224.29	75.96
4.	बिहार	7.48	77.54	84.6	28.64
5.	छत्तीसगढ़	26.84	42.95	54.12	19.08
6.	दिल्ली	35.84	36.38	36.49	12.66

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	1.59	1.59	1.58	0.55
8.	गुजरात	73.08	75.4	75.35	25.94
9.	हरियाणा	11.91	21.15	31.16	12.01
10.	हिमाचल प्रदेश	55.88	56.01	56.74	19.43
11.	जम्मू और कश्मीर*	87.07	87.59	88.47	29.61
12.	झारखंड	0.16	0.15	0.12	0.04
13.	कर्नाटक	69	82.71	109.64	37.44
14.	केरल	50.48	49.35	52.92	16.44
15.	मध्य प्रदेश	156.67	155.98	155.53	50.04
16.	महाराष्ट्र	106.55	148.7	171.89	60.3
17.	मणिपुर*	21.9	21.91	21.93	7.45
18.	मेघालय*	20.96	20.95	20.86	7.12
19.	मिजोरम*	8.38	8.37	8.35	2.83
20.	नागालैंड*	14.56	14.56	14.49	4.85
21.	उड़ीसा	107.36	108.5	106.99	31.42
22.	पंजाब	6.66	15.67	20.77	7.33
23.	राजस्थान	24	55.37	97.05	34.9
24.	सिक्किम	3.95	4.34	4.68	1.59
25.	तमिलनाडु	98.09	125.39	136.74	46.71
26.	त्रिपुरा*	32.72	32.93	32.94	10.88
27.	उत्तर प्रदेश	386.3	365.48	412.02	147.45
28.	उत्तराखंड	73.03	72.81	73.28	24.94
29.	पश्चिम बंगाल	176.01	178.45	169.62	64.42
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	4.74	4.62	4.6	1.56
31.	चंडीगढ़	0.95	1.01	0.9	0.32
32.	दादरा और नगर हवेली	0.6	0.6	0.6	0.2
33.	दमन और दीव	0.14	0.53	0.12	0.04
34.	लक्षद्वीप*	1.4	1.38	1.32	0.44
35.	पांडिचेरी	2.2	2.18	2.12	0.68
	जोड़	2018.39	2229.66	2407.06	829.46

*लेवी चीनी के आवंटन और उठान के लिए ये भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं।

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम द्वारा परिचालित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में लेवी चीनी का उठान दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06 चीनी मौसम	2006-07 चीनी मौसम	2007-08 चीनी मौसम	2008-09 चीनी मौसम (नवम्बर, 2008 तक)
1.	असम	55.51	78.03	44.24	12.12
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.87	3.80	5.42	0.71
3.	मणिपुर	7.76	5.30	4.24	1.55
4.	मेघालय	4.69	10.18	8.22	0.90
5.	मिजोरम	7.92	12.53	4.76	1.41
6.	नागालैंड	17.07	8.32	10.42	0
7.	त्रिपुरा	17.31	18.49	22.87	1.44
8.	जम्मू और कश्मीर	55.63	69.15	68.93	12.19
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.89	5.52	4.00	0
10.	लक्षद्वीप	1.62	1.80	0.46	0
	जोड़	176.27	213.12	173.56	30.32

टिप्पणी: उठान में वर्तमान वर्ष के आवंटन और पिछले बकाया (बैकलॉग) के प्रति निर्गम शामिल हैं। जब कभी उठान मास के आवंटन से अधिक हो जाता है, तो वह पूर्व के मास के कोटे के प्रति किए गए उठान के कारण होता है।

विवरण-III

दिल्ली के संबंध में लेवी चीनी के उठान को दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा हजार टन में)

वित्तीय वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नवम्बर, 2008 तक)
उठाई गई मात्रा	34.03	30.68	29.44	18.16

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात को बढ़ावा

***325. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य के वस्त्र का उत्पादन एवं निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी एवं उपयोग की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरु की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के कार्यकरण का हाल ही में मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) वस्त्र अर्थात प्राकृतिक/कृत्रिम/फाइबर, स्पन/फिलामैंट यार्न यदि सहित अलग-अलग वस्तुओं संबंधी उत्पादन आंकड़े उद्योग आधार पर संकलित किए जाते हैं। पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्पादित वस्त्र मदों की मात्रा नीचे दी गई है:

मद		2005-06	2006-07	2007-08 (अनंतिम)	2008-09 (अनंतिम) (अप्रैल-सितम्बर)
कच्चा कपास*	मिलियन कि.ग्रा.	4097	4760	5355	--
मानव निर्मित फाइबर	-वही-	968	1139	1244	558.39
स्पन यार्न	-वही-	3458	3813	4003	1993.04
फिलामेंट यार्न	-वही-	1179	1370	1509	694.89
फैब्रिक्स	मिलियन वर्ग मीटर	49577	53389	56036	27485

*(स्रोत: कपास सलाकार बोर्ड)

वस्त्र उत्पादों के निर्यात संबंधी आंकड़े बंदरगाह सांख्यिकी के आधार पर संकलित किए जाते हैं और ये राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। मात्रा-वार आंकड़े, निर्यात की गई वस्तु पर निर्भर करते हुए मात्रा की विभिन्न इकाइयों जैसे पीस, मीटरेज, वाल्यूम और भार आदि में उपलब्ध हैं, और इन्हें वस्त्र उत्पादों की किसी एकल मात्रात्मक इकाई के रुप में नहीं दर्शाया जा सकता है। पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात किए गए वस्त्रों का मूल्य नीचे दिया गया है:-

मूल्य (करोड़ रु.)

2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अ.) (अप्रैल-अगस्त)
77567.47	86702.65	89098.15	38314.46

(ख) और (ग) विशेषकर वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजनाओं के तहत निधियां राज्यवार आबंटित, जारी व उपयोग नहीं की जाती हैं। एमडीए और एमएआई योजनाओं से निर्यात संवर्द्धन परिषदों (ईपीसी) को विभिन्न क्रियाकलापों जैसे बाजार भागीदारी बढ़ाने, भारतीय आयातों पर विदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिलाभ शुल्कों और एंटी डम्पिंग मामलों में कार्रवाई करने, केन्द्रित बाजारों में निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलापों और नए बाजारों में पहुंच बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2005-06 से अब तक एमडीए और एमएआई योजना के सकल परिव्यय से वस्त्र क्षेत्र को जारी की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रु.)

वर्ष	एमएआई		एमडीए	
	सभी ईपीसी के लिए सकल परिव्यय	वस्त्र ईपीसी के लिए जारी	सभी ईपीसी के लिए सकल परिव्यय	वस्त्र ईपीसो के लिए जारी
2005-06	4000.00	114.17	5500.00	1000.79
2006-07	4000.00	723.34	5225.25	1644.45
2007-08	4500.00	538.56	5225.25	1513.05
2008-09 (आज की तारीख तक)	5000.00	665.64	5225.25	932.86

वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उपर्युक्त निधियन के अलावा सरकार शुल्क हकदारी पासबुक योजना और शुल्क वापसी योजना, जिससे निर्यातक उनके द्वारा किए गए निर्यात के आधार पर सरकार से मौद्रिक लाभ प्राप्त करते हैं, के माध्यम से भी निर्यातों के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा देश से वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने और सामान्य रुप से देश के वस्त्र क्षेत्र को सुदृढ बनाने के लिए वर्तमान में निम्नलिखित तीन प्रमुख योजनाएं प्रचालन में हैं:-

(i) प्रतिस्पर्धी डाउनस्टीम वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरु किया है। मिशन को कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों को पुनर्संगठित करने के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने और संदूषण कम करने में सफलता मिली है।

(ii) वस्त्र क्षेत्र के संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीएफएस) शुरु की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उपक्षेत्रों में निवेश में तेजी से वृद्धि करने के लिए इस योजना को और बेहतर बनाया गया है। आयातों पर सीमाशुल्क कम करके मशीनरी लागत को और नीचे लाया गया है।

(iii) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अनुरुप वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधायें उपलब्ध करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारित एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) नामक योजना अगस्त 2005 में शुरु की गई है।

(घ) और (ङ) एसआईटीपी योजना के मूल्यांकन के लिए हाल ही में एक परामर्शी फर्म को अधिकृत किया गया था जिसने इस माह के शुरु में एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पुराने पेंशन पैकेज को बहाल करना

*326. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ई पी एस), 1995 के अंतर्गत लाभार्थियों की मासिक पेंशन की गणना के आधार के बारे में निर्णय ले लिया है जैसा कि 12 नवम्बर, 2008 के 'मिन्ट' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रमिक संघों ने अंशदाताओं के लाभार्थ पुराने पेंशन पैकेज को बहाल किये जाने हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन सौंपे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) 'मिन्ट' द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2008 की उल्लिखित अधिसूचना दिनांक 26.09.2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 688(अ) से संबंधित है जिसके द्वारा संराशीकरण, पूँजी से आय के लाभों को हटा दिया गया है और शीघ्र पेंशन के संबंध में कमी के कारक को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने स्वयं को किये गये अभ्यावेदनों में परिलक्षित दृष्टिकोणों पर विचार किया है और दिनांक 11.11.2008 को आयोजित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (ईपीएफ) की बैठक के दौरान अपने रुख को स्पष्ट किया था जिसमें कर्मचारियों के संबंधित प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यह स्पष्ट किया गया था कि यदि बीमांकन घाटे को पाटने के साथ-साथ सदस्यों को सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु का इंतजार करने और जल्दी बाहर होने हेतु विकल्प की अपेक्षा पूर्ण पेंशन प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है तो कर्मचारी पेंशन योजना गड़बड़ा जायेगी। संराशीकरण के प्रावधान को हटाकर भी, पेंशनभोगी संराशीकरण की राशि को तुरंत व्यय कर देंगे और तब पेंशन की कम मात्रा की वजह से परेशानी में आ जायेंगे। इन संशोधनों को इस संबंध में प्राप्त बीमांकन रिपोर्टों के अनुसार कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत निधि में बढ़ रहे बीमांकन घाटे को रोकने के लिए इस स्तर पर आवश्यक समझा गया था। इस स्कीम को अर्थक्षम और निरन्तर बनाए रखने के लिए भी इसे आवश्यक समझा गया था ताकि भविष्य में स्कीम के बढ़े हुए दायरे की व्यवस्था की जा सके।

किसानों की ऋणग्रस्तता

*329. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक किसान पर ऋण भार देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या किसानों को बैंकों द्वारा उदारतापूर्वक/अधिक संस्थागत ऋण दिए जाने से उनके ऋण भार में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) मई, 2005 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा "किसान परिवारों की ऋणग्रस्तता" (एन एस एस का 59वां दौर) संबंधी रिपोर्ट के अनुसार 89.35 मिलियन किसान परिवारों में से 43.42 मिलियन किसान परिवारों का (48.6%) ऋण के औपचारिक अथवा अनौपचारिक अथवा दोनों स्रोतों से ऋणग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रत्येक राज्य में ग्रामीण परिवारों और कुल तथा ऋणग्रस्त कृषक परिवारों की अनुमानित संख्या

राज्य	ग्रामीण परिवारों की अनुमानित सं. ('00)	किसान परिवारों की अनुमानित सं. ('00)	ऋणग्रस्त किसान परिवारों की अनुमानित सं. ('00)	ऋणग्रस्त किसान परिवारों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	142512	60339	49493	82.0
अरुणाचल प्रदेश	15412	1227	72	5.9
असम	41525	25040	4536	18.1
बिहार	116853	70804	23383	33.0
छत्तीसगढ़	36316	27598	11092	40.2
गुजरात	63015	37845	19644	51.9
हरियाणा	31474	19445	10330	53.1
हिमाचल प्रदेश	11928	9061	3030	33.4
जम्मू और कश्मीर	10418	9432	3003	31.8
झारखंड	36930	28238	5893	20.9
कर्नाटक	69908	40413	24897	61.6
केरल	49942	21946	14126	64.4
मध्य प्रदेश	93898	63206	32110	50.8
महाराष्ट्र	118177	65817	36098	54.8
मणिपुर	2685	2146	533	24.8

1	2	3	4	5
मेघालय	3401	2543	103	4.1
मिजोरम	942	780	184	23.6
नागालैंड	973	805	294	36.5
उड़ीसा	66199	42341	20250	47.8
पंजाब	29847	18442	12069	65.4
राजस्थान	70172	53080	27828	52.4
सिक्किम	812	531	174	38.8
तमिलनाडु	110182	38880	28954	74.5
त्रिपुरा	5977	2333	1148	49.2
उत्तर प्रदेश	221499	171575	69199	40.3
उत्तराखंड	11959	8962	644	7.2
पश्चिम बंगाल	121667	69226	34696	50.1
संघ शासित क्षेत्र समूह	2325	732	372	50.8
अखिल भारत	1478988	893504	434242	48.6

स्रोत: राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा मई, 2005 में जारी एन.एस.एस 59वां राउन्ड (जनवरी-दिसम्बर 2003) "किसान परिवारों की ऋण ग्रस्तता" पर रिपोर्ट सं. 498।

ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार

*331. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा देश में अपने उपभोक्ताओं के लिए ब्रॉडबैंड उपकरण की कितनी लाइनें उपलब्ध कराई गईं;

(ख) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा पेश की गई ब्रॉडबैंड योजना के देश में अन्य सेवा प्रदाताओं द्वारा पेश की गई ऐसी ही योजनाओं की तुलना में कम उपभोक्ता मिल पाए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं के उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही समस्याओं के स्वरूप का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा दिल्ली और मुंबई में अपने उपभोक्ताओं के लिए 2006-07 और 2007-08 के दौरान उपलब्ध कराई गईं ब्रॉडबैंड लाइनों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	दिल्ली	मुंबई	कुल
2006-07	शून्य	86,000	86,000
2007-08	1,63,000	75,000	2,38,000

(ख) और (ग) जी, नहीं। इसके बावजूद कि एमटीएनएल केवल दिल्ली और मुंबई में ही प्रचालन करता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की संख्या की दृष्टि से एमटीएनएल देश में तीसरा सबसे बड़ा प्रचालक है।

(घ) और (ङ) ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, सेवाओं का निर्बाध प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ बैठकें की जाती हैं।

(च) ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार के लिए एमटीएनएल द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

- सेवाओं को पूर्णत: बाधित हो जाने से बचाने के लिए स्थानीय नेटवर्क में अतिरिक्त लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं।
- इंटरनेट सेवा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ में समय-समय पर विस्तार किया गया है।
- ब्रॉडबैंड सेवाओं से संबंधित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कॉल सेंटरों की संख्या में वृद्धि की जा रही है ताकि ग्राहक वहाँ तक आसानी से पहुँच सकें।
- बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोर नेटवर्क सहित ब्रॉडबैंड क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है।
- पेपर कोर अनआर्म्ड टेलीफोन (पीसीयूटी) केबलों, क्षतिग्रस्त ड्रॉप वायरों आदि को बदलकर लैंडलाइन नेटवर्क में सुधार किया जाता है।
- ब्राडबैंड ग्राहकों को इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी (आईपीटीवी), वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी) जैसी मूल्य योजित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

[हिन्दी]

कृषि योग्य भूमि

*335. **श्री हेमंत खंडेलवाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कृषि योग्य कुल कितने हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है;

(ख) क्या देश में खाद्यान्न संकट को देखते हुए कृषि योग्य भूमि के विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार देश में कृषि/कृषि योग्य भूमि 182.57 मिलियन हैक्टेयर वर्ष (2005-06) है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कृषि मंत्रालय का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ परस्पर गहन समन्वय करके विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है इनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), समेकित तिलहन, दलहन, ऑयलपाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) तथा वृहत कृषि प्रबंधन (एमएमए) स्कीमें शामिल हैं। एनएफएसएम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2007-08 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल, गेहूं और दलहनों के उत्पादन को क्रमश: 10, 8 एवं 2 मिलियन टन बढ़ाना है। इसी तरह से, आरकेवीवाई भी वर्ष 2007-08 के दौरान शुरू की गई थी और यह राज्यों को उनकी राज्य योजनाओं में कृषि के हिस्से को बढ़ाने तथा साथ ही कृषि तथा समवर्गी क्षेत्रों के विकास में वृद्धि करने को प्रेरित करने के लिए स्थानीय कृषि जलवायुवीय स्थितियों पर आधारित कार्यक्रम है। इसके अलावा, कृषीय भूमि के क्षेत्र को बरकरार रखने के उद्देश्य से अवक्रमित भूमियों का विकास करने के लिए, भारत सरकार विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनके नाम निम्नलिखित हैं (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए), (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदी (आरवीपी व एफपीआर) के आवाह क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण, (iii) क्षारीय एवं अम्लीय मृदाओं का सुधार व विकास (आरएडीएएस), (iv) झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए), (v) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), (vi) मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी), (vii) समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (आईडब्ल्यूडीपी), (viii) पनधारा विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ) तथा (ix) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) इन उपायों से, देश में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2011-12 तक लगभग 234 मिलियन टन की मांग की तुलना में लगभग 239 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है।

विवरण

कृषि/कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण

क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)

	राज्य का नाम	कृषि/कृषि योग्य भूमि
	1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश	15772.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	361.00
3.	असम	3224.00

1		2
4.	बिहार	6639.00
5.	छत्तीसगढ़	5590.00
6.	गोवा	197.00
7.	गुजरात	12412.00
8.	हरियाणा	3784.00
9.	हिमाचल प्रदेश	804.00
10.	जम्मू व कश्मीर	1050.00
11.	झारखण्ड	4184.00
12.	कर्नाटक	12905.00
13.	केरल	2323.00
14.	मध्य प्रदेश	17337.00
15.	महाराष्ट्र	21167.00
16.	मणिपुर	230.00
17.	मिजोरम	218.00
18.	मेघालय	1058.00
19.	नागालैण्ड	644.00
20.	उड़ीसा	7473.00
21.	पंजाब	4270.00
22.	राजस्थान	25621.00
23.	सिक्किम	155.00
24.	तमिलनाडु	8164.00
25.	त्रिपुरा	310.00
26.	उत्तर प्रदेश	19272.00
27.	उत्तराखण्ड	1512.00
28.	पश्चिम बंगाल	5749.00
29.	दिल्ली	58.00
30.	पांडिचेरी	31.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.00
32.	चण्डीगढ़	2.00
33.	दादर और नगर हवेली	24.00
34.	दमन और दीव	3.00
35.	लक्षद्वीप	3.00
	कुल	182,568.00

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि सांख्यिकी-एक नजर में 2008

कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य

***336. श्री डी.बी. पाटिल:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरीद के समय भारतीय कपास निगम द्वारा कपास के लिए भुगतान किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य सभी राज्यों के लिए एक समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में असमानता का क्या औचित्य है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) से (ग) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मूल्यों का निर्धारण कपास की प्रत्येक किस्म के आधार पर किया जाता है जो किस्म विशेष के लिए देशभर में समान होते हैं।

कृषि में श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी

***337. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक दृष्टि से कृषि क्षेत्र में मशीन आधारित प्रौद्योगिकी की तुलना में श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश के कुछ राज्यों में गेहूं उत्पादक किसानों ने श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी के

उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) कृषि क्षेत्र में उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग संसाधनों यथा भूमि श्रम पूंजी तथा अन्य निवेशों की उपलब्धता का एक कार्य है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आईएएसआरआई) द्वारा किये गये "प्रत्येक कृषि-जलवायुवीय क्षेत्र/राज्य हेतु दीर्घकालीन यंत्रीकरण नीति निर्माण के संबंध में अध्ययन" से निष्कर्ष निकला है कि अधिकांश जोतों के आकार छोटे थे तथा उन्होंने महंगी मशीनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के औचित्य को नहीं ठहराया। तथापि ये किसान पारस्परिक किराया आधार पर प्रौन्नत कृषि मशीनरी का लाभ उठा रहे थे। इस प्रकार किसान जिनमें गेहूं उत्पादक भी शामिल हैं अपने निष्पादन पर संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कृषि कार्यों के लिए मिश्रित श्रम तथा पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

*338. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी कार्यकलाप हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई, जारी की गई तथा उपयोग की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को बीड़ी कामगारों के उत्थान और कल्याण हेतु कुछ राज्य सरकारों से नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) देश में बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए योजनाओं के नामों और ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, क्षेत्र-वार (क्योंकि निधि का आबंटन क्षेत्र-वार किया जाता है), और योजना-वार ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, निर्गत और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) चल रही कल्याण योजनाओं के अंतर्गत समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। इन पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार किया जाता है।

विवरण-I

देश में बीड़ी कामगारों के कल्याण संबंधी योजनाओं के नाम और ब्यौरे

स्वास्थ्य योजना

क्र.सं.	योजनाओं तथा उपलब्ध लाभों के ब्यौरे
1.	**कैंसर के इलाज के लिए योजना** कामगार अथवा उसके आश्रित द्वारा किसी मान्यता प्राप्त कैंसर अस्पताल में कैंसर के इलाज पर दवाइयों तथा आहार संबंधी प्रभारों पर किए गए तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
2.	**हृदय रोगों से पीड़ित कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना** उपचार प्रभारों के लिए वास्तविक व्यय अथवा 1.30 लाख रुपये से अनधिक, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता की अदायगी की जाएगी।
3.	**गुर्दा प्रत्यारोपण तथा उससे संबद्ध उपचार के लिए कामगारों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना** उपचार प्रभारों के लिए वास्तविक व्यय अथवा 2.00 लाख रुपये से अनधिक, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता की अदायगी की जाएगी।
4.	**हर्निया, अल्सर, अपेन्डेक्टॉमी, प्रेनेट तथा स्त्रियों से संबंधित बीमारियों जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति** भोजन आदि तथा शल्य क्रिया से पहले और बाद की जांच सहित अस्पताल प्रभारों के लिए वास्तविक व्यय अथवा 30,000/- रुपये, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

क्र.सं.	योजनाओं तथा उपलब्ध लाभों के ब्यौरे

5. महिला कामगारों के लिए प्रसूति लाभ योजना

केवल प्रथम दो प्रसवों के लिए 1000/- रुपये प्रति प्रसव का एकमुश्त अनुदान।

6. कामगार/उसकी पत्नी को नसबंदी के लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति के भुगतान की योजना

कामगार/उसकी पत्नी को अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के साथ कुल मिलाकर 500/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर पर मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

7. टी.बी. से पीड़ित कामगारों के घर पर उपचार की योजना

1. दवा के व्यय को कवर करने के लिए प्रत्येक कामगार को 50 रुपये प्रतिमाह तक उपचार प्रभारों की प्रतिपूर्ति।

2. जहां कामगार का कोई आश्रित न हो अथवा एक आश्रित हो वहां 750/-रुपये प्रतिमाह की दर पर तथा जहां आश्रितों की संख्या एक से अधिक हो वहां 1000/-रुपये की दर पर नौ माह की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता।

8. चश्मे खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

फ्रेम तथा लैंस की लागत हेतु 300/-रुपये की सीमा तक अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता।

9. बीड़ी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना (बीमा)

1. स्वाभाविक मृत्यु-10,000/-रुपये

2. दुर्घटना के कारण मृत्यु-25,000/-रुपये

10. बीड़ी कामगार की विधवा/विधुर तथा विधवा/विधुर बीड़ी कामगार को अपनी पुत्रियों के विवाह संबंधी व्यय को वहन करने के लिए 5000/-रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

बीड़ी कामगार की विधवा/विधुर तथा विधवा/विधुर बीड़ी कामगार को अपनी प्रथम दो पुत्रियों के विवाह संबंधी व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 5000/-रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	योजनाओं तथा उपलब्ध लाभों के ब्यौरे

11. बीड़ी कामगारों के अंत्येष्टि संबंधी खर्चों के लिए 1500/-रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

मृत कामगार के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 1500/-रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।

शिक्षा योजना

1. शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना

		लड़कियां	लड़के
1.	कक्षा I से IV (वर्दी/स्लेटों/पुस्तकों हेतु अनुदान)	250	250
2.	कक्षा V से VIII	940	500
3.	कक्षा IX	1140	700
4.	कक्षा X	1840	1400
5.	कक्षा XI से XII पी यू सी I तथा पी यू सी II	2440	2000
6.	गैर-व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रम, गैर-व्यावसायिक स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम, 2/3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम, बी सी ए, बी बी ए तथा पी जी डी सी ए।	3000	3000
7.	व्यावसायिक डिग्री पाठयक्रम (बी.ई./ बी.टैक./एम.बी.बी.एस./बी.ए,एम.एम./ बी.यू.एम.एस./बी.एस.सी. (एग्री.) तथा एम.सी.ए./एम.बी.ए.)।	8000	8000

मनोरंजन योजना

1. टी.वी. सैट की आपूर्ति

बीड़ी कामगार सहकारी समिति के सामुदायिक केन्द्र को रंगीन टीवी सैट के लिए 10,000/-रुपये तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टीवी सैट के लिए 4000/-रुपये की अधिकतम धनराशि प्रदान की जाती है।

2. खेलकूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन

1. राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय उत्सवों को मनाये जाने जैसे सामाजिक क्रियाकलाप-2500/-रुपये प्रति क्रियाकलाप, 3 उत्सवों को मनाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 7500/-रुपये की सीमा के अध्यधीन।

क्र.सं.	योजनाओं तथा उपलब्ध लाभों के ब्यौरे
2.	नृत्य, नाटक, संगीत, वाचिक प्रतियोगिता जैसे सांस्कृतिक क्रियाकलाप-2000/-रुपये प्रति क्रियाकलाप एक वित्तीय वर्ष में 7 उत्सवों के लिए 14,000/-रुपये की सीमा के अध्यधीन।
3.	वार्षिक खेलकूद टूर्नामेंट का आयोजन-एक वर्ष में 40,000/-रुपये प्रति टूर्नामेंट।

क्र.सं.	योजनाओं तथा उपलब्ध लाभों के ब्यौरे
	आवासीय योजना
1.	**बीड़ी कामगारों के लिए संशोधित एकीकृत आवासीय योजना (आर.आई.एच.एस.)** एक मकान के निर्माण के लिए प्रति कामगार 40,000/-रुपये प्रति मकान के हिसाब से केन्द्रीय सब्सिडी प्रदान की जाती है।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, निर्गत और प्रयुक्त निधियां

(करोड़ रु.)

			2005-06		2006-07		2007-08		2008-09 (अक्टूबर, 2008 तक)	
क्षेत्र	दायरे में लिए गए राज्य	योजनाएं	आबंटित	और निर्गत	व्यय बजट	आबंटित	और निर्गत	व्यय बजट	आबंटित	और निर्गत	व्यय बजट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
अजमेर	राजस्थान										
	गुजरात	स्वास्थ्य	1.78	1.77	1.85	1.85	1.77	1.96	2.07	1.06	
		शिक्षा	11628	11630	17640	17630					
		शिक्षा	1.16	1.16	1.76	1.76	2.79	2.79	2.50	1.39	
		मनोरंजन	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	
		आवास	0.05	0.05	0.62	0.62	0.35	0.17	0	0	
इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	स्वास्थ्य	2.52	2.36	3.03	2.98	3.59	3.37	4.19	1.77	
		शिक्षा	1.58	1.58	1.46	1.46	3.31	3.36	5.71	0.75	
		मनोरंजन	0	0	0	0	0	0	0	0	
		आवास	0.16	0.16	0.11	0.11	0.05	0.05	0.06	0.01	
बंगलौर	कर्नाटक										
	केरल	स्वास्थ्य	5.43	5.36	5.24	5.24	6.62	6.61	7.81	5.16	
		शिक्षा	8.60	8.60	8.58	8.58	2.19	2.19	33.77	19.28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		मनोरंजन	0	0	0	0	0	0	19	0
		आवास	1.46	1.46	1.08	1.08	1.09	1.60	0.24	0.23
भुवनेश्वर	उड़ीसा									
		स्वास्थ्य	2.38	2.21	2.56	2.54	2.45	2.45	3.03	2.23
		शिक्षा	2.03	2.03	0.74	0.74	3.50	3.54	2.53	1.55
		मनोरंजन	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01
		आवास	4.00	4.00	1.00	1.00	3.26	3.20	0.68	0.72
हैदराबाद	आंध्र प्रदेश									
	तमिलनाडु									
		स्वास्थ्य	6.48	6.47	5.75	5.61	6.39	6.42	7.21	5.10
		शिक्षा	15.08	15.06	14.03	14.03	26.02	26.01	25.89	17.56
		मनोरंजन	0	0	0	0	0	0	0.0019	0
		आवास	2.26	0.26	0.39	0.39	0.60	0.71	0.28	0
जबलपुर	मध्य प्रदेश									
	छत्तीसगढ़									
		स्वास्थ्य	4.84	4.75	4.84	4.79	4.60	4.39	5.50	3.57
		शिक्षा	2.95	2.98	2.97	2.97	4.90	4.83	6.49	1.73
		मनोरंजन	0	0	0	0	0	0	0	0
		आवास	0.30	0.30	0.90	0.90	0.66	0.80	0.29	0.30
कर्मा	बिहार									
	झारखंड									
		स्वास्थ्य	4.17	3.96	3.52	3.32	3.50	3.35	3.89	2.35
		शिक्षा	1.35	1.35	1.30	1.30	1.92	1.92	1.83	0.82
		मनोरंजन	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01
		आवास	0.06	0.03	0	0	0.03	0.05	0.09	0
कोलकाता	पश्चिम बंगाल									
	असम									
	त्रिपुरा	स्वास्थ्य	4.46	4.34	4.20	4.09	4.67	4.62	8.04	3.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		शिक्षा	5.02	5.01	5.56	5.56	12.41	12.41	16.55	16.70
		मनोरंजन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.003
		आवास	1.19	1.19	0.49	0.49	2.44	2.44	0.73	0.76
नागपुर	महाराष्ट्र									
		स्वास्थ्य	2.08	2.08	2.30	2.30	2.42	2.46	2.62	2.21
		शिक्षा	4.30	4.30	5.60	5.50	6.62	6.60	6.17	4.09
		मनोरंजन	0.0025	0.0025	0.0025	0.0024	0.0045	0.0045	0.005	0.0047
		आवास	5.61	3.49	2.11	2.11	2.51	2.03	0.48	0.18
		योग	138.77	129.90	136.50	131.58	233.50	228.79	226.59	93.10

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बांस मिशन

*339. **श्री मणि चारेनामै:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बांस मिशन ने देश में विशेषकर उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में बांस के फूलों की समस्या से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रतिवर्ष राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में बांस की फसल हुई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में बांस के फूलों की समस्या से प्रभावित उत्तर-पूर्व क्षेत्र को राहत प्रदान करने हेतु धनराशि जारी की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा उक्त धनराशि के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश क्या हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय बांस मिशन सीधे रुप से बांस पुष्पण की समस्या से संबंधित नहीं है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार बांस पुष्पण की समस्या पर कार्रवाई कर रहा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में "मुली बांस का सामुहिक पुष्पण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरु की है। वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान 85.00 करोड़ रुपये के समग्र आबंटन से इस स्कीम को कार्यान्वित किया जाना है। स्कीम के मुख्य घटक हैं: संसाधन सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, संसाधन निष्कर्षण व प्रबंधन, संसाधन उपयोग, पुनरुद्धार योजना, आवश्यक अवसंरचना का विकास, महामारी के फैलाव के नियंत्रण के लिये कृन्तक (रोडेंट) नियंत्रण तथा एहतियाती उपाय, आग के खतरों का नियंत्रण, अकाल नियंत्रण और जागरुकता अभियान। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की पैदावार की कुल मात्रा संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) मिजोरम तथा मणिपुर सरकार ने बांस पुष्पण के संबंध में कृन्तक की समस्या के कारण फसलों को हुई क्षति के लिए राष्ट्रीय आपदा आक्समिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया। अंतरमंत्रालयी केन्द्रीय दलों ने आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा किया। उच्च स्तरीय समिति के अनुमोदन के आधार पर एनसीसीएफ से सहायता मुहैया कराई गई थी। राज्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन और उच्च स्तरीय समिति द्वारा एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं. 32-34/2005-एनडीएम-I दिनांक 27 जून, 2007 के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और इन्हें संलग्न विवरण-IV में दर्शाया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	कार्यान्वयक राज्य	सीसीएस स्कीम के अधीन कुल अनुमोदित आबंटन	2005-06 दौरान निर्मुक्त राशि	2006-07 के दौरान निर्मुक्त राशि	2007-08 के दौरान निर्मुक्त राशि	2008-09 के दौरान निर्मुक्त राशि	स्कीम हेतु राज्य वार कुल निर्मुक्ति
1.	अरुणाचल प्रदेश	1.50	00.10	00.65	0.50	00.25	1.5
2.	असम	13.00	03.25	00.00	2.045	2.204	7.499
3.	मणिपुर	09.90	02.41	3.034	3.000	1.456	9.90
4.	मेघालय	06.80	01.71	00.00	3.500	1.59	6.80
5.	मिजोरम	23.60	03.00	10.332	5.263	5.00	23.595
6.	नागालैंड	08.00	02.10	4.219	1.6810	00.00	8.00
7.	त्रिपुरा	21.20	05.25	6.065	5.6850	4.2	21.20
8.	आईसीएफआरई	01.00	00.00	00.70	0.00	0.30	1.00
	कुल	85.00	17.82	25.00	21.674	15.00	79.494

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बांस की पैदावार की राज्य-वार और वर्ष-वार मात्रा का ब्यौरा

(मीट्रिक टन)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
अरुणाचल प्रदेश		उपलब्ध नहीं		
असम	1,19,605	3,20,391	92,338	5,32,334
मणिपुर	8,87,470	13,33,585	16,84,990	39,06,045
मेघालय	300	400	300	1,000
मिजोरम	1,187,909	97,642	18,636	1,304,187
नागालैंड	—	4,15,000	4,15,200	12,45,430
सिक्किम	—	1,500	3,375	8,625
त्रिपुरा	1,14,205,552	86,539,309	91,756,433	2,92,501,294

विवरण-III

राज्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन तथा उच्च स्तरीय समिति द्वारा एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

राज्य	आपदा	ज्ञापन प्राप्त होने की तारीख	मांगी गई सहायता	अनुमोदित सहायता*
मिजोरम	कृन्तक संबंधी समस्या (कृमि आक्रमण)	मई, 2007	43.92	12.93
मिजोरम	कृन्तक संबंधी समस्या (कृमि आक्रमण)	फरवरी, 2008	591.63	49.37
मणिपुर	कृन्तक संबंधी समस्या (कृमि आक्रमण)	मार्च, 2008	50.02	16.67

*एनसीसीएफ से अनुमोदित सहायता गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित राज्य की आपदा राहत निधि (सीआरएफ) में उपलब्ध शेष के समायोजन की शर्त पर है।

विवरण-II

सं. 32-34/2005-एनडीएम-I
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आपदा प्रबंधन-I प्रभाग)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 27, जून 2007

सेवा में,

1. सभी राज्यों के मुख्य सचिव
2. सभी राज्यों के राहत आयुक्त/सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग

विषय: 2005-10 की अवधि हेतु आपदा राहत निधि (सीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा आक्समिकता निधि (एनसीसीएफ) से सहायता की मदों व मापदण्डों का संशोधन।

महोदय

मुझे यह उल्लेख करने का निर्देश हुआ है कि बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) ने 2005-10 की अवधि हेतु प्राकृतिक आपदाओं पर राहत व्यय के वित्तपोषण पर अपनी सिफारिशें दी हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसार सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता की वर्तमान मदों व मापदण्डों की समीक्षा करने तथा उन्हें संशोधित करने तथा 2005-10 के बीच की अवधि के दौरान अपनाए जाने वाले "भू-स्खलन", "हिमस्खलन", "बादल फटना" और "कृमि आक्रमण" की नई शामिल की गई प्राकृतिक आपदाओं के लिए मापदण्डों की सिफारिश करने के लिए संयुक्त सचिव (डीएम-I) तथा केन्द्रीय राहत आयुक्त की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समूह का गटन किया गया था। इस समूह में कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल किए गए।

2. विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करके भारत सरकार ने सहायता की मदों व मापदण्डों को संशोधित कर दिया है और तदनुसार चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सीआरएफ/एनसीसीएफ से सहायता की मदों व मापदण्डों की अनुमोदित सूची संलग्न है। ये संशोधित मापदण्ड तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि सीआरएफ/एनसीसीएफ से व्यय इन अनुमोदित मदों/मापदण्डों के अनुसार ही किया जाए।

3. इन संशोधित मदों और मापदण्डों को गृह मंत्रालय की बेवसाइट www.ndmindia.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. इस पत्र की एक प्रति इसके संलग्न अनुबंध के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्यों के महालेखाकारों को भी भेजी जा रही है।

5. यह इस विषय पर मंत्रालय के पिछले पत्रों अन्तिम पत्र सं. 32-22/2005-एनडीएम-I दिनांक 15 जून, 2005 का अधिक्रमण करता है।

भवदीय
ह0/-
(बी. मुरली कुमार)
निदेशक (एनडीएम-I)
दूरभाष: 23092696/फैक्स: 23093750

अनुलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सभी राज्य सरकारों के महालेखाकार।
2. महालेखा नियंत्रक (सीजीए), नई दिल्ली।
3. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), नई दिल्ली।
4. सभी राज्य सरकारों के आवासी आयुक्त।

प्रति प्रेषित:

1. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (श्री वी.एम. सेंथिल, संयुक्त सचिव (पीएफ), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. कृषि मंत्रालय (श्री मुकेश खुल्लर, संयुक्त सचिव (डीएम), कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. योजना आयोग (श्री आर. श्रीधरण, संयुक्त सचिव (एसपी), योजना भवन, नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (श्री जे.बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव)।
5. सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/संगठन।
6. प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. एचएम के निजी सचिव/एमओएस (आर) के निजी सचिव।
8. गृह सचिव के प्रधान निजी सचिव/सचिव (बीएम)/संयुक्त सचिव (डीएम-I)/संयुक्त सचिव (डीएम-II)/प्रचार अधिकारी/एनआईसी।

आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ) से दी जाने वाली सहायता की मदों और मानदंडों की सूची

वर्ष 2005 से वर्ष 2010 तक की अवधि के लिए

(राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग)
गृह मंत्रालय
भारत सरकार

अनुबन्ध

वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए आपदा राहत निधि तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए मदों और मानदंडों की संशोधित सूची

(गृह मंत्रालय का दिनांक 27 जून, 2007 का पत्र सं. 32-34/2007-एनडीएम-1)

क्रम संख्या	मद	सहायता के मानदंड
1	2	3
1.	**अनुग्रह राहत**	
	(क) मृतक व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह भुगतान	**प्रति मृतक 1.00 लाख रुपए** □ राज्य सरकार द्वारा पदनामित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मृत्यु के कारण संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मृत्यु आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि की योजना में वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है। □ यदि किसी सरकारी कर्मचारी/राहत कार्यकर्ता की, अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के पश्चात बचाव और राहत अभियान में शामिल होने के दौरान अथवा मॉक ड्रिल आदि जैसी तैयारी गतिविधियों के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को प्रति मृतक 1.00 लाख रुपए की दर से अनुग्रह राशि दी जाएगी।

1	2	3
		□ यदि किसी भारतीय नागरिक की विदेश में किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा। □ इसी प्रकार, यदि किसी विदेशी नागरिक की भारतीय भू-भाग में किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी इस राहत का भुगतान नहीं किया जाएगा।
(ख)	किसी अंग अथवा आंखों के नष्ट होने पर अनुग्रह भुगतान	(i) **35,000/-रु. प्रति व्यक्ति** (जब अपंगता 40% से 75% के बीच हो तथा सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो)। (ii) **50,000/-रु. प्रति व्यक्ति** (जब अपंगता 75% से अधिक हो तथा सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित हो)।
(ग)	गंभीर चोट जिसके लिए अस्पताल में रहना अपेक्षित हो	□ **7,500/-रु. प्रति व्यक्ति** (गंभीर चोट जिसके लिए एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रहना अपेक्षित हो)। □ 2,500/-रु. प्रति व्यक्ति (गंभीर चोट जिसके लिए एक सप्ताह से कम समय के लिए अस्पताल में रहना अपेक्षित हो)।
(घ)	वृद्ध, अक्षम तथा अनाथ बच्चों के लिए राहत	□ 20/-रु. प्रति वयस्क, 15/-रु. प्रति अवस्यक प्रतिदिन।
(ङ)	उन परिवारों के लिए कपड़े और बर्तन/घरेलू सामान जिनके घर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण बह गए हों/पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हों/ एक सप्ताह से अधिक समय तक पूरी तरह से जलमग्न हुए हों।	□ प्रति परिवार 1000/-रु. कपड़ों के नुकसान के लिए और प्रति परिवार 1000/-रु. बर्तन/घरेलू सामान की क्षति के लिए।
(च)	उन परिवारों को अनुग्रह राहत जिन्हें आपदा के पश्चात तत्काल भरण-पोषण की अत्यधिक आवश्यकता है। अनुग्रह-राहत केवल उन्हें ही दी जानी चाहिए जिनके पास कोई खाद्य सामग्री शेष नहीं बची हो अथवा जिनके खाद्य रिजर्व आपदा के कारण समाप्त हो गए हैं तथा जिनके पास सहायता के अन्य तत्काल साधन उपलब्ध नहीं हैं	□ 20/-रु. प्रति वयस्क, 15-रु. प्रति अवयस्क प्रतिदिन।
		अनुग्रह-राहत मुहैया कराने की अवधि **(i) सूखा और कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे) से भिन्न प्राकृतिक आपदाएं** □ अधिकतम 15 दिनों की अवधि तक। □ यदि ऊपर उल्लिखित अधिसूचित प्राकृतिक अपादाएं गंभीर प्रकृति की हों तो आपदा राहत निधि के तहत दी जाने वाली सहायता

1	2	3
		के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार राहत 30 दिनों तक के लिए मुहैया कराई जा सकती है। **(ii) सूखा/कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे)** □ राहत अधिकतम 60 दिनों की अवधि तक और गंभीर सूखे/कीट हमले के मामले में 90 दिनों की अवधि तक मुहैया कराई जा सकती है। □ यदि सूखे/कीट हमले की स्थिति 90 दिनों से अधिक बनी रहती है, तो राज्य स्तरीय समिति विस्तृत समीक्षा के पश्चात, माह दर माह आधार पर उत्पन्न स्थिति की वास्तविक अवधि के साथ-साथ, उस आगे की अवधि के बारे में निर्णय लेगी जिसके दौरान आपदा राहत निधि से राहत मुहैया कराई जा सकती है।
2. अनुपूरक पोषण		**आई सी डी एस मानदंडों के अनुसार 2.00 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन** **राहत मुहैया कराने की अवधि** **(i) सूखा और कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे) से भिन्न प्राकृतिक आपदाएं।** □ आपदा राहत निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार अधिकतम 30 दिनों तक। **(ii) सूखा/कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे)** □ राहत अधिकतम 60 दिनों की अवधि तक मुहैया कराई जा सकती है। □ गंभीर प्रकृति के सूखे/कीट हमले (केवल टिड्डी और चूहों आदि से होने वाले खतरे) के मामले में, आपदा राहत निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार राहत उपलब्ध कराने की अवधि को अधिकतम 90 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
3. लघु और सीमान्त किसानों को निम्नलिखित के लिए सहायता		
(क) कृषि-भूमि में गाद की सफाई		□ 6000/-रु. **प्रति हेक्टेयर** (जहां बालू/गाद जमाव 3" से अधिक है जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो)

1	2	3
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि से कचरे की सफाई	□ 6000/-रु. प्रति हेक्टेयर
	(ग) मत्स्य फार्मों में गाद की सफाई/पुनर्निर्माण/मरम्मत	□ 6000/-रु. प्रति हेक्टेयर (इस शर्त के अध्यधीन कि लाभार्थी को सरकारी योजना के अंतर्गत कोई अन्य सहायता/सब्सिडी नहीं मिली हो/वह इनका पात्र नहीं हो)
	(घ) भू-स्खलन, हिम-स्खलन, नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पर्याप्त भाग का क्षरण	□ 15,000/-रु. प्रति हेक्टेयर (सहायता केवल उन छोटे एवं सीमांत किसानों को दी जाएगी जिनकी क्षरण हुई भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार वैध है)
	(ङ) कृषि इनपुट सब्सिडी जहां फसल की क्षति 50% या इससे अधिक थी	
	(i) कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक पौधरोपण फसलों के लिए	□ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। □ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 4,000/- प्रति हेक्टेयर। (क) बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी। (ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 250/- रु. से कम नहीं होगी।
	(ii) बारहमासी फसलें	□ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर (क) बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी। (ख) किसी भी छोटी जोत वाले किसान को दी जाने वाली सहायता 500/-रु. से कम नहीं होगी।
4.	**छोटे और सीमांत किसानों से भिन्न किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी**	जिन मामलों में फसल का नुकसान 50% या इससे अधिक हो उनमें, धारित भूमि के आकार से बड़ा होते हुए भी क्रमिक आपदाओं की स्थिति में 1 हेक्टेयर प्रति किसान की सीमा के अध्यधीन तथा 2 हेक्टेयर प्रति किसान तक, निम्नलिखित दरों पर सहायता दी जा सकती है:- □ वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 2,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। □ बीमाकृत सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए 4,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। □ सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 6,000/-रु. प्रति हेक्टेयर। □ बिन बोई अथवा परती कृषि भूमि के लिए कोई इनपुट सब्सिडी देय नहीं होगी।
5.	**छोटे और सीमांत रेशम उत्पादक किसानों को सहायता**	□ ऐरी, शहतूत और टसर के लिए 2000/-रु. प्रति हेक्टेयर। □ मुगा के लिए 2,500/-रु. प्रति हेक्टेयर।
6.	**रोजगार-सृजन** (केवल रोजगार-सृजन के तत्वों वाली विभिन्न योजनाओं/स्कीमों जैसे कि एन आर ई जी पी, एस जी आर वाई के	□ संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रमिकों को देय न्यूनतम दैनिक मजदूरी दी जाए। □ राज्य के पास स्टॉक की उपलब्धता के अध्यधीन राहत निधि से अंशदान 8 किलोग्राम गेहूं या 5 किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रति दिन सीमित

1	2	3
	अंतर्गत उपलब्ध धन राशि को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए)	किया जाए। खाद्यान्नों की लागत "आर्थिक लागत" के आधार पर तय की जाए। □ न्यूनतम मजदूरी का बाकी भाग नकद दिया जाएगा। नकद राशि न्यूनतम मजदूरी के 25% से कम नहीं होगी। □ उपर्युक्त सहायता एक माह में 10 दिन की अवधि के लिए होगी (जिन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के तत्वों वाली अन्य योजनाएं/परियोजनाअएं लागू नहीं हैं वहां एक माह में 15 दिन)। □ राज्य सरकार से अपेक्षित होता है कि आबंटन के आदेश के जारी होने के 03 महीने के अन्दर आबंटित खाद्यान्नों को ले लेगी और उनका उपयोग करेगी। उक्त अवधि को बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। □ मामला-दर-मामला आधार पर वास्तविक मांग के आकलन के अध्यधीन, प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवार से एक व्यक्ति को काम दिया जाए। □ केन्द्रीय राहत निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से दी जाने वाली सहायता के लिए गठित केन्द्रीय दल द्वारा यथा आकलित।
7.	**पशुपालन: छोटे एवं सीमांत किसानों/ कृषि मजदूरों को सहायता**	**दुधारू पशु**
	(i) गैर-दुधारू पशुओं, दुधारू पशुओं या माल ढोने वाले पशुओं को बदलना	(i) भैंस/गाय/ऊंट/याक इत्यादि के मामले में 10,000/-रु. की दर से (ii) भेड़/बकरी के मामले में 10,000/-रु. की दर से **गैर-दुधारू पशु:** (i) ऊंट/घोड़ा/बैल इत्यादि 1000/-रु. की दर से बछड़ा/गधा और खच्चरों को 5000/-रु. की दर से □ सहायता आर्थिक रूप से उत्पादक पशुओं की वास्तविक हानि तक सीमित की जा सकती है और यह सहायता प्रति परिवार 1 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु या 1 बड़े गैर-दुधारू पशु या 2 छोटे गैर-दुधारू पशु की सीमा के अध्यधीन होगी भले ही किसी परिवार को बड़ी संख्या में पशुओं की हानि हुई हो। (हानि को राज्य सरकार द्वारा पदनामित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। **मुर्गीपालन:** □ प्रति लाभभोगी परिवार 300/-रु. की सहायता की सीमा के अध्यधीन 30/-रु. प्रति पक्षी की दर से। मुर्गियों की मृत्यु अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण होनी चाहिए। **टिप्पणी:** उस स्थिति में उन मानदंडों के तहत राहत प्राप्ति की पात्रता नहीं होगी यदि किसी अन्य सरकारी योजना में से सहायता उपलब्ध हो जैसे कि एवियन इन्फ्लुएन्जा या किसी अन्य बीमारी के कारण पक्षियों की हानि जिसके लिए पशुपालन विभाग के पास मुर्गीपालन स्वामियों को मुआवजा देने की पृथक योजना है।
	(ii) पशु-शिविरों में हरे चारे/चारे का प्रावधान	□ बड़े पशु-रुपये 20/-प्रतिदिन □ छोटे पशु-रुपये 10/-प्रतिदिन

1	2	3
		सहायता प्रदान करने की अवधि **(i) सूखे से भिन्न अधिसूचित आपदाएं** □ अधिकतम 15 दिन की अवधि तक। **(ii) सूखा** □ 60 दिन तक या भयंकर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक। □ सूखे की स्थिति 90 दिन से ज्यादा बने रहने पर राज्य स्तरीय समिति, विस्तृत समीक्षा के बाद, आगे की अवधि तय करेगी जिसमें महीने-दर-महीने आधार पर वर्षा की कमी/शुरूआत की वास्तविक अवधि के साथ-साथ एनसीसीएफ से राहत दी जा सकती है।
	(iii) पशु-शिविरों में जल-आपूर्ति	□ सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
		सहायता प्रदान करने की अवधि **(i) सूखे से भिन्न अधिसूचित आपदाएं** □ अधिकतम 15 दिन की अवधि तक। **(ii) सूखा** □ 60 दिन तक तथा भयंकर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक। □ सूखे की स्थिति 90 दिन से ज्यादा बने रहने पर राज्य स्तरीय समिति, विस्तृत समीक्षा के बाद, आगे की अवधि तय करेगी जिसमें महीने-दर-महीने आधार पर वर्षा की कमी/शुरूआत की वास्तविक अवधि के साथ-साथ एनसीसीएफ से राहत दी जा सकती है।
	(iv) दवाइयों तथा टीकों की अतिरिक्त लागत (आपदा संबंधी जरूरतें)	□ सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
	(vi) पशु शिविरों से बाहर चारे की आपूर्ति	□ आपदा के कारण हुई कीमत वृद्धि को निष्क्रिय करने के लिए स्वीकृत चारा डिपो से चारे के परिवहन संबंधी अतिरिक्त व्यय का निर्धारण, मामला-दर-मामला आधार पर, सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा किया जाएगा।
	(vi) उपयोगी पशुओं को दूसरे क्षेत्रों में लाना-ले-जाना	□ सीआरएफ से सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।
8.	**मछुआरों की सहायता**	□ रुपए 2,500/- [आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त परंपरागत शिल्प (सभी प्रकार के) एवं जालों की मरम्मत के लिए]।
	(क) क्षतिग्रस्त या गुम हुई नावों, जालों की मरम्मत/बदलना	□ रुपए 7,500/- [पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त परम्परागत शिल्प (सभी प्रकार के) एवं जालों को बदलने के लिए]।
	--नाव --डोंगी-छोटी नौका --केटामरान --जाल	□ ऐसे परंपरागत शिल्पों का राज्य सरकार से पंजीकरण करवाया जाना है।
	(यदि लाभग्राही तत्काल आपदा के लिए अन्य सरकारी योजना के	□ क्षति (आंशिक या पूर्ण) की सीमा राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित/प्रमाणित की जाएगी।

1	2	3
	अंतर्गत कोई सब्सिडी/सहायता ले चुका है/लेने का पात्र है, तो उसे यह सहायता नहीं दी जाएगी)	
	(ख) मछली सीड फार्म के लिए इन्पुट सब्सिडी	**रुपए 4,000/-प्रति हेक्टेयर** (पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय की योजना के अंतर्गत एक बारगी सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को छोड़कर यह सहायता उस स्थिति में नहीं दी जाएगी। यदि लाभग्राही तत्काल आपदा के लिए किसी अन्य सरकारी योजना के तहत कोई सब्सिडी/सहायता ले चुका है/लेने का पात्र है)।
9.	**हस्तशिल्प/हथकरघा कारीगरों को क्षतिग्रस्त यंत्रों की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता**	
	(क) परम्परागत शिल्प के लिए (हस्तशिल्प)	
	(i) क्षतिग्रस्त यंत्रों/उपकरों के प्रतिस्थापन के लिए	□ **2,000/-रुपए प्रति कारीगर** □ क्षतिग्रस्त/प्रतिस्थापन राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।
	(ii) कच्चे माल/निर्माणाधीन सामान/तैयार सामान का नुकसान	□ **2,000/-रुपए प्रति कारीगर** □ क्षति/नुकसान राज्य सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।
	(ख) हथकरघा बुनकरों के लिए	
	(i) करघा उपकरणों तथा सहायक उपकरणों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	**करघे की मरम्मत के लिए** □ **1,000/-रुपए प्रति करघा** करघे की प्रतिस्थापन के लिए □ **2,000/-रुपए प्रति करघा** □ क्षति/प्रतिस्थापन सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
	(ii) सूत तथा अन्य सामग्री जैसे डाई एवं रसायन तथा तैयार स्टॉक की खरीद	□ **2,000/-रुपए प्रति करघा** □ क्षति/प्रतिस्थापन सरकार द्वारा अभिहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।
10.	**क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनरुद्धार के लिए सहायता**	□ क्षतिग्रस्त मकान का निर्माण राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत निर्माण होना चाहिए। □ मकान की क्षति की सीमा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत तकनीकी प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाए।
	(क) पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	
	(i) पक्का मकान	□ 25,000/-रुपए प्रति मकान
	(ii) कच्चा मकान	□ 10,000/-रुपए प्रति मकान
	(ख) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान	
	(i) पक्का मकान	□ **5,000/-रुपए प्रति मकान**
	(ii) कच्चा मकान	□ **2,500/-रुपए प्रति मकान**
	(ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान- पक्का और कच्चा दोनों (झोंपड़ी को छोड़कर) (जहां क्षति कम से कम 15% हो)	□ **1500/-रुपए प्रति मकान**

1	2	3
	(घ) झोंपड़ी:क्षतिग्रस्त/नष्ट	□ 2000/-रुपए प्रति झोंपड़ी □ *(झोंपड़ी से तात्पर्य है-अस्थायी रूप से रहने की कच्चे घर से निम्नतर, फूस, मिट्टी, प्लास्टिक शीट आदि से निर्मित घर जिसे राज्य/जिला प्राधिकारियों ने परम्परागत रूप से देखा एवं पहचाना तथा जाना हो)।*
11.	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल की आपात आपूर्ति की व्यवस्था	□ सीआरएफ से दी जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से दी जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार।
12.	महामारियों के फैलने को रोकने के लिए दवाइयों, संक्रमणरोधकों, कीटनाशकों की व्यवस्था	□ यथोपरि
13.	अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के क्रम में फैलने वाली महामारियों से पशुओं एवं मुर्गियों को बचाने के लिए चिकित्सा देखभाल	□ यथोपरि
14.	प्रभावित/प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों का बचाव	□ यथोपरि
15.	तत्काल राहत एवं जीवन बचाने के लिए नावों को किराए पर लेना	□ यथोपरि सहायता की मात्रा, नावों को तथा फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए आवश्यक उपकरणों को किराए पर लेकर अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के समय मानव जीवन की रक्षा करने में हुए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
16.	प्रभावित/बचाए गए व्यक्तियों (राहत शिविरों को संचलन के लिए) अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल आदि की व्यवस्था	□ सीआरएफ से दी जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ से दी जाने वाली सहायता के लिये केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। □ सहायता की मात्रा विनिर्दिष्ट अवधि में हुए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी। **अवधि** □ सूखे से भिन्न प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अधिकतम 15 दिन की अवधि तक। □ सूखे से भिन्न गम्भीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदाओं के मामले में अधिकतम 30 दिन की अवधि के लिए। **सूखा** □ सूखे के मामले में अधिकतम 60 दिन की अवधि तक तथा गम्भीर सूखे की स्थिति में 90 दिन तक राहत प्रदान की जा सकती है। □ यदि सूखे की स्थिति 90 दिन से अधिक रहती है तो राज्य स्तरीय समिति, विस्तृत समीक्षा के उपरान्त, माह दर माह आधार पर, वर्षा की कमी/शुरूआत की वास्तविक अवधि के साथ-साथ आगे की उस अवधि का निर्णय करेगी जिसके लिए राहत प्रदान की जा सकती है।
17.	आवश्यक वस्तुओं की हवाई जहाज से आपूर्ति	□ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार।

1	2	3
		□ सहायता की मात्रा वायुसेना/अन्य वायुयान सेवाप्रदाताओं द्वारा आवश्यक वस्तुओं की हवाई जहाज से आपूर्ति तथा बचाव कार्यों से संबंधित बिलों में प्रस्तुत की गई वास्तविक राशि तक ही सीमित होगी।
18. **पात्र क्षेत्रों से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की प्रकृति की मरम्मत/बहाली:** (1) सड़क एवं पुल (2) पेय जल आपूर्ति संबंधी कार्य (3) सिंचाई (4) बिजली (प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली तक ही सीमित है) (5) प्राथमिक शिक्षा (6) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (7) पंचायतों के स्वामित्व वाली सामुदयिक परिसम्पत्तियां। इसमें दूरसंचार तथा बिजल (बिजली आपूर्ति की तत्काल बहाली को छोड़कर) जैसे क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है जो कि अपने निजी राजस्व का सृजन करते हैं, और अपनी स्वयं की निधियों/संसाधनों से तत्काल मरम्मत/बहाली कार्य करते हैं।	**तात्कालिक स्वरूप के कार्यकलाप** □ ऐसे कार्यकलापों, जिन्हें तात्कालिक स्वरूप के कार्य समझा जा सकता है, की विस्तृत सूची संलग्न परिशिष्ट में दी गई है। **समयावधि** □ तात्कालिक स्वरूप के कार्य करने के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्दिष्ट की गयी है:- **मैदानी क्षेत्रों के लिए** (क) सामान्य प्रकृति की आपदा के मामले में 30 दिन। (ख) गम्भीर प्रकृति की आपदा के मामले में 45 दिन। **पहाड़ी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए** (क) सामान्य प्रकृति की आपदा के मामले में 45 दिन। (ख) गम्भीर प्रकृति की आपदा के मामले में 60 दिन। **आवश्यकताओं का आकलन** □ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार।
19. सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों और नष्ट दवाइयों का प्रतिस्थापन	□ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। □ राहत की मात्रा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
20. एंबुलेंस सेवा, सचल चिकित्सा दलों और अस्थायी औषधालयों के लिए ऑपरेशन लागत (केवल पीओएल)	□ यथोपरि □ ऑपरेशनल लागत के अंतर्गत आने वाली मदों की सूची में सामान्यत: निम्नलिखित मदें शामिल होगीं:- □ अस्थायी चिकित्सा शिविरों/अस्थायी औषधालयों के निर्माण की लागत। □ एंबुलेंस वाहनों को भाड़े पर लेना। □ केवल सचल चिकित्सा दलों के लिए परिवहन वाहनों को भाड़े पर लेना। □ सचल चिकित्सा दलों के लिए एंबुलेंस तथा परिवहन वाहनों संबंधी वास्तविक पीओएल व्यय।
21. मलबा हटाए जाने की लागत	□ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। □ राहत की मात्रा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी। □ मलबा हटाने की लागत में केवल आबादी वाले क्षेत्रों में पत्थरों, ईंटों, इस्पात/लोहे का मलबा हटाना शामिल है।
22. प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के पानी की निकासी	□ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार।

1	2	3
		□ राहत की मात्रा किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
23.	खोज एवं बचाव उपयों की लागत	□ सीआरएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए राज्य स्तरीय समिति तथा एनसीसीएफ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार। □ राहत की मात्रा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के दो सप्ताह की अवधि के भीतर खोज एवं बचाव कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगी।
24.	शवों/जानवरों की लाशों को हटाना	□ राज्य सरकार द्वारा यथासूचित अथवा केन्द्रीय दल द्वारा संस्तुत, वास्तविक आधार पर।
25.	विभिन्न संवर्गों/सेवाओं से लिए गए राज्य के कार्मिकों/राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों के विशेषज्ञ बहु-विषयी समूहों/दलों को प्रशिक्षण	□ राज्य स्तरीय समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार व्यय केवल सीआरएफ से किया जाना है (एनसीसीएफ से नहीं)। □ मद सं. 25 और 26 पर सामूहिक रूप से कुल खर्च, सीआरएफ के वार्षिक आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
26.	संचार उपकरणों सहित आवश्यक खोज, बचाव तथा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने संबंधी उपकरणों की खरीद।	□ यथोपरि

क्रम संख्या	नई मदें	मानदण्ड
1	2	3
27.	**भूस्खलन, बादल फटना तथा हिमस्खलन**	□ विभिन्न मदों के लिए मानदण्ड वहीं होंगे जो उपर्युक्त सूची के अनुसार अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू हैं।
28.	**कीट हमला (केवल टिड्डी दल एवं चूहों का खतरा)**	□ जहां तक कीटों के हमले के कारण क्षतिग्रस्त फसल के लिए सहायता के मानदण्डों का संबंध है, यह अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को हुई क्षति के परिणामस्वरूप प्रभावित किसानों को प्रदत्त सहायता के अनुरूप होगी। □ हालांकि, कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक दवाओं के हवाई छिड़काव संबंधी व्यय को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की चालू योजना के अंगर्तत वहन किया जाएगा, क्योंकि छिड़काव अधिक विशाल क्षेत्र पर किया जाना होता है न कि केवल खेत दर खेत आधार पर किसी एक किसान के स्वामित्व वाले खेत पर।
29.	**आग लगने संबंधी विद्यमान प्राकृतिक आपदा के लिए मानदण्ड**	
	(i) **आग लगना**	□ आकस्मिक रूप से आग लगने के परिणामस्वरूप दी जाने वाली सहायता आबादी वाले क्षेत्रों में जानों, अंगों, फसलों, सम्पत्ति आदि के नुकसान/क्षति के लिए अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में लागू मदों और मानदण्डों के अनुसार प्रदान की जाएगी। □ उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार सहायता की पात्रता राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएगी।

1	2	3
		□ वनों में आग लगने की घटना को कुछ हद तक पर्यावरण और वन मंत्रालय की योजना अर्थात एकीकृत वन संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वन्य-आग के कारण प्रभावित लोगों को जानों, अंगों, फसलों, सम्पत्ति आदि के नुकसान/क्षति के लिए अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के मामले में लागू मदों और मानदण्डों के अनुसार उस सीमा तक सहायता प्रदान की जाएगी जिस सीमा तक इस प्रकार के नुकसानों को एकीकृत वन संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। □ जहां तक औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संबंधित आग की घटनाओं का संबंध है, इन्हें बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाना अपेक्षित है।

परिशिष्ट

(मद सं. 18 से संबंधित)

तात्कालिक स्वरूप के कार्यकलापों के रूप में अधिसूचित कार्यकलापों की विस्तृत सूची

1. पेयजल आपूर्ति

(i) हैण्ड पम्पस/रिंग वैल्स/स्प्रिंग-टैप्ड चैम्बर्स/पब्लिक स्टैण्ड पोस्ट्स, सिस्टर्न्स के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों की मरम्मत।

(ii) क्षतिग्रस्त पाइपों के स्थान पर नए पाइप लगाने सहित क्षतिग्रस्त स्टैण्ड पोस्ट्स की बहाली, स्वच्छ जल के जलाशयों की सफाई (इस लीक-प्रूफ बनाने के लिए)।

(iii) क्षतिग्रस्त इन्टेक-अवसंरचनाओं, एप्रोच गेन्ट्रीज/जेट्टीज सहित क्षतिग्रस्त पम्पिंग मशीनों, लीकिंग ओवर हैड जलाशयों और पानी के पम्पों की मरम्मत।

2. सड़कें

(i) दरारों और गड्ढों को भरना, जल मार्ग बनाने के लिए पाइप का प्रयोग, तटबंधों की मरम्मत एवं पत्थर लगाना।

(ii) टूटी हुई पुलियों की मरम्मत।

(iii) तत्काल कनेक्टीविटी बहाल करने के लिए पुलों की क्षतिग्रस्त/बह गए हिस्सों को हटाने की व्यवस्था करना।

(iv) पुलों के पहुंच-मार्गों/पुलों के तटबंधों की अस्थायी मरम्मत, पुलों की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत, यातायात को बहाल करने के लिए सड़कों के क्षतिग्रस्त हिस्सों पर तत्काल कनेक्टीविटी बहाल करने हेतु जल-मार्गों, ग्रेन्युलर सब-बेस की मरम्मत।

3. सिंचाई

(i) क्षतिग्रस्त नहर अवसंरचनाओं की तत्काल मरम्मत तथा सीमेंट, रेत एवं पत्थरों का इस्तेमाल करके तालाबों और छोटे जलाशयों को मिट्टी से भरने/राजगिरी का कार्य।

(ii) बांध की दीवारों/तटबंधों में पाइपों की अथवा चूहे के बिलों जैसे कमजोर क्षेत्रों की मरम्मत।

(iii) नहरों एवं जल-निकासी के मार्ग से वानस्पतिक सामग्री/भवन निर्माण सामग्री/मलबा हटाना।

4. स्वास्थ्य

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गों, भवनों तथा बिजली की लाइनों की मरम्मत।

5. पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियां

(क) गांव की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत

(ख) जल-निकासी/सीवरेज मार्गों से मलबा हटाना

(ग) आन्तरिक जल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत

(घ) स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत

(ङ) प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों, सामुदायिक हालों, आंगनबाड़ी की अस्थायी मरम्मत।

विशेष पहचान संख्या

*340. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के सभी लाभार्थियों को विशेष पहचान संख्या प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को सरकार ने अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को इस प्रकार की विशेष पहचान संख्या आबंटित करने पर कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सभी लाभार्थियों को इस प्रकार की पहचान संख्या कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पास कर्मचारी राज्य बीमा योजना में शामिल किये जाने वाले बीमाकृत व्यक्तियों को विशेष पहचान संख्या प्रदान करने की एक व्यवस्था है। यह एक सतत प्रक्रिया है। बीमाकृत व्यक्तियों को ऐसी पहचान संख्या वाले लेमिनेट किये हुये पहचान पत्र प्रदान किये जाते हैं। बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों जैसे लाभार्थियों को अलग से कोई पृथक संख्या प्रदान नहीं की जाती किन्तु वे बीमाकृत व्यक्ति को दी गयी पहचान संख्या का संदर्भ देकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

एक सूचना प्रौद्योगिकी रोल आउट प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 जनवरी, 2009 है। रोल आउट और परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति को एक उपयुक्त कम्प्यूटर-समर्थ कार्ड जारी किया जायेगा, जिस पर विशेष पहचान संख्या दी गयी होगी ताकि बीमाकृत व्यक्ति द्वारा रोजगार बदल लेने की स्थिति में उसे कर्मचारी राज्य बीमा लाभ प्राप्त करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। बोलियों को अंतिम रूप देने के पश्चात् ही व्यय का आकलन ज्ञात हो सकेगा। अंतिम रूप दिये जाने के बाद रोल आउट प्लान में 18 माह का समय लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

आईसीएआर के वैज्ञानिक

3251. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत अनेक वैज्ञानिकों को अवैज्ञानिक कार्यों के लिए तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी तैनातियों से कृषि अनुसंधान की गुणवत्ता पर कितना प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) उक्त वैज्ञानिकों को पुन: अनुसंधान कार्य में कब तक तैनात किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कुछ ही मामलों में वैज्ञानिकों को प्रशासनिक अत्यावश्यकता होने पर ही उनके सामान्य वैज्ञानिक कार्य के अलावा अलग कार्य सौंपा जाता है।

(ख) किसी भी वैज्ञानिक को पूरे समय के लिए वैज्ञानिक कार्य से अलग कार्य नहीं सौंपा जाता। संस्थानों के सुचारू एवं दक्षतापूर्वक कार्य करने के हित में वैज्ञानिकों को केवल थोड़े समय के लिए ही सामान्य अनुसंधान कार्य के अलावा ऐसा कार्य सौंपा जाता है।

(ग) यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैज्ञानिकों को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने के परिणामस्वरूप अनुसंधान कार्य की गुणवत्ता में कमी न हो।

(घ) उन मामलों में भी जहां वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक कार्य के अलावा अतिरिक्त प्रभार के रूप में अन्य कार्य सौंपा गया है, वहां वैज्ञानिक वैज्ञानिक कार्य जारी रखने के साथ-साथ अन्य कार्यों को देखते हैं। अत: उनकी अनुसंधान कार्य के लिए वापसी तैनाती का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

डाकघरों में अदावाकृत धनराशि

3252. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार कुल कितने डाकघर हैं;

(ख) देश में डाकघरों में खाताधारकों की कुल संख्या कितनी है और इसमें कितनी धनराशि जमा है;

(ग) डाकघरों में उपर्युक्त धनराशि में से कितनी धनराशि अदावाकृत है; और

(घ) उक्त धनराशि का उपयोग किस प्रकार किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में (31.3.2008 की स्थिति के अनुसार) डाकघरों की कुल संख्या 1,55,035 है। राज्य/सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) डाकघरों में खाताधारियों की कुल संख्या 17,47,19,458 है तथा 31.3.2008 की स्थिति के अनुसार डाकघरों में 3,45,434.15 करोड़ रुपये जमा हैं।

(ग) और (घ) डाकघरों में दावारहित कोई धनराशि नहीं है क्योंकि जमाकर्ता/दावाकर्ता अपनी धनराशि पर किसी भी समय दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं। डाकघर बचत योजनाओं के तहत एकत्र समस्त धनराशि को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो विकास तथा अन्य उद्देश्यों के लिए इस धनराशि का उपयोग करते हैं।

विवरण

31-3-2008 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार डाकघर

क्रम.सं.	सर्किल का नाम	प्रधान डाकघर		उप डाकघर		ईडीएसओ		ईडीबीओ		कुल		डाकघरों की कुल संख्या
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	98	6	981	1352	12	19	196	13485	1287	14862	16149
2.	असम	19	0	222	382	0	35	57	3292	298	3709	4007
3.	बिहार	30	1	367	645	18	81	17	7898	432	8625	9057
4.	छत्तीसगढ़	10	0	195	128	0	0	18	2772	223	2900	3123
5.	दिल्ली	12	0	406	4	10	9	62	68	490	81	571
6.	गुजरात	34	0	635	638	0	33	58	7515	727	8186	8913
	दमन एवं दीव	0	0	4	3	0	0	0	12	4	15	19
	दादर और नगर हवेली	0	0	1	3	0	0	0	34	1	37	38
7.	हरियाणा	16	0	293	178	3	11	12	2140	324	2329	2653
8.	हिमाचल प्रदेश	15	3	100	343	4	14	0	2298	119	2658	2777
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	0	175	74	11	11	32	1379	227	1464	1691
10.	झारखण्ड	13	0	226	209	11	17	22	2593	272	2819	3091
11.	कर्नाटक	59	0	926	803	11	24	261	7742	1257	8569	9826
12.	केरल	45	6	485	959	69	394	308	2790	907	4149	5056
	लक्षद्वीप	0	0	0	7	0	2	0	1	0	10	10
	माहे	0	0	1	0	2	0	1	0	4	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	मध्य प्रदेश	42	0	692	323	33	33	93	7107	860	7463	8323
14.	महाराष्ट्र	59	शून्य	1107	954	10	108	108	10249	1284	11311	12595
	गोवा	2	0	45	57	0	3	7	144	54	204	258
15.	पुर्वोत्तर											
	अरुणाचल प्रदेश	1	0	17	31	0	0	0	251	18	282	300
	मणिपुर	1	0	11	42	0	0	0	643	12	685	697
	मेघालय	2	0	26	35	0	0	2	423	30	458	488
	मिजोरम	1	0	23	17	2	3	32	327	58	347	405
	नागालैण्ड	1	0	15	27	0	0	10	275	26	302	328
	त्रिपुरा	3	0	29	53	2	7	24	598	58	658	716
16.	उड़ीसा	35	0	519	638	9	49	16	6896	579	7583	8162
17.	पंजाब	21	0	420	325	0	8	11	3076	452	3409	3861
	चण्डीगढ़	1	0	40	2	0	1	0	6	41	9	50
18.	राजस्थान	46	2	593	692	2	20	33	8930	674	9644	10318
19.	तमिलनाडु	92	0	1356	1308	27	175	334	8728	1809	10211	12020
	पांडिचेरी	1	0	23	9	0	0	13	49	37	58	95
20.	उत्तराखण्ड	13	0	190	181	5	73	10	2242	218	2496	2714
21.	उत्तर प्रदेश	71	0	1614	855	109	263	152	14598	1946	15716	17662
22.	पश्चिम बंगाल	45	0	945	714	81	251	38	6674	1109	7639	8748
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	0	10	16	1	5	0	68	12	89	101
	सिक्किम	1	0	12	10	0	0	0	186	13	196	209
	कुल	799	18	12704	12017	432	1649	1927	125489	15862	139173	155035

किसानों के लिए कृषि मौसम विज्ञान संबंधी सलाहकार सेवा

3253. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को सूचना देने तथा उच्च कृषि पैदावार सुनिश्चित करने हेतु एक कृषि मौसम विज्ञान संबंधी नई सलाहकार सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सेवा से किसानों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) हां, श्रीमान जी। सरकार ने किसानों

को और अधिक सुनिश्चित सलाह प्रदान करने के लिए 1 जून, 2008 (मानसून मौसम की शुरूआत) से भारत में जिला स्तर पर कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवा का प्रारम्भ किया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 जून, 2008 से 5 दिनों तक जिला स्तर पर परिमाणात्मक मौसम पूर्वानुमान प्रारम्भ किया है तथा इन उत्पादों में 7 मौसम पैरामीटर्स यथा वर्षा, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान, वायु गति तथा दिशा, आपेक्षित आर्द्रता तथा मेघाच्छन के लिए पूर्वानुमान निहित है। इसके अतिरिक्त, साप्ताहिक संचयी वर्षा संबंधी पूर्वानुमान भी प्रदान किए जाते हैं। इन पूर्वानुमानित उत्पादों तथा उपलब्ध फसल सूचना के आधार पर जिलेवार कृषि सलाहें तैयार की जाती हैं। इन सलाहों का जिलें स्तर पर मध्यस्थों के माध्यम से जन संचार साधनों (आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, प्रिन्ट मीडिया) तथा इंटरनेट (भारतीय मौसम विभाग तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के वेबपेज) के माध्यम से प्रसार किया जाता है।

(ग) यह सेवा क्षेत्र स्तरों पर अन्तर्फसल क्रियाओं पर सामयिक निर्णय लेने के लिए किसानों को सक्षम बनाती है। अन्तर्फसल क्रियाओं में कृषि चयन, भूमि की तैयारी, बीज उपचार, बुआई, सिंचाई कार्यक्रम, उर्वरक प्रयोग, गुड़ाई तथा निराई, कीटनाशक, छिड़काव, फसल कटाई तथा उत्तर फसल कटाई कार्य शामिल हैं।

[हिन्दी]

सुलभ इंटरनेशनल के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी

3254. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेशन में राज्य-वार कितने कर्मचारी/मजदूर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त आर्गनाइजेशन में काम करने वाले कर्मचारियों/मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा उक्त आर्गनाइजेशन के संबंध में की गई जांचों का ब्यौरा क्या है और क्या परिणाम निकले?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) चूंकि सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संगठन एक सामाजिक सेवा संगठन है तथा इसमें काम करने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती।

भारत सरकार ने अनुसूचित नियोजन "हस्त सफाई कर्मी नियोजन एवं ड्राई लेटरिन निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के अंतर्गत निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर स्वीपिंग एवं क्लीनिंग के नियोजन" में नियोजित कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें दिनांक 7 अगस्त 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1994 (अ.) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में 'ग', 'ख' एवं 'क' क्षेत्र के लिए क्रमश: 120/-रुपये, 150/-रुपये और 180/-रुपये प्रतिदिन निर्धारित की हैं।

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दरों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कामगारों की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	स्वीपर	114.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	स्वीपर	55.00
3.	असम	स्वीपर	79.60
4.	बिहार	स्वीपर	89.00
5.	गोवा	स्वीपर	103.00
6.	गुजरात	स्वीपर/स्केवेंजर	103.40

1	2	3	4
7.	हरियाणा	स्वीपर	138.00
8.	हिमाचल प्रदेश	स्वीपर	100.00
9.	झारखण्ड	स्वीपर	89.81
10.	जम्मू एवं कश्मीर	स्वीपर	66.00
11.	कर्नाटक	स्वीपर/स्केवेंजर	96.88
12.	केरल	स्वीपर	106.52
13.	मध्य प्रदेश	स्वीपर	122.87
14.	महाराष्ट्र	स्वीपर/स्केवेंजर	
		जोन-I	138.96
		जोन-II	135.11
		जोन-III	131.26
15.	मणिपुर	स्वीपर	72.40
16.	मिजोरम	स्वीपर	103.00
17.	नागालैंड	स्वीपर	66.00
18.	पंजाब	स्वीपर	102.60
19.	राजस्थान	स्वीपर	100.00
20.	सिक्किम	स्वीपर (सफाई कमचारी)	100.00
21.	तमिलनाडु	स्वीपर	78.88
22.	त्रिपुरा	सफाई कर्मचारी	85.00
23.	उत्तर प्रदेश	स्वीपर	113.70
24.	उत्तरांचल	स्वीपर	106.04
25.	पश्चिम बंगाल	स्वीपर	121.19
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	स्वीपर	
		जिला 'अण्डमान'	130.00
		जिला 'निकोबार'	139.00
27.	चंडीगढ़	स्वीपर	136.40
28.	दादरा एवं नगर हवेली	स्वीपर	99.80
29.	दमन एवं दीव	स्वीपर	95.00
30.	दिल्ली	स्वीपर	142.00
31.	लक्षद्वीप	स्वीपर	71.90
32.	पुडुचेरी	स्वीपर	78.00

[अनुवाद]

ठेका मजदूरों के लिए चिकित्सा बीमा योजना

3255. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास ठेका मजदूरों की छंटनी किए जाने की स्थिति में उन्हें मुआवजा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त मजदूरों को चिकित्सा बीमा योजना के अंतर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(च) इससे कितने मजदूरों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) ठेका श्रमिकों के रूप में नियोजित कामगार, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केन्द्रीय नियमावली, 1971 द्वारा शासित होते हैं। उनको ठेके के अंतर्गत एक विशेष अवधि के लिए नियोजित किया जाता है और नौकरी से छंटनी पर ठेका श्रमिकों को क्षतिपूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) ठेका श्रमिकों को चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने हेतु कोई नई योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, ई.एस.आई. के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले सभी ठेका श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है।

[हिन्दी]

सिगनल टॉवरों की स्थापना

3256. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा गुजरात में कितने सिगनल टॉवरों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या उक्त सिगनल टॉवर राज्य में टेलीफोन और मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त टॉवरों के कारण लोगों को होने वाली असुविधा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 16.12.2008 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल ने गुजरात में 2,376 मोबाइल फोन टॉवर स्थापित किए हैं।

(ख) और (ग) अब तक, 16.12.2008 की स्थिति के अनुसार गुजरात दूरसंचार सर्किल ने सभी जिला और तहसील मुख्यालय तथा 18,632 में से 10,012 गांवों को मोबाइल नेटवर्क द्वारा सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल की आगामी तीन वर्षों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को उत्तरोत्तर रूप से मोबाइल सेवा सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(घ) से (च) स्वास्थ्य जोखिमों और संबंधित मुद्दों के संबंध में सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के अध्ययनों के अनुसार मोबाइल टेलीफोन टॉवरों से उत्सर्जित विकिरण के कारण स्वास्थ्य पर अब तक कोई प्रतिकूल प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है। मोबाइल फोन के लिए विशिष्ट अवशोषण दर (एसएआर) और विद्युत-चुंबकीय उत्सर्जन को सीमित करने के लिए संदर्भ स्तरों के बारे में इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन-आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (आईसीएनआईआरपी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को सरकार ने अंगीकृत कर लिया है।

[अनुवाद]

कनवर्जेन्स प्रौद्योगिकी की शुरूआत

3257. श्री के.एस. राव: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए मोबाइल हैंडसेटों के माध्यम से देश में शुरू की जा रही वैब कनवर्जेन्स और मूल्यवर्द्धित सेवाओं का ब्यौरा क्या है

तथा इसका मुख्यत: ध्वनि संव्यवहार (वायस ट्रांजैक्शन) हेतु उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार का विचार आम आदमी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा तथा मोबाइल उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु शुरू की गई नई प्रौद्योगिकी को विनियमित करने एवं कम किराया दर सुनिश्चित करने तथा कनवर्जेन्स प्रौद्योगिकी के वित्तपोषण हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तावित काल प्रभारों हेतु समुचित कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) डाटा, ध्वनि और मल्टीमीडिया की अभिसारिता सतत् प्रौद्योगिकीय उन्नयन और नए परिवर्तनों का परिणाम है। उपभोक्ताओं के अवबोधन तथा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सेवा प्रदाताओं, समाधान प्रदाताओं, उपस्कर विक्रेताओं और संबद्ध सामग्री के निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं संबंधी विशिष्टताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ध्वनि, डाटा और मल्टीमीडिया तीनों भिन्न प्रकार के अनुप्रयोग हैं तथा उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसर किसी भी सेवा को चुन सकता है। अत: बातचीत करने पर (वायस ट्रांजैक्शन) पर इसका कोई सुनिश्चित प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ख) और (ग) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के अनुरूप अनेक प्रौद्योगिकीय विकल्प तथा प्रशुल्क योजनाएं उपलब्ध हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की शुरूआत के लिए प्रोत्साहित करती है। नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नई प्रौद्योगिकी और सेवाओं की शुरूआत से प्रचुर मात्रा में मूल्य वर्द्धित सेवाओं के साथ-साथ ध्वनि की पेशकश सामने आती है जो विकास को बढ़ावा देती है तथा जिससे मोबाइल हैंडसेटों को अधिक वहनीय तथा आम आदमी की पहुंच के भीतर प्राप्य बनाया गया है।

सन् 2004 से अब तक कंपनी से त्याग-पत्र देने वाले अधिकारियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

एचएएल के कर्मचारियों की संख्या

3258. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में अनेक अधिकारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में नौकरी छोड़ कर चले गए अपने अधिकारियों को वापस बुलाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यनिष्पादन में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (च) 31 अक्टूबर 2008 की स्थिति के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कुल कर्मचारियों की संख्या शक्ति (नियमित कर्मचारी) इस प्रकार हैं:-

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
क	7917
ख	1888
ग	24705
घ	72
कुल	34582

संवर्ग	2004	2005	2006	2007	2008 (01 नवंबर 2008 तक)
कनिष्ठ प्रबंधन	122	279	398	220	120
मध्यम प्रबंधन	10	28	64	55	38
वरिष्ठ प्रबंधन	3	10	16	7	3
कुल	135	317	478	282	161

विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी में पुनः कार्यभार ग्रहण करने हेतु एचएएल के पूर्व अधिकारियों के लिए प्रेस में मार्च 2008 में एक संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था और कंपनी की वेबसाइट पर एक विस्तृत विज्ञापन दिया गया था।

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कार्यनिष्पादन में और अधिक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) विभिन्न प्रभागों के लिए पृथक समर्पित सुविधाएं सृजित की गई हैं।

(ii) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से प्रभागों का स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण किया गया है।

(iii) वाणिज्यिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए उद्यम संसाधन आयोजना का कार्यान्वयन किया गया है।

(iv) इसके डिजाइन एवं उत्पादन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भारतीय निजी उद्योगों की सहभागिता की गई है।

(v) कंपनी में प्रभावकारी पहल शक्ति का कार्यान्वयन किया गया है।

[हिन्दी]

कृषि के लिए आबंटन

3259. श्री तुकाराम गंगाधर गडाख: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कृषि पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है/की जाएगी और सकल घरेलू उत्पाद में इसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को कृषि और डेयरी विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई/आबंटित की जाएगी और इसमें कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि मंत्रालय के कुल प्लान परिव्यय का विभागवार ब्यौरा तथा सकल घरेलू उत्पाद में इसके प्रतिशत अंश का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत कृषि के लिए गुजरात राज्य को आबंटित तथा जारी की गई राशि तथा इस अवधि में वित्तीय उपलब्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान गुजरात राज्य को डेयरी विकास के लिए जारी की गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-III पर दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कृषि मंत्रालय के कुल प्लान परिव्यय का विभागवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विभाग का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	कृषि एवं सहकारिता विभाग*	4209.32	4840.00	5560.00	10105.67
2.	पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग	669.00	777.00	910.00	1000.00
3.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1150.00	1350.00	1620.00	1760.00
	कुल	6028.32	6967.00	8090.00	12865.67

*कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्लान परिव्यय में राज्य प्लान स्कीमें शामिल हैं (1) पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों में जलधारा विकास (2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना।

(1999-2000) नियत मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का प्रतिशत अंश

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	कुल जीडीपी	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (%)
2005-06	511013	2612847	19.6
2006-07	530236	2864309	18.5
2007-08	554336	3122862	17.7

विवरण-II

गुजरात राज्य में कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
		आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय	आबंटन	निर्मुक्ति	व्यय (30.11.2008)
1.	विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन	219.50	116.00	14.67	429.75	194.00	71.38	1042.03	311.21	239.75	596.00	189.39	67.86
2.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	6844.00	3239.28	1011.24	8796.00	2577.03	2823.55	6917.86	1954.24	3357.00	8500.00	2131.83	569.17
3.	लघु सिंचाई	2182.01	2182.01	701.17	8825.74	3355.90	3930.75	16510.69	7349.60	5200.55	15077.31	3927.00	2366.99
4.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	$	$	$	$	$	$	737.25	737.25	79.41	2155.41	832.89	10.00
5.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	750.00	812.42	658.11	1200.00	1095.11	1072.18	1500.00	1372.18	1249.12	1650.00	1060.23	633.92
6.	वृहद कृषि प्रबंधन स्कीम	2200.00	4850.00	3903.82	2170.00	2330.84	5571.82	2400.00	5771.65	5382.86	3645.00	1822.50	1707.92
7.	समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम और मक्का स्कीम	1850.00	1850.00	1714.06	975.00	975.00	1648.42	1000.00	1000.0	1663.83	800.00	200.00	0.00
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	$	$	$	$	$	$	5371.00	4981.00	4576.00	24339.00	11451.00	0.00

टिप्पणी: स्कीम को 2007-08 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण-III

डेयरी विकास स्कीमों के तहत कोष का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि पिछले तीन वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान गुजरात राज्य को डेयरी विकास के लिए जारी की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	स्कीम का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (30.11.2008 तक)
1.	सीएमपी गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण	251.25	113.28	342.42	396.52
2.	डेयरी उद्योग पूंजी कोष*	6.50	1.59	0.000	0.000
	कुल	257.75	114.87	342.42	396.52

*स्कीम के तहत नाबार्ड द्वारा वितरित ब्याज मुक्त ऋण।

मजदूरी और सेवा शर्तों संबंधी समिति

3260. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की मजदूरी और सेवा शर्तों के नियतन हेतु कोई आयोग तथा उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति काम कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र में वस्त्र अभियांत्रिकी, कागज, चीनी और आस्वन उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी तथा सेवा शर्तों के नियतन के लिए भी इसी प्रकार के आयोग/समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूती कपड़ा, जूट, सड़क परिवहन, बिजली उत्पादन एवं वितरण, इंजीनियरिंग, चीनी एवं बागान उद्योग प्रत्येक के लिए एक-एक औद्योगिक त्रिपक्षीय समितियां गठित की हैं। ये गैर-सांविधिक स्थायी समितियां हैं जो कि एक ऐसा मंच उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गठित की गई हैं जिससे सामाजिक भागीदार आर्थिक सुधारों से प्रभावित उद्योगों एवं कामगारों की समस्याओं को बातचीत के माध्यम से सुलझा सकें।

[अनुवाद]

ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण

3261. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने हाल ही में कुछ ग्राम पंचायतों को शहर के रूप में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इस वर्गीकरण के आधार पर टेलीफोन के किराए में वृद्धि की गई है और निशुल्क कॉलों की संख्या भी कम कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने किसी भी ग्राम पंचायत का वर्गीकरण नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

रक्षा प्रयोगशाला द्वारा जैव ईंधन प्राप्त करना

3262. **श्री मणी कुमार सुब्बा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, तेजपुर (असम) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के पोखरों तथा मैदानों में उपलब्ध लघु शैवाल से जैव ईंधन प्राप्त करने की प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगे अनुसंधान करने तथा इस संसाधन की क्षमता का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, तेजपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च लिपिड मात्रा के स्रोत के रूप में ताजा जल शैवाल (अलगल) किस्म (स्ट्रेन) का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिसे जैव डीजल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रयोगशाला पूर्वोत्तर की विभिन्न प्रयोगशालाओं से सूक्ष्म शैवाल के नमूनों को एकत्र कर रही है ताकि ऐसी किस्म की पहचान की जा सके जिसमें जैव ईंधन उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में लिपिड पाया जाता है।

कम्प्यूटरों की बिक्री में गिरावट

3263. **श्री के.सी. पल्लानी झामी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कम्प्यूटरों की बिक्री में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कम्प्यूटरों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माता संघ (मैट) के अनुसार देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों की बिक्री में जनवरी-दिसम्बर, 2008 के दौरान अनुमानत: 4% की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 16% थी। यह कमी दो कारणों से है। एक ओर जहां पिछले छह महीनों में रुपए की तुलना में अमरीकी डॉलर के मजबूत होने से आयातित उपादानों के मूल्य में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक मंदी अब भारत में घरेलू खपत को प्रभावित कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश में कम्प्यूटर सहित इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं। विशेष रूप से कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 12% से घटाकर 8% कर दिया गया है। माइक्रोप्रोसेसर, हार्डडिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी रॉम ड्राइव, डीवीडी ड्राइव/डीवीडी राइटर, फ्लैश मेमोरी तथा काम्बो-ड्राइव को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है। ये कदम कम्प्यूटरों के मूल्य में कमी करने के लिए और इस प्रकार देश में कम्प्यूटरों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए हैं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

1. **विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश**

   - इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में 100% तक सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश के अनुमोदन स्वचालित मार्ग के अंदर हैं।

2. **सीमा शुल्क**

   - सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10% है। 217 सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं पर सीमा शुल्क 1.3.2005 से समाप्त कर दिया गया है।
   - आईटीए-1 में विनिर्माण की सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रयोक्ता की शर्तों के अधीन सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
   - इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों तथा प्रकाशिक तंतुओं/केबलों के विनिर्माण के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों/उपादानों पर सीमा शुल्क 0% है।
   - इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली विशिष्ट पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क 0% है।

3. **उत्पाद शुल्क**

   - उत्पाद-शुल्क की सामान्य दर (सैनवैट) 14% से घटाकर 10% कर दी गई है। कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क 8% है।
   - माइक्रोप्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लापी डिस्क ड्राइव, सीडी रॉम ड्राइव, डीवीडी ड्राइव/डीवीडी राइटर, फ्लैश मेमोरी तथा कोम्बो ड्राइव को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।
   - सेल्यूलर फोन सहित मोबाइल फोन के पुर्जों, संघटक-पुर्जों तथा सहायक उपकरणों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

4. **विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स)**

   - सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2007 की गजट अधिसूचना के जरिए भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना तथा अन्य सूक्ष्म एवं नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक मूल्यांकन समिति का गठन किया गया है। दिनांक 14.9.2007 को कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

5. **निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी)**

   - निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना (ईपीसीजी) के अंतर्गत 3% सीमा शुल्क के भुगतान पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति है।
   - ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात की बाध्यता को डीटीए में सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) वस्तुओं की आपूर्ति के जरिए भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते इसकी वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।

6. **सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं तथा वेशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति**

- इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी)/निर्यात उन्मुखी इकाइयों (ईओयू) द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-I) वस्तुओं तथा देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में अधिसूचित शून्य शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति को धनात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय (एनएफई) के प्रयोजन से गिना जाएगा।

7. **विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड)**

- निर्यात के प्रयोजन से बाधा मुक्त विनिर्माण तथा व्यापार की सुविधा के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना की जा रही है।

- एसईजेड से देशीय प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री को वास्तविक निर्यात माना जाता है। इसके फलस्वरूप, देशीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रति अदायगी/डीईपीवी के लाभ, केन्द्रीय बिक्री कर से छूट तथा सेवा कर से छूट प्राप्त है।

- एसईजेड इकाइयों को निर्यात से लाभ पर 5 वर्षों के लिए 100% आयकर से छूट, अगले 5 वर्षों के लिए 50% और उसके पश्चात 5 वर्षों के लिए प्लाऊबैक लाभ का 50% प्राप्त होता है।

8. **पुरानी पूंजीगत वस्तुएं**

- पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का आयात मुक्त रूप से किया जा सकता है।

9. **इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए विदेश व्यापार नीति को उदार बनाया गया है।**

10. **प्रक्रियाओं का सरलीकरण**

- इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान प्रदान (ईडीआई) का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा किया गया और केन्दीय उत्पाद शुल्क द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। विदेश व्यापार से संबंधित आवेदन पत्र जैसे कि आईसीई कोड, ईपीसीजी, अग्रिम लाइसेंस आदि डीजीएफटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

11. **अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन**

- इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, कम्प्यूटर तथा दूरसंचार उपस्कर के व्यवसाय से जुड़ी कम्पनी के मामले में अपनी ही संगठन में अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय के 150% तक भारित कटौती आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप धारा (2एबी) के उपबंध (1) के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने निम्नलिखित योजनाएं लागू की हैं:

- **इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार संरक्षण को सहयोग देना (सिप-ईआईटी):** इस योजना के अंतर्गत लघु एवं मझौले उद्योगों तथा नई प्रौद्योगिकी इकाइयों को उनकी अपनी खोजों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार आवेदन-पत्र दर्ज करने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति आवेदक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकस्व अधिकार दर्ज करने पर हुए वास्तविक व्यय के 50% तक की जाएगी, जो प्रति आवेदन-पत्र 15 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

- **बहुविध अनुदान योजना:** इस योजना का उद्देश्य नवीन और व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक उत्पादों/पैकेजों के विकास के लिए प्रमुख शैक्षणिक एवं सरकारी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार उद्योग/औद्योगिक संकाय/संघ द्वारा शैक्षणिक/अनुसंधान एवं विकास संस्थान में नवीकरण के लिए निवेश की गई राशि के अधिकतम दोगुने तक अनुदान देगी।

- **इलेक्ट्रॉनिक, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी निर्माण तथा उद्यम विकास (टाइड) योजना:** इस योजना का उद्देश्य अधिगम के उच्चतर संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी और एनआईटी) की उनके प्रौद्योगिकी निर्माण केन्द्रों को सुदृढ़ करने में सहायता करना है जिससे नवयुवा उद्यमी उनके द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नई कम्पनियां शुरू कर सकें।

बालश्रम योजनाओं का प्रभाव

3264. श्री सुव्रत बोस: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना (एनसीएलपी) तथा अन्य गरीबी उन्मूलन और आय सृजन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों/बच्चों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बालश्रम उन्मूलन में उक्त योजनाओं के प्रभाव का पता लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के अंतर्गत अभी तक 4.83 लाख बच्चों को औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में लाया गया है। विभिन्न गरीबी उन्मूलन तथा आय सृजन स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त लाभार्थियों/सृजित किए गए रोजगार (कार्य दिवस) निम्नवत् हैं:-

स्कीम का नाम	क्रियाकलाप	लाभार्थियों की संख्या
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	स्वरोजगार हेतु व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के उद्देश्य से सहायता प्रदान किए गए शहरी क्षेत्र के गरीबों की संख्या (01.12.1997 से और 10.12.2008 की स्थिति के अनुसार)	1217978
	कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या (01.12.1997 से और 10.12.2008 की स्थिति के अनुसार)	1359916
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	वर्ष 2007-08 के दौरान (दिनांक 22.05.2008 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार) गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सहायता प्राप्त स्व-रोजगार	1410007
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	वर्ष 2007-08 के दौरान (दिनांक 22.05.2008 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार) सृजित रोजगार	14344.92 लाख कार्य दिवस
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	वर्ष 2007-08 के दौरान (दिनांक 22.05.2008 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार) सृजित रोजगार	2017.78 लाख कार्य दिवस

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने एनसीएलपी स्कीम के प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए उक्त स्कीम का मूल्यांकन कराया था। उक्त मूल्यांकन के प्रमुख निष्कर्ष संलग्न विवरण में हैं। तथापि, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विशेषत: बाल श्रम के उन्मूलन के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया है।

विवरण

- अधिकांश क्षेत्रों में समुदाय ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूलों/केन्द्रों को खोलने का स्वागत किया है, जिसने पहचान किए गए लक्षित समूह की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के अवसर प्रदान किए हैं। विशेष स्कूलों को निरंतर चलाए जाने की आवश्यकता है और इन्हें उन क्षेत्रों में पुन:अवस्थित किया जाना चाहिए जहां इनकी अधिक आवश्यकता है।
- 75% की औसत उपस्थिति के साथ 95% की उच्च नामांकन दर दर्ज की गई है। इन परियोजनाओं ने उन क्षेत्रों में बेहतर प्रभाव छोड़ा है जहां ये चलाए जा रहे हैं।
- इस कार्यक्रम की सफलता शिक्षकों के चयन पर निर्भर करती है। जहां वे पद्धति-बद्ध तरीके से प्रशिक्षित हैं वहां परियोजना के बहुत सकारात्मक परिणाम रहे हैं।
- स्कूल में वजीफा तथा पोषणाहार स्कूलों में बच्चों के नामांकन तथा उनकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।
- इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक अधिकांश बच्चों को यशासंभव औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में शामिल करना है। मुख्यधारा में शामिल करने की प्रक्रिया से संबंधित स्थिति भिन्नता दर्शाती है। जिन स्कूलों में औपचारिक शिक्षा पाठयक्रम अपनाए गए हैं उनमें मुख्यधारा में शामिल करने के बेहतर स्तर सामने आए हैं, जबकि अनौपचारिक शिक्षा पाठयक्रम वाले स्कूलों ने भी विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक मुख्यधारा में शामिल करने में योगदान किया है।
- अधिकांश परियोजनाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण निधि के अभाव के कारण प्रभावित होते हैं और यह उस क्षेत्र की श्रम आवश्यकता संबंधी वैज्ञानिक आवश्यकता पर आधारित आकलन पर निर्भर नहीं करता है।

- जागरूकता सृजन, समरूपता तथा स्कूलों की अवसंरचना जैसे पहलुओं पर और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- इस परियोजना के लिए एक पूर्णकालिक परियोजना निदेशक की आवश्यकता है।
- मुख्यधारा में शामिल बच्चों के अनुवर्तन के लिए एक पद्धति-बद्ध कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम बाल श्रम की समस्या से जूझने के लिए सरकार के पास उपलब्ध सबसे शक्तिशाली उपायों में से एक है। यह समय संरचना तथा विषय वस्तु में कतिपय संशोधन के साथ इसे सशक्त तथा सुविकसित करने हेतु महत्वपूर्ण है।

तिलहनों का उत्पादन

3265. श्री बलपत सिंह परस्ते: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में तिलहनों के उत्पादन के संबंध में फसलवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में देश में तिलहनों की प्रति एकड़ उत्पादकता बेहद खराब है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान देश में प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के राज्यवार तथा फसलवार अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां श्रीमान जी। खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तिलहनों की उत्पादकता (पैदावार) अन्य प्रमुख तिहलन उत्पादक देशों यथा रूस, कंबोडिया, आस्ट्रिया, बुलगारिया आदि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है।

देश में तिलहनों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित "तिलहनों, दालों, पाम ऑयल तथा मक्के की एकीकृत योजना" (आइसोपॉम) दिनांक 01.04.2004 से कार्यान्वयन में है। इस स्कीम के तहत, ब्रीडर बीज, मूल बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन, गुणवत्तापरक बीज उत्पादन हेतु क्रेश कार्यक्रम, प्रमाणित बीजों तथा मिनीकीटों के वितरण, आधारभूत विकास, एकीकृत कीट प्रबन्धन आदि के लिए 75:25 आधार पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त तिलहनों में उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकियों तथा उन्नत किस्मों संबंधी फ्रंट लाइन प्रदर्शन, किसानों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रयासों के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से भी संचालित किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2008-09 के दौरान भारत में प्रमुख तिलहनों के उत्पादन के राज्यवार तथा फसलवार अनुमान

('000' टन)

राज्य	मूंगफली				सोयाबीन				रेपसीड/सरसों**			तिलहन			
	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09$	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09$	2005-06	2006-07	2007-08*	2005-06	2006-07	2007-08*	2008-09$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	1366.0	743.0	2539.0	1430.0	191.0	156.0	172.0	252.0	2.0	3.0	2.0	2041.0	1382.0	3309.0	1854.0
अरुणाचल प्रदेश	NG	NG	NG	NG	3.6	3.6	#	#	18.4	18.4	#	22.7	22.7	#	#
असम	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	97.0	116.0	114.0	113.2	134.0	132.0	14.0
बिहार	0.5	0.5	1.0	0.0	NG	NG	NG	NG	76.0	89.4	73.0	136.5	147.4	131.0	5.0
छत्तीसगढ़	31.6	32.1	35.0	18.0	36.8	68.3	80.0	44.0	18.9	23.5	21.0	126.5	161.4	175.0	75.0
गोवा	7.9	4.6	#	#	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	7.9	4.6	#	#
गुजरात	3389.0	1435.0	3355.0	2893.0	29.0	26.0	26.0	65.0	456.0	504.0	512.0	4682.0	2569.0	4747.0	3742.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
हरियाणा	2.2	2.1	3.0	3.0	NG	NG	NG	NG	792.0	802.0	599.0	825.2	834.6	646.0	9.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	1.0	1.0	2.8	4.5	5.0	5.2	7.1	7.0	2.0
जम्मू-कश्मीर			0.0	0.0	NG	NG	NG	NG	1.3	37.0	37.0	2.7	42.3	40.0	1.0
झारखण्ड			15.0	7.0		0.1	0.0	0.0		33.4	37.0	8.5	50.0	67.0	10.0
कर्नाटक	671.0	379.0	685.0	330.0	71.0	94.0	94.0	121.0	2.0	1.0	1.0	1715.0	1125.0	1457.0	661.0
केरल	2.4	3.0	3.0	3.0			0.0		NG	NG	NG	2.6	3.2	3.0	3.0
मध्य प्रदेश	234.4	193.4	187.0	150.0	4500.7	4784.9	4491.5	5434.0	847.5	693.4	529.0	5721.9	5814.2	5354.0	5650.0
महाराष्ट्र	410.0	399.0	462.0	230.0	2527.0	2892.0	3981.0	3072.0	4.0	5.0	4.0	3373.0	3721.0	4858.0	3381.0
मणिपुर	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	0.1	0.1	#	0.7	0.7	#	#
मेघालय	NG	NG	NG	NG	1.0	1.0	#	#	4.8	4.8	#	6.7	6.6	#	#
मिजोरम	NG	NG	NG	NG	2.7	2.0	#	#	1 0	0.3	#	5.4	3.8	#	#
नागालैंड	0.3	1.0	#	#	32.0	30.6	#	#	21.2	20.7	#	62.8	62.6	#	#
उड़ीसा	106.3	87.7	102.0	30.0	NG	NG	NG	NG	3.3	2.6	3.0	187.7	175.1	199.0	80.0
पंजाब	3.0	3.8	3.0	4.0	NG	NG	NG	NG	54.0	46.0	34.0	89.6	78.2	73.0	8.0
राजस्थान	491.0	395.7	477.0	317.0	856.3	771.3	1071.0	883.0	4416.9	3805.6	2506.0	5964.0	5166.8	4341.0	1463.0
सिक्किम	NG	NG	NG	NG	3.3	3.3	#	#	3.9	3.9	#	7.2	7.2	#	#
तमिलनाडु	1098.2	1006.5	1297.0	588.0	NG	NG	NG	NG	0.1	0.1	0.0	1152.9	1083.5	1433.0	653.0
त्रिपुरा	0.8	0.6	#	#	NG	NG	NG	NG	2.3	1.4	#	3.9	3.1	#	#
उत्तर प्रदेश	90.5	73.0	59.0	79.0	3.0	7.0	4.0	4.0	907.8	873.8	916.0	1066.5	1033.3	1024.0	110.0
उत्तराखण्ड	2.0	2.0	1.0	2.0	15.0	10.0	19.0	19.0	12.0	9.0	9.0	30.0	21.0	30.0	22.0
पश्चिम बंगाल	83.1	98.3	108.0	2.0	0.3	0.3	1.0	0.0	383.0	338.6	346.0	610.4	645.4	670.0	139.0
दादरा और नगर हवेली	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	0.1	0.1	#	#
दिल्ली	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	2.9	0.3	#	2.9	0.3	#	#
पांडिचेरी	3.1	3.1	#	#	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	3.2	3.2	#	#
अन्य	NA	NA	11.0	7.0	NA	NA	46.0	47.0			55.0			130.0	64.0
अखिल भारत	7993.3	4863.5	9363.0	6095.0	8273.5	8850.8	9986.5	9942.0	8131.2	7437.8	5803.0	27977.9	24289.4	28826.0	17947.0

*दिनांक 9.07.2008 को जारी चौथे अग्रिम अनुमान

** रेपसीड तथा सरसों के रबी फसल होने के कारण, वर्ष 2008-09 हेतु इनके अनुमानित उत्पादन अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

$ दिनांक 25.09.2008 को जारी पहले अग्रिम अनुमान (केवल खरीफ)

अन्य में शामिल

NG—नहीं उगाए गए,

NA—लागू नहीं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

3266. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश की उपयुक्त भौगोलिक तथा पर्यावरणीय स्थिति के मद्देनजर इस राज्य सहित देश में बागवानी के प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत एक विशेष परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजना के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए प्रस्तावित राज्यों के नाम क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने देश में बागवानी विकास के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की हैं अर्थात (1) वर्ष 2001-02 में पूर्वोत्तर राज्यों नामत: अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा में समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन जिसका विस्तार वर्ष 2003-04 के दौरान जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक किया गया। (2) राष्ट्रीय बागवानी मिशन वर्ष 2005-06 के दौरान शुरू किया गया जिसका कार्यान्वयन शेष राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

इन स्कीमों के तहत किए गए कार्यकलापों में गुणवत्ता पौध रोपण सामग्री का उत्पादन, विभिन्न फसलों का क्षेत्र विस्तार, पुराने और उजड़े उद्यानों का नवीनीकरण, जैविक फार्मिंग को अपनाने, समेकित कीट प्रबंधन, सुरक्षित कृषि, जल संसाधनों का सृजन, प्रशिक्षण, फसलन पश्चात प्रबंधन, विपणन और प्रसंस्करण सहित बागवानी का संवर्धन करना शामिल है।

वायुसेना में प्रशिक्षक विमान

3267. **श्री राकेश सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायुसेना में अत्याधुनिक प्रशिक्षण विमानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए कदम उठाने का है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय गलती से होती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना में हाल ही में शामिल किए गए हॉक एमके-132 विमानों के सिवाय सभी प्रशिक्षक विमान लगभग 25 वर्षों से सेवा में हैं। भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त हॉक विमानों और मध्यवर्ती जेट प्रशिक्षक विमानों की अधिप्राप्ति तथा मौजूदा एचपीटी-32 प्रशिक्षण विमानों के प्रतिस्थापन के लिए प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रशिक्षण की गुणता को बेहतर बनाने के लिए अनुरूपकों (सिमुलेटरों) को शामिल किए जाने और प्रशिक्षण स्थापनाओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सुधार किए जाने सहित अनेक उपाय किए गए हैं ताकि प्रशिक्षक पायलट विमान उड़ाने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हो जाएं और आधुनिक ऑन-बोर्ड कॉकपिट प्रणालियों का संचालन अधिक दक्षता के साथ कर सकें।

[अनुवाद]

रेल डाक सेवा अनुभाग खोलना

3268. **श्री प्रतीक पी. पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में पत्र छंटाई उद्देश्यार्थ कार्यशील रेल डाक सेवा (आरएमएस) अनुभागों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अब तक बंद किये गये उक्त अनुभागों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में पत्र छंटाई के लिए और अधिक आरएमएस अनुभाग खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) फिलहाल, छंटाई के लिए देश में कोई रेलवे मेल सेवा (आरएमएस) अनुभाग कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) नीतिगत उपाय के रूप में विभाग द्वारा सभी रेलवे मेल छंटाई अनुभाग बंद कर दिये गए थे।

(ग) देश में कोई भी रेलवे मेल छंटाई अनुभाग खोलने की कोई योजना नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए लागू नहीं।

डीएमएस में ठेका मजदूर

3269. **श्री विष्णु देव साय:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) ने अपनी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में ठेका मजदूरों को काम पर रखा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान काम पर रखे गये ठेका मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ठेकेदारों को कितना भुगतान किया गया तथा इसमें से ठेका मजदूरों को वास्तव में कितनी मजदूरी दी गयी;

(घ) क्या ठेका मजदूर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 द्वारा यथानिर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(च) क्या उक्त मजदूर डीएमएस के नियमित कर्मचारियों के समतुल्य सभी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ठेका मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना ने सूचित किया है कि उसने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी ठेका श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया है। तथापि, पोलीपैक में दूध की पैकेजिंग, क्रेटों की धुलाई, दूध एवं दुग्ध उत्पादों की ढुलाई, दुग्ध पाउचों की बैच कोडिंग इत्यादि जैसे कार्यकलापों का जॉब कार्य आधार पर बाह्य स्रोत से कराया गया है।

(ख) से (छ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अधीन ठेका श्रम का नियोजन करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान को न्यूनतम मजदूरी (यदि नियोजन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित है) तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार अन्य लाभों को सुनिश्चित करना होता है। अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले प्रतिष्ठानों के संदर्भ में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय कार्रवाई करता है। राज्यों के संबंध में, उक्त अधिनियम को संबंधित राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा लागू किया जाता है।

बीज कानूनों में संशोधन

3270. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:
श्री उदय सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना तथा विभिन्न किस्मों के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था करने हेतु बीज कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे किसानों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) और (ख) बीज विधेयक, 2004 के तहत उन फसलों/किस्मों के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है जिनकी देश में बिक्री की मांग है। पंजीकरण के अधिकार केन्द्रीय बीज समिति नामक प्राधिकरण को सौंपे गए हैं। अत: राष्ट्रीय बीज बोर्ड की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) किसानों को बिना पंजीकरण के बीज का उपयोग, आदान-प्रदान, शेयर या बिक्री करने का अधिकार होगा। तथापि,

विभिन्न किस्मों के पंजीकरण से किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-

(i) सभी कृषि, बागवानी, रोपणी फसलों के बीजों तथा रोपण सामग्री के विनियमन आदि से किसानों को वास्तविक बीज प्राप्त होंगे।

(ii) पंजीकरण के लिए बीजों के प्रत्याशित निष्पादन की जानकारी देना आवश्यक है। किसानों को उनके द्वारा खरीदे गए बीजों की गुणवत्ता के प्रति आश्वस्त किया जाएगा।

(iii) यदि बीज प्रत्याशित निष्पादन नहीं देता है तो किसान क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

(iv) पंजीकरण से नकली तथा दुर्बल गुणवत्ता के बीजों की बिक्री पर रोक लगेगी।

(v) पंजीकरण से गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बीजों तथा रोपण सामग्री के आयात तथा निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी।

[हिन्दी]

चावल का उत्पादन तथा निर्यात

3271. **श्री मोहन सिंह:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू खरीफ मौसम के दौरान चावल का अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में चावल की अनुमानित अधिकता के मद्देनजर चावल निर्यात करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसका आबंटन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) कृषि और सहकारिता विभाग के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार आगामी खरीफ मौसम के दौरान चावल का अनुमानित उत्पादन 83.25 मिलियन टन है।

(ख) और (ग) 2008-09 और 2009-10 के लिए चावल की मांग और आपूर्ति अनुमान निम्नानुसार है:-

(मिलियन टन)

वर्ष	मांग	आपूर्ति
2008-09	92.87	93.9
2009-10	94.83	95.5

इन अनुमानों के अनुसार चावल की अनुमानित आपूर्ति घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त भर है। अत: सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और बासमती चावल के निर्यात को 8000 रुपये प्रति टन के निर्यात शुल्क के साथ 1200 यूएस डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। फिलहाल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चावल के आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डाक विभाग द्वारा लाभ

3272. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान डाक विभाग द्वारा कुल कितना राजस्व सृजित किया गया तथा कितना व्यय किया गया; और

(ख) डाक विभाग को आकर्षक तथा लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) पिछल तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्व एवं व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	राजस्व (करोड़ रुपये)	व्यय (करोड़ रुपये)
2005-06	5023.49	6429.15
2006-07	5322.44	6779.12
2007-08	5494.90	7272.66
2008-09 (अनुमानित)	6159.31	7535.50
अक्टूबर 2008 तक सकल राशि	1786.25	4910.94

(ख) 31.3.2008 तक विभाग के 9639 डाकघर कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं। विभाग ने डाक सेवाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2504 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वितरण सेवाओं को सुधारने के लिए एयर इंडिया से एक मालवाहक विमान को भी किराये पर लिया गया है। हमारे व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाने के उद्देश्य से, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक एवं निजी संगठनों के साथ भागीदारी विकसित करने के लिए पहल की जा रही है। पत्र डाक मदों के लिए विदेश डाक शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है। विभाग के समग्र राजस्व में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये शुल्क 01.09.2008 से लागू हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में ग्राहकों को अवगत करवाने के लिए विपणन और प्रचार संबंधी एक प्रयास भी किया गया है।

किसान कांग्रेस

3273. **श्री रनेन बर्मन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश में किसान कांग्रेस का अयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार के प्रयासों से किसानों को विशेषकर पश्चिम बंगाल में किस सीमा तक लाभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने हाल ही में कोई किसान सम्मेलन आयोजित नहीं किया है। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय वाणिज्य संघ के सहयोग से 24-26 सितम्बर, 2008 को कोलकाता में दूसरा हरित क्रांति सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया। समूचे राज्य के किसानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न शिविरों का दौरा किया। आधुनिक कृषि मशीनों के उपयोग, विभिन्न फसलों की खेती, जैविक खेती, ऊतक संवर्धन तथा नई फसलों की खेती आदि के लिए आधुनिक विधियों के उपयोग के संबंध में किसानों को जानकारी प्राप्त हुई।

किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज

3274. **श्री परसुराम माझी:**
श्री जी.एम. सिद्धीश्वर:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों के पुनर्वास पैकेज के क्रियान्वयन में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सहित कतिपय राज्यों ने ऐसे जिलों के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की है जहां आत्महत्या की घटनाएं होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांति लाल भूरिया): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अभिज्ञात आत्महत्या प्रवण जिलों में किसानों के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लाभानुभोगियों के गलत चयन के संबंध में रिपोर्टों की जांच करने तथा वास्तविकता का पता लगाने तथा यदि आवश्यक हो, तो कार्रवाही करने हेतु श्री गोपाल रेड्डी, महानिदेशक, बसन्तराव नायक सेतकारी स्वावलम्बन मिशन, अमरावती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 15 सितम्बर, 2008 को किया गया था।

इस समिति का गठन केन्द्र तथा राज्य सरकार के पुनर्वास पैकेजों के लाभ वांछित लाभानुभोगियों को नहीं मिलने के संबंध में प्रेस सहित कुछ माध्यमों से रिपोर्टें मिलने के पश्चात किया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विमान की खरीद

3275. **श्रीमती करुणा शुक्ला:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वायुसेना के लिए 126 विमानों की खरीद की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या अनेक देशों के विमान विनिर्माताओं ने सरकार को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन प्रस्तावों की तकनीकी दृष्टि से जांच कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस खरीद को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) भारतीय वायुसेना के लिए 126 विमानों की अधिप्राप्ति के संबंध में दिनांक 27.08.2007 को जारी किए गए अनुरोध-प्रस्ताव पर छह विक्रेताओं से उत्तर प्राप्त हुए हैं। इस समय इस प्रस्ताव का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके बाद इसके फील्ड परीक्षण किए जाएंगे और तदन्तर वाणिज्यिक वार्ताएं किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात संविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा

3276. **श्रीमती जयाप्रदा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों में खाद्यान्नों के मूल्य में अधिक वृद्धि होने के कारण देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक परिवार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न खरीदने में सक्षम नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य एवं पोषण की भारी कमी के कारण देश के 3 वर्ष की आयु तक के लगभग आधे बच्चे और एक तिहाई से अधिक महिलाएं प्रभावित हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा प्राप्त करने हेतु कोई समेकित दृष्टिकोण तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (घ) सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों का संरक्षण किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों को गेहूं, चावल, चीनी और केरोसीन आबंटित किए जाते हैं। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत गेहूं और चावल के उठान में बढ़ोतरी हो रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2003-04 में 242 लाख टन गेहूं और चावल का उठान हुआ था जो 2006-07 में 316 लाख टन और 2007-08 में 335.27 लाख टन पहुंच गया। अप्रैल-सितंबर, 2008 की अवधि के दौरान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 167.38 लाख टन गेहूं और चावल का आबंटन किया गया है। गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य को 01.07.2002 से संशोधित नहीं किया गया है। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए गेहूं का मूल्य 4.15 रुपए प्रति किलो और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2.00 रुपए प्रति किलो है। चावल के मामले में, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए यह मूल्य 5.65 रुपए प्रति किलो ग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3.00 रु. प्रति किलोग्राम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (2005-06) के अनुसार, तीन वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों का भार कम है, उनका अनुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 में 43 से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में 40 प्रतिशत रह गया है, तथा दुबली-पतली विवाहित महिलाओं का अनुपात राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 में 36 प्रतिशत से घटकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में 33 प्रतिशत रह गया है।

सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के जरिए खाद्य और पोषाहार घटक के प्रति पूरक दृष्टिकोण के माध्यम से जनता के बेहतर स्वास्थ्य में योगदान करती है। ये स्कीमें इस प्रकार हैं:-

(i) **समेकित बाल विकास सेवा स्कीम:** यह विश्व का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को सेवा प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं:-

— पूरक पोषाहार

— रोग रोधन

— स्वास्थ्य जांच

— संदर्भ सेवाएं

— स्कूल-पूर्व शिक्षा

— पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

(ii) खाद्य और पोषण बोर्ड के पोषाहार एडवोकेसी और जागरूकता सृजन कार्यक्रम

— जनता और समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यकर्ता दोनों के लिए पोषाहार शिक्षा और प्रशिक्षण

— फलों और सब्जियों तथा पोषाहार के घरेलू स्तर पर परिरक्षण में प्रशिक्षक

— फल और सब्जी प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करना

— पोषाहार जागरूकता पर मास-मीडिया संचार

— खाद्य विश्लेषण और मानकीकरण।

(iii) दो कार्यक्रम अर्थात् किशोरियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना किशोरियों में कुपोषण का ध्यान रखते हुए कुपोषण के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले दुश्चक्र की समस्या का निवारण करते हैं।

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच स्थानीय कॉल

3277. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों के बीच की गई टेलीफान कॉल को अभी तक स्थानीय कॉल नहीं माना जा रहा है और पूर्व में एसटीडी कोड लगाए बिना कॉल करना संभव नहीं हो पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घटिया प्रौद्योगिकी और अन्य कारणों से शहर कोड से अनेक लैंडलाइन और मोबाइल फोन द्वारा इन शहरों से संपर्क नहीं हो पाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाही की है/कर रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली के नेटवर्क से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य कस्बों और उन कस्बों से दिल्ली के बीच की जाने वाली कॉलें 95 के बाद उस शहर का कोड और उपभोक्ता का नंबर डायल करके की जाती हैं क्योंकि ये स्थान दिल्ली अल्पदूरी प्रभारण क्षेत्र के भाग नहीं हैं। यह सुविधा सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है चाहे उनके पास एसटीडी सुविधा है या नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सेवा समाप्ति प्रभार की समीक्षा

3278. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री सुरेश अंगडि:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को अपने विद्यमान सेवा समाप्ति प्रभार की शीघ्र समीक्षा करने का निर्देश दिया है ताकि आगे मोबाइल की दरों में कमी की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) को वर्तमान और प्रस्तावित लागत और परियात के आधार पर मोबाइल सेवा सीमा समाप्ति प्रभारों की समीक्षा करने के संबंध में सुझाव दिया है।

[अनुवाद]

डाकघरों के माध्यम से गंगा जल की बिक्री

3279. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री पंकज चौधरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गंगोत्री के गंगा जल को देश के डाकघरों के माध्यम से बिक्री करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी नहीं। डाक विभाग के व्यवसाय विकास और विपणन निदेशालय का देश के प्रमुख डाकघरों की मर्फत गंगोत्री से गंगा जल लाकर बेचने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, फिलहाल, हरियाणा डाक सर्किल में एनआईटी प्रधान डाकघर, फरीदाबाद, गुड़गाँव प्रधान डाकघर, सरहोल शाखा डाकघर और गुड़गांव शाखा डाकघर की मार्फत ही गंगा जल बेचा जा रहा है। गंगा जल का 200 मिलीलीटर का पैकेट 10 रुपये में बेचा जा रहा है।

कृषि कीट विज्ञान

3280. श्री प्रहलाद जोशी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि फसलों को प्रभावित करने वाले कीटों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कृषि कीट विज्ञान का विकास करने हेतु कोई विशेष कार्यक्रम/परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में कीटभक्षी पक्षियों का प्रजनन करने संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में कोई विशेष प्रस्ताव तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि पारितंत्र में कीटों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 1982 में कृषि कीट विज्ञान से संबद्ध अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईएनपी) आरम्भ की थी।

(ख) परियोजना में कीटों पर बहु-स्थान कार्य और देश में विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में संरक्षण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।

भारत में कीटों की 1225 प्रजातियां हैं। कृषि के संबंध में, कीटों की 315 प्रजातियां अभिज्ञात की गई हैं जिनमें से 63 प्रजातियों की पहचान हानिकारक कीटों जो विभिन्न फसल स्तरों पर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और शेष 252 प्रजातियों को कीटभक्षी के रूप मे माना गया है तथा विभिन्न फसल कीटों को सुविधाजनक बनाने के लिए कृत्रिम घोंसले बाक्स बनाए गए हैं और महत्वपूर्ण कीटभक्षी पक्षियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए कृषि फसल खेतों में और उनके आसपास प्रदान किए गए हैं। परियोजना ने कृषि महत्ता की 16 प्रमुख कीट प्रजातियों की फसल प्रजनन क्षमता प्राप्त की है।

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ए आई एन पी-कृषि कीट विज्ञान के तहत प्रदत्त बजटीय आबंटन के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	कुल
आंध्र प्रदेश	34.41	38.97	20.20	28.74	122.32
पंजाब	15.15	15.53	14.23	15.56	60.47
गुजरात	16.66	13.85	14.44	16.99	61.94
केरल	10.45	9.26	6.80	8.59	35.10

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुणवत्ता मानकों का प्रवर्तन

3281. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र ने केन्द्र सरकार से घटिया, असुरक्षित विदेशी उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में कठोर गुणवत्ता मानकों को लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या अनेक विदेशी कंपनियां अपने घटिया उत्पादों से भारतीय बाजारों को पाट रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे उत्पादों के प्रवेश को रोकने हेतु क्या ठोस उपाय किए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तसलीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.2 के अनुसार प्रत्येक आयातकर्ता को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों और विदेश व्यापार नीति का अनुपालन करने के साथ-साथ घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लागू सभी घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमनों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरणीय और सुरक्षा मानदण्डों का भी अनुपालन करना होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अब तक 85 उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। तदनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो को अपनी प्रमाणन स्कीम के तहत ऐसे उत्पादों को अनिवार्य रूप से प्रमाणित करना होता है, ताकि उनको भारत में आयात किए जाने से पूर्व, उक्त संगत भारतीय मानकों में निर्धारित गुणवत्ता विनिर्देशनों से उनकी अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

आईसीटी अकादमी की स्थापना

3282. श्री पी.सी. थामस: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) आईसीटी अकादमी स्थापित करने के लिए केरल तथा तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आईसीटी अकादमी का उद्देश्य ऐसे शिक्षक वर्ग को प्रशिक्षित करना है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार की खोज करने वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देंगे।

डाक विकास निगम की स्थापना

3283. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री जे. एम. आरून रशीद:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में डाक विकास निगम (पीडीसी) की स्थापना का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीडीसी की स्थापना 'रीयल इस्टेट' के वाणिज्यिक विकास हेतु एक 'स्पेशल परपज वेहिकल' के रूप में की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) डाक विकास निगम की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, डाक संपदा के अधिकतम विकास और प्रबंधन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता के साथ पूर्णत: स्वामित्व और सरकार द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी भागीदारी वाले एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) की स्थापना करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

कृषि विकास निधि

3284. श्री हितेन बर्मन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राधाकृष्ण समिति ने कृषि संकट से जूझ रहे जिलों में विशेष कृषि विकास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करने हेतु एक कृषि विकास निधि स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति की कृषि विकास से संबंधित अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने कृषि संकट से जूझ रहे जिलों की पहचान कर ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) प्रो. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी विशेषज्ञ समूह ने सिफारिश की है कि कृषि को प्राथमिकता क्षेत्र के उधार के रूप में बैंकों की देयताओं के अप्रयुक्त भाग को कृषि विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिये राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) या केन्द्र सरकार को अहस्तान्तरणीय ग्रामीण विकास बांड जारी करके पूरी तरह से प्रत्यक्षत: अन्तरित किया जाये। विशेषज्ञ समूह ने विशेष कृषि विकास कार्यक्रमों के लिये कृषि दृष्टि से कम विकसित तथा संकटापन्न 100 जिलों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भी सिफारिश की है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रो. आर. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कृषि ऋणग्रस्तता के आधारभूत कारण कृषि उत्पादन में ठहराव तथा मण्डी जोखिम, संस्थागत व्यवस्था की कमी तथा फार्म से परे रोजगार के लिये जीविका के वैकल्पिक अवसरों की कमी है। इस रिपोर्ट में उन साधनों तथा संस्थाओं पर बल दिया गया है जो फार्म ऋण वितरण प्रणाली को सुदृढ करेंगे। राधाकृष्ण समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

1. तत्काल ऋण उपायों में शामिल हैं–प्रधानमंत्री के राहत पैकेज का क्रियान्यवन तथा व्यक्तिगत परिवारों की आवश्यकताओं पर आवश्यक उदारता के साथ ध्यान दिया जाये। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों से ऋणों का पुन: निर्धारण, वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये ऋण, अनौपचारिक ऋण को औपचारिक बनाना; वित्तीय रूप से बहिष्कृतों को शामिल करना तथा परियोजना आधारित ऋण देना।

2. वित्तीय व्यवस्था में शामिल हैं–एजेंसी तथा मोबाइल बैंकिंग, भारत किसान क्रेडिट कार्ड की प्रणाली, अग्रणी बैंक स्कीम में सुधार; किसानों के लिए ऋण सलाह; बंधकों के लिये प्रक्रिया को सरल बनाना; अंतरण लागत में कमी लाने के लिये प्रक्रिया को आसान बनाना; रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण; लघु वित्तीय संस्थाओं को बैंकिंग की मुख्यधारा से समेकित करना; आर आई डी एफ की उन्नत तैनाती।

3. संस्थागत व्यवस्था में शामिल हैं–किसानों के संघ; स्वयं सहायता समूह।

4. जोखिम शमन उपायों में शामिल हैं–फसल बीमा, मौसम बीमा, मूल्य जोखिम शमन, परिवर्तनशील टैरिफ, फसल निगरानी, नकली आदानों के जोखिम से बचाना तथा अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

5. अन्य उपायों में शामिल हैं–जीविका आधार तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना।

कर्मचारी भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान

3285. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीयों और विदेशियों के लिए उनके द्वारा अन्य देशों में ई.पी.एफ. जैसे योजनाओं में किए जा रहे अंशदान से निर्पेक्ष कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) में अपने वेतन का 12% अंशदान करना अनिवार्य बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नया नियम जो सभी देशों पर लागू होता है, उन देशों के कर्मचारियों को शीघ्र व प्रतिकूलत: प्रभावित करेगा जिन्होंने भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी हां। विदेश में किसी ऐसे देश, जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार किया हो, में कार्य कर चुके तथा उक्त करार के अंतर्गत पात्रता प्राप्त कर चुके अथवा प्राप्त करने के कारण उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाने के पात्र हो चुके भारतीय कर्मचारी के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रावधान किया गया है।

इसी प्रकार, भारत में किसी प्रतिष्ठान, जिस पर उक्त अधिनियम लागू होता है, के लिए कार्यरत भारतीय पासपोर्ट के अलावा अन्य पासपोर्टधारक भारतीय कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनाना होता है तथा लागू अंशदान अदा करना होता है।

(ग) और (घ) नया उपबंध व्यवहार में समानता लाता है। अपवर्जन पारस्परिकता पर आधारित होता है।

भारतीय व्यापार संगठन

3286. **श्री उदय सिंह**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय व्यापार संगठन (आई.टी.ओ.) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आई टी ओ की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ठेका कृषि

3287. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी कंपनियों को देश में ठेका कृषि में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया में गेहूं की ठेका खेती करने और तत्पश्चात् इसका भारत में निर्यात करने हेतु कुछ व्यक्तियों/कंपनियों को अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इसका भारत के किसानों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का कोई आकलन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश के किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि में सुधार के रूप में ठेका कृषि को बढ़ावा को देखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों को वर्ष 2003 में एक मॉडल कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम परिचालित किया है जिसमें ठेका कृषि प्रयोजकों का पंजीकरण करने और कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए पी एम सी) अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किसी प्राधिकरण से ठेका कृषि करारों का रिकार्ड करने का प्रावधान है। आज तक अनेक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ठेका कृषि के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए उनके संबंधित ए पी एम सी अधिनियमों में सम्बद्ध प्रावधान रखे गए हैं। मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल अधिनियम सुझावात्मक प्रकृति के हैं और चूंकि कृषि राज्य का एक विषय है इसलिए यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि अपने राज्य में संविदा कृषि व्यवस्थापकों के कार्यान्वयन पर निर्णय करे। देश में प्रचलित संविदा कृषि की विद्यमान पद्धति के अंतर्गत भारतीय और विदेशी कंपनियां अनौपचारिक तौर पर उत्पादकों के साथ कृषि उत्पाद की खरीद के लिए करार करती हैं। विभिन्न राज्यों में संविदा

कृषि में कार्यरत विदेशी कम्पनियों के ब्यौरे दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) संविदा कृषि व्यवस्थाओं में शामिल होने वाले स्वदेशी किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए 2003 में कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए उचित प्रावधानों को मॉडल ए पी एम सी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है और राज्य सरकारों को उन प्रावधानों को स्वीकार करते हुए अपने संबंधित अधिनियम में उचित संशोधनों पर विचार करने के लिए परिचालित कर दिया गया है। मॉडल अधिनियम में संविदा कृषि प्रयोजकों के पंजीकरण और कृषि उत्पाद विपणन समिति अथवा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकरण के साथ संविदा कृषि करार के अभिलेख तैयार करने; ऐसी संविदाओं के अंतर्गत भूमि पर किसानों के अधिकारों अथवा सरनामा के संरक्षण; विवाद निपटान तंत्र और विभिन्न शर्तों एवं निबंधों को सूचित करने वाले मॉडल मसौदा करार का प्रावधान है। अब तक 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने संविदा कृषि के लिए वैधानिक गठन उपलब्ध कराने के लिए संगत प्रावधान किए गए हैं। सात राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कोई एम पी एम सी अधिनियम नहीं है इसलिए ऐसे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों संविदा कृषि का कोई विनिमय नहीं है। मंत्रालय द्वारा परिचालित मॉडल अधिनियम सुझावात्मक प्रकृति का है और चूंकि कृषि राज्य का विषय है इसलिए यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि अपने राज्यों में संविदा कृषि करारों के कार्यान्वयन पर निर्णय करे।

विवरण

संविदा कृषि की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संविदा कृषि के अंतर्गत बहुराष्ट्रिक एवं अन्य कम्पनियां
1.	असम	स्थानीय औद्योगिक गृह का नाम मैमर्स किशलय स्नैक प्रोडक्ट्स, देवनपट्टी फैन्सी बाजार, गोहाटी।
2.	बिहार	गोल्डन चिप्स कम्पनी कोयम्बटूर, चेन्नई, बिहार के बेगू सराय जिले में संविदा कृषि में कार्यरत है।
3.	गोवा	गोदरेज एग्रोवेट प्रा. लि. खडकी वेलगेम सतारी गोवा (ऑयल पाम के लिए) और संजीवनी सहकारी सख्खर कारखाना लि. धारबन्दौरा टिस्क उस्गाव, पौन्डा गोवा (गन्ना के लिए) गोवा राज्य में संविदा कृषि में कार्यरत है।
4.	गुजरात	गुजरात में संविदा कृषि कार्य करने वाली कंपनियां एग्रो सेल निगम, मैकेन इण्डिया लि. और देसाई शीत भण्डार है।
5.	हरियाणा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हरियाणा सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लि. (हैफेड) ने खरीफ 2006 के दौरान बासमती चावल के 795 एकड़ और गेहूं की किस्म सी-306 के 621 एकड़ में संविदा कृषि शुरू की है।
6.	मिजोरम	1. गोदरेज एग्रोवेट प्रा. लि. 2. फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. 3. रूचि सोया इन्डस्ट्रीज लि. 4. इको-फर्स्ट इण्डिया लि.
7.	उड़ीसा	संविदा कृषि प्रायोजकों के नाम हैं (i) मैसर्स वैल्सपन इण्डिया प्रा. लि. (ii) मैसर्स सुपर स्पिनिंग मिल (iii) मैसर्स अमित ग्रीन एकड़, और (iv) मैसर्स इको फार्म। प्रायोजक भारतीय निगम गृह हैं। जबकि क्रम सं. (i) और (ii) निजी वस्त्र मिलें हैं क्रम सं. (iii) और (iv) प्राइवेट फर्में हैं।

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संविदा कृषि के अंतर्गत बहुराष्ट्रिक एवं अन्य कम्पनियां
8.	पंजाब	संविदा कृषि कार्यक्रम में कार्यरत कंपनियां टाटा केमिकल्स लि., पैप्सी फूडस लि., महेन्द्रा शुभलाभ लि., एस्कोर्ट लि., चम्बल एग्रीटेक लि., ए.एम. टाड लि., हिन्दुस्तान लीवर लि., नरंजन राइस एक्सपोर्ट प्रा. लि., के आर बी एल लि. इत्यादि हैं।
9.	तमिलनाडु	कपास–अपाची केयर फांउडेशन, पौलाची और सुपर स्पिनिंग मिल्स, कोयम्बटूर, भारतीय कपास निगम के सहयोग से शिवा टेक्सटाइल लि. कोयम्बटूर। मक्का–सुगुना पोल्ट्री फार्म लि., उडुमल पायनियर हैचरिज, पौलाची पोंगलूर, शक्ति चिकन प्रा. लि., नेफेड जटरोफा–मैसर्स मोहन बिरीवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि., चेन्नई, मैसर्स शिवा डिस्टलरीज लि., कोयम्बटूर, आयल पाम–मैसर्स कावेरी पाम आयल लि., त्रिची।

*स्रोत: राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर

सीमावर्ती क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सेवाएं

3288. योगी आदित्यनाथ: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-नेपाल सीमा के आस-पास के क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल) का नेटवर्क कार्य नहीं कर रहा है जबकि वहां नेपाल की मोबाइल सेवाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चिन्ताओं के मद्देनजर सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाही की गयी है/किए जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। सरकार की नीति के अनुसर 'नो सर्विस जोन' अर्थात अंतराष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर की दूरी के भीतर मोबाइल सेवा के कार्य करने पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इस नीति को जुलाई, 2008 में संशोधित किया गया है। तदनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड इन क्षेत्रों में उत्तरोत्तर कवरेज उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में भारतीय प्रचालकों के मोबाइल सिग्नल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट आने पर या उसे पार करने पर क्षीण हो जाते हैं और सीमा पार एक उपयुक्त दूरी के भीतर पहुंचने पर अनुपयोगी हो जाते हैं।

[अनुवाद]

संयुक्त कृषि

3289. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सामूहिक रूप से 1000 एकड़ का स्वामित्व रखने वाले किसानों के समूह द्वारा संयुक्त खेती करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अन्न भण्डारण एवं संरक्षण

3290. श्री नवीन जिन्दल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अन्न भण्डारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ने अन्न भंडारण एवं संरक्षण हेतु कोई नवोन्मेषी विधि ईजाद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विधियों से खाद्यान्न की बर्बादी रोकने में किस हद तक मदद मिली है;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों में उक्त संस्थान की शाखाएं खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान ने मोटे अनाजों सहित खाद्यान्नों और दालों

के सुरक्षित भंडारण के लिए पद्धति संहिता विकसित की है। संस्थान ने खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए वैज्ञानिक भंडारण ढांचों अर्थात धातु बिनों, पक्की कोठियों, आरसीसी रिंग बिनों और आर.बी. बिनों का भी विकास किया है। इसने फार्म और वाणिज्यिक स्तर पर भंडारित अनाज के कीट जंतुबाधाओं और मूषकों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों, प्रधूमकों और मूषकनाशकों का भी परीक्षण किया है।

(ग) इन उन्नत तकनीकी से खाद्यान्नों में फसल कटाई उपरांत की हानियों को काफी कम करने में सहायता मिली है। गेहूं में फसल कटाई उपरांत हानि जो 1966 में 8% सूचित की गई थी, वह भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, हापुड़ द्वारा 1998-99 और 1999-2000 में किए गए अध्ययन के दौरान घटकर 4.75% के स्तर पर आ गई है।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों में भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान की शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पंचसितारा होटलों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

3291. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली स्थित पंचसितारा होटलों में वर्तमान में होटल-वार कितने नियमित कर्मचारी और ठेका श्रमिक/मजदूर कार्यरत: हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को होटल प्रबंधन द्वारा उक्त कर्मचारियों और श्रमिकों/मजदूरों का शोषण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त होटलों के पास राज्य कर्मचारी बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि का होटल-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इनके विरुद्ध श्रम न्यायालयों में श्रम कानूनों के उल्लंघन के होटल-वार कितने मामले लम्बित हैं; और

(च) सरकार द्वारा प्रभावित नियमित कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों/मजदूरों को राहत देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई.पी.एफ.ओ. में वित्तीय अनियमितताएं

3292. श्री काशीराम राणा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) कार्यालय को ई.पी.एफ. आयुक्त कार्यालयों द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किए जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच करवायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा दलों ने अधिक भुगतान किए जाने तथा अनियमित भुगतान किए जाने के कुछ मामलों का पता लगाया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास यथा उपलब्ध पिछले तीन वर्षों की सूचना निम्नवत है:-

1. अधिक भुगतान (लाख रुपये)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
धनराशि	33.68	52.74	121.12

2. अनियमित भुगतान (लाख रुपये)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08
धनराशि	150.00	9.43	1.52

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों की अधिक भुगतान संबंधी समीक्षा समिति ऐसे मामलों की समीक्षा करती है तथा यदि अधिक भुगतान किया गया हो तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को कोई नुकसान हुआ हो, तो उसकी वसूली

के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करती है। अनियमित भुगतानों के मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जहां कहीं अपेक्षित हो वहां सी बी आई/पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

काजू श्रमिकों की वयनीय स्थिति

3293. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काजू उद्योग में हुई प्रगति और विकास के बावजूद इस उद्योग में लगे श्रमिकों/मजदूरों की स्थिति दयनीय बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त श्रमिकों/मजदूरों के लिए समुचित कल्याण योजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) सरकार, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, जो काजू कामगारों पर भी पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से लागू होते हैं, जैसे विभिन्न श्रम कानूनों के माध्यम से काजू क्षेत्र में लगे कामगारों सहित असंगठित कामगारों की स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। असंगठित कामगारों के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने राज्य सभा में 10.09.2007 को 'असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008' पुर:स्थापित किया है। यह विधेयक संसद के दोनों ही सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तैयार करने का प्रावधान करना है। यदि काजू कामगार असंगठित कामगारों की परिभाषा के अंतर्गत कवर किए गए तो वे इन कामगारों के लिए तैयारी की जाने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करेंगे।

सरकार ने असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से 30,000 रुपये के बिना नकद राशि के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की थी। काजू उद्योग में लगे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है। 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बीच ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता कवर प्रदान करने के लिए, सरकार ने 'आम आदमी बीमा योजना' प्रारम्भ की थी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 65 वर्ष से अधिक आयु तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है।

[हिन्दी]

निजी दूरसंचार कम्पनियों को लाइसेंस

3294. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन शर्तों के तहत निजी दूरसंचार कम्पनियों को लाइसेंस दिया जाता है;

(ख) क्या उक्त शर्तें कुछ कंपनियों द्वारा अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) दिनांक 14.12.2005 के एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के दिशानिर्देशों की शर्तों के आधार पर एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस पंजीकृत भारतीय कंपनियों को प्रदान किए जाते हैं।

(ख) सभी कंपनियां, जिन्हें यूएएस लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, दिनांक 14.12.2005 के यूएएस लाइसेंस के दिशानिर्देशों की शर्तों को पूरा करती हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाढ़ के कारण खाद्यान्न का नुकसान

3295. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार तथा असम सहित देश में कुछ भागों में इस वर्ष आई अभूतपूर्व बाढ़ के कारण भारी मात्रा में फसल एवं खाद्यान्न का नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अनुमानित कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार बाढ़ में अपनी सम्पूर्ण फसल का नुकसान उठाने वाले किसानों को ऋण माफी अगली बुआई के लिए मुफ्त बीज प्रदान करने सहित राहत प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उन कृषि कामगारों को भी कोई राहत दे रही है जो पूर्णतया अपनी आजीविका के लिए बाढ़ग्रस्त भूमि पर निर्भर हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई.टी.आई./आई.टी.सी. का उन्नयन

3297. **श्री विक्रम केशरी देव:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य-वार पृथक्-पृथक् कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र (आई.टी.आई./आई.टी.सी.) कार्यशील हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा सहित देश में सरकारी निजी भागीदारी से इन आई.टी.आई./आई.टी.सी. का उन्नयन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या विश्व मानकों की तुलना में इन आई.टी.आई./आई.टी.सी. को उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में उन्नयन किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 30 नवम्बर, 2008 को देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षक केन्द्रों की कुल संख्या 6714 (1980 सरकारी, 4734 निजी) है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उनकी सीट क्षमताओं सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी हां, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु केन्द्र सरकार ने 2007-08 में उड़ीसा सहित देश में, "सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन" नामक योजना चलाई;

(ग) इस योजना के तहत, उन्नयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ एक औद्योगिक भागीदार लगाया जाता है। अध्यक्ष के रूप में औद्योगिक भागीदार अथवा इसके प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव के रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के साथ एक संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) की स्थापना की जाती है। आईएमसी को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाता है तथा प्रति औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 2.5 करोड़ रु. तक का ब्याज मुक्त ऋण आईएमसी सोसाइटी को सीधे ही प्रदान किया जाता है। ऋण की अदायगी, निधियों के जारी किए जाने के 11वें वर्ष से 30 वर्ष की अवधि में आईएमसी सोसाइटी द्वारा 20 समान वार्षिक किस्तों में की जाती है।

वर्ष 2007-08 के दौरान, 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु 750 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। शामिल किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य-वार संख्या तथा योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 2008-09 के दौरान, 750 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 260 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। समस्त सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विशिष्ट व्यवसायों में उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है।

वर्ष 2004-05 में वित्त मंत्री के बजटीय अभिभाषण तथा वर्ष 2006-07 में उसकी पुनरावृत्ति के परिणामस्वरूप, उपयुक्त अवसंरचना एवं नवीनतम उपकरणों, उपस्करों एवं मशीनरी को शामिल करके 500 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआईज) को उन्नयन हेतु चुना गया। इनमें से 100 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का घरेलू संसाधनों से 160 करोड़ रु. के परिव्यय से तथा शेष 400 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के तहत विश्व बैंक से बाह्य सहायता के माध्यम से 1581 करोड़ रु. के परिव्यय से उन्नयन किया जा रहा है। 1.1.2007 को देश में 1896 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थान थे। 2007-08 से 300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रति वर्ष की दर से 2010-11 तक "सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से 1396 सरकारी औ.प्र. संस्थानों का उन्नयन" नामक योजना के तहत शेष 1396 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा वर्ष 2011-12 में 3550 करोड़ रु. की कुल लागत से शेष 196 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	सरकारी औ.प्र.सं. की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ.प्र.केन्द्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ. प्र. सं./औ.प्र. केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
1.	चंडीगढ़	2	952	0	0	2	952
2.	दिल्ली	16	9660	55	3644	71	13304
3.	हरियाणा	81	19576	76	6808	157	26384
4.	हिमाचल प्रदेश	60	6260	54	3836	114	10096
5.	जम्मू-कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6.	पंजाब	94	19220	123	10128	217	29348
7.	राजस्थान	112	11328	462	39455	574	50783
8.	उत्तर प्रदेश*	236	29196	271	31838	507	61034
9.	उत्तराखण्ड	58	6283	24	2230	82	8513
	उप-योग	696	106562	1066	98049	1762	204611
दक्षिणी क्षेत्र							
10.	आंध्र प्रदेश	88	22206	456	87436	544	109642
11.	कर्नाटक	148	24948	863	62574	1011	87522
12.	केरल	34	15100	443	46378	477	61478
13.	लक्षद्वीप	1	96	0		1	96
14.	पुडुचेरी	6	1256	9	508	15	1764
15.	तमिलनाडु	59	21592	615	60064	674	81656
	उप-योग	336	85198	2386	256960	2722	342158
पूर्वी क्षेत्र							
16.	अरुणाचल प्रदेश	5	512	0	0	5	512

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1	257	0	0	1	257
18.	असम	28	5696	3	80	31	5776
19.	बिहार	34	11433	117	15177	151	26610
20.	झारखण्ड	19	4672	73	15096	92	19768
21.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22.	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24.	नागालैंड	8	928	0	0	8	928
25.	उड़ीसा	25	8144	426	65172	451	73316
26.	सिक्किम	1	212	0	0	1	212
27.	त्रिपुरा	8	816	0	0	8	816
28.	पश्चिम बंगाल	51	12412	21	1098	72	13508
	उप-योग	193	46538	642	96941	835	143479
पश्चिमी क्षेत्र							
29.	छत्तीसगढ़	71	8896	23	2480	94	11376
30.	दादरा एवं नगर हवेली	1	228	0	0	1	228
31.	दमन व दीव	2	388	0	0	2	388
32.	गोवा	10	3072	4	365	14	3437
33.	गुजरात	148	55980	312	18376	460	74356
34.	मध्य प्रदेश*	149	24190	47	7730	196	31920
35.	महाराष्ट्र	374	73260	254	29716	628	102976
	उप-योग	755	166014	640	58667	1395	224681
	कुल योग	1980	404312	4734	510617	6714	914929

मध्य प्रदेश* - एससीवीटी के तहत चलाए जा रहे 48 सरकारी आईटीआई सहित 149 सरकारी आईटीआई।
उत्तर प्रदेश* - एससीवीटी के तहत चलाए जा रहे 100 सरकारी आईटीआई सहित 236 सरकारी आईटीआई।

विवरण-II

शामिल किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य-वार संख्या तथा "सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी पी पी) के माध्यम से 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन" नामक योजना के तहत वर्ष 2007-08 के दौरान जारी किया गया ब्याज मुक्त ऋण

क्र.सं.	राज्य का नाम	शामिल किए गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	जारी किया गया ऋण (करोड़ रु.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	20	50.0
2.	केरल	05	12.5
3.	मध्य प्रदेश	21	52.5
4.	महाराष्ट्र	62	155.0
5.	कर्नाटक	26	65.0
6.	गुजरात	19	47.5
7.	उत्तर प्रदेश	25	62.5
8.	पश्चिम बंगाल	04	10.0
9.	उड़ीसा	04	10.0
10.	बिहार	04	10.0
11.	राजस्थान	17	42.5
12.	झारखण्ड	02	5.0
13.	उत्तराखण्ड	10	25.0
14.	असम	06	15.0
15.	छत्तीसगढ़	12	30.0
16.	तमिलनाडु	12	30.0
17	हरियाणा	13	32.5
18.	हिमाचल प्रदेश	09	22.5
19.	पंजाब	20	50.0
20.	जम्मू-कश्मीर	06	15.0
21.	त्रिपुरा	01	2.5
22.	चण्डीगढ़	01	2.5
23.	अरुणाचल प्रदेश	01	2.5
	योग	300	750.0

विवरण-III

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या का अनंतिम आबंटन तथा वर्ष 2008-09 हेतु राज्यों को निर्धारित निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	औ.प्र.सं. की अनंतिम संख्या	जारी की जाने वाली निधियां (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	15	37.50
2.	असम	4	10.00
3.	बिहार	5	12.50
4.	छत्तीसगढ़	13	32.50
5.	दिल्ली	2	5.00
6.	गोवा	2	5.00
7.	गुजरात	22	55.00
8.	हरियाणा	13	32.50
9.	हिमाचल प्रदेश	9	22.50
10.	जम्मू-कश्मीर	6	15.00
11.	झारखण्ड	2	5.00
12.	कर्नाटक	21	52.50
13.	केरल	5	12.50
14.	मध्य प्रदेश	22	55.00
15.	महाराष्ट्र	54	135.00
16.	मणिपुर	1	2.50
17.	मेघालय	1	2.50
18.	उड़ीसा	4	10.00
19.	पॉडिचेरी	1	2.50
20.	पंजाब	18	45.00
21.	राजस्थान	15	37.50
22.	तमिलनाडु	12	30.00
23.	त्रिपुरा	1	2.50

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	30	75.00
25.	उत्तरांचल	9	22.50
26.	पश्चिम बंगाल	8	20.00
27.	नागालैंड	1	2.50
28.	मिजोरम	1	2.50
29.	अरुणाचल प्रदेश	1	2.50
30.	दमन व दीव	1	2.50
31.	दादरा व नगर हवेली	1	2.50
	योग	300	750.00

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/कामगारों के बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं

3298. श्री पी. करुणाकरन: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में लगे श्रमिकों/कामगारों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) बीड़ी, खानों एवं सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2008 में भी असंगठित कामगारो के बच्चों के लिए शैक्षणिक योजनाओं की व्यवस्था की गई है।

जल वस्युओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

3299. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्री पंकज चौधरी:
श्री उदय सिंह:
श्री राकेश सिंह:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती समुद्री डकैती तथा अदन की खाड़ी में हुई सिलसिले-वार घटनाओं के मद्देनजर सरकार का विचार इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए एक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले को विश्व की महत्त्वपूर्ण नौसेनाओं के साथ उठाने एवं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की सहायता लेने का है ताकि समुद्री व्यापार की रक्षा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी): (क) से (घ) अदन के खाड़ी-क्षेत्र में समुद्री डकैती की हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र में एक नौसैनिक युद्धपोत तैनात किया है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में समुद्री डकैती रोधी अभियान चलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय नौसेना भी इस क्षेत्र में समन्वित गश्त लगाने के लिए मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ परामर्श कर रही है।

[हिन्दी]

भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

3300. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कमी के कारण निर्धारित करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1970-71, 1976-77, 1980-81, 1985-86, 1990-91, 1995-96 और 2000-01 में की गई विभिन्न पंचवर्षीय कृषि संगणना के अनुसार देश में

औसत आकार के प्रचालनात्मक जोत क्रमशः 2.28 हैक्टेयर, 2.00 हैक्टेयर, 1.84 हैक्टेयर, 1.69 हैक्टेयर, 1.55 हैक्टेयर, 1.41 हैक्टेयर और 1.33 हैक्टेयर थी जो यह दर्शाती है कि प्रचालनात्मक जोत के औसत आकार में 1970-71 की तुलना में 2000 में लगभग 42% की कमी आई है।

जबकि प्रचालनात्मक जोत की संख्या वर्ष 1970-71 में 71.0 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2000-01 में 119.9 मिलियन हो गयी है, वहीं प्रचालित क्षेत्र में वर्ष 1970-71 में 162.1 मिलियन हैक्टेयर से घटकर वर्ष 2000-01 में 159.4 मिलियन हैक्टेयर हो गई है जिसके कारण प्रचालनात्मक जोतों के औसत आकार में कमी आई है। प्रचालित क्षेत्र में कमी गैर-कृषि प्रयोजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूमि के शहरीकरण/औद्योगिकरण अथवा हस्तांतरण के लिए भूमि के रूपान्तरण के कारण है।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कृषि

3301. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकार ने हमारे देश के किसानों पर कॉर्पोरेट कृषि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई हेतु समुद्री पानी का उपयोग

3302. श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वैज्ञानिकों ने देश में सिंचाई के प्रयोजनार्थ समुद्री पानी के उपयोग की संभावना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समुद्री जल को सिंचाई योग्य बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ग) विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्टों में सिंचाई सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए समुद्री जल के उपयोग की संभावना के संबंध में उल्लेख किया गया है। हालांकि, तुलनात्मक रूप से अधिक लागत के कारण पेयजल के उद्देश्य से समुद्री जल का बहुत सीमित उपयोग हुआ है। राष्ट्रीय जल नीति में यह उल्लेख किया गया है कि हमारे जल संसाधनों के प्रभावी और मितव्ययी प्रबंधन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संबंधी प्रयासों में तेजी लाते हुए विभिन्न दिशाओं में ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किये जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल नीति में दी गई गहन अनुसंधान के क्षेत्रों की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ "समुद्री जल संसाधनों का उपयोग" भी शामिल है।

कृषि विश्वविद्यालयों के लिए धनराशि की कमी

3303. श्री पंकज चौधरी:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धनराशि की कमी के कारण देश में कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए राज्यों को प्रदान की गई बुनियादी अवसंरचना एवं वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है, कृषि विश्वविद्यालय वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अपने संबंधित राज्य सरकारों पर मुख्यतः निर्भर रहती हैं, जो कि सीमित हैं और ये संस्थाएं अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। फिर भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ संस्थानों की वित्तीय स्थिति उनकी तुलना में ज्यादा अच्छी है और अनुकूलतम संसाधन उपयोग के लिए अनुसंधान कार्यसूची में उनको प्राथमिकताएं दी जाती हैं।

(ख) और (ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग राज्यों को

वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है, फिर भी, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सीमित मात्रा में केन्द्रीय सहायता विकास अनुदान के रूप में दी जाती है जिसमें राष्ट्रीय महत्व के शैक्षणिक मुद्दों की सहायता के लिए संरचनात्मक विकास शामिल है। तीन योजना अवधि के दौरान इस प्रकार के वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रु.)

नौवीं योजना (1997-2002)	21305.00
दसवीं योजना (2002-07)	101985.00
ग्यारहवीं योजना (2007-2012) (अनुमोदित)	227665.00

दूरसंचार सेवाओं की प्रशुल्क दरों में वृद्धि

3304. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी दूरसंचार प्रचालकों ने देश में दूरसंचार सेवाओं की प्रशुल्क दरों में वृद्धि करने के लिए सांठगांठ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) अधिनियम, 1997 के अनुसार देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क के विनियमन संबंधी शक्ति टीआरएआई में निहित है। टीआरएआई ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिकांश दूरसंचार सेवाओं (ग्रामीण फिक्स लाइन, रोमिंग और सर्किटों को छोड़कर) के प्रशुल्कों का निर्धारण सेवा प्रदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि सेवा प्रदाता, टीआरएआई के कतिपय विनियामक सिद्धांतों के अध्यधीन, उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रशुल्क पैकेजों की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक, देश में दूरसंचार प्रशुल्क दरों में वृद्धि करने के संबंध में निजी दूरसंचार प्रचालकों की सांठ-गांठ संबंधी कोई मामला टीआरएआई के सामने नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

3305. **श्री हेमंत खंडेलवाल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल की जाने वाली कृषि गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 4% विकास दर प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) 2007-08 में शुरू की गई थी। स्कीम के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संस्वीकृति समिति (एसएलएससी) द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

2007-08 के दौरान यह मध्य प्रदेश को बागवानी बीज फार्मों, कृषि अवसंरचना (बीज एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं) कृषि यंत्रीकरण, विस्तार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, लघु-सिंचाई, पशु पालन एवं मात्स्यिकी के लिए आरकेवीवाई के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 97.12 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी।

2008-09 के दौरान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के आरकेवीवाई के अन्तर्गत (17.12.2008 के अनुसार) फसल उत्पादन, बागवानी, अवसंरचना, कृषि यंत्रीकरण, विस्तार, कृषि अनुसंधान, सूक्ष्म/लघु सिंचाई, पशुपालन एवं मात्स्यिकी इत्यादि के लिए 146.05 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से 60.03 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

आरकेवीवाई के अन्तर्गत राज्य प्रमुख खाद्य फसलों के समेकित विकास, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य के वर्धन, वर्षा सिंचित कृषि पद्धतियों के विकास, राज्य बीज फार्मों को सहायता, समेकित कीट प्रबंधन, विपणन अवसंरचना के सुदृढ़करण, विस्तार सेवाओं, बागवानी, सूक्ष्य सिंचाई, पशुपालन, मात्स्यिकी, कृषि को बढ़ावा देने वाले राज्य सरकार के संस्थानों को समर्थन; किसानों के अध्ययन दौरे, जैविक और जैव उर्वरक तथा अभिनव स्कीमों जैसे क्रियाकलापों की विस्तृत सूची में परियोजनाएं चुन सकते हैं।

[अनुवाद]

चिन्नामुत्तम मत्स्यन बंदरगाह

3306. श्री ए. वी. वेल्लारमिन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में चिन्नामुत्तम मत्स्यन बंदरगाह के विस्तार के लिए निधि/सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पूरा होने पर विस्तारित बंदरगाह की प्रस्तावित क्षमता कितनी होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने चिन्नामुत्तम मत्स्यन बंदरगाह के विस्तार के लिए प्रस्ताव दिया है जिसके लिए राज्य सरकार को आवश्यक इंजीनियरी और आर्थिक जांच-पड़ताल करने और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए कहा गया है। यह अनुमान है कि विस्तार के बाद मत्स्यन बंदरगाह में लगभग कुल 400 मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों को रखने की क्षमता होगी।

[हिन्दी]

किसानों को प्रशिक्षण

3307. श्री अजीत जोगी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अत्याधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग के लिए भूमिहीन किसानों सहित किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गार्लदिन्ने (आन्ध्र प्रदेश) और वी. चरियाली (असम) में चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं ताकि कृषि मशीनरी पर नवीनतम तकनीकी ज्ञान पर किसानों को संस्थागत तथा आन-फार्म प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रदर्शन के जरिए कृषि यंत्रीकरण के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण नामक केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित संस्थाओं को प्रशिक्षण के आउटसोर्सिंग के जरिए किसानों को तकनीकी ज्ञान भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसी प्रकार, फसलोपरान्त संबंधी उपकरणों के लिए "फसलोपरान्त प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन" नामक स्कीम के जरिए क्षेत्र प्रदर्शनों और किसानों के प्रशिक्षण के माध्यम से सूचना का प्रसारण किया जा रहा है।

"विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन" स्कीम (एटीएमए) कार्यक्रम में 29 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में अभी तक स्थापित 581 एटीएमए के जरिए प्रशिक्षणों, प्रदर्शनों, एक्सपोजर दौरों, कृषि मेलों और फार्म स्कूलों के जरिए कृषि यंत्रीकरण सहित विभिन्न कृषि आधारित प्रौद्योगिकियों/क्षेत्रों में किसानों के प्रशिक्षण एवं विस्तार संवर्धन का प्रावधान है।

(ग) लागू नहीं।

[अनुवाद]

बागवानी पार्क

3308. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में बागवानी पार्क की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

जल संसाधनों के लिए आबंटन

3309. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जल संसाधनों के लिए किए गए आबंटनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जल संसाधनों के लिए किया गया आबंटन पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नदियों को परस्पर जोड़ने को प्राथमिकता देते हुए जल संसाधनों की समीक्षा करने तथा इसके लिए अधिक राशि का पुन:आबंटन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (च) दसवीं योजना के दौरान 95,743 करोड़ रुपये के परिव्यय की तुलना में ग्यारहवीं योजना (राज्य योजना तथा केन्द्रीय योजना) में सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन तथा बाढ़ नियंत्रण का कुल परिव्यय 2,32,311 करोड़ रुपये है। ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में जल संसाधन मंत्रालय के निम्नलिखित पांच मुख्य कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से अभिज्ञात किया गया है:-

(i) नदी प्रबंधन गतिविधियां तथा सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य

(ii) कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन

(iii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

(iv) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार

(v) सीमावर्ती नदियों के अलावा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम।

ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज में यह उल्लेख किया गया है कि सामान्यत: जल संसाधन क्षेत्र तथा विशेषकर उपर्युक्त स्कीमों के जल संसाधान क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता योजना के दस्तावेज में उल्लिखित प्रावधानों से अधिक हो सकती है तथा वास्तविक वार्षिक आबंटन की मात्रा वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के यथानुपातिक आबंटन से अधिक हो सकती है तथा मध्यवर्ती मूल्यांकन के समय समग्र रूप से बढ़ी मात्रा को जारी किया जा सकता है।

हथकरघा क्षेत्र की गणना

3310. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा क्षेत्र की गणना के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त गणना करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्र के लिए विकास एवं कल्याण संबंधी नीतियां तैयार करने हेतु उक्त गणना एवं इसके आंकड़े कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) पहली हथरकघा संगणना वर्ष 1987-88 और दूसरी संगणना 1995-96 के दौरान संचालित की गई थी। इस प्रकार हथकरघा संगणनाएं लगभग एक दशक के अंतराल में संचालित की गई थी।

तीसरी राष्ट्रीय हथकरघा संगणना के संचालन का कार्य राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर), नई दिल्ली को दिनांक 19.3.2008 को सौंपा गया था। विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य सौंपे जाने के 18 माह के भीतर यह कार्य पूरा किया जाना है। यह कार्य अभी चल रहा है।

[हिन्दी]

एमटीएनएल का मानव संसाधन विकास एकक

3311. **श्री वी.के. दुग्गर:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **संचार और सूचना औद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के मानव संसाधन विकास एकक में कितने लोग कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या उक्त एकक द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मानव संसाधन विकास एकक में कार्य कर रहे

व्यक्तियों (समूह ग और घ के कर्मचारियों को छोड़कर) की कुल संख्या नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	एकक	कुल
1.	दिल्ली	43
2.	मुंबई	45
3.	निगमित कार्यालय	24
	कुल	112

उपर्युक्त के अतिरिक्त दिल्ली और मुंबई में प्रशिक्षण अनुभागों में 77 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) निदेशक (मानव संसाधन), महाप्रबंधक (प्रशासन) दिल्ली/मुंबई तथा महाप्रबंधक (मानव संसाधन) कार्यालय के स्तर पर संबंधित एककों की आवधिक रूप से मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। संबंधित एककों में नियमित रूप से स्थानांतरण और तैनाती की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य प्रभावी रूप से और दक्षतापूर्वक निपटाए जाएं। संबंधित एककों के प्रमुख एकक के कार्यकरण के बारे में नियमित रूप से निदेशक (मानव संसाधन) को अवगत कराते हैं। जहां तक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में प्रशिक्षण अनुभाग का प्रश्न है, संबंधित एकक में प्रशिक्षण कार्यक्रम की नियमित रूप से आवधिक समीक्षा की जाती है। सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। सेंटर फॉर एक्सीलेन्स इन टेलीकॉन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (सीईटीटीएम) जो मुंबई में एक अत्याधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र है, विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम/पाठ्यक्रम, कार्यपालकों के लिए प्रवेश कार्यक्रम, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के अधिकारियों के लिए सेमीनार और कार्यशालाएं आयोजित करता है। सेंटर फॉर एक्सेलेन्स इन टेलीकॉन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (सीईटीटीएम) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों को इसकी अवसंरचना किराये पर देकर इसका उपयोग लाभ अर्जित करने के लिए भी किया जाता है।

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

3312. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखण्ड में कार्यरत कतिपय गैर-सरकारी संगठनों को कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना के तहत, झारखण्ड में कार्यरत निम्नलिखित गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

(लाख रुपए)

क्र.सं.	गैर-सरकारी संगठन का नाम व पता	वर्ष	निर्मुक्त धनराशि
1.	होली कृषि विज्ञान केन्द्र, हजारीबाग	2005-06	4.0300
2.	प्रौद्योगिकी स्रोत संचार एवं सेवा केन्द्र, वेलफेयर टावर, फ्लैट सं.-109, दिम्मा रोड, पी.ओ. एमजीएम कालेज, दिम्मा-831018	2008-09	0.8625
	कुल		4.8925

(ग) और (घ) किसी वित्तीय अनियमितता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

विशेष रिटेल पैनल

3313. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रिटेल पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैनल के सदस्य कौन-कौन हैं एवं इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बुनकरों के लिए आवास

3314. **श्री बलपत सिंह परस्ते:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बुनकरों के लिए आवासों के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र के विकास एवं हथकरघा के कल्याण के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान 'केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम' के रूप में कार्यान्वयन हेतु "एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम (आईएचडीएस)" लागू की गई है। तथापि, 'कार्यशाला सह आवास स्कीम' के अंतर्गत आवास से संबंधित संघटक का कार्यान्वयन ग्यारहवीं योजना के दौरान बंद कर दिया गया है। बुनकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुत: वस्त्र मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सहित किसी भी राज्य सरकार को बुनकरों के लिए आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों द्वारा औने-पौने मूल्य पर बिक्री

3315. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के छोटे किसान अपने उत्पादों को ठेकेदारों को औने-पौने मूल्य पर बिक्री करने तथा इन्हें अपने उपभोग के लिए अधिक मूल्य पर खरीदने के लिए विवश किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय भी सुझाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या सुधारात्मक कार्रवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के जरिए धान, गेहूं और मोटे अनाजों को मूल्य समर्थन प्रदान करती है। विहित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप समस्त खाद्यान्न न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा खरीद लिए जाते हैं। सरकार की नीति के अनुसार किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों को अथवा प्राइवेट एजेंसियों को, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस नीति का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों के उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिले और उन्हें मजबूरन बिक्री न करनी पड़े।

(ग) जी, नहीं। 2008-09 की प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट में "छोटे किसान अपने उत्पाद की मजबूरन बिक्री करते हैं अर्थात कम मूल्य पर ठेकेदारों को बेचते हैं और अपनी खपत के लिए उसे अधिक मूल्य पर खरीदते हैं" का कोई संदर्भ नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंटरनेट के माध्यम से टी.वी. कार्यक्रम

3316. **श्री राकेश सिंह:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेट के माध्यम से टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या जबलपुर सहित देश में उक्त सेवा के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) सरकार ने ब्रॉडबैंड नेटवर्क के माध्यम से वितरण सहित नेटवर्क अवसंरचना पर इंटरनेट प्रॉटोकॉल का उपयोग करते हुए डिजिटल टेलिविजन सेवा आरंभ करने हेतु 08.09.2008 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने देश में इंटरनेट प्रॉटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदान करना पहले ही शुरू कर दिया है। बीएसएनएल ने वर्ष 2008-09 के दौरान जबलपुर सहित 98 शहरों में आइपीटीवी सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है।

फलों के वृक्षों का रोपण

3317. **श्री टेकलाल मरतो**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य-वार कुल कितने हैक्टेयर भूमि में फल वृक्षारोपण किया गया;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस पर वास्तव में राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) कितने राज्यों में आबंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने फल वृक्षारोपण में तेजी लाने हेतु कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि एवं सहकारिता विभाग फलों सहित बागवानी फसलों के विकास के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नामत: (i) पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बागवानी के समेकित विकास पर प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमएनई), और (ii) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। फल रोपण के तहत लाई गई भूमि के हैक्टेयर में राज्यवार ब्यौरे और पिछले एक वर्ष और जारी वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आबंटित और जारी निधियां संलग्न विवरण I और II में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) स्कीम के तहत सत्रह राज्यों में से आठ राज्य फलों के विकास के लिए आबंटित निधियों का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाये। चूंकि बागवानी एक, मौसमी कार्यकलाप है और रोपण वर्षा पर निर्भर है, कई बार कुछ राज्यों में भौतिक लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि कुछ कम होती है।

(घ) और (ङ) जी, हां, इन स्कीमों के तहत चलाये जा रहे कार्यकलाप गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन सहित बागवानी के संवर्धन के लिए हैं अर्थात, फल नर्सरियों और पौध टिशु कल्चर इकाइयों के विकास, फल फसलों के लिए क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, पुराने और जीर्ण फलोद्यानों के जीर्णोद्धार समेकित कीट प्रबंधन, संरक्षित खेती, जल संसाधनों के सृजन, ड्रिप और छिड़कावक सिंचाई, फल फसलों के क्षेत्र में नवीनतम गतिविधियों पर किसानों और विस्तार कर्मियों को प्रशिक्षण।

विवरण-I

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान एनएचएम के तहत फल रोपण के राज्यवार ब्यौरे

(क्षेत्र हैक्टेयर में)
(राशि लाख रुपये)

राज्य	शीर्ष	वर्ष 2007-08 और 2008-09 अब तक	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	भौतिक	77756	38258

1	2	3	4
	वित्तीय	6603	4092
बिहार	भौतिक	5200	16493
	वित्तीय	465	1241
छत्तीसगढ़	भौतिक	15990	5373
	वित्तीय	1218	397
गोवा	भौतिक	90	139
	वित्तीय	14	9
गुजरात	भौतिक	16672	15286
	वित्तीय	1347	1261
हरियाणा	भौतिक	10086	3840
	वित्तीय	845	302
झारखण्ड	भौतिक	9475	9559
	वित्तीय	850	240
कर्नाटक	भौतिक	38101	27388
	वित्तीय	3113	2990
केरल	भौतिक	47875	25311
	वित्तीय	2324	2361
मध्य प्रदेश	भौतिक	10300	11540
	वित्तीय	944	594
महाराष्ट्र	भौतिक	30479	45211
	वित्तीय	4785	3236
उड़ीसा	भौतिक	14875	16606
	वित्तीय	993	1300
पंजाब	भौतिक	9500	4471
	वित्तीय	908	503
राजस्थान	भौतिक	12365	5263
	वित्तीय	1182	506

1	2	3	4	5	6
तमिलनाडु		भौतिक	49870		28244
		वित्तीय	4269		2811
उत्तर प्रदेश		भौतिक	12282		10975
		वित्तीय	1099		1355
पश्चिम बंगाल		भौतिक	3330		9764
		वित्तीय	282		981
योग		भौतिक	364246		273720
		वित्तीय	31242		24176

विवरण-II

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के तहत फल रोपण के राज्यवार ब्यौरे

(क्षेत्र हैक्टेयर में)
(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09	
		वास्तविक	निर्मुक्तियां	वास्तविक (नवम्बर 08 तक)	आबंटन
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	8895	1008.20	3205	987.95
2.	असम	8100	735.00	3767	841.88
3.	मणिपुर	9617	453.75	8721	215.63
4.	मेघालय	4219	260.63	1781	271.13
5.	मिजोरम	14024	730.98	16844	540.00
6.	नागालैण्ड	6530	292.12	6950	315.57
7.	सिक्किम	2250	242.08	1823	286.69
8.	त्रिपुरा	2580	266.63	2130	279.00
9.	जम्मू-कश्मीर	7189	952.50	1561	1066.74
10.	हिमाचल प्रदेश	8499	678.81	1413	735.95
11.	उत्तराखण्ड	16811	679.70	3050	422.11

[अनुवाद]

बर्ड फ्लू की रोकथाम

3318. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में देश में बर्ड फ्लू की रोकथाम हेतु राज्यवार कुल कितने पक्षियों को मारा गया;

(ख) पक्षियों के इस प्रकार मारे जाने से प्रभावित परिवारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या बर्ड फ्लू के फैलने, इसकी रोकथाम तथा उपचार के संबंध में गहन शोध आरंभ करने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला तथा इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) बर्ड फ्लू के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए पक्षियों को मारने तथा विगत एक वर्ष यानि 18.12.2007 से 17.12.2008 तक अदा की गई क्षतिपूर्ति की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	मारे गए पक्षी (लगभग)	अदा की (लाख) गई क्षतिपूर्ति
1.	पश्चिम बंगाल	42.71	1232.00
2.	त्रिपुरा	1.92	71.00
3.	असम	4.61	139.00
4.	बिहार	2.12	43.00
5.	झारखंड	0.11	0.56

(ग) और (घ) उच्च सुरक्षा पशुरोग प्रयोगशाला (एचएसएडीएल), भोपाल, राष्ट्रीय वायरोविज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे तथा पूर्वी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला (आईआरडीडीएल), कोलकाता अपने सामान्य क्रियाकलापों के रूप में बर्ड फ्लू के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुसंधान कार्य में लगे हैं। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित "परियोजना एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण तथा रोकथाम" में आपदा विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण के लिए 22 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक खाद का उत्पादन

3319. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि अपशिष्ट तथा पशुओं के गोबर से प्राकृतिक खाद का उत्पादन किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां,

(ख) प्राकृतिक खाद (आर्गेनिक मैन्योर) के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने पशुविष्ट, कृषि अपशिष्टों और फसल अवशिष्टों से गुणवत्ताप्रद कम्पोस्ट जिसे निम्न ग्रेड वाली चट्टानी फास्टफेट, पाइराइट अपशिष्ट माइका और फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया आदि से समृद्ध बनाया जा सकता है, की तैयारी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इसके अलावा विभिन्न जैविक संसाधनों का प्रयोग करके वर्मीकम्पोस्ट प्रौद्योगिकी को भी मानकीकृत किया गया है।

साहित्य और अन्य जागरुकता/प्रचार सामग्री के जरिए ऐसी सभी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खाद का प्रयोग भी राज्य कृषि विभागों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा सभी फसलों के लिए सिफारिश की जा रही पद्धतियों के पैकेज का एक अभिन्न भाग है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) अक्टूबर, 2004 से कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत नाबार्ड के जरिए ऋण से जुड़ी एवं पार्श्वांत राजसहायता के रूप में निम्न के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है:

(i) 40.00 लाख रुपए प्रति इकाई तक सीमित कुल परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर से फल/सब्जी अवशिष्ट और कृषि अवशिष्ट कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना।

(ii) 1.50 लाख रुपए प्रति इकाई तक सीमित कुल परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर से वर्मीकल्चर हैचरियों की स्थापना।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने एनपीओएफ के तहत 24 फल/सब्जी अवशिष्ट और कृषि अवशिष्ट कम्पोस्ट ईकाइयों तथा 1073 वर्मीकल्चर हैचरियों की मंजूरी दी है।

[अनुवाद]

सी एस डी में भ्रष्टाचार

3320. श्री रमेश बर्मन:
श्री नरहरि महतो:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वस्तुओं की खरीद में केंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्कोहल पेयों की खरीद संबंधी मानदंड संपूर्ण नीति के अनुरूप हैं;

(घ) क्या सैन्य कर्मियों को बाजार में उपलब्ध हर प्रकार के उत्पाद यहां मिलते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। केंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा मदों की अधिप्राप्ति यूनिटों द्वारा चलाई जा रही केंटीनों द्वारा भेजी गयी मासिक मांग तथा एरिया डिपो द्वारा की गई बिक्री के आधार पर की जाती है। प्रधान कार्यालय द्वारा आर्डर देने की कार्रवाई एक पुनरीक्षा समिति द्वारा कार्यान्वित की जाती है। जब कभी कोई शिकायत प्राप्त होती है, सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाही की जाती है।

(ग) अल्कोहल पेयों की खरीद संबंधी मानदंड केंटीन स्टोर्स विभाग की समग्र खरीद नीतियों के अनुरूप हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। केंटीन स्टोर्स विभाग, सैन्य कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराता है जिनमें 3400 मदें शामिल हैं।

हाई ब्रीडर बीजों हेतु राजसहायता

3321. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के मद्देनजर दालों में हाई ब्रीडर बीजों की खरीद हेतु राजसहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अन्त तक 2 मिलियन टन अतिरिक्त दलहन के उत्पादन की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन) देश के 14 राज्यों के 171 चिन्हित जिलों में प्रचालित किया गया है। कार्यक्रम के अधीन संबंधित राज्यों से दलहनों के प्रजनक बीजों की खरीद के लिए पूर्ण लागत प्रदान करने हेतु प्रावधान पहले ही किया गया है। इसके अलावा, समेकित तिलहन, दलहन, आयलपॉम और मक्का (आइसोपॉम) स्कीम के अधीन दलहन विकास कार्यक्रम गैर एनएफएसएम जिलों/राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत इसी प्रकार की सहायता दी जाती है।

दुग्ध उत्पादों में प्राकृतिक वनीला का प्रयोग

3322. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आइसक्रीम तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के प्रमुख निर्माता सिंथेटिक वनीला के स्थान पर प्राकृतिक वनीला का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त निर्माताओं द्वारा कुल कितनी मात्रा में प्राकृतिक वनीला की खरीद की गई; और

(ग) इस खरीद के कारण वनीला का उत्पादन करने वाले किसानों को क्या लाभ होने की संभावना है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में वनीला खरीद का क्या मूल्य अदा किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) जी, हां। आइसक्रीम उत्पादन के लिए मैसर्स मदर डेयरी प्रतिवर्ष 240 किलोग्राम प्राकृतिक रोगमुक्त वनीला बीन (1 प्रतिशत के सत्व रूप में) तथा मैसर्स अमूल डेयरी प्रति वर्ष लगभग 20 टन प्राकृतिक रोगमुक्त वनीला बीन (5 प्रतिशत के सत्व के रूप में) का उपयोग करते हैं।

(ग) इस वर्ष वनीला की खेती करने वाले किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्ष के 50 रुपए प्रति किलोग्राम की तुलना में इस समय हरे वनीला बीन की कीमत 125/- रुपए प्रति किलोग्राम है।

सूखे वनीला बीन की औसत एफ ओ बी (फ्री ऑन बोर्ड) कीमत वर्ष 2005-06 में 1703.89 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर वर्ष 2007-08 में 887.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तथापि, 2008-09 में औसत एफ ओ बी का मूल्य बढ़कर 913.84 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान औसत एफ ओ बी का मूल्य नीचे दिया गया है:-

वर्ष	औसत एफ ओ बी मूल्य (रुपए प्रति किलोग्राम)
2005-06	1703.89
2006-07	1596.40
2007-08	887.50
2008-09 (अप्रैल से अक्तूबर)	913.84

सरकार ने किसानों के पास पड़े रोगमुक्त वनीला बीन के स्टॉक को निकालने के लिए मूल्य समर्थन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अनुसार, किसानों से रोगमुक्त वनीला बीन की खरीद 450 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर की जाएगी।

एल.एस.जी. परियोजनाओं का क्रियान्वयन

3323. श्री उदय सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लाइफ साइंसेस ग्रुप (एल एस जी) प्रयोगशालाओं की अधिकतर परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, नहीं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइफ साइंसेस ग्रुप (एल.एस.जी.) प्रयोगशालाओं ने 81 नियोजित परियोजनाओं में से 66 परियोजनाओं (82.46%) को शुरू किया था। इन परियोजनाओं की सेनाओं की आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप से मॉनीटरी की गई है। इसके अलावा, 47 गैर-नियोजित परियोजनाओं को शुरू किया गया था और उन नियोजित परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था जो नए उभरते वैश्विक परिदृश्य के कारण अपनी सार्थकता खो चुकी थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में परियोजनाएं भावी वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गयी हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता शिकायतों का निपटान

3324. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंसरिंग मशीन के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु कोई नीति तैयार की है ताकि उपभोक्ता सीधे तौर पर अपनी शिकायतें और बातचीत दूरसंचार कंपनियों के अधिकारियों से कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में कितनी मोबाइल फोन कंपनियों के विरुद्ध उपभोक्ता उत्पीड़न के मामले प्रकाश में आए; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंसरिंग मशीन का प्रयोग संबंधित सेवा प्रदाता का आंतरिक मामला है।

(घ) उन निजी मोबाइल फोन कंपनियों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखित है जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में उपभोक्ताओं के उत्पीड़न संबंधी मामले प्रकाश में आए हैं:-

वर्ष	मोबाइल फोन कंपनियों की संख्या
2005	2
2006	2
2007	3
2008	6

(ङ) उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले निवारण के लिए संबंधित मोबाइल फोन कंपनियों को भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

मनीऑर्डर सुविधा का कंप्यूटरीकरण

3325. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मनी-ऑर्डर सुविधा का कंप्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा झारखण्ड सहित देश में कितने स्थानों पर यह योजना आरम्भ की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस अतिरिक्त कार्यभार से निपटने के लिए भारतीय डाकघरों के कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) विभाग ने देश के चुनिंदा डाकघरों के माध्यम से मनी-ऑर्डरों का इलैक्ट्रॉनिक पारेषण शुरू कर दिया है। झारखण्ड के 82 डाकघरों सहित कुल 4128 डाकघर यह सेवा प्रदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जहां कहीं भी अतिरिक्त कार्यभार होता है, उसका समाधान डाक प्रचालन में प्रौद्योगिकी के समावेश तथा मानव संसाधनों की पुनर्तैनाती से किया जा रहा है।

दूरसंचार कंपनियों द्वारा विलय एवं अधिग्रहण

3326. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार कंपनियों द्वारा विलय एवं अधिग्रहण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंस जारी होने की तिथि से तीन वर्ष पूरे होने तक इंटरसिटी विलय की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में उक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार द्वारा सेल्युलर टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/एकीकृत अभिगम सेवा (यूएएल) लाइसेंसों के अंतरा सेवा क्षेत्र विलय हेतु जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार विलय की अनुमति लाइसेंसों के प्रभावी होने की तारीख से तीन वर्ष पूरे होने के बाद दी जाएगी।

(ग) से (ङ) ऐसे किसी उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

3327. श्री के.एस. राव:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को देश में सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु सेमी-कंडक्टर प्रयोगशालाएं तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इन सुविधाओं की स्थापना हेतु भूमि देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की रक्षा तथा इन्हें बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना तथा अन्य सूक्ष्म और नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 21 मार्च, 2007 को विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई। यह योजना 31 मार्च, 2010 तक चालू है। अब तक योजना के अंतर्गत कुल 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आवेदक सरकार द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।

कुछ आवेदकों ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है, कुछ को भूमि आबंटित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है तथा शेष को अभी स्थापना-स्थल का निर्णय करना है। आवेदक आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के साथ भूमि के आबंटन के लिए सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं।

(ङ) केन्द्र सरकार अथवा इसकी कोई अन्य एजेंसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों के लिए पहले 10 वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का 20% तथा गैर-एसईजेड इकाइयों के लिए पूंजीगत व्यय का 25% प्रोत्साहन के रूप में दे सकते हैं। गैर-एसईजेड इकाइयों को प्रतिशुल्क (सीवीडी) से छूट दी जाएगी। सिप्स के लिए दिनांक 21.3.07 की राजपत्र अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इकाइयां पूजीगत इमदाद तथा/अथवा साम्यापूंजी के रूप में प्रोत्साहन का दावा कर सकती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों–सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाइयों को आयकर अधिनियम, की धारा 10ए तथा 10बी के अंतर्गत आयकर में छूट के लाभ दिए जाते हैं।

विभागेत्तर स्टाफ की नियुक्ति

3328. **श्री बसुदेव आचार्य:**
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियमित रिक्तियों पर विभागेत्तर स्टाफ (ईडी) और ग्रामीण डाक सेवक की नियुक्ति करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभाग ने दशकों से दिहाड़ी पर काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार ने किस प्रकार समायोजित करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) क्या सरकार ने दिहाड़ी कर्मचारियों/ग्रामीण डाक सेवकों की शिकायतों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी समिति का भी गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने विभाग में नियमित रिक्तियों पर ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति हेतु भर्ती नियमों में आदेशों को अधिसूचित किया है।

(i) समूह 'घ' की 75% रिक्तियां वरिष्ठता एवं शारीरिक स्वस्थता के आधार पर ग्रामीण डाक सेवकों से भरी जाती हैं बशर्ते कि उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो।

(ii) डाकिया/मेल गार्ड के मामले में 50% रिक्तियां ग्रामीण डाक सेवकों के लिए रखी गई हैं। 25% रिक्तियां वरिष्ठता के आधार पर 50 वर्ष की आयु सीमा एवं न्यूनतम 15 वर्ष का सेवा काल पूरा करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों से भरी जाती हैं। 25% रिक्तियां ग्रामीण डाक सेवकों में से योग्यता के आधार पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं। समूह 'घ' से भरी जानी वाली डाकिये की खाली रिक्तियां, यदि कोई हों, तो उन्हें ग्रामीण डाक सेवकों के योग्यता कोटे में जोड़ दिया जाता है।

(iii) डाकिया/समूह 'घ' से पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली लिपिक संवर्ग की (50%) खाली रिक्तियां भी उन ग्रामीण डाक सेवकों से भरी जाती हैं जिन्होंने 10 + 2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और न्यूनतम 3 वर्ष का सेवाकाल पूरा किया हो तथा 28 वर्ष की आयु सीमा में हों बशर्ते कि उन्होंने संबंधित संवर्ग में अंतिम उम्मीदवार के मुकाबले प्रतिशतता में अधिक अंक प्राप्त किए हों। उन्हें एपटिट्यूड टेस्ट देना होगा।

(ग) विभाग ने दिहाड़ी पर काम करने वाले अनियत कर्मचारियों को अस्थाई दर्जा प्रदान करने तथा उन्हें नियमित करने हेतु

दिशानिर्देश जारी किए हैं बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम निरंतर एक वर्ष का सेवाकाल पूरा किया हो। अस्थाई दर्जा केवल उन्हीं पूर्णकालिक अनियत मजदूरों को प्रदान किया जाता है जिन्हें 01.09.1993 तक भर्ती किया गया हो। समूह 'घ' की 25% रिक्तियों को भी आयु, शैक्षिक योग्यता की शर्तों को पूरा करने के आधार पर अस्थाई तौर पर कार्यरत अनियत मजदूरों से भरा जाता है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने दिनांक 23.07.2007 के संकल्प सं. 6.1.2007-पीई.II द्वारा डाक सेवा बोर्ड से सेवानिवृत्त सदस्य, श्री आर.एस. नटराजमूर्ति की अध्यक्षता में अतिरिक्त विभागीय प्रणाली, वेतन ढांचे, सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं भर्ती पद्धति, अनुशासनात्मक एवं आचरण नियमों की जांच करने और अतिरिक्त विभागीय डाकघर की विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की पुनरीक्षा करने के लिए एकल समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 29.10.2008 को सरकार को सौंप दी। तत्पश्चात् विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक समिति की रिपोर्ट की जांच करने तथा इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दल का गठन किया है।

किसानों को मुआवजा

3329. **श्री सुव्रत बोस:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाने पर अपर्याप्त धनराशि का भुगतान किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नुकसान के आकलन के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए नुकसान के और अधिक वास्तविक आकलन हेतु एक नई प्रणाली शुरू करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) अवधि 2005-10 के लिए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कोष यथा–आपदा राहत कोष (सीआरएफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से सहायता के लिए व्यय की मदों और मानकों, जिन्हें जून, 2007 में संशोधित किया गया था के अनुसार 50 प्रतिशत और उससे ज्यादा के फसल नुकसान के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को वर्षासिंचित क्षेत्रों में 2000 रु. प्रति हैक्टेयर, निश्चित सिंचाई के तहत क्षेत्रों के लिए 4000 रु. प्रति हैक्टेयर और सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 6000 रु. प्रति हैक्टेयर की दर पर आदान राजसहायता अनुज्ञेय है। छोटे और सीमांत किसानों के अलावा अन्य किसानों को भी पहली बार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर एक हैक्टेयर प्रति किसान और उत्तरोत्तर आपदाओं के लिए 2 हैक्टेयर प्रति किसान तक की सीमा के आधार पर उपरोक्त दरों पर आदान राजसहायता भी अनुज्ञेय है चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों के परिणामस्वरूप फसलों के विफल होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के आशय से रबी 1999-2000 मौसम से देश में कृषि में जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) कार्यान्वित की गई है।

सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना

3330. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सरकार साफ्टवेयर कंपनियां साफ्टवेयर विकास और सेवाओं में यूरोपीय देशों और चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में घरेलू साफ्टवेयर और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) यूरोपीय देशों को सॉफ्टवेयर विकास तथा सेवा क्षेत्र में बड़े प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि उद्योग द्वारा यूरोप को बाजार के बढ़ते अवसर के रूप में देखा जाता है तथा इस क्षेत्र से होने वाले राजस्व की आय के अंश में सतत् रूप से वृद्धि हो रही है।

(ग) सरकार ने देश में सॉफ्टवेयर तथा सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं जिससे इस क्षेत्र में विकास दर बनी हुई है।

सशस्त्र सेनाओं में पायलट

3331. **श्री बहादुर भगोरा:**
श्री हितेष वर्मन:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की सशस्त्र सेनाओं में पायलटों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और वास्तव में कितने पायलट काम कर रहे हैं तथा आज की तिथि के अनुसार पायलटों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या रक्षा सेनाएं पायलटों की कमी का सामना कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पायलटों की इस कमी के कारणों के संबंध में कभी कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं में रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाती हैं। इन रिक्तियों का प्रभाव सक्रियात्मक आवश्यकताओं पर नहीं पड़ता है। इस संबंध में सशस्त्र सेनाओं द्वारा पुनरीक्षाएं की जाती हैं और तदनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अधिक ब्यौरे सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

[हिन्दी]

डाकघर आवर्ती जमा योजना

3332. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र वेशमुख:**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डाकघरों में आवर्ती जमा खाता योजना में अनियमितताओं के राज्यवार कितने मामले जानकारी में आए हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक व्यापार करने के लिए उक्त योजना की अवधि के नियमों में बदलाव करके न्यूनतम तीन वर्षों को एक वर्ष करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवर्ती जमा खाता योजना में अनियमितताओं के कुल 790 मामले सामने आए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक इस संबंध में उठाए गए उपराचारात्मक कदमों का संबंध है, देश के सभी डाकघरों में निम्नानुसार एकसमान उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:

(i) आवर्ती जमा खातों से आहरण के लिए एजेंटों को जमाकर्ताओं के संदेशवाहक अथवा पहचानकर्ता की भूमिका अदा करने से रोका गया है।

(ii) 20000/-रु. या इससे अधिक की परिपक्वता राशि का भुगतान अब अनिवार्य रूप से चैक के माध्यम से किया जाता है।

(iii) डाकघरों की संवेदनशील शाखाओं में एजेंटों एवं बाहरी व्यक्तियों की पहुंच प्रतिबंधित की गई है। आवर्ती जमा खाता योजना के आंकड़े रखने वाले सर्वरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सर्वर रूम में प्रवेश को प्रतिबंधित और विनियमित किया गया है।

(iv) आवर्ती जमा खातों सहित सभी प्रकार के बचत खातों के एक डाकघर से दूसरे डाकघर में अन्तरण की सूचना का दिल्ली में सेंट्रल पेयरिंग यूनिट में मिलान किया जाता है।

(v) एकल एवं दो कर्मचारियों वाले डाकघरों द्वारा बन्द किए गए आवर्ती खातों की पासबुकों को अपने पास रखा जाता है और उन्हें संबंधित प्रधान डाकघरों में भेजा जाता है ताकि इस प्रकार खाता बन्द करने पर किसी भी प्रकार की अनियमितताओं से बचा जा सके।

(vi) उपर्युक्त नए अनुदेश, विभागीय नियमावलियों एवं समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों में निर्धारित प्रचालनात्मक, निरीक्षणात्मक एवं नियंत्रण कार्यविधि के अतिरिक्त हैं।

(ख) से (घ) डाकघर आवर्ती जमा योजना के नियमों में परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है। योजना की विशेषताओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है जो कि जनता के फीडबैक पर आधारित होती है तथा इससे निवेशकोनुकूल योजनाओं के सुगम प्रचालन में सहायता मिलती है।

विवरण

आवर्ती जमा योजना में पाई गई अनियमितताओं के मामलों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	सूचित किए गए मामलों की संख्या
आंध्र प्रदेश	219
अरुणाचल प्रदेश	49
असम	7
बिहार	24
छत्तीसगढ़	28
दिल्ली	4
गुजरात	6
गोवा	3
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू-कश्मीर	0
झारखंड	0
कर्नाटक	106
केरल	0
महाराष्ट्र	69
मध्य प्रदेश	55
मणिपुर	1
मेघालय	0
मिजोरम	0
नागालैंड	11
उड़ीसा	0
पंजाब	14
राजस्थान	14
सिक्किम	0
तमिलनाडु	96
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	12
उत्तराखंड	9
पश्चिम बंगाल	35
कुल	790

खान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा/राहत

3333. श्री महावीर भगोरा: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा खान दुर्घटनाओं में मारे गए अथवा घायल हुए श्रमिकों/कामगारों को कोई मुआवजा/राहत उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खानों में कार्यरत श्रमिकों/कामगारों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रक्षा संस्थानों में छात्रों को प्रशिक्षण

3334. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ चयनित छात्रों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अंतर्गत अनुसंधान केंद्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए छात्रों के चयन हेतु क्या मापदंड हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों के अनेक छात्रों को प्रत्येक वर्ष रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है अथवा उन्हें इन प्रयोगशालाओं में अनेक प्रोजेक्टों पर कार्य करने की सुविधा दी जाती है। छात्रों को उनके विश्वविद्यालय/कॉलेज की सिफारिशों पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की संबंधित प्रयोगशालाओं के विषय से संबंधित वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध समय के अधीन 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

सशस्त्र सेनाओं में मानवाधिकारों का उल्लंघन

3335. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मानवाधिकारों के ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फील्ड विरचनाओं को मानवीय मूल्य बनाए रखने, मानव अधिकारों का सम्मान करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन से बचने से संबंधित अनुदेश और दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

यू.ए.वी. के विकास के लिए रक्षा सहयोग

3336. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान को 1000 करोड़ रुपए के मध्यम ऊंचाई के दीर्घकालिक क्षमता वाले स्वदेशी चालकरहित विमान (यू.ए.वी.) कार्यक्रम के विकास और उत्पादन में शामिल होने के लिए भारतीय उद्योग से एक भागीदार के साथ सहयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। मध्यम ऊंचाई के दीर्घकालिक क्षमता वाले चालक रहित वायुयान के अभिकल्पन, विकास तथा इनका व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने के लिए बाद में उद्योग को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने में लगने वाले समय को कम करने के प्रयोजन से रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (डी.आर.डी.ओ.) को प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर अर्हक भारतीय उद्योगों में से उत्पादन एवं विकास साझेदार (पी.ए.डी.पी.) से सहयोग करने के लिए अधिकृत किया गया है। उत्पादन और विकास साझेदार अभिकल्पन एवं विकास चरण के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ कार्य करेगा और प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करेगा। ये प्रणाली समाकलक बनेंगे और इस प्रणाली के सेवा में शामिल करने के पश्चात ये उत्पाद सहायता मुहैया कराएंगे।

(ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चार उद्योग संघों की एक सूची बनायी है और उत्पादन एवं विकास साझेदार के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आर.एफ.पी.) जारी किया है।

वस्त्र कारखानों द्वारा भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

3337. **श्री प्रतीक पी. पाटील:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश में बंद पड़े/परिसमापित वस्त्र कारखानों के कर्मचारियों की भविष्य निधि (पी.एफ.) की बकाया राशि का भुगतान उक्त कारखानों पर लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार ऐसे कौन-कौन से कारखाने हैं तथा उन पर भविष्य निधि की कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र उक्त धनराशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) बंद एवं परिसमापित प्रतिष्ठानों के संबंध में कामगारों के अंशदान की बकाया राशि का भुगतान विशेष आरक्षित निधि से किया जाता है।

जब भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा कर्मचारियों से ऐसे प्रतिष्ठानों के संबंध में दावे प्राप्त किये जाते हैं, संबंधित क्षेत्र कार्यालय के अनुरोध पर विशेष आरक्षित निधि से आबंटन किया जा रहा है।

2007-08 के दौरान महाराष्ट्र की कपड़ा मिलों समेत बंद/परिसमापित प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान करने हेतु विशेष आरक्षित निधि से 2.55 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे।

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं

3338. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जनजातीय क्षेत्रों सहित सिंचाई विकास के लिए स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, भारत सरकार देश के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा के लिए कार्य प्रारंभ करने के लिए राज्य को बढ़ावा देती है और आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करती है। जल संसाधन मंत्रालय के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली सिंचाई स्कीमें प्रारंभ करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के वास्ते कई प्रावधान किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष श्रेणी राज्य, अन्य पहाड़ी राज्य नामत: हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर और उड़ीसा के कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट (के.बी.के.) जिलों के लिए लघु सिंचाई (एम.आई.) स्कीमों को शामिल करने के लिए 1999-2000 से ए.आई.बी.पी. के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। इसमें जनजातीय और सूखा प्रवण क्षेत्रों को वरीयता देते हुए 100 हे. से अधिक की क्षमता सहित उन लघु सिंचाई स्कीमों के लिए अन्य राज्यों (गैर-विशेष श्रेणी) तक 1.4.2005 से आगे विस्तार किया गया। 50 हे. से अधिक की क्षमता सहित लघु सिंचाई स्कीमों जिनमें जनजातीय और सूखा प्रवण क्षेत्र की समस्या हल होती है, को शामिल करने के लिए गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के वास्ते दिसम्बर, 2006 से दिशानिर्देश में आगे छूट दी गई। अब केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है जो कि उड़ीसा के के.के.बी. जिलों सहित विशेष श्रेणी वाले राज्यों, जनजातीय क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं, और सूखा प्रवण क्षेत्र के मामले में परियोजना लागत का 90% है। जनजातीय क्षेत्र में लघु सिंचाई कार्यों और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को जारी की गई केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन.सी.एम.पी.) में की गई वचनबद्धता के अनुसार, दलित और आदिवासियों के स्वामित्व वाली लघु सिंचाई भूमि के लिए विस्तृत राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए लघु सिंचाई स्कीमें शुरू करने के लिए राज्यों को 100% वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना अंतरालों को पाटने के लिए राज्यों को मुहैया कराई गई सहायता के अंतर्गत शुरू किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य आदिवासियों से संबंधित भूमि की उत्पादकता, जल संचयन, मृदा संरक्षण को बढ़ाना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना, रोजगार सृजन तथा जैव-विविधता का सुधार तथा पारिस्थितिकी संरक्षण तथा आदिवासी क्षेत्र में रह रहे आदिवासी लोगों की गरीबी का उन्मूलन करना है। अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों की वास योग्य/कृषि भूमि में उनकी आय बढ़ाने के लिए फसलों के जीवन को बचाने के लिए सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि में एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एस सी/एस टी) किसानों के लिए वर्षा जल संचयन स्कीम कार्यान्वित की गई थी। संवितरित की गई कुल सब्सिडी 2,450 लाख रुपये थी जिसमें से 27 राज्यों में कुल 8,808 हैक्टेयर के क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली जल संचयन संरचनाओं की अब तक 17,161 यूनिटें बनाई गई हैं इसके लिए 2,403.98 लाख रुपये जारी किए गए हैं। केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात् अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (एस सी/एस टी) किसानों के लिए वर्षा जल संचयन स्कीम के अधीन संवितरित की गई सब्सिडी के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

प्रारंभ से 18.12.2008 तक एआईबीपी के अधीन लघु सिंचाई स्कीमों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	स्कीमों की कुल संख्या	18.12.08 तक जारी की गई कुल सीएलए/अनुदान (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
क.	**विशेष श्रेणी राज्य**		
1.	अरुणाचल प्रदेश	1736	161.25
2.	असम	511	361.519
3.	मणिपुर	678	121.4992
4.	मेघालय	73	17.7426
5.	मिजोरम	186	105.969
6.	नागालैंड	965	107.887
7.	सिक्किम	433	13.4849
8.	त्रिपुरा	1167	140.6971
9.	हिमाचल प्रदेश	263	67.884
10.	जम्मू-कश्मीर	447	304.745
11.	उड़ीसा (केबीके)	41	61.060
12.	उत्तराखण्ड	1931	821.2952
	कुल	8431	2285.0330

1	2		3
ख. गैर-विशेष श्रेणी राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	67	51.30
2.	छत्तीसगढ़	163	130.7625
3.	मध्य प्रदेश	168	157.907
4.	महाराष्ट्र	134	328.83
5.	बिहार	4	3.550
6.	पश्चिम बंगाल	32	8.120
	कुल	568	680.4695
	कुल जोड़	8999	2965.5025

विवरण-II

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वर्षा जल संचयन स्कीमें

वित्तीय प्रगति (30.11.08 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/आरओ का नाम	वित्तीय (लाख रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11.49305
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.80000
3.	असम	370.59970
4.	बिहार	14.50108
5.	छत्तीसगढ़	38.66950
6.	गोवा	0.15000
7.	गुजरात	4.61000
8.	हिमाचल प्रदेश	2.80500
9.	जम्मू-कश्मीर	0.00000
10.	झारखण्ड	70.08650
11.	कर्नाटक	11.01800
12.	केरल	0.13500
13.	मध्य प्रदेश	115.14130
14.	महाराष्ट्र	26.48300
15.	मणिपुर	43.79000
16.	मेघालय	0.00000
17.	मिजोरम	24.15000
18.	नागालैंड	64.05000
19.	उड़ीसा	627.47518
20.	पंजाब एवं हरियाणा	24.44650
21.	राजस्थान	49.23725
22.	सिक्किम	0.00000
23.	तमिलनाडु	0.45000
24.	त्रिपुरा	70.31000
25.	उत्तर प्रदेश	5.70400
26.	उत्तरांचल	25.88100
27.	पश्चिम बंगाल	795.99400
	कुल	2403.98006

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए योजना

3339. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्घटना की स्थिति में कृषि श्रमिकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं।

(ख) क्या राज्यों को इन योजनाओं के लिए कोई अनुदान दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए आबंटित और जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को मृत्यु एवं अपंगता कवर प्रदान करने हेतु सरकार ने जीवन बीमा निगम के

माध्यम से 'आम आदमी बीमा योजना' प्रारम्भ की है। योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया अथवा परिवार के एक कमाने वाले सदस्य को बीमित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभों में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/-रुपये; दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी अपंगता अथवा दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में 75,000/- रुपये शामिल हैं। दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता के मामले में बीमा कवर 37,500/- रुपये होगा। आम आदमी बीमा योजना लाभार्थियों के कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे प्रति तिमाही प्रति बच्चा 300/- रुपये की दर से छात्रवृत्ति के पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम 200/- रुपये है, इसमें से 50% की इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सृजित निधि से आर्थिक सहायता दी जाती है तथा शेष 50% अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाना होता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को कोई अनुदान नहीं दिये जाते।

कीटों के कारण फसलों को नुकसान

3340. **श्री सूरज सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वार्षिक रूप से कीटों द्वारा फसलों का काफी अधिक नुकसान होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कीटनाशकों तथा कृषिनाशक के वैज्ञानिक उपयोग के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अधिकसय उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी हां, कीट-कृमियों, खरपतवारों और रोगों आदि के कारण वार्षिक फसल हानि विभिन्न कारकों के आधार पर फसल उत्पादन के 10 से 30 प्रतिशत के बीच आकलित की गई है।

(ख) वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान राज्य-वार सूचित विभिन्न फसलों पर कीटों/रोगों की प्रमुख घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक उपचारी कार्रवाई का संबंध है, इन कीटों के प्रबंधन के लिए कृषक समुदाय को सलाहकारी सिफारिशों के जारी करने के अलावा किसानों के खेतों पर समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) माड्यूल विकसित और वैधीकृत किए गए हैं।

इन आईपीएम माड्यूलों में अन्य कीट प्रबंधन पद्धतियों के साथ संवर्धी पद्धतियों, जैव-नियंत्रण कारकों की निर्मुक्ति और कीटनाशियों का आवश्यकता आधारित प्रयोग शामिल है।

(ग) कृषि क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन कृमिनाशियों और कीटनाशियों के वैज्ञानिक और समय से प्रयोग के जरिए फसल हानियों को कम करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) सरकार समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) के जरिए कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र पूरे देश भर में स्थापित किए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ कीट निगरानी का कार्य करने, कीटनाशकों के आवश्यकता आधारित प्रयोग सहित कीट प्रबंधन पर राज्य सरकारों को सलाह देने, कृषक फील्ड स्कूलों का आयोजन करके आईपीएम में किसानों को प्रशिक्षण देने, कीट प्रबंधन के जैविकीय तरीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने आदि कार्य करते हैं। प्रमुख फसलों के लिए आईपीएम की पद्धतियों के पैकेज विकसित किए गए हैं और सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं। विस्तार कर्मियों और किसानों के प्रयोग हेतु ये पैकेज कृषि एवं सहकारिता विभाग की बेवसाईट पर भी डाल दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2006-07 में प्रमुख कृमियों और रोगों के कारण फसल क्षति

क्र.सं.	राज्य	जिला	फसल का नाम	कृमि/रोग का नाम
1.	हरियाणा	फरीदाबाद	ज्वार	ग्रासहोपर
		हिसार	कपास	हेलीओथिस एसपीपी
		गुडगांव, फरीदाबाद	फूलगोभी	डायमण्ड ब्लैक मोठ

क्र.सं.	राज्य	जिला	फसल का नाम	कृमि/रोग का नाम
2.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, अनंतनाग	सेब	सनजोस–स्केल
		बरामूला	चावल	ब्लास्ट
		जम्मू	आलू	लेट ब्लाईट
3.	झारखण्ड	रांची	चावल	नेक ब्लास्ट
4.	तमिलनाडु	त्रिची	मूंगफली	रेड हेयरी केटरपिलर
5.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	फूलगोभी	डायमण्ड ब्लैक मोठ
		गोरखपुर	गन्ना	टाप बोरेर
6.	अण्डमान और निकोबार	अण्डमान	बैगन	फ्रूट एण्ड सूट बोरेर
7.	केरल	पालक्काड़	चावल	स्टेम बोरेर
		पथनमथिटा	नारियल	रिनोनसेरस बीटल
8.	पंजाब	जालंधर	आलू	लेट ब्लाईट
9.	गुजरात	बडोदरा	कपास	मेली बग
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	चना	ग्राम पॉड बारेर
11.	आन्ध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी	चावल	स्टेम रूट

वर्ष 2007-08 में प्रमुख कृमियों और रोगों के कारण फसल क्षति

क्र.सं.	राज्य	जिला	फसल का नाम	कृमि/रोग का नाम
1.	जम्मू और कश्मीर	बरामूला	सेब	पिनहोल बारेर
2.	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गन्ना	पियरिल्ला
		गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद	गन्ना	व्हाईट ग्रब
3.	केरल	कोल्लम, एर्नाकुलम	नारियल	लीफ रूट, रूट विल्ट
		पालक्कड, अलापुज्जा	चावल	लीफ फोल्टर, स्टेम बोरेर
4.	पंजाब	अभोहर	कपास	मेली बग
		भटिण्डा, अभोहर	कपास	व्हाईट फ्लाई
		फरीदकोट, मुक्तसर, फिरोजपुर, भटिण्डा, बरनाला	कपास	मेली बग
5.	हरियाणा	फरीदाबाद	सोरघम	ग्रासहोपर
		फरीदाबाद	गन्ना	पियरल्ला
6.	कर्नाटक	हासन	आलू	ब्लाईट
7.	महाराष्ट्र	लातूर, उस्मानाबाद, शोलापुर	अनार	ऑयली स्पाट

क्र.सं.	राज्य	जिला	फसल का नाम	कृमि/रोग का नाम
		जलगांव	केला	सिगाटोका
		वर्धा	नींबू	गुम्मोसिस
8.	झारखण्ड	रांची	आलू	लेट ब्लाईट
9.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	सरसों	अल्टेरनारिया लीफ ब्लाईट, व्हाईट रस्ट

वर्ष 2008-09 में प्रमुख कृमियों और रोगों के कारण फसल क्षति

क्र.सं.	राज्य	जिला	फसल का नाम	कृमि/रोग का नाम
1.	महाराष्ट्र	नागपुर	साइट्रस	गुम्मोसिस
		नागपुर, काटोल श्योनर, उमरेड़ धिवापुर	सोयाबीन	टाबेको केटरपिलर
2.	कर्नाटक	मैसूर, मन्डला	चावल	राईस ब्लास्ट
		धारवाड़ हावेरी	मक्का	स्टेम बोरेर
3.	केरल	पालक्काड़	चावल	ब्राउन प्लान्ट होपर (बीपीएच), बैक्टीरिया लीफ, ब्राउन लीफ स्पाट
4.	हरियाणा	सोनीपत, खादर बेल्ट	चावल (बासमती)	बीपीएच, व्हाईट बेकेड प्लांट होपर (डब्ल्यूबीपीएच)
		हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, सिरसा	ग्वार	बैक्टीरिया लीफ स्पाट, अल्टेरनारिया लीफ स्पाट, रूट रूट, विल्ट
		करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरूक्षेत्र, यमुना नगर	गन्ना	व्हाईट ग्रब
		फरीदाबाद, पलवल, पंचकुला	सोरघम	ग्रासहोपर
5.	तमिलनाडु	त्रिची, धीनमालूर	कपास	मेली बग
6.	राजस्थान	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़	कपास	मेली बग
		अलवर, चुरू, दौसा	सोरघम	ग्रासहोपर
		अलवर, चुरू, दौसा	बाजरा	ग्रासहोपर
7.	उत्तर प्रदेश	मुज्जफरनगर, मेरठ, गाजियाबाद	गन्ना	व्हाईट ग्रब
8.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू, मनाली	सेब	फंगल डिसीजेस
9.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	सेब	कंकर, लीफ स्पाट
10.	छत्तीसगढ़	दुर्ग	सोयाबीन	टाबेको केटरपिलर (स्पोडोपेटेरा लिटुरा) ग्रिडले बीटल

[अनुवाद]

एच.ए.एल. द्वारा रक्षा विमान का विनिर्माण

3341. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) को वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान रक्षा विमानों की आपूर्ति हेतु विभिन्न देशों से कोई क्रय आदेश मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) और (ख) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्ष 2008-09 के दौरान इक्वाडोर के लिए 7 उन्नत हल्के हेलिकॉप्टरों की सप्लाई करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इन हेलिकॉप्टरों की सुपुर्दगी 3 वर्षों में की जाएगी। हिंदुस्तान ऐरानॉटिक्स लिमिटेड को वर्ष 2007-08 के दौरान रक्षा विमानों का निर्यात करने का कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है।

रोजगार सृजन योजनाओं का मूल्यांकन

3342. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत चार वर्षों से चल रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं का मूल्यांकन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ मौजूदा योजनाओं को बंद करने और उनके स्थान पर नई योजनाएं लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी हां।

(ख) से (घ) प्रधानमंत्री की रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के आधार पर इन दो योजनाओं का विलय कर दिया गया है तथा प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नामक एक नई योजना 2008-09 से आरंभ की गई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जी.एस.आर.वाई.) का स्वतंत्र एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा मूल्यांकन एवं योजना के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन का सुझाव दिया गया है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) का मूल्यांकन देश के विभिन्न भागों में स्थित स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों के माध्यमों से किया गया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों से सुधारात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) का भी मूल्यांकन किया गया है तथा इसे 01.04.2008 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में शामिल कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मत्स्य उत्पादन

3343. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मत्स्यन के कारोबार पर नदियों, जलाशयों तथा समुद्र के उचित संरक्षण तथा रख-रखाव के अभाव में बुरी तरह असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या कारण है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान कितनी मात्रा में मत्स्य उत्पादन किया गया तथा इसका निर्यात और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) मत्स्यन के विकास हेतु नदियों, जलाशयों तथा समुद्र में सरकार द्वारा शुरू किए गए संरक्षण कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) और (ख) देश में मात्स्यिकी व्यवसाय में नदियों, तालाबों तथा समुद्रों के संरक्षण और रख-रखाव की कमी का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है। विगत तीन वर्षों में अर्जित

विदेशी मुद्रा के साथ-साथ कुल उत्पादित मछली तथा उसके निर्यात को नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	कुल मत्स्य उत्पादन ('000 टन में)	निर्यात की गई कुल मछली ('000 टन)	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रु.)
2004-05	6304.75	461.33	6646.69
2005-06	6571.63	512.16	7245.30
2006-07	6869.05	612.64	8363.53

(ग) नदियों, तालाबों तथा समुद्रों के संरक्षण के लिए भारत सरकार जिम्मेदार मात्स्यिकी, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005, गंगा कार्य योजना, भारतीय वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, जैविकीय विविधीकरण अधिनियम, 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के लिए आचार संहिता को क्रियान्वित कर रही है। सरकार वर्ष के कतिपय अवधि के दौरान मत्स्यन पर प्रतिबंध भी लगाती है। राज्य सरकारों ने भी समुद्री मात्स्यिकी विनियामक अधिनियमों को लागू करने, मत्स्यन के लिए प्रयुक्त जालों में फंदे के आकार के उपयोग को नियंत्रित करने, पर्यावरण-अनुकूल मत्स्यन पद्धतियों के विविधीकरण/लोकप्रिय बनाने, सी-रेंचिंग तथा जलकृषि/मछली पालन को प्रोत्साहित करने आदि जैसे कई कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

आयोडीन रहित नमक

3344. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार "साल्ट पैन" कामगारों की जीविका पर इसके प्रभाव को देखते हुए उक्त प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक वापस लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सरकार ने सीधे मानव खपत के लिए बिना आयोडीन वाले नमक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अधिसूचना को खाद्य अपमिश्रण निवारण, रोकथाम अधिनियम, 1954 के अधीन पूरे देश में 17 मई, 2006 से जारी किया गया है। ताकि आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोका और नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि कोई भी राज्य आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से मुक्त नहीं है। तथापि, आयोडाइजेशन, आयरन पुष्टीकरण, परिरक्षण, औद्योगिक, औषधीय तथा पशु उपयोग के लिए नमक की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ) गैर-आयोडीन नमक की बिक्री पर इन प्रतिबंधों से साल्टपैन कर्मियों के रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वास्तव में, नमक आयोडाइजेशन से आयोडाइजेशन, संदलन/पाउडर बनाने, पैकिंग आदि के लिए और अधिक रोजगार सृजित हुए हैं।

बागवानी का समेकित विकास

3345. श्री मणि चारेनामै: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मणिपुर राज्य में विभिन्न बागवानी फसलों विशेष रूप से संतरे हेतु फेहरिस्त बनाना शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि एवं सहकारिता विभाग वर्ष 2001-02 से सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन संबंधी एक प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के लिए आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। मणिपुर राज्य में संतरे सहित प्रमुख बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आरम्भ से दिनांक 15.12.2008 तक सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत आबंटित निधियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	(करोड़ रु.)
1.	अरुणाचल प्रदेश	120.14
2.	असम	134.34
3.	मणिपुर	107.32
4.	मेघालय	124.90
5.	मिजोरम	160.03
6.	नागालैंड	142.43
7.	सिक्किम	129.55
8.	त्रिपुरा	103.11
	एनआरसी, फलोद्यान (आईसीएआर), सिक्किम–सभी पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में	18.15
	कुल योग	1039.97

विवरण-II

वर्ष 2007-08 के दौरान मणिपुर राज्य में संतरे सहित बागवानी फसलों का क्षेत्र और उत्पादन

क्र. सं.	फल	क्षेत्र (हैं.)	उत्पादन (मी.टन)
1	2	3	4
1.	अन्नानास	8468	72417
2.	केला	4741	35040
3.	लाईम एवं नींबू	2472	16879
4.	संतरा	3838	28380
5.	पैशन फ्रूट	7853	63606
6.	अन्य फल	11732	57406
	कुल (फल)	39104	273728
ख.	सब्जियां		
1.	फूल गोभी	1599	14186
2.	बंद गोभी	2581	27445
3.	टमाटर	1550	15144
4.	मटर	2496	24365
5.	आलू	1690	13796
6.	अन्य	2177	18742
	कुल (सब्जियां)	12093	113678
ग.	मसाले		
1.	मिर्च	7793	46929
2.	अदरक	2005	19889
	कुल (मसाले)	9798	66818

केले और आम संबंधी आर एण्ड डी परियोजना

3346. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से राज्य में केले और आम पर अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) परियोजना शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक स्वीकृत तथा पूरे होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राज्य में केले तथा आम पर अनुसंधान तथा विकास परियोजना शुरू करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बागवानी प्रभाग में गुजरात सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु गुजरात सहित देश में वर्ष 2005-06 से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" पर एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। गुजरात राज्य में विकास के लिए इस योजना के तहत केले तथा आम की फसलों की भी पहचान की गई है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक (2011-12) कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कर दिया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र हेतु निर्यात उन्नयन परिषद की स्थापना

3347. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में दूरसंचार क्षेत्र से कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) आगामी वर्षों में निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक निर्यात उन्नयन परिषद की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र से किए गए निर्यात की कुल राशि निम्नानुसार है:

2006-07	:	2523 करोड़ रुपए
2007-08	:	8131 करोड़ रुपए
2008-09 (अप्रैल-सितम्बर, 2008)	:	6600 करोड़ रुपए (अनुमानित)

(ख) सरकार ने दूरसंचार उपस्करों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ii) दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(iii) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना को प्रोत्साहन देना।

(iv) अवसंरचना का उन्नयन।

(v) आयात और निर्यात संबंधी विनियमों को समाप्त करना।

(vi) वैश्विक विनिर्माताओं को भारत में इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(vii) दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना।

(ग) से (ङ) दूरसंचार उपस्करों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार द्वारा क्षेत्र के लिए दूरसंचार उपस्कर एवं सेवा निर्यात संवर्द्धन परिषद (टीईपीसी) नामक निर्यात संवर्द्धन परिषद की स्थापना की जा चुकी है। परिषद के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

(i) दूरसंचार उपस्करों एवं सेवाओं के निर्यात के संवर्द्धन एवं विकास हेतु शीर्ष निकाय के रूप में भूमिका निभाना;

(ii) विदेश के चुनिंदा देशों में बाजार अध्ययन/सर्वेक्षण का कार्य करना और इस कार्य को बढ़ावा देना।

(iii) भारत में तथा विदेश में, दोनों स्थानों पर, प्रदर्शनियों का प्रचार करना और उनमें भाग लेना तथा उनका आयोजन करना;

(iv) निर्यात बाजार के विकास हेतु कर्मचारियों की संख्या और उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना;

(v) विनिर्माताओं, निर्यातकों और सरकार के बीच सही सम्पर्क और प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए इनके बीच सेतु के रूप में कार्य करना; और

(vi) ज्ञान के आधार को बढ़ावा देना, उसमें निपुणता लाना, विस्तार करना और संबद्ध दूरसंचार निर्यात उद्योग के रूप में पुस्तकालय का रख-रखाव करना, आदि।

कीटनाशक डीलरों हेतु दिशानिर्देश

3348. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कीटनाशकों के डीलरों के लिए कीटनाशक उत्पादों की पर्याप्त जानकारी अनिवार्य करने वाले नए दिशानिर्देश जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दिशानिर्देशों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कीटनाशी प्रबंधन विधेयक, 2008 जिसे विद्यमान कीटनाशी अधिनियम, 1968 के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए 21.10.2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ किसी कीटनाशी के विनिर्माण या बिक्री

या भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शन या वितरण के लिए किसी भी व्यक्ति को लाईसेंस दिये जाने का प्रावधान है, जो यथा निर्धारित ऐसी योग्यताओं को या तो स्वयं रखता हो या उसको रखने वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है। तथापि, विद्यमान लाईसेंसधारक (विनिर्माता को छोड़कर) या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करने के लिए विधेयक में 5 वर्ष की छूट दी गई है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन उपभोक्ता

3349. श्री राकेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या में बढ़ोत्तरी देखी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निजी तथा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीएसएनएल सिम कार्ड धारकों में वृद्धि दर निजी क्षेत्र से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष के दौरान जीएसएम मोबाइल फोन के उपभोक्ताओं तथा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के योगदान से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है:

मार्च के अंत में	जीएसएम मोबाइल फोनों की संख्या (मिलियन में)			हिस्सेदारी की प्रतिशतता	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
2005	10.33	30.7	41.03	25.18	74.82
2006	19.1	50.1	69.2	27.60	72.40
2007	30.18	90.29	120.47	20.05	74.95
2008	39.45	153.24	192.69	20.47	79.53
31.10.2008 की स्थिति के अनुसार	43.55	198.17	241.72	18.02	81.98

(ग) और (घ) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र और बीएसएनएल के जीएसएम मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में होने वाली वार्षिक वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	बीएसएनएल के उपभोक्ताओं में हुई वृद्धि	निजी क्षेत्र के उपभोक्ताओं में हुई वृद्धि
2005-06	81.68%	63.19%
2006-07	59.81%	80.25%
2007-08	32.01%	69.72%

बीएसएनएल के जीएसएम मोबाइल फोन के उपभोक्ताओं की संख्या में कम वृद्धि होने का मुख्य कारण निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि का होना है। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल की मोबाइल विस्तार की नई परियोजना हेतु उपस्कर प्रापण संबंधी प्रयासों को भी न्यायिक मामले की वजह से झटका लगा।

(ङ) और (च) बीएसएनएल ने ज़ोन आधार पर अतिरिक्त 93 मिलियन लाइनों की क्षमता हेतु निविदा आमंत्रित की है ताकि

अगले तीन वर्षों में इसके प्रचालन क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

दूरसंचार आपरेटरों द्वारा राजसहायता का दुरुपयोग

3350. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय दूरसंचार आपरेटरों ने यूनिवर्सल सर्विस अब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से धन प्राप्त करने के लिए झूठे दावे दायर किए हैं तथा राजसहायता की धनराशि का दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त कोष से राजसहायता लेने के लिए पात्रता की शर्तों का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जिन निजी और राज्य स्वामित्व वाले सेवा प्रदाताओं ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं उनके द्वारा प्रस्तुत दावों में गलतियां पाई गई हैं। तथापि, दावों के सत्यापन के समय ही या बाद में वास्तविक निरीक्षण के समय ऐसे सभी अनुचित दावों को अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसे दावों में की गई गलतियों में अन्य बातों के साथ-साथ अंकगणितीय अशुद्धियां, दोषपूर्ण, काटे जा चुके और बंद कनेक्शनों के लिए दावे और अनुपयुक्त क्षेत्रों में कनेक्शनों के लिए दावे शामिल हैं।

(ख) अनुचित दावों के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) पता लगने पर ऐसे सभी अनुचित दावों को अस्वीकार किया जाता है।

(ii) कार्यान्वयन अनुभव के आधार पर, दावा सत्यापन की पद्धति में यूएसओएफ द्वारा चलाए जा रहे और शुरू किए गए नये कार्यकलापों के लिए सतत रूप से सुधार किया जाता है।

(iii) अधिक भुगतान के मामले में, इसकी वसूली संबंधित यूएसओएफ करार के निबंधन और शर्तों के अनुसार की जाती है।

(ग) यूएसओएफ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ यूएसओएफ स्कीमों अर्थात ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी), ग्रामीण सामुदायिक फोन (आरसीपी) ग्रामीण भरेलू कनेक्शन (आरडीईएल) और मोबाइल अवसंरचना तथा सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए करार संपन्न करता है और इन करारों में सब्सिडी के भुगतान के लिए भिन्न-भिन्न पात्रता शर्तें निर्धारित होती हैं।

[अनुवाद]

हरित गलियारा

3351. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से प्रमुख कस्बों अथवा शहरों तक कृषि उत्पादों को पहुंचाने में किसानों को सक्षम बनाने के लिए सरकार को हरित गलियारे की स्थापना करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाकघरों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी

3352. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में डाक विभाग और निजी कूरियर कंपनियों के माध्यम से मादक/मन:प्रभावी पदार्थों की तस्करी के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तस्करी और अवैध कारोबार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां। डाकघरों में ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं।

(ख) दिल्ली डाक सर्किल में एक सौ अस्सी मामले सामने आए हैं, जहां सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने विदेश डाकघर, नई दिल्ली से डाकघरों के जरिए भेजे गए सामान में से 465.1 लाख रु. के मादक एवं मन:प्रभावी पदार्थों को जब्त किया है। पूर्वोत्तर डाक सर्किल में ऐसा एक मामला सामने आया है जहां उपायुक्त, सीमाशुल्क, अगरतला ने अगरतला एयरपोर्ट पर भारतीय डाक कार्गो जहाज पर छापा मार कर डाकघरों के माध्यम से भेजे गए सामान में से 39.54 किलोग्राम गांजा बरामद किया। तमिलनाडु डाक सर्किल में पांच मामले आए हैं जहां (i) डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इन्टेलिजेंस, चैन्ने जोनल यूनिट, चेन्नै से चेन्नै एयर फारेन/दो मामले, (ii) चेन्नै हवाई सीमाशुल्क की एयर इन्टेलिजेंस यूनिट ने चेन्नै एयरपोर्ट पर जब्त करके यह मामला नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपा, (iii) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, साउथ जोनल यूनिट, चेन्नै ने एयर फारेन के 2 मामलों में जांच के लिए सामान जब्त किया।

(ग) भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में डाकघरों के माध्यम से ऐसे निषिद्ध एवं मादक पदार्थों के पारेषण को प्रतिबंधित करने संबंधी उपबन्ध पहले से मौजूद हैं। हाल ही के मामलों में क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि काउंटर पर बुक की गई हर सामग्री पर भेजने वाले का पूरा पता तथा विदेशी नागरिकों के मामले में पासपोर्ट संख्या का ब्यौरा अनिवार्य रूप से लिखा होना सुनिश्चित करें। उन्हें यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के अंतर्गत प्रतिबंधित कोई भी सामग्री बुक न की जाए। इसके अलावा डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इन्टेलिजेंस (डीआरआई) एवं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारी, भेजी जाने वाली डाक सामग्री की जांच हेतु विभाग के विदेशी डाकघरों का दौरा भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों पर विदेशों में भेजे जा रहे बैगों को सुरक्षा व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्कैन भी किया जाता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य के आधार पर सैन्यकर्मियों को सेवामुक्त करना

3353. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना ने हाल ही में स्वास्थ्य के आधार पर अनेक सैन्यकर्मियों को सेवामुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवामुक्त किए गए सैन्यकर्मियों को बहाल करने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) सेना के अफसर रैंक से नीचे के स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी के कार्मिकों को संगत सेना नियमों के प्रावधानों के तहत सेवामुक्त किया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवामुक्त किए गए कार्मिकों को बहाल करने के निदेश दिए हैं। न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में, ऐसे सेवामुक्त कार्मिकों को बहाल करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं, बशर्ते वे न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

सी-डॉट के लिए निधियां

3354. श्री भर्तृहरि महताब: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) केन्द्रों के लिए सरकार द्वारा दी गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सी-डॉट स्वयं राजस्व सृजित करने में सक्षम नहीं है और पूरी तरह से सरकारी सहायता पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सी-डॉट को व्यावसायिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) गत तीन वर्षों के लिए सरकार से सी-डॉट के लिए बजटीय सहायता निम्नानुसार रही:-

वर्ष	सरकार की बजटीय सहायता (करोड़ रुपए में)
2005-06	75.12
2006-07	82.00
2007-08	96.00
कुल	253.12

(ख) जी, नहीं। सी-डॉट स्वयं अपने राजस्व का सृजन करने में भी सक्षम रहा है और इस प्रकार यह पूर्ण रूप से सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सी-डॉट द्वारा सृजित राजस्व निम्नानुसार रहा:-

वर्ष	सृजित आंतरिक राजस्व (करोड़ रुपए)
2005-06	23.96
2006-07	18.38
2007-08	22.40
कुल	64.74

(घ) सी-डॉट को वाणिज्यिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें निम्न उपाय शामिल हैं:-

1. सी-डॉट को कम संख्या में शोध एवं विकास परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा गया है ताकि ऐसी परियोजनाओं में सफलता प्राप्त हो सके क्योंकि सी-डॉट के पास सीमित संसाधन हैं।

2. कौशल संबंधी सेटों को ध्यान में रखते हुए शोध की दिशा हार्डवेयर-केन्द्रित से बदलकर साफ्टवेयर-केन्द्रित कर दी गई है।

3. दूरसंचार सुरक्षा से संबंधित कार्यनीतिक परियोजनाएं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं सी-डॉट को सौंपी गई हैं, जैसे कि:

   (i) केन्द्रीयकृत मॉनीटरिंग प्रणाली

   (ii) ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं।

4. सी-डॉट और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की एक प्रणाली शुरू की गई है।

5. सी-डॉट के कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।

दक्षेस खाद्य बैंक

3355. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) राष्ट्रों की आपातकालीन खाद्य मांग को पूरा करने के लिए लगभग 243,000 टन की प्रारंभिक क्षमता वाला खाद्य बैंक स्थापित करने के लिए 153,200 टन खाद्यान्न का सहयोग देने का संकल्प किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य बैंक में प्रत्येक दक्षेस राष्ट्र का हिस्सा कितना है; और

(घ) उक्त बैंक के कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में सार्क सदस्यों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आरंभिक 2,43,000 टन के रिजर्व में से सार्क फूड बैंक के लिए 1,53,200 टन खाद्यान्न (चावल अथवा गेहूं या दोनों को मिलाकर) का अंशदान देने का वचन दिया है।

(ग) फूड बैंक में प्रत्येक सार्क देश का हिस्सा निम्नानुसार है:-

सदस्य देश का नाम	खाद्यान्न का आंकलित हिस्सा (टन में)
1	2
अफगानिस्तान	1420
बंगलादेश	40,000

1	2
भूटान	180
भारत	1,53,200
मालदीव	200
नेपाल	4,000
पाकिस्तान	40,000
श्रीलंका	4,000
जोड़	2,43,000

(घ) सार्क फूड बैंक की 15-16 अक्तूबर, 2008 को हुई प्रथम बैठक के साथ सार्क फूड बैंक प्रचालन में आ गया है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्रों में अतिक्रमण

3356. **श्री रामदास आठवले:**
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद छावनी क्षेत्र सहित क्षेत्र के विभिन्न भागों में छावनी क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों की जीविका पर धूम्रपान पर प्रतिबंध का प्रभाव

3357. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्री मधु गौड यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध का बीड़ी कामगारों की जीविका और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धूम्रपान प्रतिबंध के फलस्वरूप बीड़ी उद्योग और कामगारों पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग संघ ने केन्द्र सरकार को धूम्रपान पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग संघ से दिनांक 27.08.08 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। इस अभ्यावेदन में संघ ने सरकार द्वारा तम्बाकू उत्पादकों को वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए राजी करने हेतु चलाए गए कथित अभियान का विरोध किया था। इस अभ्यावेदन में धूम्रपान से प्रतिबंध हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

[हिन्दी]

टेलीकॉम बूथ स्वामियों को कमीशन

3358. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र वेशमुख:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी दूरसंचार बूथ स्वामियों की तर्ज पर एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्वामियों को कमीशन देने के लिए कोई कदम उठाया है अथवा उठाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) भारत संचार

निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के एसटीडी/आईएसडी पीसीओ बूथ मालिकों को दिया जाने वाला कमीशन निजी दूरसंचार बूथ मालिकों की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के कमीशन की दरें भी काफी आकर्षक हैं।

(ख) बीएसएनएल के कमीशन ढांचे का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। एमटीएनएल के कमीशन ढांचे का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

पीसीओ प्रचालकों (भारत संचार निगम लिमिटेड) को अनुमत छूट (कमीशन)

I. सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र (पीसीओ) प्रचालकों को अनुमत छूट–वायरलेस इन लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा ग्रामीण पंचायत टेलीफोनों (वीपीटी) (95 सुविधा रहित स्थानीय वीपीटी को छोड़कर) पर प्रदान किए गए स्थिर पीसीओ सहित सभी प्रकार के पोस्टपेड लैण्डलाइन पीसीओ।

प्रतिमाह बिल की गई मीटर कॉल यूनिट	प्रति एमसीयू अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)	प्रति एमसीयू छूट
<=400	1.000	0.300
>400<=800	1.000	0.320
>800<=1200	1.000	0.350
>1200<=1500	1.000	0.370
>1500<=2500	1.000	0.385
>2500	1.000	0.400

II. 95 सुविधारहित स्थानीय वीपीटी के लिए छूट संरचना

ब्यौरा	प्रति एमसीयू छूट
स्थानीय वीपीटी	50%

विवरण-II

पीसीओ प्रचालकों (महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) को अनुमत कमीशन

एमटीएनएल, दिल्ली

I. लैण्डलाइन पीसीओ बूथ मालिकों को कमीशन

स्थानीय पीसीओ		एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ	
कॉलों की संख्या	कमीशन	कॉलों की संख्या	कमीशन
0-1499	40%	0-1999	30%
>1500	43%	2000-2999	40%
>2000	45%	3000-4999	43%
		5000 और अधिक	45%

II. वर्चुअल कॉलिंग कार्ड आधारित स्थानीय/एसटीडी/आईएसडी पीसीओ कमीशन-20%

III. प्री-पेड स्थिर बेतार फोन (एफडब्ल्यूपी) पीसीओ प्रचालकों को कमीशन

रिचार्ज कूपन एमआरपी (कर सहित) (रु.)	प्रचालकों को कमीशन (रु.)
500	258.43
1500	1028.10
2500	1994.40

एमटीएनएल, मुम्बई

I. लैण्डलाइन पीसीओ बूथ मालिकों को कमीशन

स्थानीय पीसीओ	एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ
3000 कॉलों तक 40%	5000 कॉलों तक 30%
3000 कॉलों से अधिक 50%	केवल 5000 कॉलों से अधिक के लिए 40%
अखिल भारतीय सिक्का संग्रह बक्सा (सीसीबी) पीसीओ)	
4000 कॉलों तक 35%	
प्रतिमाह 4000 कॉलों से अधिक के लिए 45%	

II. प्रीपेड एफडब्ल्यूपी पीसीओ प्रचालकों को कमीशन

कूपन का मूल्य (रु.)	कमीशन की राशि (%)
500	35%
1000	43%
3000	51%
5000	60%

[अनुवाद]

चीनी उद्योग को प्रोत्साहन

3359. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के मद्देनजर चीनी के बफर स्टॉक में वृद्धि सहित कुछ प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है/निर्धारित की गई है;

(ग) क्या प्रसंस्कृत चीनी के निर्यात पर उपलब्ध छूट कच्ची चीनी के निर्यात पर भी विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रसंस्कृत चीनी के निर्यात पर कोई रियायत उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार रॉ चीनी के निर्यात पर रियायत लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों को अभियांत्रिकी कोर का प्रशिक्षण

3360. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे भारतीय तथा अन्य देशों के सशस्त्र बलों के अभियांत्रिकी कोर के कार्मिकों को प्रशिक्षण मुहैया कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न राष्ट्रों के साथ कोई समझौता किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य राष्ट्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के कारण क्या हैं; और

(ङ) अन्य राष्ट्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने से भारतीय सशस्त्र बल को कितना लाभ हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सेना इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे में गत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र सेना तथा मित्र देशों के जिन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने हेतु अनेक देशों के साथ समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हमारी रक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में कुछ मित्र देशों के रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। इससे दोनों देशों के रक्षा कार्मिकों के बीच आपसी समझ में वृद्धि होती है तथा चल रहे रक्षा सहयोग को गति मिलती है।

विवरण

सेना इंजीनियरिंग कॉलेज, पुणे में भारतीय सशस्त्र सेना तथा मित्र देशों के जिन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया उनका ब्यौरा

प्रशिक्षण वर्ष	भारतीय सशस्त्र सेना के प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या	मित्र देशों के प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या
2005-06	3585	51
2006-07	3371	34
2007-08	3596	95
2008-09 (आज की तारीख तक)	2114	32

मोबाइल हैंडसेट के विनियमन

3361. **श्री के.एस. राव:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मोबाईल हैंडसेट के रिमोट कंट्रोल के माध्यम से विस्फोटक उपकरणों में विस्फोट करने में इसके बढ़ते उपयोग के मद्देनजर इनके विनिर्माण, आयात और बिक्री को विनियमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सरकार का मोबाइल हैंडसेटों के विनिर्माण और विक्रय को विनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सरकार ने सीमाशुल्क कार्यालय को यह अधिसूचित किया है कि मोबाइल हैंडसेटों के आयात को अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपस्कर पहचान (आईएमईआई) नंबरों की घोषणा के बाद ही अनुमति दी जाए। दूरसंचार विभाग ने भी सभी सेल्युलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं को यह निदेश दिया है कि वे जीएसएम नेटवर्क के लिए आईएमईआई नंबर वाले मोबाइल हैंडसेटों और सीडीएमए नेटवर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर (ईएसएन) के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करें।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार कंपनियों पर शास्ति

3362. **श्री वसुदेव आचार्य:**
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिशा निर्देशों के उल्लंघन में दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर दण्ड लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक सेवाप्रदाता से संग्रहित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपभोक्ताओं के लाभ हेतु ट्राई द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की जागरूकता तथा क्षमता निर्माण के लिए बनाई गई योजनाओं की संख्या क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ट्राई द्वारा पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं के लाभ के लिए विभिन्न प्रयोजनों हेतु व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

वर्ष	राशि (रुपये)
2006-07	1,18,146
2007-08	8,66,395
2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)	9,91,543

(घ) सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

कृषि रुचि में कमी

3363. श्री प्रहलाद जोशी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के किसान धीरे-धीरे कृषि व्यवसाय से विमुख हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जुलाई 2005 में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की "कृषि के कुछ पहलु" (संदर्भ अवधि जनवरी-दिसम्बर 2003) शीर्षक से किसानों की स्थिति निर्धारण सर्वेक्षण पर रिपोर्ट संख्या 496 में कृषि के कुछ महत्वपूर्ण पहलु विस्तृत ब्यौरे के साथ शामिल हैं जो अन्य बातों के अलावा कृषि को एक उपयुक्त व्यवसाय न मानने के कारणों को बताती है।

(ख) उपरोक्त उल्लिखित रिपोर्ट के अनुसार, कृषि को पसंद न करने के कारणों के विस्तृत ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

कृषि को पसंद करने वाले	कृषि परिवारों की प्रतिशतता: निम्नलिखित के कारण कृषि पसंद नहीं करने वाले				
	अलाभदायक	सामाजिक स्थिति की कमी	जोखिमयुक्त	अन्य	कुल
60	27	2	8	3	40

(ग) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के अतिरिक्त कृषि की आर्थिक व्यवहारिकता सुधार कर किसानों की आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने के मुख्य उद्देश्य के साथ अनुमोदित की गई है। बहुत से कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बृहत प्रबंधन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसानों को कृषि कार्यों में लाभप्रद रूप से जोड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वयन में हैं।

[हिन्दी]

जटरोफा की खेती

3364. डा. धीरेंद्र अग्रवाल
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित जटरोफा की उपज का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जैव ईंधन की फसल का अन्य कृषि उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कार्यक्रम अनुसंधान एवं विकास के स्तर पर है। माडल रोपण दो-तीन वर्ष पुरानी है और आर्थिक स्तर पर पैदावार चार वर्ष के बाद शुरू होती है।

(ख) और (ग) भारत सरकार की नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए खाद्य फसलों का आहार स्टाक के रूप में प्रयोग

नहीं किया जाता है। केवल बंजर भूमि पर जटरोफा सहित वृक्ष जनित तिलहनों की खेती की अनुमति है। चल रहे आर एवं डी कार्यक्रम के तहत अन्य फसलों के साथ जटरोफा के अंतर्फसलन परीक्षण आयोजित किए गए हैं जिसने अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाया है।

वर्षा सिंचित क्षेत्र

3365. श्री हरिसिंह चावड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि के अधीन कुल वर्षा सिंचित क्षेत्र तथा देश की कृषि भूमि में इसका सकल प्रतिशत क्या है;

(ख) इस प्रकार के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा वर्षा जल के ईष्टतम उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके; और

(घ) इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उपलब्ध अनुमानों के अनुसार लगभग 85 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र वर्षा सिंचित है जो देश में कुल निवल बुवाई क्षेत्र का लगभग 60% है।

(ख) समूचे निवल बुवाई क्षेत्रों में सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था न किए जाने के मुख्य कारण स्थलाकृति संबंधी तथा भौगोलिक क्षेत्र, भू-जल की सीमित उपलब्धता और सतही जल सिंचाई अवसंरचना के विस्तार में आने वाली बाधाएं हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने समेकित पनधारा विकास कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा सिंचित क्षेत्रों के समग्र तथा सतत विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। मृदा अपरदन तथा भूमि अवक्रमण में कमी, सान्द्रण के समय को बढ़ाकर अपवाह जल में कमी, और अनुपूरक/जीवन रक्षक सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल संचयन के सृजन, आद्रता व्यवस्था को बढ़ाने आदि जैसे प्रमुख उद्देश्यों के साथ निम्नलिखित पनधारा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है:-

(i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एनडब्ल्यूडीपीआरए)

(ii) नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ प्रवण नदियों के श्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (आरवीपी एवं एफपीआर)

(iii) क्षारीय तथा अम्लीय मृदाओं का सुधार एवं विकास

(iv) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना (डब्ल्यूडीपीएससीए)

(v) मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)

(vi) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

(vii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधी फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा उपरोक्त पनधारा विकास कार्यक्रमों के व्यापक आकलन से पता चला है कि इन कार्यक्रमों से अनुपूरक/जीवन रक्षक सिंचाई हेतु अतिरिक्त जल संचयन क्षमता बढ़ाने, फसल सघनता और उत्पादकता बढ़ाने, कृषकों की आय में वृद्धि करने तथा मृदा अपरदन और अपवाह में कमी करने में मदद मिली है।

जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन

3366. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने मिनरल वाटर तथा सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग संयंत्र परिचालन में हैं;

(ख) उन संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्रीय भूजल बोर्ड या अन्य किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में भूजल का उपयोग किया गया;

(घ) क्या उक्त जल का उपयोग बिना किसी शुल्क की अदायगी के किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) भारतीय मानक ब्यूरो (बी आई एस) पेयजल और मिनरल बॉटलिंग संयंत्रों को प्रमाणित करता है। बी आई एस द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों के अनुसार,

आई एस 14543:2004 के अनुसार आई एस आई मार्क के पैकड पेय जल (पी डी डब्ल्यू) और 13428:2004 के अनुसार मिनरल वाटर बनाने एवं बिक्री करने वाली कंपनियों (लाइसेंस) की संख्या क्रमशः 1940 और 12 है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राज्य सरकारों से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सी जी डब्ल्यू बी) को मिली सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में संयंत्रों द्वारा उपयोग किए गए भूजल की मात्रा 0.002 से 7.03 मिलियन घन मीटर (एम सी एम)/प्रति वर्ष है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल उपकर लगाया जाता है और उसकी वसूली की जाती है। उपकर की विशिष्ट दरों की वसूली की जाती है जो कि जल के उपयोग पर निर्भर करती है।

(ङ) जल संसाधनों के अतिदोहन को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कृत्रिम पुनर्भरण के लिए भूजल विनियमन और जल संचयन को सुविधाजनक बनाने के वास्ते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल बिल का परिचालन।
- "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक स्कीम का कार्यान्वयन।
- 2006-09 की अवधि के दौरान अभिज्ञात क्षेत्रों में "वर्षा जल संचयन और भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक प्रदर्शनात्मक स्कीम का कार्यान्वयन।
- दावाधारकों के बीच कृत्रिम पुनर्भरण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए "भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी सलाहकार परिषद का गठन।
- भूजल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के प्रयोजन से केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन।
- राज्य के सभी अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को अपनाने/वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए उपाय करने के वास्ते राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए।

विवरण

मिनरल वाटर उद्योग के लिए आई एस 14543:2004 के अनुसार आई एस आई मार्क के पैकड पेय जल (पी डी डब्ल्यू) और 13428:2005 के अनुसार मिनरल वाटर बनाने एवं बिक्री करने वाली कंपनियों (लाइसेंस) की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाइसेंस की संख्या (पैकड पेय जल)	लाइसेंस की संख्या (पैकड मिनरल वाटर)
आन्ध्र प्रदेश	471	—
केरल और पांडिचेरी	40	—
कर्नाटक	145	—
तमिलनाडु	447	—
पश्चिम बंगाल, भूटान, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	51	—
उड़ीसा	31	—
बिहार और झारखण्ड	33	—
असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा मणिपुर और मिजोरम	29	—
उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	73	3
राजस्थान	41	—
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	78	—
दिल्ली और नोएडा	70	—
हिमाचल प्रदेश	7	8
हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, चण्डीगढ़	78	—
गुजरात	179	1
महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दादरा नगर हवेली	167	—
कुल	1940	12

(स्रोत: भारतीय मानक ब्यूरो)

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की जमाखोरी

3367. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री विजय कृष्ण:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि तथा कम न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण खाद्यान्नों में व्यापार करने वाली कंपनियों द्वारा जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी की जा रही है जबकि किसान एवं उपभोक्ता लगातार नुकसान झेल रहें हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी "आक्सफाम" ने अपनी रिपोर्ट में कहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किये गये उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) सरकार द्वारा उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तरवर्ती वर्षों में घोषित किए गए हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार को "आक्साम" नामक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को खाद्य मदों के मूल्यों में वृद्धि की जानकारी है और मूल्य वृद्धि को रोकने तथा उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए उसने अनेक कदम उठाए हैं। सरकार ने समाज के संवेदनशील वर्गों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए हैं:-

1. सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से गरीब वर्गों का संरक्षण किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों को गेहूं, चावल, चीनी और केरोसीन आबंटित किए जाते हैं। तथापि, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य कल्याणकारी स्कीमों के तहत गेहूं और चावल के उठान में बढ़ोतरी हो रही है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2003-04 में 242 लाख टन गेहूं और चावल का उठान हुआ था जो 2006-07 में 316 लाख टन और 2007-08 में 335.27 लाख टन पहुंच गया। अप्रैल-सितंबर, 2008 की अवधि के दौरान, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 167.38 लाख टन गेहूं और चावल का आबंटन किया गया है। गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य को 01.07.2002 से संशोधित नहीं किया गया है। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए गेहूं का मूल्य 4.15 रुपए प्रति किलो और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 2.00 रुपए प्रति किलो है। चावल के मामले में गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के लिए यह मूल्य 5.65 रुपए प्रति किलो ग्राम और अंत्योदय अन्न योजना के लिए 3.00 रु. प्रति किलोग्राम है।

2. सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 15 रुपए प्रति किलो ग्राम की सब्सिडी पर एक मिलियन टन खाद्य तेलों का वितरण करने के लिए 28.07.2008 को एक स्कीम शुरू की है। 3.60 लाख टन खाद्य तेलों के आयात के लिए ऑर्डर दे दिए गए थे। इनमें से 3.34 लाख टन खाद्य तेल पहुंच चुका है, और 1.82 लाख टन अब तक एक रुपए प्रति राशन कार्ड प्रति माह की दर से राशन कार्डधारकों को वितरण के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण किया गया है।

3. सरकार ने हाल ही में एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, एम एम टी सी, पी ई सी लि. और राज्य व्यापार निगम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां दालों का आयात कर सकती हैं और उसको 10 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु राज्य सरकारों को बेच सकती हैं। यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि स्कीम के तहत आयात की गई दालों का उठान कर लिया जाए और उनको लक्षित उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाए। अत: इस स्कीम का उद्देश्य आयातों के जरिए विशेष रूप से राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए गरीब लोगों को आपूर्ति करने के लिए देश के भीतर दालों की उपलब्धता में वृद्धि करना है।

विवरण

विभिन्न कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य
(फसल वर्ष के अनुसार)

(रु. प्रति क्विंटल)

वस्तु	किस्म	2002-03		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	% अंतर (2008-09 और 2003-04	% अंतर (2008-09 और 2007-08)
			विशेष सूखा राहत मूल्य								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
खरीफ फसल											
धान	सामान्य	530	20	550	560	570	580^	645$$/850~	850	54.55	31.78
	ग्रेड क	560	20	580	590	600	610^	675$$/850~	880	51.72	30.37
ज्वार	शंकर	485	5	505	515	525	540	600	840	66.34	40
	मालदानी	-	-	-	-	-	555	620	860		38.71
बाजरा		485	10	505	515	525	540	600	840	66.34	40
मक्का		485	5	505	525	540	540	620	840	66.34	35.48
रागी		485	5	505	515	525	540	600	915	81.19	52.5
अरहर		1320	5	1360	1390	1400	1410	1550^^	2000	47.06	29.03
मूंग		1330	5	1370	1410	1520	1520	1700^^	2520	83.94	48.24
उड़द		1330	5	1370	1410	1520	1520	1700^^	2520	83.94	48.24
कपास	एफ-414/एच-777/जे-34			1725	1760	1760	1770*	1800*	2500#	44.93	38.89
	एच-4			1925	1960	1980	1990**	2030**	3000##	55.84	47.78
मूंगफली		1355	20	1400	1500	1520	1520	1550	2100	50.00	35.48
सूरजमुखी के बीज		1195	15	1250	1340	1500	1500	1510	2215	77.20	46.69
सोयाबीन	काली	795	10	840	900	900	900	910	1350	60.71	48.35
	पीली	885	10	930	1000	1010	1020	1050	1390	49.46	32.38
तिल		1450	5	1485	1500	1550	1560	1580	2750	85.19	74.05
नाइजर सीड		1120	-	1155	1180	1200	1220	1240	2405	108.23	93.95
रबी फसल											
गेहूं		620	10	630	640	650$	750$$	1000	1080*	71.43	8.00
जौ		500	5	525	540	550	565	650	680*	29.52	4.62
चना		1220	5	1400	1425	1435	1445	1600	1730*	23.57	8.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मसूर (लैनटिन)		1320	5	1500	1525	1535	1545	1700	1870*	24.67	10
रेपसीड/सरसों		1330	10	1600	1700	1715	1715	1800	1830*	14.38	1.67
कुसुम		1300	5	1500	1550	1565	1565	1650	1650*	10	0
तोरी		1295	10	1565	1665	1680	1680				
अन्य फसलें											
गन्ना				73	74.5	79.5	80.25	81.18	81.18	11.21	0

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।
$ न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 50 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देय था।
$$ न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर 100 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देय था।
^ 1.10.2006 से 31.3.2007 के बीच खरीद पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देय था।
बिहार और केरल के मामले में अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस 31.5.2007 तक और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामले में 31.9.2007 तक बढ़ाया गया।
^^ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और उसके ऊपर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस।
* 2008-09 के लिए सी ए सी पी द्वारा संस्तुत आंकड़े
स्रोत: कृषि और सहकारिता विभाग।

डी आर डी ओ द्वारा पेय पदार्थ यूनिट की स्थापना

3368. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी आर डी ओ द्वारा हर्बल पेय पदार्थों की उत्पादन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2008-09 के दौरान इस प्रकार की इकाइयों को कहां स्थापित किया गया है अथवा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में अब तक इस प्रकार की इकाइयों की स्थापना पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का वाणिज्यिक पेय उत्पादन इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ जीवन विज्ञान प्रयोगशालाएं, विशेष रूप से सेनाओं के लिए आवश्यक विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं। इसके बाद उपयुक्त पाई गई प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उद्योगों को स्थानांतरित किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

एन.टी.सी. मिलें

3369. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (एनटीसी) मिलों द्वारा राज्यवार एवं मिल-वार अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा एनटीसी मिलों को लाभप्रद बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों और अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान राज्य-वार और मिल-वार अर्जित लाभ/हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस कंपनी को लाभप्रद बनाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) और अधिकार प्राप्त मंत्री समूह (ईजीओएम) द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) एनटीसी की प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए,

एनटीसी के नौ सहायक निगमों का एनटीसी होल्डिंग कंपनी के साथ विलय कर दिया गया है जिससे विगत में एनटीसी के लिए दस कंपनियों की तुलना में यह एकल निदेशक बोर्ड के साथ एकल कंपनी बन गयी है।

(ii) 67 गैर-अर्थक्षम मिलों को बंद कर दिया गया है और इन बंद मिलों के उन अधिशेष कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान किया गया है जिन्होंने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) का विकल्प का चयन किया है।

(iii) अधिशेष कर्मचारियों को एमवीआरएस देकर, एनटीसी में कर्मचारियों की संख्या को 12234 तक कम किया गया है। इस योजना के तहत 59179 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ लिया है।

(iv) स्वयं एनटीसी द्वारा आधुनिकीकरण के लिए 22 मिलों की पहचान की गई है। इनमें से 15 मिलों का अब तक आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अलावा, संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से 16 मिलों के आधुनिकीकरण को भी अंतिम रूप दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के लिए राज्यवार/मिलवार निवल लाभ/हानि दर्शाने वाला विवरण
वर्ष 2005-06 से अप्रैल 2008-सितम्बर 2008

(लाख रु.)

क्र.सं.	मिल का नाम	2005-06 लेखापरीक्षित	2006-07 लेखापरीक्षित	2007-08 लेखापरीक्षित	2008-09 अप्रैल, 08-सितम्बर 08 लेखापरीक्षित
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश					
1.	तिरुपति कॉटन मिल	-287.74	-264.55	-318.70	-134.72
2.	अनंतपुर कॉटन मिल	1184.4	-.327.06	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
	कुल योग	-1472.14	-591.61	-318.70	-134.72
कर्नाटक					
3.	मिनर्वा मिल	-4079.32	-1632.76	-2548.24	-1163.26
4.	श्री यालम्मा कॉटन मिल	-1185.72	-332.85	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
	कुल योग	-5265.04	-1965.61	-2548.24	-1163.26
केरल					
5.	अलगप्पा टेक्स, मिल्स	-447.35	-250.05	-896.78	-412.54
6.	कन्नूर स्पि. एंड वि. मिल्स	-269.29	19.31	-256.21	-97.59
7.	केरल लक्ष्मी मिल्स	-456.06	-60.15	-681.65	-306.94
8.	विजय मोहिनी मिल्स	-458.1	-148.49	-470.39	-302.49
9.	पार्वती मिल्स	-1373.73	-1159.87	-2201.02	-462.24
	कुल योग	-3034.53	-1599.25	-4506.05	-1581.80
माही					
10.	कन्नूर स्पि. एंड वि. मिल्स	-393.51	-94.06	-381.26	-221.14

1	2	3	4	5	6
पंजाब					
11.	खरार टेक्स. मिल्स	-2032.44	-1007.58	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
12.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स	-1820.15	-811.98	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
	कुल योग	-3852.59	-1819.56		
राजस्थान					
13.	उदयपुर कॉटन मिल्स	208.18	-489.70	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
14.	महालक्ष्मी मिल्स	-1428.32	-1031.66	-1102.42	-364.78
15.	श्री विजेय कॉटन मिल्स	-1655.48	-757.47	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
	कुल योग	-2873.62	-2278.83	-1102.42	-364.78
गुजरात					
16.	अहमदाबाद न्यू टेक्स मिल्स नं.1	-2255.66	-903.86	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
17.	राजनगर टेक्स. मिल्स नं. 1	-2495.17	-1245.14	-1298.49	-103.44
	कुल योग	-4750.83	-2149.00	-1298.49	-103.44
महाराष्ट्र					
18.	इंडिया युनाइटिड मिल्स वार्ड वर्क्स	-1865.52	-2308.83	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
19.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. 1	-3432.41	-3681.78	-7280.66	
20.	कोहिनूर मिल्स नं. 1	3661.34	258.21	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
21.	टाटा मिल्स	-3719.27	-2644.59	-4085.34	-1954.13
22.	पोद्दार मिल्स	-2695.62	-2858.55	-3458.43	-1569.24
23.	आरबीबीए मिल्स	-1016.87	-1130.71	-2032.8	-682.35
24.	इंडिया युनाइटिड मिल्स नं. 5	-1997.51	-1995.05	-2201.64	-1213.60
25.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स	-668.22	-509.33	-781.68	-386.56
26.	अपोलो टैक्सटाइल मिल्स	16435.94	16995.26	2602.94	
27.	वारली टेक्स. मिल्स	-170.09	-378.92	-614.87	-361.07
28.	चालीसगांव टेक्स. मिल्स	-756.91	-1274.52	-1125.34	-655.07
29.	फिनलै मिल्स	-3608.74	-4098.89	-2455.48	-1195.42
30.	धुलै टेक्स. मिल्स	-948.96	-1369.13	-1227.64	-619.27
31.	गोल्डमोहर मिल्स	-2586.75	-1393.16	-3684.41	

1	2	3	4	5	6
32.	नाडिड टेक्स. मिल्स	-1135.31	1745	-1208.27	-718.60
33.	न्यू सिटि ऑफ बोम्बे मैन्यु. मिल्स	-2651.37	-1528.84	-5033.44	
34.	औरंगाबाद टेक्स. मिल्स	-520.69	-540.86	-1076.01	
	कुल योग	-7684.98	-6732.69	-33663.07	-9355.31
मध्य प्रदेश					
35.	बरहानपुर तापती मिल्स	- 847.05	-1080.29	-1178.22	-115.98
36.	न्यू भोपाल टेक्स. मिल्स	-1032.30	-1230.36	-1619.13	-439.00
	कुल योग	-1879.35	-2310.65	-2797.35	-554.98
उत्तर प्रदेश					
37.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, माहू	-1306.35	-408.12	-494.32	-47.70
38.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, नैनी	-3300.79	-1051.93	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
	कुल योग	-4607.14	-1460.05	-494.32	-47.70
पश्चिम बंगाल					
39.	लक्ष्मीनारायण कॉटन मिल्स	-763.34	-666.00	697.25	-87.09
40.	शोधपुर कॉटन मिल्स	-535.08	-596.85	-111.32	-55.06
41.	आरती कॉटन मिल्स	-709.68	-671.52	-63.78	-83.40
	कुल योग	-2008.10	-1934.37	522.15	-225.55
बिहार					
42.	बिहार कोआपरेटिव मिल्स	-715.16	-594.50	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
उड़ीसा					
43.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	-707.85	-663.14	-42.79	-78.73
असम					
44.	एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज	-604.35	-560.21	(कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं)	
तमिलनाडु					
45.	कम्बोडिया मिल्स	-240.12	-1077.27	-753.07	-338.98
46.	कोयम्बटूर मुरुग्वे मिल्स	-179.08	-525.82	-269.68	-251.97
47.	पंकजा बमल्स	-240.99	-292.04	4199.39	-319.03

1	2	3	4	5	6
48.	पाइनियर स्पिनर मिल्स	-120.31	-257.08	-425.69	-233.31
49.	श्री रंगविलास एस. एंड डब्ल्यू. मिल्स	577.06	-338.52	-535.31	-307.28
50.	कालेश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	-68.7	-286.05	-328.03	-226.93
51.	श्री शारदा मिल्स	-632.24	-495.91	-1053.67	-419.83
52.	कोयम्बटूर स्पि. एंड वि. मिल्स	-857.67	-1591.27	-1362.54	-693.45
	कुल योग	-1762.05	-4863.96	-548.60	-2790.78

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

3370. श्री राकेश सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) स्थापित करने की एक योजना अनुमोदित की है। भारत के राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 29 मई, 2008 को सं. 7(5)/2006-ई-इन्फ्रा के जरिए इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है। इस योजना में सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस) तथा संबंधित सेवाओं और मूलसंरचना सहित इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण इकाइयां (ईएचएम) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक आईटीआईआर विशेष रूप में अधिसूचित निवेश क्षेत्र होने की संभावना है जिसका न्यूनतम क्षेत्र 40 किलोमीटर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करना है कि इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी वास्तविक मूलसंरचना तथा उपयोगिताएं (विद्युत, जल, सड़क, परिवहन, मलव्ययन तथा उपचार की पर्याप्त सुविधाएं) प्रदान की जाएं। भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, विमानपत्तन तथा रेल सम्पर्क का विकास करेगी।

भारत में सेमीकंडक्टर संविरचना तथा अन्य सूक्ष्म और नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा 21 मार्च, 2007 को विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (सिप्स) की घोषणा की गई। यह योजना 31 मार्च, 2010 तक चालू है। केन्द्र सरकार अथवा इसकी कोई अन्य एजेंसी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में स्थित इकाइयों के लिए पहले 10 वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का 20% तथा गैर एसईजेड इकाइयों के लिए पूँजीगत व्यय का 20% प्रोत्साहन के रूप में दे सकते हैं। गैर-एसईजेड इकाइयों को प्रतिशुल्क (सीवीडी) से छूट दी जाएगी। सिप्स के लिए दिनांक 21.3.07 की राजपत्र अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों के अनुसार इकाइयां पूंजीगत इमदाद तथा/अथवा साम्यापूंजी के रूप में प्रोत्साहन का दावा कर सकती हैं।

[अनुवाद]

लघु ऋण का संवितरण

3371. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के साथ महिला स्व-सहायता समूहों को लघु ऋण का संवितरण करने हेतु गठजोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को देश के सभी डाकघरों में आरंभ किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) लघु ऋण पर स्व-सहायता समूहों द्वारा किस दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा; और

(च) डाकघरों द्वारा नाबार्ड से कितना कमीशन प्रभारित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) तमिलनाडु के चुनिंदा पांच जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को लघु ऋण के संवितरण के लिए एक प्रायोजिक परियोजना के रूप में तमिलनाडु डाक सर्किल द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है। प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) देश के सभी डाकघरों में इस योजना को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। समझौता ज्ञापन तमिलनाडु राज्य के केवल पांच (5) जिलों में लागू है।

(ङ) और (च) स्व-सहायता समूहों द्वारा प्रतिवर्ष 9% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है जिसमें से डाकघरों को कमीशन के रूप में 3% मिलता है।

विवरण

नाबार्ड स्व-सहायता समूह-डाकघर योजना

1. योजना का विवरण: तमिलनाडु के डाक डिवीजन एवं जिले जहां यह स्कीम प्रचालन में है

क्र.सं.	डिवीजन का नाम	सेवित जिले	योजना को कार्यान्वित करने वाले डाकघरों की संख्या	स्व-सहायता समूहों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	तिरुवण्णामलै	तिरुवण्णामलै	459	519
2.	पुदुकोट्टई	पुदुकोट्टई	342	463
3.	नागपट्टिनम	तिरुवारूर	95	172
4.	पात्तुकोट्टई	थंजावूर, तिरुवारूर	217	324
5.	कुंबकोणम	थंजावूर, तिरुवारूर	148	285
6.	थंजावूर	थंजावूर, तिरुवारूर	372	385
7.	मैलाडुदुरै	तिरुवारूर	20	75
8.	कराईकुडी	सिवगंगाई	116	121
9.	शिवगंगा	सिवगंगाई	194	502
		कुल	1963	2846

2. नवंबर, 2008 तक स्व-सहायता समूहों को मंजूर किए गए तथा उनके द्वारा चुकाए गए ऋण का ब्यौरा:

- जुड़े हुए स्व-सहायता समूहों की संख्या 2846
- मंजूर किए गए ऋण की राशि (रुपए में) 1,78,89,950
- ऋण की चुकाई गई राशि (रुपए में) 89,48,379

नए जैव संवर्धित आलू का उत्पादन

3372. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने आलू में आनुवंशिक परिवर्तन किए हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने में सक्षम हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इस प्रकार के वास्तविक परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) देश में नए जैव संवर्धित आलू का व्यवसायिक उत्पादन कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), शिमला तथा राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (डीबीटी), नई दिल्ली के बीच सहयोगी प्रयास के तहत वाणिज्यिक भारतीय आलू किस्मों के पराजीनी वंशक्रमों को विकसित किया गया है।

इस परियोजना को *एमरानथस हाईकोन्ड्रीएकस* (रामदाना) के उच्च गुणवत्ता वाले बीज भंडारण प्रोटीन (एएमए1) पर प्रत्यारोपित करते हुए आलू प्रोटीन की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 1999-2000 में आरम्भ किया गया। आठ भारतीय आलू किस्मों को एमए1 जीन के साथ रूपांतरित किया गया जिसमें कुफ्री चिपसोना 1, कुफ्री चिपसोना 2, कुफ्री बादशाह, कुफ्री सतलज, कुफ्री ज्योति, कुफ्री पुखराज, कुफ्री बहार तथा कुफ्री सिंधुरी शामिल हैं। आरम्भ में पराजीनी ग्रीनहाऊस के तहत सीपीआरआई, शिमला तथा सीपीआरआई कैम्पस, मोदीपुरम में 40 पराजीनी वंशक्रमों का मूल्यांकन किया गया। एएमए1 जीन की कंद पैदावार तथा अभिवयंजकता (एक्सप्रेशन) के आधार पर 2 वंशक्रमों में प्रत्येक से 7 आलू किस्मों का सीपीआरआई, मोदीपुरम (2003-04; 2004-05; 2005-06), सीपीआरएस, जालंधर (2004-05; 2005-06) तथा एनआईपीजीआर, नई दिल्ली (2004-05; 2005-06) में आगे चयन के लिए सीमित परीक्षण किया गया।

कुफ्री चिपसोना 2 के दो पराजीनी वंशक्रमों (के. चिपसोना 2/15 तथा के. चिपसोना 2/40) तथा कुफ्री बादशाह (के. बादशाह/5) तथा कुफ्री सतलज (के. सतलज/3) प्रत्येक से एक वंशक्रम में प्रोटीन तत्व में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई थी। प्रोटीन तत्व की वृद्धि के. चिपसोना 2/40 में 41 प्रतिशत, के. चिपसोना 2/15 में 39 प्रतिशत, के. सतलज/3 में 21 प्रतिशत तथा के. बादशाह/5 में 16 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिबंध होने के कारण कोई खेत परीक्षण नहीं किये जा सके। आनुवंशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति के अनुमोदन पूर्ण होने के बाद ही खेत परीक्षण आरम्भ किए जाएंगे। वंशक्रमों के व्यवसायिक दोहन के लिए कम से कम 4-5 वर्ष की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

खाली पड़ी भूमि की बिक्री से आय

3373. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल); भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) इत्यादि की खाली पड़ी भूमि की बिक्री से राजस्व अर्जित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कंपनियों की कुल कितनी भूमि और परिसरों को बेचा गया/बेचे जाने का विचार है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। तथापि, जहां तक विदेश संचार निगम लिमिटेड का संबंध है, विनिवेश के पूर्व अधिशेष के रूप में अभिज्ञात कुल 773.13 एकड़ भूमि का शेयरधारक करार एवं शेयर खरीद करार के उपबंधों के अनुसार निपटान किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

3जी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के लिए स्पेक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभार

3374. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनूठे तीसरी-पीढ़ी (3जी) मोबाइल सेवा प्रचालकों के लिए स्पैक्ट्रम प्रयोक्ता प्रभारों तथा 6.2 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम वाले प्रचालकों के लिए एक बारगी प्रभार के संबंध में प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई दूरसंचार कंपनियों को प्रवर्तकों द्वारा हिस्सेदारी की बिक्री से संबंधित लॉक-इन पीरियड के बारे में क्या प्रस्ताव है; और

(घ) इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) केवल 3जी मोबाइल सेवा प्रचालकों के लिए वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने तथा 6.2 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम वाले प्रचालकों के लिए एक

बारगी प्रभार लगाने संबंधी प्रस्ताव विचारधीन है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारक कंपनी के प्रवर्त्तकों की इक्विटी की बिक्री पर रोक की अवधि संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जल निकायों की मरम्मत

3375. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में झीलों सहित जल निकायों के पुनरुद्धार/मरम्मत हेतु कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना को पूरे देश में लागू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान सिंचाई से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए एक प्रायोगिक स्कीम कार्यान्वित की गई थी। इस स्कीम के अधीन 15 राज्यों के 26 जिलों में 1098 जल निकायों के संबंध में 299.92 करोड़ रुपये के परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई थी। देश के शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और खराब पड़ी झीलों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) के अंतर्गत एक स्कीम जून, 2001 में शुरू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत 772.01 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत से 56 झीलों के संरक्षण की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(ग) से (ङ) सम्पूर्ण देश में जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरुद्धार की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ग्यारहवीं योजना में 2750 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है। ग्यारहवीं योजना में एनएलसीपी के लिए 440 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया है।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन सुविधा

3376. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में विशेषकर दूरस्थ, सघन वन वाले तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे कितने गांवों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जहां की जनसंख्या 100 से भी कम है; और

(ख) देश में ऐसे कितने गांव हैं, जो बुनियादी टेलीफोन सुविधाओं से वंचित हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में टेलीफोन सुविधारहित शेष 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ने नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 100 से कम आबादी वाले, घने वन क्षेत्रों/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बसे गांव शामिल नहीं हैं। 31 अक्तूबर, 2008 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल द्वारा 55,420 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान कर दिए गए हैं।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में आबादी वाले ऐसे 60,000 गांव हैं जहां अभी ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान की जानी है। इन गांवों में अगले दो वर्षों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का पुनरुद्धार

3377. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत इंजीनियर और संबंधित योग्य व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समक्ष आ रहे गंभीर संकट के कारण बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक राहत पैकेज शुरू किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के पुररुद्धार और बेरोजगार हुए ऐसे कामगारों को राहत के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना

3378. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या डी एम एस बूथ मालिकों ने डी एम एस दूध के अलावा अन्य उत्पादों को बेचने में अधिक रुचि दिखायी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा डी एम एस बूथों पर वस्तुओं की बिक्री के विनियामक उपबंध क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): (क) से (ग) जी, हां। अत्यधिक मानव क्षमता, आदान लागतों में बढ़ोत्तरी तथा पुराने संयंत्र एवं मशीनरी के परिणामस्वरूप उत्पादन की उच्चतर लागत के कारण दिल्ली दुग्ध योजना घाटे में चल रही है।

दिल्ली दुग्ध योजना के लाभ में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) सरकार समग्र क्षमता में वृद्धि करने के लिए विपणन, दुलाई एवं संयंत्र संचालनों जैसे संचालन के विभिन्न क्षेत्र में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

(2) व्यय में कमी करने के लिए, केन्द्रीय डेयरी में दूध के पैकिंग का काम तीन पारियों की तुलना में दो पारियों में पूरा किया जा रहा है।

(3) लागत में कमी करने के लिए पुराने संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण के आधुनिकीकरण का काम प्रारंभ किया जा रहा है।

(4) दूध के औसतन प्रतिदिन की बिक्री, प्रति यूनिट विद्युत से कारोबार किए गए दूध, तरल दूध की क्षति की प्रतिशतता इत्यादि जैसी दिल्ली दुग्ध योजना के विभिन्न क्षमता पैरामीटरों की नियमित निगरानी।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। विभाग में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, मौजूदा नीति के अनुसार, दिल्ली दुग्ध योजना के रियायतकर्त्ताओं को दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों से सिगरेट, गुटका, खैनी, पान आदि जैसे किसी निषेध पदार्थ की बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ-

(1) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10010/2008)

(1) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10011/2008)

(2) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 594(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2008 जो 9 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 511(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 10012/2008)

(3) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 595(अ), जो 14 अगस्त, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में उल्लिखित राज्य तकनीकी शिक्षा परिषदों को व्यवसायों अथवा विषयों के साथ व्यावसायिक परीक्षण अथवा परीक्षा के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 10013/2008)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10014/2008)

(3) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10015/2008)

(5) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10016/2008)

(7) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10017/2008)

(8) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10018/2008)

(9) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10019/2008)

(11) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10020/2008)

(12) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय राज्य फॉर्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य फॉर्म निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10021/2008)

(ख) (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10022/2008)

(13) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10023/2008)

(15) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी पादप संगरोध

(भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2006 जो 7 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 2074(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 10024/2008)

(16) (एक) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल्स ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑयलसीड्स एण्ड वेजिटेबल्स ऑयल्स डेवलपमेंट बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10025/2008)

(17) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10026/2008)

(18) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत गुड़ श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2008 जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 810(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10027/2008)

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन): महोदय, मैं बार और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अधीन बार और मापक (पैकेजयुक्त वस्तु) संशोधन नियम, 2008 जो 16 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 10028/2008)

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर जूट डायवर्सिफिकेशन, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10029/2008)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10030/2008)

(ख)(एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गयें। **देखिए** संख्या एल. टी. 10031/2008)

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(क) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10032/2008)

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10033/2008)

(2) (एक) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लायड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10034/2008)

(3) (एक) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10035/2008)

(4) (एक) साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10036/2008)

(5) (एक) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10037/2008)

(6) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 जो 21 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 104-15/2008-एमएन में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 10038/2008)

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10039/2008)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10040/2008)

(2) (एक) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(एक) सत्यजीत राय फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10041/2008)

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे डा. राम कृष्ण कुसमरिया और श्रीमती नीता पटैरिया जो मध्य प्रदेश के क्रमश: खजुराहो तथा सिवनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य हैं; से लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने संबंधी दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 के अलग-अलग पत्र प्राप्त हुए हैं।

मैंने 19 दिसम्बर, 2008 से उनके त्यागपत्र स्वीकार कर लिए हैं।

अपराह्न 12.02½ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे महासचिव, राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 दिसम्बर, 2008 का हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 दिसम्बर 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

मुझे यह भी सूचित करना है कि राज्य सभा ने निम्नलिखित विधेयक पारित किए हैं-

(एक) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2008;

(दो) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विधेयक, 2008;

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008; और

(चार) सांख्यिकी संग्रहण विधेयक, 2008।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2008, राज्य सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2008 को यथा पारित स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 राज्य सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2008 को यथा पारित, सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

33वां और 34वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) भारतीय खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (14वीं लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 33वां प्रतिवेदन; और

(2) विद्युत उत्पादक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति

(एक) प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा): मैं लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

(दो) साक्ष्य

श्री इकबाल अहमद सरडगी: मैं लाभ के पदों संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (क्रमशः 2006-2007 और 2007-2008) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 114वें और 117वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री टी. आर. बालू की ओर से राज्य-परिषद में प्रक्रिया और कारोबार-संचालन-नियम के नियम 266 और राज्य-सभा के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28 सितंबर, 2004 के संसद-बुलेटिन-भाग II द्वारा जारी निदेश के अनुसरण में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंध में विभाग से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति की 114वीं और 117वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्थिति के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूँ।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के संबंध में विभाग से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 114वीं और 117वीं रिपोर्ट पर विचार करने के लिए क्रमशः दिनांक 16 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 09 मई, 2007 को अपनी बैठकें की थीं। उपर्युक्त समिति ने इस विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। इस समिति की 114वीं रिपोर्ट, दिनांक 14.05.2007 को राज्य-सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई और 14.05.2007 को लोक-सभा के पटल पर रख दी गई। इस समिति की 117वीं रिपोर्ट, दिनांक 14.05.2007 को राज्य-सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी गई और 14.05.2007 को लोक-सभा के पटल पर रख दी गई।

मैं इस समिति की 114वीं और 117वीं रिपोर्ट में निहित उन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए एक वितरण (भाग I और भाग II) भी इस सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10042/2008

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 389 के अनुसरण में, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निदेश के अनुसार, श्रम संबंधी स्थायी समिति की अट्ठाईसवीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में 1 सितम्बर, 2004 को यह वक्तव्य रख रहा हूँ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय की संबद्ध समिति की अट्ठाईसवीं रिपोर्ट 22.4.2008 को सदन के पटल पर रखी गयी थी। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि मंत्रालय ने इस रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट, समिति को 27.8.2008 को प्रस्तुत कर दी थी जिसकी समिति को जानकारी है।

अट्ठाईसवीं रिपोर्ट में निहित समिति की सिफारिशों पर कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में है जिसे माननीय सदस्यों में परिचालित कर दिया गया है। मैं सदन में इस अनुबंध की विषय-वस्तु को वाचिक रूप में रखकर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा।

मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया माना जाए।

अपराह्न 12.06 बजे

(तीन) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति ने वर्ष 2008-09 की रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) की अनुदान की मांगों की जांच की और दिनांक 23.4.2008 को लोक सभा को अपना 25वां प्रतिवेदन प्रस्तुत की। प्रतिवेदन में 19 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं। सिफारिशों का सार निम्नानुसार है-

(i) अनुदानों की मांगों 2007-08 संबंधी 16वें प्रतिवेदन में आंशिक रूप से क्रियान्वित सिफारिशों का क्रियान्वयन।

(ii) 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान निधियों का समानुपातिक उपयोग।

(iii) सिपेट, गुवाहाटी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र को शीघ्र शुरू करना।

(iv) भोपाल गैस रिसाव पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सामान्य कल्याण स्कीम के लिए अनुपस्थित दावेदारों की शेष राशि का उपयोग।

(v) भोपाल स्थित यूनियन कारबाइड संयंत्र से जहरीले कचरे को हटाया जाना।

(vi) असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट को समय पर शुरू किया जाना और असम एवं अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों में रोजगार सृजित करना।

(vii) आईपीएफटी द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति और सुचारू कार्यान्वयन।

(viii) समयबद्ध तरीके से नए नाइपरों को चालू किया जाना।

(ix) जनता व उद्योग की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञों द्वारा अधिक जागरुकता कार्यक्रम एवं उपचारी उपायों का आयोजन।

(x) राष्ट्रीय औषध नीति 2008 को अंतिम रूप देना।

(xi) औषधों का निर्यात।

(xii) और अधिक पीसीपीआईआर की स्थापना।

(xiii) नई योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का समुचित उपयोग।

(xiv) किसी इकाई की स्थापना से पूर्व सभी पैरामीटरों का पता लगाना।

(xv) आईडीपीएल का पुनरूज्जीवन - मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को अंतिम रूप देना।

(xvi) एचएएल की परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करना।

(xvii) बीसीपीएल की पुनरूज्जीवन योजना को समयबद्ध रूप से पूरा करना।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10043/2008

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10044/2008

(xviii) केएपीएल को एचएएल से अलग करना और सेफालोस्परिन परियोजना की शीघ्र स्थापना।

(xix) ओडीसीएल को बंद करने की बजाए उसे पुनरूज्जीवित करना।

अनुदान की मांगों 2007-08 संबंधी 16वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों का स्थायी समिति ने विश्लेषण किया। रसायनी इकाई में कॉस्टिक/क्लोरीन संयंत्र के शुरू होने से, रसायनी इकाई का वार्षिक कारोबार पुनरूज्जीवन योजना के अनुसार वर्तमान कारोबार 106.00 करोड़ रु. से बढ़कर 210 करोड़ रु. हो जाएगा। संयंत्र को 19.9.2008 को पुन: चालू किया गया है। विभाग के कुछ दीर्घकालिक कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य ईएफसी/एसएफसी आयोजित की जा रही है। सिपेट में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के लिए मशीनरी की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। परियोजना के मार्च 2009 तक चालू हो जाने की संभावना है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के पीड़ितों को यथानुपात मुआवजा संवितरण का कार्य अभी भी जारी है। कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा लगभग 13,000 अनुपस्थित दावेदारों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया गया कि इन सभी मामलों को समाप्त मान लिया जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अभी आदेश जारी किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जून, 2008 में 40 एमटी लाइम स्लज को पीतमपुर ले जाया गया है। अन्य 350 एमटी के विषैले अपशिष्ट को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना के चरण-II को पूरा करने के लिए शीघ्र ही भस्मक में दहन करना है।

भारत सरकार ने असम गैस क्रैकर परियोजना और स्थल कार्य के क्रियान्वयन के लिए जून 2008 में 100 करोड़ रुपए निर्गत किए जिसमें आवंटित भूमि प्राप्त करना शामिल है और स्थल विकास कार्य चल रहा है। आईपीएफटी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और इसने राष्ट्रीय स्तर पर 'नीम उत्पादों को पर्यावरण हितैषी कीटनाशकों का विकास व उत्पादन' परियोजना शुरू की है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 23 अगस्त 2007 को छ: नए नाइपरों को (i) अहमदाबाद (ii) हैदराबाद (iii) हाजीपुर (iv) कोलकाता (v) गुवाहाटी, एवं (vi) राय बरेली में स्थापित करने का अनुमोदन किया। छ: नए नाइपरों की स्थापना संबंधी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है। छ: नए नाइपरों में से चार स्थानों यानी अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता व हाजीपुर में 2007-08 से ही मेंटर संस्थानों के माध्यम से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। नाइपर, गुवाहाटी व नाइपर, रायबरेली में कक्षाएं मेंटर संस्थानों के माध्यम से 2008-09 शैक्षणिक सत्र से शुरू हो गई है। आम जनता व फैक्ट्री कामगारों की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए सीडब्ल्यूसी (रासायनिक हथियार समझौता) के अनुसार रसायन उद्योग वाले स्थानों पर देश के विभिन्न भागों में 12 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इस विभाग ने अन्य स्टेकधारकों से चर्चा के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय औषध नीति को प्रारूप तैयार किया और केन्द्रीय मंत्रिमंडल को विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। मंत्रिमडंल ने अपनी 11.1.2007 की बैठक में इस नीति पर विचार किया। यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम इस विषय पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा विचार किया जाए। जीओएम का गठन हो गया है और इसकी अब तक चार बैठकें 10.4.2007, 12.9.2007, 30.1.2008 और 30.4.2008 को हुई थी। औषध नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए जीओएम के निर्णय हेतु सतत प्रयास कर रहा है। मेगा केमिकल इंडस्ट्रीयल एस्टेट को पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) के रूप में शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्यात, व्यापार और निवेश का संवर्द्धन पीसीपीआईआर स्थापित कर इंडियाकेम और अन्य संवर्द्धन कदम उठाकर इस क्षेत्र को संवर्द्धित किया जा रहा है। विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश और दाहेज, गुजरात के संबंध में पीसीपीआईआर प्रस्ताव को उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हल्दिया, पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जा रहा है। इसके लिए रसायन संवर्द्धन विकास योजना से निधियों का उपयोग किया जा रहा है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (आईडीपीएल) का पुनरूज्जीवन अभी भी मंत्रियों के समूह के विचाराधीन है एचएएल की नई सेफालोस्पोरीन परियोजना का वाणिज्यिक उत्पादन जनवरी 2009 में शुरू होगा। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि॰ (बीसीपीएल) ने अपनी मंजूर पुनर्वास योजना को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। बीसीपीएल ने उत्पादन, वित्त, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 18 पेशेवरों की भी भर्ती की है। बीसीपीएल यह सुनिश्चित कर रहा है कि उत्पादित की जा रही वस्तुएं आर्डर के अनुरूप हैं न कि आर्डर के अनुमान के अनुरूप है ताकि अनावश्यक वस्तुसूची के जमाव से बचा जा सके। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल) से कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. को अलग करने से संबंधित अंतिम निर्णय शीघ्र ही लिए जाने की संभावना है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल) तथा मैसर्स मेडिक्योर दोनों ने उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि. (ओडीसीएल) के पुनरूज्जीवन की अपनी योजनाएँ उड़ीसा उच्च न्यायालय को सौंपी हैं जिसने परिसमापक को योजनाएं मूल्यांकन हेतु सौंपी हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को सुरक्षित रखा है और उसकी प्रतीक्षा है।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

(चार) कोयला मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया): मैं, दिनांक 1 सितम्बर 2004 को लोक सभा संसदीय बुलेटिन भाग-II के तहत जारी माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-क के अनुसरण में कोयला और इस्पात से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का 31वां प्रतिवेदन लोक सभा में दिनांक 16.4.2008 को प्रस्तुत किया गया था। समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण कोयला और इस्पात से सम्बद्ध स्थायी समिति को दिनांक 25.7.2008 को भेज दिया गया था।

उक्त प्रतिवेदन में समिति द्वारा 9 सिफारिशें की गयी हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्यत: योजना परिव्यय, अवैध खनन, कोयला विनियामक की स्थापना करने के तहत निधियों के उपयोग जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध के समस्त विवरण को पढ़कर सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा गया माना जाए।

अपराह्न 12.07 बजे

(पांच) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों क्रमश: (2007-08 और 2008-09) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 183वें और 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं:

विभाग को, अनुदानों की मांगों (2007-08) संबंधी समिति के 176वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की विभाग से संबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) संबंधी 183वां प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदन को, क्रियान्वयन के लिए विभाग में संबद्ध प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया था।

विभाग से संबद्ध विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति (राज्य सभा) की परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) संबंधी 191वां प्रतिवेदन विभाग को फरवरी-मार्च, 2008 में प्राप्त हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) द्वारा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, दिनांक 22.07.2008 की टिप्पणी संख्या 1/2(2)2008/169 के अंतर्गत राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत की गई थी।

मैं, आपकी अनुमति से इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07$^{1}/_{2}$ बजे

(छह) (क) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित, "वस्त्र मिलों की रुग्णता/बंद होना" के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय मैं 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में अंतर्विष्ट माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73(क) के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय के वस्त्र मिलों की रुग्णता/उनको बंद करने के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अपना 27वां प्रतिवेदन 17 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 9 सिफारिशें

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10045/2008

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10046/2008

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10047/2008

हैं। समिमि की सिफारिशों का मुख्य जोर वस्त्र मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक एवं निजी वस्त्र मिलों की रुग्णता/उनको बंद करने के संबंध में है। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों की वस्त्र मंत्रालय में जांच की गयी है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई संबंधी एक विवरण श्रम संबंधी स्थायी समिति को अगस्त, 2008 में प्रस्तुत किया गया था। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों को अक्षरश: क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है।

मैं इसके साथ इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति भी सदन के पटल पर रखता हूं।

(ख) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, मैं 1 सितम्बर 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73(क) के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने अपना 29वां प्रतिवेदन 22 अप्रैल, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में 14 सिफारिशें हैं। समिति की सिफारिशों का मुख्य जोर वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में है...*(व्यवधान)* इस रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों की वस्त्र मंत्रालय में जांच की गयी है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई संबंधी एक विवरण श्रम संबंधी स्थायी समिति को जुलाई, 2008 में प्रस्तुत किया गया था। वस्त्र मंत्रालय समिति की सिफारिशों को अक्षरश: क्रियान्वित करने के लिए वचनबद्ध है।

मैं इसके साथ इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति भी सदन के पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08½ बजे

(सात) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 86वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, आपकी अनुमति से मैं 1 सितम्बर 2004 के लोक सभा के बुलेटिन भाग-II के माध्यम से जारी लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के प्रावधान 389 (नए निदेश 73-क) के तहत लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के छियासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं।

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, के वर्ष 2008-2009 संबंधी अनुदानों की मांगों की जांच की और इस बारे में अपना छियासीवां प्रतिवेदन 16 अप्रैल, 2008 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया और इसे 16 अप्रैल, 2008 को लोक सभा के सभा पटल पर रखा गया था। प्रतिवेदन में 44 सिफारिशें अंतर्विष्ट हैं।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में समिति की सभी 44 सिफारिशों पर विचार किया गया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही या तो पहले ही की जा चुकी है या आरंभ की गई है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध में दर्शाई गई है।

आपकी अनुमति से मैं सभा पटल पर वक्तव्य रखता हूँ।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10048/2008

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-10049/2008

अपराह्न 12.09 बजे

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री कांग्रेस का...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री संतोष गंगवार को बोलने देने का निश्चय किया है, मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूँगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है, जब इन्होंने बात उठाई थी, तब आप लोग नहीं थे। आपने सुना भी नहीं कि क्या हुआ, आप मेहरबानी करके बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले उन्हें बोलने देने का निश्चय किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको पता है ये सामान्य (रूटीन)कार्य हैं।

श्री हरिन पाठक: महोदय, क्या यह सामान्य कार्य है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका रूटीन मैटर नहीं कहा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम अभी जो कर रहे हैं, उस रूटीन मैटर की बात कही है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, मेरे से अपनी बात मत कहलाइये,

[हिन्दी]

यह डिबेट नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध हेतु नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूँ। जीवन बीमा निगम गत 51 वर्षों से सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। इसके अस्तित्व में आने के 51 वर्षों के बाद से अब तक भारत सरकार ने सरकारी इक्विटी को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाने के लिए कभी विचार नहीं किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य के कथन को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.13 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से लाभांश के रूप में कई हजार

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करोड़ रुपये मिले हैं। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम ने देश में अवसंरचना के विकास औद्योगिक विकास और अन्य कार्यकलापों के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। आज, जीवन बीमा निगम के अस्तित्व में आने के 51 वर्षों के पश्चात भारत सरकार ने सरकारी इक्विटी को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे कुछ गलत उद्देश्य है। इक्विटी में वृद्धि करने के पीछे क्या औचित्य है? अन्य सभा में वे बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के निर्णय के साथ जीवन बीमा निगम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित कर रहे हैं। दोनों विधेयक आपस में जुड़े हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण की दिशा में एक कदम है। यह कार्य असंवैधानिक है और इसीलिए मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का विरोध कर रहा हूँ। अत: हम इस विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने का कड़ा विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.15 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक 2008-जारी

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष जी, बहुत शर्मनाक बात है। कुछ दिन पहले ही हमने आतंकवाद के खिलाफ एक रिजोल्यूशन पास किया...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.01¼ बजे

(इस समय श्री रतिलाल कालीदास वर्मा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, क्या आप आग्रह कर रहे हैं?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, हम विधेयक पुर:स्थापित किए जाते समय मत विभाजन के लिए आग्रह कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री आचार्य, क्या आप मत विभाजन चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: हां महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मत विभाजन की आवश्यकता है, आप अपने स्थानों पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दीर्घाएं खाली कर दी जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कार्यवाही करूंगा, इनके नाम रिकार्ड कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"कि जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत विभाजन संख्या–1

अपराह्न 1.01 बजे

पक्ष में

अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र

*अतिथन, श्री धनुषकोडी आर,

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, डा. शकील

आठवले, श्री रामदास

आरुन रशीद, श्री जे.एम.

इंगती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री ई.वी.के.एस.

उरांव, डा. रामेश्वर

कलमाडी, श्री सुरेश

कादर मोहिदीन, प्रो. के.एम.

कामत, श्री गुरूदास

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती परनीत

खारवेनथन, श्री एस.के.

गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर

*गिल, श्री आत्मा सिंह

गोगोई, श्री दीप

*पर्ची के माध्यम से मतदान।

गौडा, श्रीमती तेजस्विनी

घुरन राम, श्री

चन्द्र कुमार, प्रो.

चालिहा, श्री किरिप

चित्तन, श्री एन.एस.वी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्री अधीर

जगदीशन, श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी

*जय प्रकाश, श्री

*जयाप्रदा, श्रीमती

टाइटलर, श्री जगदीश

*दुम्मर, श्री वी.के.

तंगबालु, श्री के.वी.

दीक्षित, श्री सन्दीप

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

निखिल कुमार, श्री

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पटेल, श्री दिनशा

पल्लानी शामी, श्री के.सी.

पाटील, श्री प्रतीक पी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्री लक्ष्मण राव

पिंगले, श्री देविदास

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान।

*पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रसाद, श्री हरिकेवल

फैन्थम, श्री फ्रांसिस

बंसल, श्री पवन कुमार

*''बाबा'', श्री के.सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बालू, श्री टी. आर.

बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

*भडाना, श्री अवतार सिंह

*माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री गिरिधारी

यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यास्खी, श्री मधु गौड

*पर्ची के माध्यम से मतदान।

रघुपति, श्री एस.

रठवा, श्री नारनभाई

राजगोपाल, श्री एल.

राजा, श्री ए.

*राजू, श्री एम.एम. पल्लम

राणा, श्री गुरजीत सिंह

राणा, श्री रविन्दर कुमार

रानी, श्रीमती के.

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

राव, श्री के.एस.

राव. श्री डी. विट्टल

*रेड्डी, श्री ए. इंद्र करण

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस.पी.वाई

रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.

लालू प्रसाद, श्री

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

विजयन, श्री ए.के.एस.

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

*वेलु, श्री आर.

*शर्मा, डा. अरविन्द

शर्मा, डा. अरूण कुमार

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

शाक्य, श्री रघुराज सिंह

*पर्ची के माध्यम से मतदान।

शिवन्ना, श्री एम.

*शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन

सज्जन कुमार, श्री

*सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंह, कुंवर मानवेन्द्र

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री चन्द्रभूषण

सिंह, श्री रेवती रमन

सिंह, श्रीमती कान्ति

सुगावनम, श्री ई.जी.

सुमन, श्री रामजीलाल

*सुम्बरूइ, श्री बागुन

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव एच.

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

हान्डिक, श्री विजय

*हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*हुसैन, श्री अनवर

*हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

विपक्ष में

अजय कुमार, श्री एस.

अप्पादुरई, श्री एम.

आचार्य, श्री प्रसन्न

आचार्य, श्री बसुदेव

करूणाकरन, श्री पी.

कृष्णदास, श्री एन.एन.

*पर्ची के माध्यम से मतदान।

कृष्णन, डा. सी.

*चक्रवर्ती, डा. सुजान

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी.के.

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

*जेना, श्री मोहन

तोपदार, श्री तरित बरण

*त्रिपाठी, श्री बृज किशोर

दासगुप्त, श्री गुरूदास

*नायक, श्रीमती अर्चना

*पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाल, श्री रूपचंद

बर्मन, प्रो. बसुदेव

बर्मन, श्री रनेन

बसु, श्री अनिल

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बेल्लारमिन, श्री ए.वी.

मंडल, श्री अबु अयीश

मनोज, डा. के. एस.

महताब, श्री भर्तृहरि

मिडियम, डा. बाबू राव

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

मोहन, श्री पी.

राजेन्द्रन, श्री पी.

राधाकृष्णन, श्री वरकला

लाहिरी, श्री समिक

वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान।

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सत्पथी, श्री तथागत

सलीम, मोहम्मद

*सिंह, श्री सुग्रीव

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सुजाता, श्रीमती सी.एस.

सेठ, श्री लक्ष्मण

हुसैन, श्री अनवर

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि+ के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा:-

पक्ष में: 106

विपक्ष में: 39

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

अपराह्न 1.06 बजे

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008++

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

* पर्ची के माध्यम से मतदान।

\+ पक्ष में 106+ सर्वश्री आर वेलु, एम.एम. पल्लम राजू, के.सी. सिंह 'बाबा', ललित मोहन शुक्ल वैद्य, अनवर हुसैन, विक्रमभाई अर्जनभाई माडम, धुनवकोडी आर. अतिथन, बागुन सुम्बरई, अवतार सिंह भडाना, जय प्रकाश, इकबाल अहमद सरडगी, डा. अरविन्द शर्मा, सर्वश्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, वी. के. दुग्मर, आत्मा सिंह गिल, ई. पोन्नुस्वामी, श्रीमती जयाप्रदा और श्री ए. इंद्र करण रेड्डी।
विपक्ष में: 39+ डा. सुजान चक्रवर्ती, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी, श्रीमती अर्चना नाइक, श्री सुग्रीव सिंह और श्री मोहन जेना।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

++ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2 दिनांक 22.12.2008 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 1.07 बजे

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूँ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 26, श्री जयराम रमेश: उपस्थित नहीं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2 दिनांक 22.12.2008 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 1.08 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

(एक) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. एम. करूणानिधि को 'भारत रत्न' सम्मान से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता

श्री. एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलैगनार करूणानिधि एक महान तमिल विद्वान, कवि, लेखक, समाज सुधारक और इस देश के एक अति वरिष्ठ नेता हैं। इनका जन्म 3 जून 1924 को तमिलनाडु के तत्कालीन जिले तंजावुर में छोटे से गांव अर्थात तिरूकुबलाई में हुआ था। इन्होनें अपना राजनैतिक कैरियर 18 वर्ष की आयु में आरंभ किया और वह वर्ष 1957 में पहली बार तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। तब से आज तक वह निरंतर तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य हैं और वह वर्ष 2006 में पांचवीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने विधान सभा में सदस्य के रूप में 50 वर्ष पूरे किए हैं। वह ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होने अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला कानून बनाया था। वर्ष 1989 के दौरान भारतीय इतिहास में पहली बार उनके द्वारा किसानों के लिए नि:शुल्क बिजली योजना कार्यान्वित की गई थी और उनके द्वारा अविवाहित लड़की को एक समान हिस्सेदारी से संबंधित कानून भी लागू किया गया था। गर्भवती महिलाओं हेतु 'मुथुलक्ष्मी रेड्डियर स्कीम', गरीब लड़कियों के विवाह हेतु 'मुवालुर रामामिर्थम अम्मइय्यर स्कीम' को भी उनके द्वारा शुरू किया गया था। गरीब ग्रामीण व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्होने पूरे तमिलनाडु में - 'वरूमन कप्पम स्कीम' को सफलतापूर्वक चलाया था और इससे लाखों व्यक्ति लाभान्वित हुए थे। उन्होंने किसानों की सहायता करने के लिए सभी तालुकों में 'उझावार संधाई (किसान बाजार) स्थापित किए थे। उन्होने किसानों के लिए ऋण से राहत, गरीबों के लिए राजसहायता प्राप्त चावल योजना राज्य में सभी गरीब परिवारों के लिए नि:शुल्क टीवी सेट की घोषणा की। वह शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के पक्ष में सबसे आगे हैं।

उनके द्वारा प्रदान की गई सभी समाज सेवाओं पर विचार करने पर मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित करे।

(दो) मानव बस्तियों से जंगली हाथियों को दूर रखने के लिए कर्नाटक के वन क्षेत्र की समुचित बाड़बंदी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): हमारे कर्नाटक राज्य में भारतीय हाथियों की 25 प्रतिशत आबादी रहती है। बंगलौर ग्रामीण, रामनगर, मैसूर, चामराजनगर और कुर्ग जैसे जिलों में राज्य की हाथियों की संख्या का कुल 80% निवास करती है।

वन भूमि के अधिकांश क्षेत्र पर अवैध कब्जा है। राज्य के पास 43,356,390 वर्ग कि.मी. वन भूमि है। लेकिन 65,585,65 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा है। वन भूमि जो जंगली हाथियों का आवास है उस पर मानव द्वारा अतिक्रमण के कारण हाथी कृषि भूमि में प्रवेश कर रहे हैं तथा भोजन की तलाश में गरीब किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं। सैकड़ो लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। लाखों रुपये की फसल बर्बाद हो गई है जिससे निपटना सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसके अतिरिक्त बहुत से हाथी बिजली के झटके से मर जाते हैं। बहुमूल्य जंगली हाथियों तथा उनसे किसानों को बचाने के लिए कुछ करने का यह सही समय है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी समान स्थिति है। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करती हूं कि जंगल क्षेत्र के चारों तरफ समुचित रूप से बाड़ लगाने तथा गरीब किसानों की बर्बाद फसल के लिए क्षतिपूर्ति के लिए वह राज्य सरकार को धन प्रदान करे।

(तीन) धुबरी-हल्दिया वाया बांग्लादेश जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने तथा धुबरी पत्तन के निर्माण हेतु निधि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): सादिया-धुबरी ब्रहमपुत्र जलमार्ग को राष्ट्रीय जल मार्ग सं ॥ घोषित किया गया है। रात्रि कालीन नौपरिवहन के लिए कार्य पूरा कर लिया गया है और नदी की

*सभा पटल पर रखे माने गये।

पेंदे से गाद निकालने का काम प्रगति पर है। संभवत: प्रायोगिक आधार पर असम से बंगलादेश होकर हल्दिया तक पोतों का परिचालन हो रहा है। नया घाट धुबरी पर एक पतन निर्माण का प्रस्ताव है। 200 करोड़ रुपये के आकलन की संस्वीकृति दी गई है। जिला प्रशासन ने इसके लिए जमीन चिन्हित कर दी है। चूंकि केन्द्र सरकार द्वारा धन जारी नहीं किया गया है इसलिए कार्य की प्रगति शून्य है।

बांग्लादेश होते हुए धुबरी-हल्दिया मार्ग निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है। तथा प्रचालन के उद्देश्य से इसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए।

सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि वह इस मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय जल-मार्ग के रूप में अधिसूचित करे तथा धुबरी पत्तन के निर्माण हेतु संस्वीकृत कोष तत्काल जारी करे।

(चार) दक्षिण रेलवे के मानवरहित रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): रेलवे ने देश में आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। इसने देश के लगभग पूरे हिस्से को कवर किया है तथा कुछ क्षेत्रों पर अभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान में देश में 25000 से ज्यादा मानवरहित रेल फाटक हैं जिसमें दक्षिण रेल के 1899 मानव रहित रेल फाटक भी सम्मिलित हैं। हाल ही में ऐसे रेल फाटकों पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी है। इसको देखते हुए देश में, और विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में मानवरहित रेल फाटकों पर प्राथमिकता के आधार पर चौकीदारों की तैनाती करनी जरूरी है।

केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह देश में मानवरहित रेल फाटकों पर लोगों की तैनाती के लिए कार्यक्रम तैयार करे।

(पांच) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 को चार लेन वाला बनाए जाने के कार्य को शीघ्रताशीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े हिस्से की जीवन रेखा समझी जाती है। पिछले कुछ वर्षों से आम आदमी के लिए यह मार्ग एक भयावह दु:स्वप्न बन गया है क्योंकि हर रोज इस मार्ग पर भीड़, यातायात-जाम और जानलेवा दुर्घटनाएं आम बात हो गई है। स्थिति ऐसी बन गई है कि यात्री आराम, सुरक्षा और समय की बचत के ध्यान से सड़क मार्ग की जगह रेल मार्ग को पसंद करते हैं।

ऐसा पाया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 को चार-लेन वाला राजमार्ग बनाने के लिए प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भेजा गया था। यह भी ज्ञात हुआ है कि राजमार्ग के विस्तार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है। लेकिन निर्माण कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ है। जिसके बारे में प्राधिकरण को बेहतर पता होगा।

हम अवसंरचना के विकास की बात करते हैं और मुझे पता भी है कि धन की कोई कमी नहीं है विलम्ब क्यों हो रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग एन.एच. 34 के संबंध में निर्माण तथा उसके विस्तार कार्य के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के खराब कार्य निष्पादन को देखकर अशांत और क्षुब्ध होते जा रहे हैं।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह एन.एच.-34 पर कार्य शीघ्रताशीघ्र पूरा करे तथा पश्चिम बंगाल की जनता को वर्षों के कष्ट से निजात दिलाए।

(छह) बिहार के औरंगाबाद में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): अविभाजित बिहार के उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, केन्द्रीय बिहार में पटना तथा दक्षिण बिहार में रांची, तीन दूरदर्शन केन्द्र थे। इसके विभाजन के बाद और रांची के नवनिर्मित झारखंड राज्य में चले जाने के बाद बिहार के पास केवल दो दूरदर्शन केन्द्र रह गए। यह सही होता यदि अविभाजित बिहार में ही एक अन्य दूरदर्शन केन्द्र की पहले से आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही होती। गत वर्ष प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बिहार में मेरे चुनाव क्षेत्र औरंगाबाद के दौरे किये जाने के दौरान उनसे औरंगाबाद में ही दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। उन्होने हमें आश्वासन दिया था कि वे सुझाव पर विचार करेंगे। तब से हमें ज्ञात हुआ है कि प्रसार भारती द्वारा एक विस्तृत तकनीकी और दर्शकों के सर्वेक्षण के दौरान बिहार में एक तीसरे दूरदर्शन केन्द्र की आवश्यकता की बात का समर्थन किया गया है और यह भी कि औरंगाबाद इसके लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। वास्तव में प्रसार भारती के एक अधिकारी ने औरंगाबाद का दौरा किया और केन्द्र के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज में भ्रमण करने के बाद एक स्थान का चयन किया था। औरंगाबाद के जिलाधिकारी ने बिहार सरकार से सिफारिश की है कि इसे केन्द्र के लिए प्रसार भारती को दिया जाए। यह कई महीने पहले की बात है। अब तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन इसकी अनिवार्य स्वीकृति के लिए अभी भी इसे योजना आयोग के पास भेजा जाना बाकी है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि कृपया इस प्रस्ताव को वह तत्काल आयोग को भेजे जिससे कि बिना किसी और विलम्ब के इसके लिए अनुमति दी जा सके और केन्द्र की स्थापना के लिए अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की जा सके।

(सात) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जोधपुर सहित राजस्थान प्रदेश के चौदह जिले मरूस्थलीय जिले हैं। ये जिले अति पिछड़े जिले हैं। केन्द्र सरकार पहाड़ी जिलों को विशेष छूट देती है, लेकिन मरूस्थलीय जिलों को विशेष सुविधा नहीं है। विशेष सुविधा नहीं मिलने से ये जिले पिछड़ते ही जा रहे हैं। औद्योगिक, शैक्षणिक एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं यहां पर कम उपलब्ध हैं। मरूस्थलीय जिलों में जहां पर ज्यादातर अकाल पड़ता रहता है, वहां पर विशेष पैकेज की अति आवश्यकता है। किसान, मजदूर कर्ज में डूबा हुआ है। हर जगह पर भुखमरी की हालत है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ये बॉर्डर के जिले हैं। यहां पर ज्यादा गरीबी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। यहां पर ज्यादातर पशुपालन का धंधा है, यह भी अकाल होने से कमजोर हो गया है।

अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश के मरूस्थलीय जिलों को विशेष सहायता दी जाए ताकि वे जिले भी आगे बढ़ सकें।

(आठ) सरकारी छुटिट्यों की संख्या में कमी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): देश में इतने सारे अवकाश दिवस हैं। कई दिनों के इकट्ठे अवकाश के कारण जब सरकारी कार्यालय बंद हो जाते हैं तो लोगों को बहुत-सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। मैं अवकाश के दिनों को कम करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूँ जिससे कार्य दिवस तथा कार्य के घंटे में वृद्धि हो।

(नौ) देश में युवाओं के लिए सैन्य सेवा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट): पूरे देश में श्रृंखलाबद्ध आतंकी हमले पर विचार करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों तथा विशेषकर युवाओं को आत्मरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा के लिए संवेदनशील बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। मैं बिना किसी उम्र, सीमा, लिंग, जाति, धर्म के भेदभाव के सभी युवाओं को स्नातक के बाद या बालिग होने के बाद कम से एक वर्ष का सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य करने का अनुरोध करता हूँ। इससे राष्ट्रीय भावना तथा युवाओं में प्राथमिक सुरक्षा तथा आत्मविश्वास को भी बल मिलेगा। एन.सी.सी. से उद्देश्य पूरा नहीं होता और यह कोई विकल्प नहीं है। इसलिए अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण का प्रावधान एक अधिनियम के माध्यम से जितना जल्दी संभव हो किया जाए।

(दस) हिमाचल प्रदेश में एक कमांडो और पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रदेश है। इसका एक हिस्सा आतंकवाद से प्रभावित जम्मू-कश्मीर की सीमा से लगता है एवं दूसरा हिस्सा तिब्बत से लगता है। हिमाचल प्रदेश से देश की रक्षा सेनाओं में अपेक्षाकृत बहुत बड़ी संख्या में नौजवान भर्ती होते हैं। यही कारण है कि आनुपातिक दृष्टि से बहुत छोटा प्रदेश होते हुए भी यहां के रण-बांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की सबसे ज्यादा आहुतियां दी हैं, फिर चाहे वह चीन का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ हुए दो युद्ध अथवा तीसरा कारगिल का संग्राम हो।

महोदय, गृह मंत्रालय देश भर में कमांड़ो एवं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के देश-प्रेम एवं बलिदानों को ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि वे कम से कम एक कमांडो और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में अवश्य स्थापित करें।

(ग्यारह) उड़ीसा के कालाहांडी और नवपाड़ा जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य हेतु धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): 2008 के मानसून के दौरान अप्रत्याशित बाढ़ ने बहुत विनाश किया है तथा तेल, उदंती, रेत, उतेई और हेती नदियों ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले में तथा सुंदर और उदंती नदियों ने नौथाड़ा जिले में बाढ़ के कारण हजारों एकड़ बहुमूल्य कृषि-भूमि जलप्लावित हो गई है।

इसलिए, सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि वह बाढ़ प्रबंधन कोष से आवश्यक धन आवंटित करे जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदियों के मजबूत बांध और मेहमेज बनाने की समस्या से जूझ रहे लोगों की समस्या कुछ कम हो।

पश्चिमी सिंचाई सर्कल उड़ीसा के अंतर्गत कालाहांडी में बांध बनाने के लिए पहले ही 600 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है।

इसलिए मैं जल संसाधन मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह उड़ीसा सरकार को उपर्युक्त परियोजना के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराये।

(बारह) अखिल भारतीय प्रादेशिक ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन की मांगों को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी) कर्मचारी संघ अपनी निम्नलिखित मांगों के लिए दबाब बनाने के लिए 22 दिसम्बर 2008 को नई दिल्ली में धरना पर बैठेगा:

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक का निर्माण

(2) समझौता मंच का गठन

(3) अलग-अलग आर.आर.बी. के प्रबंधन बोर्ड में कामगारों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व

(4) देश के प्रत्येक प्रखंड/तालुका/जिला मुख्यालयों पर आर.आर.बी. शाखा के विस्तार तथा भर्ती संवर्धन के द्वारा समुचित श्रमशक्ति सुनिश्चित करना

(5) कार्यभार ग्रहण करने की विधि से मेसेंजर, सेवा के नियमितीकरण संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश का कार्यान्वयन

वे लोग लम्बे समय से इस मुद्दे/मांग पर आंदोलन करते रहे हैं और यह सही समय है कि वित्त मंत्रालय हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में उनकी मांगों पर ध्यान दे।

(तेरह) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने तथा समस्त कृषि ऋणों पर ब्याज दर में कमी करके उसे 4 प्रतिशत तक किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): देश में कृषि क्षेत्र लम्बे समय से गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र को पुन: जीवित करने के लिए तथा कृषक समुदाय के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को कम करने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सभी कृषि ऋणों के लिए 4% की समान ऋण दर की सिफारिश की है लेकिन सरकार इस सिफारिश को स्वीकार तथा क्रियान्वित नहीं कर रही है। कृषि ऋण पर ब्याज दर को घटाकर 4% करने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए अब संसदीय स्थायी समिति ने भी अपना सुझाव दे दिया है। कृषि क्षेत्र को पुन: जीवित करने के लिए यह आवश्यक है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस सिफारिश को स्वीकार करे और सभी कृषि ऋणों के लिए ब्याज दर घटाकर 4% करे।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भरवारी रेल फाटक पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चायल, जनपद कौशाम्बी में 3 मुख्य रेलवे क्रासिंग हैं- मनौरी, भरवारी, सिराथू जिनमें फाटक बंद होने से घंटों जाम लगा रहता है। राष्ट्रीय सम विकास योजना से 6 करोड़ रुपए भरवारी (रोही) पर पुल बनने के लिए पैसा 2004 से पड़ा था, जिसे पुल के मद में खर्च न करके स्थानीय प्रशासन इसे अन्य मदों में खर्च कर रहा है। इस पर तत्काल रोक लगाकर भरवारी (रोही) पर रेलवे लाईन पर पुल बनाने के लिए रेल मंत्रालय तथा स्थानीय सरकार को धन आंबटन किया जाये ताकि दुर्घटनाएं जो रोज होती हैं, उन पर रोक लगाई जा सके।

(पन्द्रह) दिल्ली और बुंदेलखंड के मध्य चलने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (गाड़ी सं. 2447-2448) की आवृत्ति को बढ़ाए जाने तथा महोबा और खजुराहो के बीच रेल सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, दिनांक 23.08.2007 को अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल) 2007/2008 के अंतर्गत दिल्ली से बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाली उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति 2447-2448 को प्रतिदिन चलाए जाने की मेरी एवं मेरे क्षेत्रवासियों की मांग को मानते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने संसद में घोषणा की थी कि हजरत निजामुद्दीन से मानिकपुर तक चलने वाली उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति को सप्ताह में पांच दिन चलाने जा रहे हैं। यदि इस अवधि में औक्योपेंसी ठीक रहेगी तो अगले रेल बजट में इसे सातों दिन चलायेंगे तथा विगत रेल बजट में महोबा से खजुराहो के लिए लिंक एक्सप्रेस चलाये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त दोनों मांगों के अभी तक पूरा न होने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सम्पर्क क्रांति रेलगाड़ी को सप्ताह में पांच दिन चलाया जाये तथा महोबा से खजुराहो लिंक एक्सप्रेस तुरंत चलाने का निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(सोलह) बिहार की नून नदी परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): महोदय जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती, समस्तीपुर में नून नदी पर 'नून नदी परियोजना' अधूरी रह गई है। हाल के दिनों तक यह नदी जिलों के नदियों की सूची में भी शामिल नहीं थी। इस नदी की भीषण बाढ़ विभीषिका को देखकर जब प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया गया, तो उसे नदियों की सूची में शामिल किया गया। जननायक ने इस परियोजना को शुरू किया था जो उनके मरणोपरांत अधूरी रह गई। नून नदी परियोजना को पूरा होना वहां के लिए अति आवश्यक है और जनाकांक्षा भी यही है।

अत: सरकार से हमारी मांग है कि शीघ्र इस परियोजना को पूरा किया जाये।

(सत्रह) श्रीलंका में तमिलों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): महोदय श्रीलंका के तमिल भारतीय मूल के हैं। उनके पूर्वज 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत से श्रीलंका गए थे। वे मुख्यत: उत्तरी प्रांत में बसे हुए हैं और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के विकास में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। अल्प संख्या में इसाई और मुसलमानों के अतिरिक्त उनमें से अधिकांश हिन्दू हैं। उन्हे श्रीलंका की नागरिकता भी प्राप्त है।

तथापि विगत कई दशकों से श्रीलंका में शुरू हुई जातीय हिंसा का संकट आज भी जारी है। जिसमें हजारों तमिलों ने अपनी जान गंवाई है और बेघर हुए हैं। वर्षों से वे भारत में शरणार्थी के रूप में आते रहे हैं और इसके कारण हजारों लापता हो गए हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंकाई रक्षा सैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों को जान से मारने की घटनाएं भी होती रही हैं।

ये घटनाएं पिछले कुछ महीनों से घटित हो रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री डा. के. करूणानिधि ने इसमें हस्तक्षेप किया है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। हाल ही में वे माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे और तमिलों पर हमले को रोकने तथा इस द्वीपीय देश में तत्काल युद्धविराम घोषित करने की आवश्यकता के संबंध में श्रीलंका सरकार पर दबाब डालने को कहा था। उन्होंने यह मांग भी की थी कि इस मुद्दे के समाधान के लिए विदेश मंत्री को श्रीलंका भेजा जाए।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस द्वीपीय देश में इस संकट के स्थायी समाधान ढूंढने तथा दीर्घकालिक प्रभाव वाला कोई समाधान ढूंढने के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाब बनाने के लिए गंभीर प्रयास करे।

(अट्ठारह) पुडुचेरी को गृह मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय वित्त आयोग अथवा वित्त आयोग के दायरे में लाए जाने की आवश्यकता

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय संसाधनों के आवंटन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों में से एक का संबंध स्थानीय निकायों को केन्द्रीय संसाधनों के बंटवारे से है। भारत के संविधान के अनुसार वित्त आयोग राज्य सरकारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के बारे में सिफारिश करते हैं जिसे राज्य अपने-अपने स्थानीय निकायों को प्रदान करते हैं। संघ राज्य क्षेत्र वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सहायता राशि में से कुछ पाने के हकदार नहीं होते। तथापि गृह मंत्रालय जो भारत में संघ राज्य-क्षेत्रों का प्रशासनिक विभाग है, ने एक अलग वित्त आयोग का गठन किया है जो विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों को दी जाने वाली आनुपातिक अनुदान मांगों की मात्रा तय करता है। लेकिन इस वित्त आयोग के अंतर्गत केवल विधायिका रहित संघ राज्य-क्षेत्र ही आते हैं। परिणामत: पुडुचेरी संघ-राज्य-क्षेत्र, जिसकी अपनी विधायिका है, और जहाँ ग्राम पंचायत तथा कम्यून पंचायतें हैं वह केन्द्रीय वित्त आयोग या गृह मंत्रालय द्वारा गठित वित्त आयोग से स्थानीय निकाय सहायता राशि पाने का हकदार नहीं हैं।

पुडुचेरी संघ-राज्य-क्षेत्र देश में एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र है जिसे केन्द्रीय कोष से स्थानीय निकाय वित्त से कोई राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इससे संघ-राज्य-क्षेत्र प्रशासन पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है जो पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है यही नहीं बल्कि पुडुचेरी के स्थानीय निकायों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अपने जायज अंश से भी वंचित किया गया है। इससे पुडुचेरी में स्थानीय निकायों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह पुडुचेरी संघ-राज्य-क्षेत्र को वित्त आयोग या गृह मंत्रालय द्वारा गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत लाया जाए।

(उन्नीस) झारखंड के साहेबगंज तथा बिहार के मनिहारी को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनाए जाने संबंधी निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू (राजमहल): महोदय, झारखंड एवं बिहार राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विरासत को बचाने के लिए अति लोक उपयोगी परियोजना साहिबगंज-मनिहारी के मध्य गंगा नदी पर पुल निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है और परामर्श सेवाएं भी ली गयी हैं। इस संबंध में माननीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा परियोजना की उपयोगिता एवं महत्ता के संबंध में केन्द्र सरकार को अवगत कराया गया है और सरकार द्वारा आश्वस्त कराया गया था कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परियोजना का कार्य पूरा करा लिया जायेगा, परन्तु उक्त परियोजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त परियोजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कदम उठाए जायें ताकि दो राज्यों की जनता को आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिल सके।

(बीस) संसद में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, महिलाओं को आरक्षण देने का अधिनियम संसद में वर्ष 2000 में एनडीए सरकार के दौरान आया था। लेकिन कई वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक इसको अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए हमारी मांग है कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये तथा लोक सभा की 543 सीटों के अनुसार जो 181 सीटें बैठती हैं उनको कुल मिलाकर 724 सीटें की जायें।

लेकिन यदि 2025 तक लोक सभा की न बढ़ायी जाने वाली सीटों को ध्यान में रखा जाये तो फिर लोक सभा की 543 सीटों में से 181 सीटों पर महिलायें एवं पुरुष दोनों को ही और यदि कोई दल इन 181 सीटों पर पुरुष के स्थान पर दोनों उम्मीदवार महिलाओं को ही बनाना चाहता है, तो ऐसा वह कर सकता है, दोहरे उम्मीदवार निर्वाचित किये जाने की व्यवस्था की जाये और इन 181 लोक सभा सीटों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान अर्थात 61 लोक सभा सीटें आरक्षित की जायें।

मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र ही सदन में पारित करवाये जाने हेतु समुचित कदम उठाये।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 22, ध्यानाकर्षण। श्री गुरूदास दासगुप्त

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): मैं कैसे बोल सकता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.08 1/2 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मेरी मांग है कि मंत्री श्री अंतुले को त्यागपत्र देना चाहिए*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बताइए कि मैं एक ही बात कितनी बार बोलूं।

[अनुवाद]

मैंने संतोष गंगवार को बुलाने का वादा किया था। आपने अवसर नहीं दिया है।

अब, श्री जयराम रमेश विधेयक प्रस्तुत करें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, जब मेरा नाम पुकारा गया तब मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय, श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01 1/2 बजे

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए!"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 22.12.2008 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.02 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 2008-09)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अब मद सं. 28 और 29 पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, कृपया मद सं. 28 पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब मैं वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) मतदान के लिए सभा में रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 में दिखाई गयी मांग के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान की मांग की राशि (रुपये)
1	2	3
16	परिसम्पत्तियां, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1701,00,00,000
	जोड़	1701,00,00,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) पारित हुई।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अपराह्न 2.03 बजे

रेल अभिसमय समिति, 2004 के नौवें प्रतिवेदन की सिफारिशों का अनुमोदन किए जाने के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व इत्यादि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2004) के नौवें प्रतिवेदन जिसे 20 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व इत्यादि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2004) के नौवें प्रतिवेदन जिसे 20 अक्तूबर, 2008 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 और 56 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.03$^{1}/_{2}$ बजे

विनियोग (रेल) (संख्यांक 5) विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद स. 30 पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत के संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 22.12.2008 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, मद सं. 31 पर विचार करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेल के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2008-09 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य कहां हैं? वे नियम 193 में अंतर्गत चर्चा शुरू करने वाले हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य उपस्थित नहीं हैं। श्री हंसराज गंगाराम जी अहीर।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। हम मद संख्या 32 पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.05 बजे

ग्राम न्यायालय विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं।

"कि नागरिकों की उनके घरों पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए साधारणजन स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य नि:शक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकों की उनके घरों पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए साधारणजन स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य नि:शक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 40 विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड-2, दिनांक 22.12.2008 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है तब नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी।

अपराह्न 2.08 बजे

तत्पश्चात् सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: संतोष गंगवार जी, अगर आपको बोलने का मौका देंगे, क्या तब हाउस चलने देंगे? आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, जब से यह सत्र शुरू हुआ है तब से हमने विरोध नहीं किया है लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इससे ऊपर होती हैं। मुम्बई की घटनाओं के बाद हिन्दुस्तान पूरी दुनिया में यह बताने में सफल हो रहा है कि वास्तव में इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। ये बातें निरंतर बढ़ती जा रही हैं और कसाब से जांच पड़ताल और पूछताछ हो रही है और निरंतर जानकारी दी जा रही है। यहां तक कि जिस न्यूज एजेंसी ने कसाब की जानकारी दी उसके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है। हमारी हर बात के विरोध में पाकिस्तान है लेकिन इस सबके बाद भी, आप जरा ध्यान करें पाकिस्तान में वर्तमान में जो लोग सरकार चला रहे हैं, उनके और दूसरे लोगों के बीच विवाद हो रहा है। यह राजनीतिक कारण हो सकता है लेकिन हमारे देश में सत्ता दल के लोग ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे दुनिया में यह सिग्नल जा रहा है कि वास्तव में आतंकवादी पाकिस्तान के नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: महोदय, दुनिया के देशों में इस बात का भ्रम पैदा करने का काम हो रहा है और वह भी वर्तमान सत्ता दल द्वारा, सत्ता दल के प्रमुख, जिम्मेदार लोगों द्वारा हो रहा है। *...(व्यवधान)* जो मंत्री महोदय बयान दे रहे हैं और बाद में अखबार में बयान आ रहा है कि मुझे अपने बयान पर गर्व है। किस बात पर उनको गर्व है?*...(व्यवधान)* जो हमारे नौजवान शहीद हुए *...(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या करकरे की हत्या को लेकर माननीय अंतुले जी अपनी स्वार्थसिद्धि करना चाहते हैं? एक समाज, एक धर्म या एक जाति के नेता बनना चाहते हैं? *...(व्यवधान)* यह सवाल नेतागिरी का नहीं है। ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? *...(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और पता करे कि असलियत क्या है?*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब देश में बढ़ रही नक्सल गतिविधियों पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू होगी।

श्री बसुदेव आचार्य।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल बसुदेव आचार्य के बयान को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.02 बजे

इस समय, श्री खारबेल स्वाईं और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 33 - श्री शरद पवार।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 34-श्री ए. राजा।

अपराह्न 3.03 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): महोदय, मैं प्रस्ताव** करता हूं:

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 4, धारा 2 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3,पंक्ति 1 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'(क) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(जक) "संचार युक्ति" से सैलफोन, व्यक्ति डिजिटल सहायक या दोनों का संयोजन या कोई अन्य युक्ति अभिप्रेत है जिसका कोई पाठ, वीडियो, आडियो या आकृति संसूचित करने, भेजने या पारेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है;';' (3)

पृष्ठ 3,पंक्ति 2, "क" के स्थान पर, "(कक)" रखें। (4)

पृष्ठ 3,पंक्ति 8, "कंप्यूटर प्रणालियों" के पश्चात्, "या संसूचना युक्ति" अंत:स्थापित करें। (5)

पृष्ठ 3,पंक्ति 4, "मौमिक लाइन," के पश्चात्, "तार," अंत:स्थापित करें। (6)

पृष्ठ 3,पंक्ति 6, "कम्प्यूटरों" के पश्चात् "या संसूचना युक्ति" अंत:स्थापित करें। (7)

पृष्ठ 3,पंक्ति 11, "अंत:स्थापित किया जाएगा" के स्थान पर, "अंत:स्थापित किए जाएंगे" रखें। (8)

पृष्ठ 3,पंक्ति 14, के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'(ढख) "साइबर सुरक्षा" से सूचना, उपस्कर, युक्तियों, कंप्यूटर, कंप्यूटर संसाधन, संसूचना युक्ति और उनमें धंडारित सूचना को अप्राधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन विच्छिन, उपांतरण या नाशन से संरक्षित करना अभिप्रेत है;'। (9)

पृष्ठ 3,पंक्ति 21 के पश्चात्

"(घक) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

'(घक) "भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल" से धारा 70ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अभिकरण अभिप्रेत है,' (10)

पृष्ठ 3,पंक्ति 30, "किन्तु जिसके अंतर्गत धारा 43क में निर्दिष्ट निगमित निकाय नहीं है" का लोप करें (11)"

(श्री ए. राजा)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2, दिनांक 22.12.2008 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

नियम 80(i) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री ए. राजा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने की संबंध में, निलंबित करती है और यह है कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 12 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह है कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क

नई धारा 7क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

पंक्ति 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'7क, मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"7क, जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना की संपरीक्षा का उपबंध है वहां वह उपबंध इलैक्ट्रानिक्स रूप में संसाधित और रखे गए दस्तावेजों, अभिलेखों या सूचना की संपरीक्षा के संबंध में भी लागू होगा।" (12)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 7क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गए।

नियम 80(i) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

श्री ए. राजा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 13 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10क

धारा 17 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'10क. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (1) में "और सहायक नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे', और

(ख) उपधारा (4) में "और सहायक नियंत्रक" शब्दों के स्थान पर "सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे। (13)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 10क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 10क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

खंड 19

धारा 43 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 30 के स्थान पर, रखें-

"(क) पार्श्वशीर्ष में, "शास्ति" शब्द के स्थान पर, "शास्ति और प्रतिकर" शब्द रखे जाएंगे;" (14)

पृष्ठ 6, पंक्ति 30 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(कक) खंड (क) में, "कंप्यूटर नेटवर्क" शब्दों के पश्चात्, "या कंप्यूटर संसाधन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे; (15)

पृष्ठ 6, पंक्ति 31 "अंत:स्थापित किया जाएगा" के स्थान पर, "अंत:स्थापित किए जाएंगे" रखे। (16)

पृष्ठ 6,पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(ञ) किसी कंप्यूटर संसाधन के लिए प्रयुक्त किसी कम्प्यूटर संसाधन कोड को नुकसान पहुंचाने के आशय से चुराता है, छिपाता है, नष्ट या परिवर्तित करता है या किसी व्यक्ति से उसकी चोरी कराता है या उसे छिपवाता, नष्ट या परिवर्तित कराता है,

(ग) "वह इस प्रकार प्रभावित" शब्दों से आरंभ होने वाले और "दायी होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"वह इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में नुकसानियों का संदाय करने का दायी होगा";

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

'(v) "कंप्यूटर स्रोत कोड" से कंप्यूटर संसाधन के कार्यक्रमों, कंप्यूटर समादेशों, डिजाइन और रेखांक और कार्यक्रम विश्लेषण को किसी रूप में सूचीबद्ध करना अभिप्रेत है"।'। (17)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20

नयी धारा 43क का अंत:स्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 6, पांच करोड़ रूपए से अनधिक की" का लोप करें। (18) (श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

खंड 21

धारा 46 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7,पंक्ति 21-23 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

'21. के मूल अधिनियम की धारा 46 में,-

(क) उपधारा (1) में, "दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है," शब्दों के स्थान पर, "दिए गए निदेश या किए गए आदेश के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन किया है, जो उसे शास्ति या प्रतिकर का संदाय करने का दायी बनाता है" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(1क) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी उन मामलों को न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता का प्रयोग करेगा, जिनमें क्षति या नुकसानों के लिए दावा पांच करोड़ रुपए से अधिक का नहीं है:

परंतु क्षति या नुकसानों के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक के दावे की बाबत अधिकारिता सक्षम न्यायालय में निहित होगी।";

(ग) उपधारा (5) में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।"।' (19)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 और 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24

धारा 49 से 52 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 30 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"परंतु सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के ठीक पूर्व इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन साइबर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा।" (20)

पृष्ठ 8, पंक्ति 1 और 2 का लोप करें। (21)

पृष्ठ 8, पंक्ति 26, "दो वर्ष" के *स्थान* पर, "एक वर्ष" रखें। (22)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 29

धारा 61 का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड, 29, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31

धारा 66 और 67 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 5, "दो वर्ष" के *स्थान* पर, "तीन वर्ष" रखें। (23)

पृष्ठ 10, पंक्ति 13, "किसी अंतर्वस्तु को" के *स्थान* पर "किसी सूचना को" रखें। (24)

पृष्ठ 10, पंक्ति 15, "किसी अंतर्वस्तु को" के *स्थान* पर "किसी सूचना को" रखें। (25)

पृष्ठ 10, पंक्ति 18, हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (26)

पृष्ठ 10, पंक्ति 18 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(ग) किसी इलैक्ट्रानिक डाक या इलैक्ट्रानिक डाक संदेश को, ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में संबोधिती या पाने वाले का क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के प्रयोजन के लिए," (27)

पृष्ठ 10, पंक्ति 19, "दो वर्ष" के *स्थान* पर, "तीन वर्ष" रखें। (28)

पृष्ठ 10, पंक्ति 21 से 24 के *स्थान* पर, निम्नलिखित रखें-

'स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रानिक डाक" और "इलैक्ट्रानिक डाक संदेश" पदों से किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति में सृजित या पारेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है,

[उपाध्यक्ष महोदय]

जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, आडियो, वीडियो और किसी अन्य इलेक्ट्रानिक्स अभिलेख के ऐसे संलग्नक भी हैं, जो संदेश के साथ भेजें जाएं।

चुराए गए कम्प्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड।

66ख. जो कोई ऐसे किसी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को, जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, बेइमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा, जो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक ही हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

पहचान की चोरी के लिए दंड।

66ग. जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट अनन्य पहचान का प्रयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा।

कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड।

66घ. जो कोई, किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दायी होगा।

एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड।

66ङ. जो कोई, साशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन प्रग्रहण करेगा, या वह प्रकाशित या पारेषित करेगा, ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "पारेषण" से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलैक्ट्रानिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए;

(ख) किसी चित्र के संबंध में "प्रग्रहण" से वीडियो टेप, फोटोग्राफ, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिलेख बनाना अभिप्रेत है।

(ग) "गुप्तांग" से नग्न या अंत:वस्त्र सज्जित जननांग, जघन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत है;

(घ) "प्रकाशित करने" से मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में पुन:निर्माण करना और उसे जनता के लिए अपलब्ध कराना अभिप्रेत है;

(ङ) "एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन" से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं, जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि,-

(i) वह इस बात की चिंता किए बिना एकांतता में अपने वस्त्र उतार सकता या उतार सकती है कि उसके गुप्तांग का चित्र प्रग्रहण किया जा रहा है; या

(ii) उसके गुप्तांग का कोई भाग इस बात पर ध्यान दिए बिना जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में है।

साइबर आंतकवाद के लिए दंड।

66च. (1) जो कोई,-

(अ) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाने के आशय से,-

(i) कंप्यूटर संसाधन तक पंहुच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पंहुच से इंकार करके या इंकार कराके; या

(ii) प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पंहुच करने का प्रयास करके; या

(iii) किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट कराके,

और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जिससे व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है या संपत्ति का नाश या विनाश होता है या होने की संभावना है या यह जानते हुए कि इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुकसान या उसका विनाश होने की संभावना है या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(आ) जानबूझकर या साशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच करता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बंधित है या कोई निर्बंधित सूचना डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभिप्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग देश की ख्याति या किसी विदेशी राष्ट्र, व्यष्टिसमूह को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है;

तो वह साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा।

(2) जो कोई साइबर आतंकवाद कारित करेगा या करने की कूटरचना करेगा, तो वह कारावास से, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"। (29)

पृष्ठ 10, पंक्ति 30, "दो वर्ष" के *स्थान* पर "तीन वर्ष" रखें।

पृष्ठ 11, पंक्ति 1 से पंक्ति 8 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप, आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित या पारेषित करने के लिए दंड।

67ख. जो कोई,-

(क) किसी इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या पारेषित करेगा या प्रकाशित या पारेषित कराएगा, जिसमें कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप या आचरण में लगाए गए बालकों को चित्रित किया जाता है; या

(ख) अश्लील या अभद्र या कामवासना भड़काने वाली रीति में बालकों का चित्रण करने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रानिक रूप में तैयार करेगा, संग्रहीत करेगा, प्राप्त करेगा, पढ़ेगा, डाउनलोड करेगा, उसे बढ़ावा देगा, आदान-प्रदान या वितरित करेगा; या

(ग) कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप के लिए और उसके संबंध में या ऐसी रीति में बालकों को एक या अधिक बालकों के साथ आन-लाइन संबंध के लिए लगाएगा, प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करेगा, जो कंप्यूटर संसाधन पर किसी युक्तियुक्त वयस्क को बुरी लग सकती है; या

(घ) आन-लाइन बालकों का दुरूपयोग किए जाने को सुकर बनाएगा; या

(ङ) बालकों के साथ कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप के संबंध में अपने दुर्व्यवहार को किसी इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलिखित करेगा, तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी और पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा:-

परंतु धारा 67, धारा 67क और इस धारा के उपबंधों का विस्तार निम्नलिखित किसी पुस्तक, पर्चे पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिग, प्रदर्शन या इलैक्ट्रानिक रूप में आकृति तक नहीं होता है:-

(i) जिसका प्रकाशन इस आधार पर जनकल्याण के रूप में न्यायोचित साबित किया गया हो कि ऐसी पुस्तक, पर्चे, पत्र, लेख, रेखाचित्र, पेंटिग, प्रदर्शन या आकृति विज्ञान, साहित्य या शिक्षण या सामान्य महत्व के अन्य उद्देश्यों के हित में है; या

(ii) जो सद्भावपूर्ण परम्परा या धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या प्रयुक्त की गई है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।'।

मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण।

67ग. (1) मध्यवर्ती ऐसी सूचना का संरक्षण और प्राधिकरण करेगा जैसा ऐसी अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी रीति तथा प्ररूप में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(2) ऐसा कोई मध्यवर्ती, जो साशय या जान-बूझकर उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास जिसे तीन वर्ष तक बढाया जा सकेगा, से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। (31) (श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 31, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33

धारा 69 के लिए नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 11, पंक्ति 15 "निम्नलिखित धारा रखी जाएगी" के *स्थान* पर "निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी" रखें।

पृष्ठ 11, पंक्ति 16 से 29 के *स्थान* पर रखें,-

किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अपरोधन या मानिटरिंग करने या विगूढ़न के लिए निदेश जारी करने की शक्ति।

"69. (1) जहां केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस बाबत विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता या अंखडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में अथवा उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने या किसी अपराध के अन्वेषण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से आदेश द्वारा सरकार के किसी अधिकरण को किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से परेषित किसी सूचना का अपरोधन या मानीटर करने अथवा विगूढ़न करने अथवा अपरोधन या मानीटर कराने या विगूढ़न कराने का निदेश दे सकेगी।

(2) प्रक्रिया और उपाय, जिसके अधीन ऐसा अपरोधन या मानीटरिंग या विगूढन किया जा सकेगा, ऐसे होंगे जिन्हें विहित किया जाए।

(3) उपयोगकर्त्ता या मध्यवर्ती या कम्प्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, जब उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अभिकरण द्वारा मांगे जाने पर, सभी सुविधाएं और तकनीकी सहायता निम्नलिखित को विस्तारित करेगा-

(क) ऐसी सूचना उत्सर्जित करने, पारित करने, प्राप्त करने या भंडार करने वाले कम्प्यूटर संसाधन तक पंहुच उपलब्ध कराना या पहुंच सुनिश्चित करना; या

(ख) यथास्थिति, सूचना का अपरोधन, मानीटरिंग या विगूढ़न करना; या

(ग) कम्प्यूटर संसाधन में भंडारित सूचना उपलब्ध कराना।

(4) उपयोगकर्त्ता या मध्यवर्ती या कोई व्यक्ति जो उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट अभिकरण की सहायता करने में असफल रहता है, उसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना को सार्वजनिक पंहुच के लिए अवरोध के लिए निदेश जारी करने की शक्ति।

69(क)(1) जहां केन्द्रीय सरकार या इस बाबत उसके द्वारा किसी विशेष रूप से प्राधिकृत उसके किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता या अंखडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने में उद्दीपन को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कारण लेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा सरकार के किसी अभिकरण या मध्यवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, पारेषित, प्राप्त, भंडारित या परपोषित किसी सूचना को जनता द्वारा पंहुच के लिए अवरोध का निदेश दे सकेगा या उसका अवरोध कराएगा।

(2) प्रक्रिया और उपाय, जिनके अधीन जनता द्वारा पंहुच के लिए ऐसा अवरोध किया जा सकेगा, वे होंगे, जिन्हें विहित किया जाए।

(3) मध्यवर्ती जो उपधारा (1) के अधीन जारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, के लिए भी दायी होगा।

साइबर सुरक्षा के लिए किसी कम्प्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मानीटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति।

69ख (1) केन्द्रीय सरकार देश में साइबर सुरक्षा बढ़ाने और कंप्यूटर संदूषण की पहचान, विश्लेषण और अनाधिकार प्रवेश या फैलाव को रोकने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, पारेषित, प्राप्त या भंडारित ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना को मानीटर और एकत्र करने के लिए सरकार के किसी अभिकरण को प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) मध्यवर्ती या कम्प्यूटर संसाधन का भारसाधक कोई व्यक्ति, जब ऐसे अभिकरण द्वारा जिसे उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया है मांग की जाती है, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और आन-लाइन पंहुच समर्थ बनाने के लिए ऐसे अधिकरण को सभी सुविधाएं देगा या ऐसे ट्रैफिक आंकड़े या सूचना का निर्माण करने वाले, पारेषित करने वाले, प्राप्त करने वाले या भंडार करने वाले कम्प्यूटर संसाधन को आन-लाइन पहुंच सुरक्षित कराएगा, और उपलब्ध कराएगा।

(3) ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना की मानीटरिंग और एकत्र करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय वे होंगे जिन्हें विहित किया जाए।

(4) ऐसा कोई मध्यवर्ती जो साशय या जान-बूझकर उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(i) "कंप्यूटर संदूषण" का वही अर्थ होगा जो धारा 43 में इसका है;

(ii) "ट्रैफिक आंकड़ा" का अर्थ, कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क या ऐसे स्थान को या जिससे संसूचना की गई है या पारेषित की जा सकती है किसी व्यक्ति की पहचान करने या पहचान करने से तात्पर्यित कोई आंकड़ा है और इसके अंतर्गत संसूचना उद्भव, गंतव्य, मार्ग, समय, तारीख, आकार, की गई सेवा की अवधि या प्रकार और कोई अन्य सूचना है। (33)

पृष्ठ 11, पंक्ति 30 से पंक्ति 34 का लोप करें। (34)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 33, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 33, संशोधित रूप में, दविधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35

नयी धारा 70क का अन्त:स्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 10 "निम्नलिखित धारा...की जाएगी" के *स्थान* पर "निम्नलिखित धाराएं...की जाएंगी" रखें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 12 से 24 के *स्थान* पर रखें-

राष्ट्रीय नोडल अभिकरण।

70क(1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार के किसी संगठन को नाजुक सूचना अवसंरचना संरक्षण की बाबत राष्ट्रीय नोडल अभिकरण अभिहित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिहित राष्ट्रीय नोडल अभिकरण सभी उपायों के लिए उत्तरदायी होगा जिसके अंतर्गत नाजुक सूचना अवसंरचना के संरक्षण से संबंधित अनुसंधान और विकास है।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के पालन करने वाले कृत्यों और कर्त्तव्यों की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल का राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना।

70ख (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल नामक अभिकरण नियुक्त करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण में एक महानिदेशक और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जो विहित किए जाएं।

(3) महानिदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगीं, जो विहित की जाएं।

(4) भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने वाले राष्ट्रीय अभिकरण के रूप में सेवा करेगा,-

(क) साइबर आपात संबंधी सूचना का संग्रहण, विश्लेषण और प्रसार;

(ख) साइबर सुरक्षा आपात का पूर्वानुमान और चेतावनियां;

(ग) साइबर सुरक्षा आपात से निपटने के लिए आपात अध्युपाय;

(घ) साइबर आपात प्रतिक्रिया क्रियाकलापों का समन्वय;

[उपाध्यक्ष महोदय]

(ङ) साइबर आपात की सूचना सुरक्षा पद्धतियों, प्रक्रियाओं निवारण, प्रतिक्रिया और रिपोर्ट करने के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सलाह, अति संवेदनशील टिप्पण और श्वेतपत्र जारी करना;

(च) साइबर सुरक्षा से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य, जो विहित किए जाएं।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करने की रीति वह होगी, जो विहित की जाए।

(6) उपधारा (4) के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण सेवा प्रदाताओं, मध्यवर्तियों, डाटा केंद्र, निगमित निकायों और किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मांग सकेगा और उसे निदेश दे सकेगा।

(7) ऐसा कोई सेवा प्रदाता, मध्यवर्ती, डाटा केन्द्र, निगमित निकाय और अन्य व्यक्ति, जो उपधारा (6) के अधीन मांगी गई सूचना देने में या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(8) कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद पर करने के सिवाय नहीं लेगा।"। (36) (श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36

नयी धारा 72क का अन्तःस्थापन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 34, "दो वर्ष" के *स्थान* पर, "तीन वर्ष" रखें। (37) (श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37

धारा 77 और धारा 76 के लिए नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 36, "धारा 77 और धारा 78" के *स्थान* पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "धारा 77" रखें। (38)

पृष्ठ 13, पंक्ति 1 से 9 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें–

अपराधों का शमन।

"77क. (1) सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय, उन अपराधों से भिन्न अपराधों का शमन कर सकेगा, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन आजीवन या तीन वर्ष से अनधिक के कारावास के दंड का उपबंध किया गया है:

परन्तु न्यायालय, ऐसे अपराध का शमन नहीं करेगा, जहां अपराधी, उसकी पूर्व दोषसिद्धि के कारण या तो वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के किसी दंड के लिए दायी है:

परंतु यह और कि न्यायालय ऐसे किसी अपराध का शमन नहीं करेगा, जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालता है या अठारह वर्ष की आयु से कम आयु के किसी बालक या किसी स्त्री के संबंध में किया गया है।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति उस न्यायालय में, जिसमें अपराध विचारण के लिए दंडित है, शमन के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 265ख और धारा 265ग के उपबंध लागू होंगे।

तीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना।

77ख.(1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, तीन वर्ष और अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे और तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध जमानतीय होंगे।"। (39)

पृष्ठ 13, पंक्ति 10 से 20 *का लोप करें।* (40)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(1) का निलम्बन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री ए. राजा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहाँ तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहाँ तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2006 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 37क

धारा 78 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 13 पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें:

धारा 78 का संशोधन।

"37क. का मूल अधिनियम की धारा 78 में, "उप पुलिस अधीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "निरीक्षक" शब्द रखें। (41)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 37क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 37क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38

अध्याय XII के स्थान पर नए अध्यायों का प्रतिस्थापन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 13, पंक्ति 25, "अन्य" का लोप करें। (42)

पृष्ठ 13, पंक्ति 27, "उपलब्ध कराई गई" के *पश्चात्* "या रखी गई" अंत:स्थापित करें। (43)

पृष्ठ 13, पंक्ति 32, "भंडारित की जाती है" के *पश्चात्* "या रखी जाती है" अंत:स्थापित करें। (44)

पृष्ठ 13, पंक्ति 36, के *पश्चात्* निम्नलिखित रखें-

"(ग) मध्यवर्ती, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक् तत्परता का उपयोग करता है और ऐसे अन्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी पालन करता है, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।"। (45)

पृष्ठ 14, पंक्ति 2, "दुष्प्रेरण किया है" के *पश्चात्* "या सहायता की है या उत्प्रेरित किया है, चाहे धमकी या वचन द्वारा या अन्यथा" अंत:स्थापित करें। (46)

पृष्ठ 14, पंक्ति 9 और पंक्ति 10 का लोप करें। (47)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39

धारा 80 का लोप

संशोधन किया गया:

पंक्ति 23 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें–

धारा 80 का संशोधन।

"39. मूल अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) में, "उप पुलिस अधीक्षक" शब्दों के स्थान पर, "निरीक्षक" शब्द रखें (48)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 से 43 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 44

धारा 87 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 15, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

'(iii)क) खंड (च) में, "और सहायक नियंत्रक" शब्दों के *स्थान* पर "सहायक नियंत्रक, अन्य अधिकारी और कर्मचारी" शब्द रखे जाएंगे।' (44)

पृष्ठ 16, पंक्ति 12 के *पश्चात्* निम्नलिखित अंत:स्थापित करें-

"(बक) धारा 67ग के अधीन प्रतिधारित और परिरक्षित की जाने वाली सूचना, अवधि, रीति और ऐसी सूचना का प्ररूप;"। (50)

पृष्ठ 16, पंक्ति 14 और पंक्ति 15 के *स्थान* पर, निम्नलिखित रखे-

"(भ) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन अंतरोधन, मानीटरों या विगूढ़न के लिए प्रक्रियाएं और रक्षोपाय;

(भक) धारा 69क की उपधारा (2) के अधीन जनता द्वारा पंहुच को अवरोधन करने की प्रक्रिया और रक्षोपाय;

(भख) धारा 69ख की उपधारा (3) के अधीन यातायात आंकड़े या जानकारी की मानीटरी करने और उन्हें एकत्रित करने की प्रक्रिया और रक्षोपाय;"; (51)

पृष्ठ 16, के *पश्चात*, अंत:स्थापित करें-

"(मक) धारा 70क की उपधारा (3) के अधीन अभिकरण के कृत्यों और कर्त्तव्यों के पालन की रीति:

(मख) धारा 70ख की उपधारा (2) के अधीन अधिकारी और कर्मचारी;

(मग) धारा 70ख की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(मघ) वह रीति, जिनमें अभिकरण के कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन धारा 70 की उपधारा (5) के अधीन किया जाएगा;। (52)

पृष्ठ 16, पंक्ति 17 में, "उपधारा (4)" के *स्थान* पर, "उपधारा (2)" रखें। (53)

पृष्ठ 16, पंक्ति 23 और पंक्ति 24, "केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम" के स्थान पर, "धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और उसके द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम" रखें। (54)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 44, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 45

धारा 90 का संशोधन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 16, पंक्ति 26-28 के *स्थान* पर निम्नलिखित रखें-

धारा 90 का संशोधन।

"45. मूल अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (2) के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।"। (55)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

...(व्यवधान)

खंड 49

भारतीय दंड संहिता का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 18, पंक्ति 14-24 का लोप करें (56)

पृष्ठ 18, पंक्ति 27-37 का लोप करें (57)

पृष्ठ 19, पंक्ति 1-16 का लोप करें (58)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 49, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 50 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 51

दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 51 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 1

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 5, "2006" के *स्थान* पर "2008" रखें। (2)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, "सतावनवें" के *स्थान* पर "उनसठवें" रखें। (1)

(श्री ए. राजा)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

....(व्यवधान)

श्री ए. राजा: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.24 बजे

उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री हंसराज भारद्वाज: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.26 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2008/2 पौष, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	321
2.	डा. चिन्ता मोहन	322
3.	श्री दुष्यंत सिंह	323
4.	श्री टेक लाल महतो	324
5.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	325
6.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्री मधु गौड यास्खी	326
7.	श्री एम. शिवन्ना श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	327
8.	श्री एस. के. खारवेनथन श्री के. सुब्बारायण	328
9.	श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख डा. धीरेंद्र अग्रवाल	329
10.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री बृज किशोर त्रिपाठी	330
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल	331
12.	श्री सुग्रीव सिंह	332
13.	श्री बसुदेव आचार्य	333
14.	श्री नन्द कुमार साय	334
15.	श्री हेमंत खंडेलवाल	335
16.	श्री डी. बी. पाटिल	336
17.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	337
18.	श्री महावीर भगोरा श्री भर्तृहरि महताब	338
19.	श्री मणि चारेनामै	339
20.	श्री आंनदराव विठोबा अडसूल	340

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे. एम.	3283
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3328, 3362
3.	आदित्यनाथ, योगी	3288
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3321, 3336, 3351, 3371
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3312, 3364, 3378
6.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3278
7.	आठवले, श्री रामदास	3300, 3339, 3356
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3287, 3309, 3348, 3359
9.	बर्मन, श्री हितेन	3284, 3331
10.	बर्मन, श्री रनेन	3273, 3320
11.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3306, 3328, 3344
12.	भगोरा, श्री महावीर	3331, 3333, 3367
13.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3299
14.	बोस, श्री सुव्रत	3264, 3329
15.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3356
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3295, 3326
17.	चारेनामै, श्री मणि	3345
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3254, 3319, 3365
19.	चौधरी, श्री पंकज	3279, 3299, 3303
20.	देव, श्री बिक्रम केशरी	3297
21.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3332, 3358, 3366, 3375
22.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	3259
23.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3261
24.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	3285, 3315, 3357, 3367

1	2	3
25.	जार्ज, श्री के फ्रांसिस	3362
26.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	3283
27.	जयाप्रदा, श्रीमती	3276, 3281
28.	जिन्दल, श्री नवीन	3290
29.	जोगी, श्री अजीत	3307
30.	जोशी, श्री प्रहलाद	3280, 3342, 3363, 3377
31.	करूणाकरन, श्री पी.	3298, 3338
32.	खंडेलवाल, श्री हेमंत	3305
33.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3252
34.	खारवेनथन, श्री एस. के.	3313, 3347, 3353, 3369
35.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3260
36.	कृष्ण, जी विजय	3367
37.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	3328
38.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3307, 3308, 3332, 3346
39.	महरिया, श्री सुभाष	3303
40.	महतो, श्री नरहरि	3320
41.	महताब, श्री भर्तृहरि	3330, 3354
42.	महतो, श्री टेक लाल	3317
43.	माझी, श्री परसुराम	3274
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3296
45.	माने, श्रीमती निवेदिता	3285, 3315, 3357, 3367
46.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3291, 3324
47.	मिश्रा, डा. राजेश	3283
48.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3278, 3325, 3352, 3373
49.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3263
50.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3265, 3314
51.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3256, 3292, 3294, 3311, 3319
52.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3341, 3360, 3372, 3376
53.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3268, 3337
54.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3254, 3378
55.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	3362
56.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3293
57.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3253, 3310
58.	राणा, श्री काशीराम	3292
59.	राव, श्री के. एस.	3257, 3327, 3361
60.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3299
61.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3270
62.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3327
63.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3311, 3343
64.	साय, श्री नन्द कुमार	3341, 3360, 3372, 3376
65.	साय, श्री विष्णु देव	3269
66.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	3301
67.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	3270
68.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3336, 3351, 3355, 3362
69.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	3251, 3275
70,	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3255, 3274
71.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3294, 3364
72.	सिंह, श्री मोहन	3271

1	2	3
73.	सिंह, श्री राकेश	3267, 3299, 3316, 3349, 3370
74.	सिंह, श्री रेवती रमन	3277, 3330
75.	सिंह, श्री सुग्रीव	3341, 3360, 3372, 3376
76.	सिंह, श्री सूरज	3302, 3340
77.	सिंह, श्री उदय	3270, 3286, 3299, 3323
78.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3295
79.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3262
80.	सुब्बारायण, श्री के.	3318
81.	सुगावनम, श्री ई. जी.	3258
82.	सुमन, श्री रामजीलाल	3287, 3302, 3340
83.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3274
84.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	3266
85.	थामस, श्री पी.सी.	3282, 3322
86.	दुम्मर, श्री वी. के.	3256, 3304, 3311, 3350
87.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3251, 3275
88.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3364, 3368
89.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3272, 3335
90.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3304, 3311, 3343
91.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	3289
92.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3336, 3355, 3372, 3374
93.	यादव श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3285
94.	यादव, श्री गिरिधारी	3350
95.	यास्खी, श्री मधु गौड	3285, 3315, 3357, 3367
96.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3279, 3334.

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	323, 327, 328, 329, 335, 337, 339
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	331
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	322, 324, 332, 334
रक्षा	:	333
श्रम और रोजगार	:	326, 330, 338, 340
वस्त्र	:	321, 325, 336
जल संसाधन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	:	3251, 3253, 3259, 3265, 3266, 3270, 3273, 3274, 3280, 3284, 3286, 3287, 3289, 3295, 3300, 3301, 3203, 3305, 3306, 3307, 3308, 3312, 3317, 3318, 3319, 3321, 3322, 3324, 3338, 3340, 3343, 3344, 3345, 3346, 3348, 3351, 3363, 3364, 3365, 3372, 3378,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	3252, 3256, 3257, 3261, 3263, 3268, 3272, 3277, 3278, 3279, 3282, 3283, 3388, 3394, 3304, 3311, 3316, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3330, 3332, 3347, 3349, 3350, 3352, 3354, 3358, 3361, 3362, 3370, 3371, 3373, 3374, 3376,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	:	3271, 3276, 3281, 3290, 3313, 3315, 3355, 3359, 3367
रक्षा	:	3258, 3262, 3267, 3275, 3296, 3299, 3320, 3323, 3331, 3334, 3335, 3336, 3341, 3353, 3356, 3360, 3368
श्रम और रोजगार	:	3254, 3255, 3260, 3264, 3269, 3285, 3291, 3292, 3293, 3297, 3298, 3333, 3337, 3339, 3342, 3357,
वस्त्र	:	3310, 3314, 3369
जल संसाधन	:	3302, 3309, 3366, 3375.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।